लोक सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

4th

LOK SABHA DEBATES

दसवां सत्र

Tenth Session

(खंड 40 में अंक 41 से 50 तक हैं
Vol. XL contains Nos. 41 to 50)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय सूची/CONTENTS

अंक 46, मंगलवार, 28 अप्रैल, 1970/8 बैशाख, 1892 (शक)
No. 46, Tuesday April 28, 1970/Vaisakha 8, 1892 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर — ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

तारांकित प्रश्न संख्या S.Q. Nos	विषय SUBJECT	पृष्ठ/Pages
1261	देश में औद्योगिक क्रान्ति — Industrial Revolution in the country	1-4
1262	इस्पात का निर्यात — Export of Steel	5-8
1263	टीन की प्लेटों का उत्पादन और खपत — Production and Consumption of Tin Plates	8-11
1264	उम्मीदवार की अनर्हता के बारे में मुख्य चुनाव आयुक्त का सुझाव — Suggestion of Chief Election Commissioner Re. Disqualification of a Candidate	12-14
1265	उड़ीसा में रेलवे लाइनों का विकास — Development of Railway Lines in Orissa	14-17
1267	ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन की जांच करने वाले आयोग का प्रतिवेदन — Report of Inquiry Commission on British India Corporation	17-18
1268	मेसर्स जैसप एण्ड कम्पनी लिमिटेड के शेयरों का मुआवजा — Payment of Compensation for Shares in M/s Jessop and company Ltd.	18-19
अल्प सूचना प्रश्न	Short Notice Question	
24	नई दिल्ली में हुआ कानूनी सहायता सम्बन्धी सम्मेलन — Conference on Legal aid held in New Delhi	19-23
प्रश्नों के लिखित उत्तर	Written Answers to Questions	
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
1266	पत्रिकाओं के प्रकाशन के बारे में भारत अमरीकी सहयोग करार — Indo American Collaboration agreement Re. Publication of Journals	23-24

*किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The Sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

प्र० सं० S. Q. Nos.	विषय SUBJECT	पृष्ठ/Pages
1269	फिल्म प्रोजेक्टरों का निर्माण — Manufacture of Film Projectors	24
1270	सफाई कार्य को व्यवसाय के रूप में करने पर रोक — Ban on Scavenging as a profession	24
1271	बाल्टी उद्योग के लिए इस्पात और जस्ते की कमी — Shortage of Steel and zinc for Bucket Industry	25
1272	नई रेलवे लाइनें तथा उन पर व्यय — New Railway lines and Expenditure thereon	25-26
1273	दिल्ली के एक कार्यकारी परिषद द्वारा औद्योगिक लाइसेंस देने संबंधी नीति की आलोचना — Criticism of Industrial licensing policy by an Executive Councilor of Delhi	26-27
1274	इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स द्वारा मशीनों तथा संगणकों का आयात — Import of Computers and Machines by International Business Machines	27
1275	उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के बारे में राज्य सरकारों की राय — Opinion of State Governments in regard to Nationalisation of Industries	28
1276	इस्पात के वितरण की पद्धति में परिवर्तन — Changes in System of Distribution of Steel	28
1277	मैसूर में उद्योगों की स्थापना के लिये औद्योगिक लाइसेंस दिये जाने के लिये आवेदन पत्र — Applications for issue of Industrial Licences to set up Industries in Mysore	28-29
1278	इस्पात के निर्यात से हुई आय — Income earned from Export of Steel	29-30
1279	बिहार में रेलों का विकास — Development of Railways in Bihar	30
1280	नई दिल्ली तथा हावड़ा के बीच चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस तथा डीलक्स गाड़ियों द्वारा लिया जाने वाला समय — Running time of Rajdhani Express and De-lux trains between New Delhi and Howrah	30-31
1281	कम्पनियों द्वारा पूर्ण कालिक, प्रबन्ध निदेशकों की नियुक्ति तथा उनके पारिश्रमिक के बारे में अनुमति मांगना — Clearance sought by Companies for appointment of full time Managing director and their Remuneration	31-32
1282	औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री द्वारा बुलाया गया कागज व्यापारियों और उपभोक्ताओं का सम्मेलन — Conference of paper traders and consumers held by Minister of IDIT and C. A.	32-33

विषय SUBJECT		पृष्ठ/Pages
प्र० सं० S. Q. Nos.		
1283 सिगनल और दूरसंचार विभाग के आपात सेवा करने वाले कर्मचारियों को प्रतिकर देना	Compensation to staff of Signal and Telecommunications Department for performing Emergency Duty	33
1284 संशोधित योजना में पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिये धन का नियतन	Allocation of funds for welfare of Backward classes in revised plan	33-34
1285 चुनावों में मतदाताओं को प्रभावित करने के लिये धन का कथित प्रयोग	Alleged use of money to influence voting in Elections	34
1286 पंजाब में एक अमरीकी फर्म के सहयोग से ट्रैक्टरों का निर्माण	Manufacture of tractors in Punjab with a U. S. firm's collaboration	34-35
1287 श्री गोयन्का के समाचार पत्रों के बारे में रिपोर्ट	Report re. Newspapers of Shri Goenka	35
1288 रेलवे कर्मचारियों को पास तथा पी० टी० ओ०	Passes and P. T. Os. to Railway Employees	35-36
1289 मेसर्स अम्बा मोटर्स झण्डे वाला, नई दिल्ली द्वारा लैम्ब्रटा स्कूटर के लिए आवेदन पत्रों का पंजीकरण	Registration of applications for Lambretta Scooter by M/s Amba Motors Jhandewala, New Delhi	37
1290 गंगा नदी द्वारा भूमि के कटाव से आसाम (पूर्वोत्तर सीमा रेलवे) को जाने वाली रेलवे लाइन को खतरा	Threat of Erosion by the River Ganga to track to Assam (Northeast Frontier Railway)	37-38
अतारांकित प्रश्न संख्या U. S. Q. Nos.		
7718 अन्धे बच्चों के लिए प्रतिभा खोज योजना	Talent search scheme for blind children	38
7719 बंसफर जाति को अनुसूचित जाति घोषित करना	Declaration of Bansfor caste as scheduled caste	38-39
7720 नई दिल्ली स्टेशन के पर्यटक प्लेटफार्म पर भारतीय रेल प्रदर्शन	Indian Rail Exhibition at tourist platform of New Delhi Station	39
7721 रूरकेला इस्पात को गैर सरकारी खान मालिकों से लौह अयस्क की सप्लाई	Supply of iron ore by private mine owners to Rourkela Steel Plant	39-40
7722 हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, बंगलोर द्वारा घड़ियों का निर्माण	Manufacture of watches by H. M. T. Ltd. Bangalore	40-42

अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/Pages
7723	प्लेट और चित्रित कांच का निर्माण	Manufacture of plate and figured glass	42-43
7724	कैप लैम्पों का निर्माण	Manufacture of cap lamps	43
7725	रेलवे से असम्बद्ध व्यक्तियों को रेलवे सम्मानार्थ पास देना	Issue of Railway complimentary passes to non-Railway persons	43-44
7726	रेलवे बोर्ड में राजपत्रित और वरिष्ठ पद	Gazetted and Senior posts in Railway Board	44
7727	स्कूटरों के आवटन के लिये सरकारी कर्मचारियों के आवेदन पत्रों की रजिस्ट्री	Applications from Government employees registered for allotment of Scooters	45-46
7728	गांघरा स्टेशन (उत्तर रेलवे) के नाम में परिवर्तन	Change of name of Gandhra Station (Northern (Railway)	46
7729	अस्थल बोहर स्टेशन (उत्तर रेलवे) में बिजली की व्यवस्था न होना	Absence of lighting arrangement at Asthal Bohar Station (Northern Railway)	46
7730	बहादुर गढ़ रेलवे स्टेशन (उत्तर रेलवे) पर सार्वजनिक सुविधाओं की कमी	Lack of public convenience at Bahadurgarh Railway Station (Northern Railway)	47
7731	जनरल ड्यूटी मेडिकल आफिसर की पदोन्नति के बारे में विधि मंत्रालय का विचार	Opinion of Ministry of Law re: promotion of G. D. M. O.	47
7732	डा० भगवान दास स्मारकट्रस्ट, लाजपत नगर नई दिल्ली के निदेशक द्वारा किये गये अस्पृश्यता के व्यवहार के बारे में शिकायत	Complaint about practice of Untouchability by Director of Dr. Bhagwan Das Memorial Trust, Lajpat Nagar, New Delhi	48
7733	निर्यात करने वाली पुनर्वेलन मिलों के लिये बिलेटों की आवश्यकता	Billet requirements of Exporter re-rollers	48
7734	गोवर्द्धनदास सोनी बनाम नाथूराम मिरधा का मामला	Case of Goverdhan Das Soni versus Shri Nathu Ram Mirdha	48-49
7735	कलकत्ता बिजली सप्लाई निगम का प्रबन्ध और नियन्त्रण	Management and Control of Calcutta Electric Supply Corporation	49
7736	एकीकृत पोषाहार कार्यक्रम	Integrated Nutrition Programme	50

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.		
7737 स्लैग (कचरा) जमा होना	Accumulation of slag	50-52
7738 छोटे पैमाने के उद्योगों को विकसित करने के लिये ब्रिटेन द्वारा किये गये उपायों का अध्ययन करने के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल की ब्रिटेन यात्रा	Visit of Indian delegation to U. K. to study Development of Small Industries	52-53
7739 एक पश्चिम एशियाई देश में राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम की सहायता से बहुप्रयोजनीय प्रादेशिक विकास	Multi purpose regional development with the help of NIDC in a West Asian country	53
7740 अनुसूचित जातियों को मकान बनाने के लिये वित्तीय सहायता	Financial Aid to Scheduled caste people for construction of house	53-54
7741 देश में आदिवासी बच्चों के लिये आश्रम प्रणाली की शिक्षा	Ashram type of education for Tribal children	54
7742 उपयोग न किये गये संसाधनों का औद्योगिक सर्वेक्षण	Industrial Survey of untapped resources	54
7743 इस्पात की प्लेटों और इस्पात की चादरों का उत्पादन	Production of steel plates and steel Sheets	55
7744 गुड़गांव की मुस्लिम महिलाओं की मांगें	Demands of Muslim women of Gurgaon	55-56
7745 रुपसा स्थित रेलवे फाटक पर माल गाड़ी की दुर्घटना	Goods Train Accident at level crossing at Rupsa	56
7746 गोला गोकर्ण नाथ रेलवे स्टेशन से बुक की गई भारतीय औषधियां	Consignment of Indian Medicines booked from Gola Gokarn Nath Railway Station	56
7747 त्रिवेन्द्रम एरणाकुलम सेक्शन पर डीजल इंजन लागू करना	Introduction of Diesel Engines on Trivendrum Ernakulam Section	57
7748 मैसर्स फिलिप्स कम्पनी का विस्तार	Expansion of M/s Philips Co.	57
7749 टैनरी एन्ड फुटवियर कारपोरेशन आफ इंडिया में उत्पादन	Production of Tannery footwear corporation of India Ltd.	57-58
7750 चितरंजन इंजन बनाने के कारखाने में उत्पादन में वृद्धि	Increase in Production at Chittaranjan Locomotive works	58
7751 भारी इंजीनियरी निगम रांची के विस्थापित आदिवासी व्यक्तियों को दुकानों का आवंटन	Allotment of shops to tribal displaced persons of HEC, Ranchi	58-59

अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/Pages
7752	रूसी विशिष्ट विवरण के अनुसार भारतीय संविधियां	Soviet specifications in line with statues	59
7753	ईसाइयों तथा मुसलमानों को अनुसूचित आदिम जातियों की सूची से निकालने के बारे में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आदेश (संशोधन) विधेयक, 1967 सम्बन्धी संयुक्त समिति की सिफारिशें	Recommendations of Joint Committee on Scheduled castes and Scheduled Tribes orders (Amendment) Bill, 1967 Re: Exclusion of Christian and Muslims from list of Scheduled Tribes	59-60
7754	पश्चिम बंगाल में बन्द कारखानों की समस्याओं की जांच करने के लिये समिति स्थापित करना	Setting up of committee to examine problems of closed factories in West Bengal	60
7755	खादी ग्रामोद्योग के आयोग के अध्यक्ष द्वारा प्राप्त भत्ते	Allowances drawn by Chairman of KVIC	60
7756	जीवन स्तर ऊंचा करने के लिये मध्य प्रदेश की अनुसूचित आदिम जातियों को सुविधायें	Facilites to Scheduled Tribes of Madhya Pradesh for raising standard of living	60-61
7757	मध्य प्रदेश को ऋण दिया जाना	Grant of loans to Madhya Pradesh	61
7758	मध्य प्रदेश में उद्योगों की स्थापना के लिये लाइसेंस जारी करना	Issue of licences for setting up of industries in Madhya Pradesh	61-62
7759	मध्य प्रदेश में उद्योग	Industries in Madhya Pradesh	62
7760	मनीपुर में विकलांग व्यक्तियों को रोजगार	Employment of Physically handicapped persons in Manipur	63
7761	धार्मिक दलों, संगठनों आदि को रियायत के बारे में स्टेशनों को परिपत्र	Circular to stations re : concession to Religious Groups, organisations etc.	63
7762	भारत में विदेशी परामर्शदाता	Foreign consultants in India	63-64
7763	भिलाई इस्पात कारखाने में उत्पादन	Production in Bhilai Steel Plant	64-65
7764	दुर्गापुर इस्पात कारखाने के अधिकारियों के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट	C. B. I. Report on Activities of officers of Durgapur Steel Plant	65

अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.	विषय SUBJECT	पृष्ठ/Pages
7765	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड में डिजाईन ब्यूरो स्थापित करने के लिये भारत रूस करार / Indo Soviet agreement for setting up a design Bureau in Hindustan Steel Ltd.	65-66
7766	औद्योगिकरण के लिये संयुक्त क्षेत्र बनाया जाना / Creation of Joint Sector for Industrialisation	66
7767	दिल्ली से पठानकोट, अमृतसर, अहमदाबाद तथा फिरोजपुर को राजधानी एक्सप्रेस चलाये जाने की मांग / Demand for Rajdhani Express from Delhi to Pathankot, Amritsar, Ahmedabad and Ferozepur	66-67
7768	औद्योगिक लाइसेंसिग नीति सम्बन्धी दत्तसमिति के प्रतिवेदन पर अनुसरणात्मक कार्यवाही / Follow up action on Dutt Committee report on Industrial Licensing Policy	67
7769	नारनौल तथा रिवाड़ी रेलवे स्टेशनों (पश्चिमी तथा उत्तरी रेलवे) पर आग लगने के कारण कुछ व्यक्तियों की मृत्यु / Death of persons due to fire at Narnaul and Rewari Railway stations (Western and Northern Railways)	67-68
7770	हरयाणा में विधान सभा की सीटों के लिये उपचुनाव / Bye elections for Assembly seats in Haryana	68
7771	बम्बई की स्टडर्ड ड्रम एन्ड बैरल मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी को इस्पात की चादरों का आवंटन / Allotment of steel sheets to standard drum and barrel manufacturing Co., Bombay	68-69
7772	मैसर्स स्टैंडर्ड ड्रम एन्ड बैरल मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी द्वारा उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम, 1951 का उल्लंघन / Violation of industries (Development and regulation) Act, 1951 by M/s Standard Drum and Barrel Manufacturing Company	69
7773	मार्ग में इस्पात की चोरी / Theft of Steel in Transit	69
7774	लघु उद्योगों का वित्तपोषण / Financing of small scale industries	69-70
7775	रेलवे में डीजल से चलने वाले इंजनों को लगाये जाने से देश की अर्थ व्यवस्था में संकट / Dieselisation of Railways jeopardising economy of the country	70
7776	इंजीनियरिंग उद्योग के लिये संगठन की स्थापना / Setting up of organisation for Engineering Industry	70-71

अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/Pages
7777	होशियारपुर तथा बुलडाना से संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिये उप-चुनाव	Bye elections to Lok Sabha from Hoshiarpur and Buldana Parliamentary constituencies	71
7778	रेलवे कर्मचारियों के बच्चों के लिये चण्डीगढ़ में स्कूल का खोला जाना	Opening of a school for children of Railway employees at Chandigarh	71
7779	चण्डी गढ़ स्टेशन पर क्लर्कों के काम के अधिक घंटे	Longer hours of duty for clerks at Chandigarh Station	71-72
7780	राजधानी एक्सप्रेस में बंगाली संगीत तथा समाचार बुलेटिन	Bengali Music and News Bulletin in Rajdhani Express	72
7781	लम्बी दूरी की गाड़ियों में तीसरे दर्जे के यात्रियों के लिये पीने के पानी की सप्लाई तथा चाय की बिक्री	Supply of Drinking water and sale of tea to II class passengers in longdistance trains	72-73
7782	इस्पात कारखाने से रद्दी इस्पात का निपटारा	Disposal of steel scraps from steel plants	73-74
7783	रेलवे स्टेशनों पर बुक स्टालों के ठेकेदार	Contractors of book Stalls at Railway Stations	74
7784	मुरी ग्राम पुल का निर्माण	Construction of Muri Gram Bridge	74
7785	वैस्ट कोस्ट एक्सप्रेस में मंगलौर से बम्बई तक के लिये डायरेक्ट रेल डिब्बा	Through Compartment from Mangalore to Bombay in West Coast Express	75
7786	बिहार के पालामऊ जिले में कागज बनाने का कारखाना	Paper Mill in Palamau district of Bihar	75
7787	रांची चाइबासा रोड के रेलवे फाटक पर उपरि पुल	Over-bridge at Railway Crossing of Ranchi-Chaibasa Road	76
7789	रेलवे सुरक्षा आयुक्त का प्रतिवेदन	Report of Commissioner of Railway Safety	76
7790	सिग्नल तथा दूर संचार विभाग के कर्मचारियों को स्थायी बनाना	Confirmation of staff in Signal and Telecommunications department	77
7791	रेलवे पर असमानता को समाप्त करने के लिये पदनामों तथा कार्यों का मानकीकरण	Standardisation of designations and jobs to end disparities on Railways	77

अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/Pages
7792	जी० आर० पी० दिल्ली द्वारा अत्यधिक मार पीट करने के कारण नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर काम कर रहे एक हरिजन सफाई कर्मचारी की मृत्यु	Death of a Harijan sweeper working at New Delhi Railway Station due to alleged excessive beating by G. R. P. Delhi	77-78
7793	उद्योग में एकाधिकार	Monopolies in Industry	78
7794	निम्बाहेरे (राजस्थान) में सीमेंट फैक्टरी स्थापित करने का लाइसेंस	Lieence for setting up Cement Factory at Nimbahere (Rajasthan)	78-80
7795	मेसर्स कमानी इंजीनियर्स द्वारा राजस्थान में एक ढलवा लोहे बनाने का कारखाना स्थापित किया जाना	Setting up of a pig iroor factory in Rajasthan by M/s Kamani Engineers	80
7796	उत्तर रेलवे के सहायक रेल पथ निरीक्षकों के लिये क्वार्टर	Quarters for Assistants permanent way Inspectors on Northern Railway	80
7797	सैंट्रल रेलवे में कुछ पदों की प्रतिशतताओं में असमानता	Disparity between percentages of certain posts on Central Railway	81
7798	तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को उच्चतर श्रेणी में स्थानापन्न होकर कार्य करने का अवसर देना	Officiating chance to class III Staff in Higher Grades	81
7799	उत्तर रेलवे में सहायक रेल पथ निरीक्षकों के रूप में रखे गये व्यक्तियों को वेतन वृद्धि देना	Grant of increment to those absorbed as assistant permanent way inspectors on Northern Railway	81-82
7800	उत्तर रेलवे में सहायक रेल पथ निरीक्षकों के तौर पर समाहित किये गये कर्मचारियों की भविष्य निधि तथा सेवा अभिलेखों का हस्तान्तरण	Transfer of provident Fund and Service Records of staff absorbed as Asstt. permanent way inspectors (Northern Railway)	82
7801	आदिवासियों द्वारा मेघनगर स्टेशन के निकट अहमदाबाद-भोपाल रेलगाड़ी (पश्चिम रेलवे) का लूटा जाना	Looting of Ahmedabad-Bhopal train near Meghnagar Station (Western Railway)	82-83
7802	इलाहाबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर स्लीपिंग बर्थों और सीटों के आरक्षण के बारे में चार्ट का लगाया जाना	Display of reservation chart re : sleeping births and seats at Allahabad Railway Station platform	83

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.		
7803 लेखा विभाग द्वारा स्टेशनों के नाम बाकी राशि में वृद्धि करना	Raising of debits against the stations by the Accounts Department	83-84
7804 वर्कशाप एण्ड स्टोर्स एकाउन्टस कार्यालय, अजमेर (पश्चिम रेलवे) में ग्रेड-2 के क्लर्कों को स्थायी बनाया जाना	Confirmation of clerks Grade II Workshop and Stores Accounts Office, Ajmere (Western Railway)	84
7805 अखिल भारतीय श्रेणीकृत रेलवे लेखा कर्मचारी एसोसिएशन के तीसरे सम्मेलन में पारित प्रस्ताव	Resolutions adopted at the Third Conference of All India Ungraded railway Accounts Staff Association	84-85
7806 वर्षा के कारण खाद्यान्नों की मार्ग में हुई क्षति	Loss of Foodgrains in transit due to rains	85
7807 डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, वाराणसी में निर्मित इंजनों की लागत में वृद्धि	Rising cost of engines produced in Diesel locomotive works, Varanasi	86
7808 डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, वाराणसी के भंडार डिपो के कर्मचारियों के वेतन बिलों में से एक दिन की मजूरी कम करना	Deduction of a day's wages from Pay Bills of workers of Store Depot (Diesel Locomotive works) Varanasi	86
7809 भारतीय रेलवे में वर्ष 1968-69 में यात्री यातायात में कमी	Decline in passenger traffic on Indian Railways in 1968-69	86-87
7810 चौथी योजना के अन्तगर्त कागज की मांग	Demands of paper during Fourth Plan	87-88
7811 बडागारा में वेस्ट कोस्ट एस्सप्रेस का रुकना	Stoppage of West Coast Express at Badagara	88
7812 हैवी इलैक्ट्रिकल्स (इंडिया) लि० द्वारा अणुशक्ति आयोग को टर्बो जनरेटरों की सप्लाई	Supply of Turbo-Generator to Atomic Energy Commission by Heavy Electricals (India) Ltd.	88-89
7813 पटेल नगर (दिल्ली) रेलवे स्टेशन के निकट ऊपरी पुल	Over-bridge near Patel Nagar (Delhi) Railway Station	89

अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/Pages
7814	चौथी पंचवर्षीय योजना में रेलवे का विद्युतीकरण तथा डीजलीकरण	Electrification and Dieselisation of Railways during Fourth Five Year Plan	89-90
7815	नागपुर में बच्चों के लिये रेलगाड़ी	Children's Train at Nagpur	90
7816	दानापुर स्टेशन (पूर्व रेलवे) में रहने वाले कर्मचारियों का मकान किराया भत्ता बन्द करना	Stoppage of House Rent Allowance to employees residing in Danapur Station (Eastern Railway)	90
7817	लोको शैड दानापुर (पूर्व रेलवे) के कर्मचारियों को ठंडे पानी की सप्लाई	Supply of cold water to workers of Loco Shed, Danapur (Eastern Railway)	90-91
7818	लोको शैड, दानापुर (पूर्वी रेलवे) को स्थानान्तरित करना	Shifting of Loco Shed, Danapur (Eastern Railway)	91
7819	पूर्व रेलवे में तांबे की तार की चोरी	Theft of copper wire on Eastern Railway	91-92
7820	दिल्ली मेन स्टेशन के पार्सल कर्मचारियों द्वारा चांदी की छड़ों का गबन किया जाना	Embezzlement of silver bars by parcel staff at Delhi main station	92
7821	मेरठ सिटी स्टेशन (उत्तर रेलवे) के पार्सल कर्मचारियों द्वारा सरकारी धन का गबन	Embeczlement of Government Cash by Parcel Staff, Meerut City Station (Northern Railway)	92-93
7822	उत्तरी और पूर्वोत्तर रेलवे में रोजगार	Employment on Northern and North Eastern Railways	93
7824	रूरकेला इस्पात कारखाने के कर्मचारियों को सवारी भत्ता	Grant of Conveyance Allowance to Employees of Rourakela Steel Plant	93
7825	रूरकेला इस्पात कारखाने के कर्मचारियों को प्राप्त छुट्टी-यात्रा-रियायत सम्बन्धी सुविधा	Leave Travel concession facilities Enjoyed by Employees of Rourkela Steel Plant	94
7826	इस्पात कारखानों की उत्पादन क्षमता और उनका वास्तविक उत्पादन	Capacity and production of steel Plants	94-95

अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.	विषय SUBJECT	पृष्ठ/Pages
7827	अधिवक्ताओं के पंजीकरण के लिये जाने वाले शुल्क में समता	Uniformity re. fee charged for Registration of Advocates 95
7828	बंगलौर स्थित मशीन टूल्स डिजाइन संस्थान	Machine Tools Design Institute Bangalore 95-96
7829	आयात प्रतिस्थान कार्यक्रम	Import Substitution programme 96
7830	पंजाब राज्य को कच्चे लोहे का आवंटन	Allocation of pig iron to Punjab State 96-97
7831	भारतीय रेलवे में दिये जाने वाले खाद्य पदार्थों के मूल्य और उनका स्तर	Rates and quality of food served on Indian Railways 97-98
7832	मनथारालायम रोड स्टेशन (दक्षिण मध्य-(रेलवे) के प्लेटफार्म पर फर्श बनाना	Flooring of Platform at Mantharalayam Road (South Central Railway) 98
7833	संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती किये अधिकारियों की पदोन्नति में भेदभाव	Disparity in promotion of officers Recruited through Union Public Service Commission 98-99
7834	उत्तर रेलवे में आशुलिपिकों तथा ड्राफ्ट्समैनों का स्थायीकरण	Confirmation of Stenographers and Draftsman on Northern Railway 99-100
7835	उत्तरी राज्यों में सीमेंट कारखाने लगाना	Setting up of cement factories in Northern states 100-101
7836	बम्बई में स्थानीय गाड़ियों के सीजन टिकटवालों के लिये यात्रा रियायत को समाप्त करना	Withdrawal of travel concessions for commuters on local trains in Bombay 101
7837	उड़ीसा में इस्पात कारखाने स्थापित करने के लिये उड़ीसा सरकार का अनुरोध	Orissa Government request for setting up steel plants in Orissa 101
7838	व्यापार गृहों की आस्तियां	Assets of Business Houses 102
7839	भारी इंजीनियरिंग निगम को हानि	Loss incurred by heavy engineering Corporation Ltd. Ranchi 102-103
7840	लोहे तथा इस्पात का संग्रहीत मूल्य (पूल प्राइस)	Pool price for iron and steel 103
7841	मानसिक रूप से अविकसित बच्चों की समस्या	Problem of mentally retarted children 103-104

विषय SUBJECT	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० सं० U. S. Q, Nos.	
7842 इस्पात ढांचों के डिजाइन, निर्माण तथा स्थापना के बारे में कलकत्ता में हुआ सम्मेलन — Conference on design, Fabrication and erection of Steel structures held at Calcutta	104
7843 हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड का केन्द्रीय इंजीनियरिंग तथा डिजाइन ब्यूरो — Central Engineering and Designing bureau of Hindustan Steel Limited	104-105
7844 हिन्दुस्तान मोटर्स लिमिटेड द्वारा कार के पुर्जों का निर्यात — Export of car components by Hindustan Motors Ltd.	105
7845 जयपुर डिवीजन (पश्चिम रेलवे) के लोको शंटरों द्वारा अभ्यावेदन — Representation by loco Shunters Jaipur Division (Western Railway)	105
7846 बड़ौदा डिवीजन (पश्चिम रेलवे) में प्लेटफार्म तथा तीसरे दर्जे के प्रतीक्षागृहों में मिठाइयां आदि के स्टालों का किराया — Rent of Sweetmeat stalls in III class waiting halls and on platforms in Baroda Division (Western Railway)	105-106
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना — Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	106-111
चीन द्वारा भू उपग्रह छोड़ने का समाचार तथा इसका भारत की सुरक्षा पर पड़ने वाला प्रभाव — Reported launching of earth Satellite by China and its implications in respect of India's security	106-111
'नारदर्न इंण्डिया पत्रिका', इलाहाबाद के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न — Question of Privilege against 'Northern India Patrika,' Allahabad	111
सभा पटल पर रखे गये पत्र — Papers Laid on the Table	111-112
लोक लेखा समिति — Public Accounts Committee	
106 वां, 107 वां तथा 110 वां प्रतिवेदन — Hundred and sixth, hundred and seventh and hundred and tenth Reports	112
हल्दिया बरौनी तेल पाइप लाइन सम्बन्धी जांच समिति के बारे में अल्प सूचना प्रश्न संख्या 11 के उत्तर में शुद्धि — Correction of Answer to SNQ No. 11 re. Enquiry Committee on Haldia-Barauni Oil pipeline	112-113
नियम 377 के अन्तर्गत मामला — Matter Under Rule 377	113-114

गुजरात में मध्यावधि चुनाव के सम्बन्ध में मन्त्रिमंडल की आन्तरिक कार्य समिति का कथित निर्णय	Reported decision of Internal Affairs Committee of Cabinet about mid-term poll in Gujrat	114
अनुदानों की मांगे, 1970-71	Demands for Grants, 1970-71	114
प्रति रक्षा मंत्रालय	Ministry of Defence	
श्री नरेद्रकुमार साल्वे	Shri N. K. P. Salve	114-116
श्री के. रमानी	Shri K. Ramani	116-119
श्री यशपाल सिंह	Shri Yashpal Singh	119-120
श्री नरेद्र सिंह महीडा	Shri Narendra Singh Mahida	120-121
श्री समर गुह	Shri Samar Guha	121-123
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री	Shri Raghuvir Singh Shastri	123-124
श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा	Shri Inder Jit Malhotra	124-125
श्री अर्जुन सिंह भदोरिया	Shri Arjun Singh Bhadoria	125-126
श्रीमती शारदा मुकर्जी	Shrimati Sharda Mukerjee	126-127
श्री गुलाम मुहम्मद बख्शी	Shri Gulam Mohammad Bakshi	128
श्री विक्रम चन्द महाजन	Shri Vikram Chand Mahajan	128-129
श्री रणजीत सिंह	Shri Ranjeet Singh	129-132
श्री गजराज सिंह राव	Shri Gujraj Singh Rao	132-133
श्री स्वर्ण सिंह	Shri Swarn Singh	133-139
संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद-(314 का हटाया जाना) श्री मधु लिमये का-अस्वीकृत	Constitution (Amendment) Bill Negatived (Omission of Article 314) by Shri Madhu Limaye.	141-144
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider	
श्री हनुमन्तय्या	Shri Hanumanthaiya	141-142
श्री यशवन्तराव चह्वाण	Shri Y. B. Chavan	142-143
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	143

लोक-सभा

LOK SABHA

मंगलवार, 28 अप्रैल, 1970/8 बैसाख, 1892 (शक)

Thursday, April 28, 1970/Vaisakha 8, 1892 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

देश में औद्योगिक क्रान्ति

*1261. **श्री रा० कृ० बिड़ला : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार कृषि क्रान्ति और परिवार नियोजन कार्यक्रम की भांति देश में औद्योगिक क्रान्ति का समारम्भ करने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चौथी योजना के दौरान देश में औद्योगिकरण करने के प्रयोजन से सामूहिक प्रचार द्वारा जनमत जागृत करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री भानु प्रकाश सिंह): (क) **और (ख)** : हाल ही में सरकार ने देश के औद्योगिक विकास में गति को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न दिशाओं में अनेक प्रकार की कार्रवाई प्रारम्भ की है। चौथी पंचवर्षीय योजना में, जिसे अब अन्तिम रूप दिया जा चुका है संगठित क्षेत्र तथा खनिज क्षेत्र में 5298 करोड़ रु० का विनियोजन करने का विचार है। इसके अलावा आगामी चार वर्षों में शक्ति परिवहन और कृषि जैसे क्षेत्रों में अधिक विनियोजन करने की योजना से औद्योगिक गतिविधियों को पर्याप्त प्रोत्साहन

मिलने की आशा है। हाल के वर्षों में अर्थ-व्यवस्था में जो मन्दी की प्रवृत्तियां आ गई थी वे समाप्त हो गई हैं और इससे आशा है कि आगामी वर्षों में औद्योगिक प्रगति और भी तीव्र एवं विस्तृत हो जायेगी। औद्योगिक लाइसेंस नीति का उस प्रकार परिष्कार किया गया है जिससे लघु और मध्यम उद्यमियों चाहे वे विद्यमान हों अथवा नये और अधिक स्वतन्त्रता के अवसर प्राप्त हो सकें। लघु क्षेत्र तथा शिक्षित बेरोजगारों के लिए प्रस्तावित विभिन्न अनेक उपायों के साथ-साथ अथवा जो इस समय कार्यान्वित किये जा रहे हैं उनसे उत्पादन तथा अर्थ-व्यवस्था के जोखिम उठाने के आधार को एक नई शक्ति प्राप्त होगी। कुछ शर्तों के साथ लाइसेंस प्राप्त करने के लिए छूट की सीमा बढ़ाकर एक करोड़ कर देने तथा एक करोड़ रु० तक का विस्तार बिना लाइसेंस के कर देने से यह आशा की जा सकती है कि अनेक मध्यम लघु उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा और उनका विकास होगा। जहां तक लाइसेंस प्राप्त उपक्रमों का सम्बन्ध है, मध्यम क्षेत्र के लिए अब लाइसेंस अधिक उदारता-पूर्वक दिये जायेंगे। प्रयोग के रूप में लाइसेंस देने की निषिद्ध सूची भी अब समाप्त कर दी गई है जिससे औद्योगिक कार्य-कलापों के क्षेत्र को और अधिक बढ़ाया जा सके। सरकारी क्षेत्र के कार्य-कलापों का क्षेत्र भी बढ़ाने का विचार है जिससे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में खपत और विनियोजन एवं विकास की दिशा में पूर्ति और मांग के बीच की कमी को पूरा किया जा सके। इन उपायों के साथ-साथ इस वर्ष के विकासोन्मुख बजट तथा कच्चे सामान पुर्जों के आयात के लिए अपनाई गई नई नीति से आशा की जाती है कि औद्योगिक विकास को पर्याप्त प्रोत्साहन मिलेगा। 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर देने तथा लोक वित्तीय संस्थानों की ऋण नीति की समीक्षा करने तथा औद्योगिक ऋण नीति को नई दिशा देने से मध्यम और लघु उद्यमियों की और अधिक ऋण की सुविधायें प्राप्त हो सकेंगी। अतः आशा की जाती है कि आगामी वर्षों में देश के औद्योगिक विकास को एक नई दिशा मिलेगी।

(ग) और (घ) : सम्पूर्ण रूप से सुनियोजित विकास की दृष्टि से देश में औद्योगिकरण के सम्बन्ध में जनता की राय बनाने के लिये निरन्तर अनेक जन-प्रचार के साधन अपनाये जा रहे हैं जैसे रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, प्रकाशन, प्रदर्शिनियां आदि। केन्द्र एवं राज्य सरकारें देश के विकास सम्बन्धी कार्यकलापों के सम्बन्ध में जन भावना उत्पन्न करने और उनका सहयोग प्राप्त करने के लिये अपेक्षित उपाय करती रहेगी।

श्री रा० कृ० बिड़ला : क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि गत दो वर्षों के दौरान, वर्ष 1979-70 की आर्थिक समीक्षा की रिपोर्ट के अनुसार नये उद्योगों की स्थापना और विशेषकर एल्यूमीनियम, इस्पात और स्टेपल रेशों के वर्त्तमान उद्योगों का विस्तार न होने के क्या कारण हैं ?

श्री क० लकप्पा : यह शान्तिपूर्ण क्रान्ति है अथवा नहीं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : नये उद्योगों की स्थापना न किये जाने और वर्तमान उद्योगों का विस्तार न होने का प्रश्न ही नहीं उठता। हमारा प्रयास तो यह है कि नये उद्योगों की स्थापना की जाय और साथ ही साथ वर्त्तमान उद्योगों का भी विस्तार किया जाय।

श्री रा० कृ० बिड़ला : श्रीमान जी, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि औद्योगिक विकास कहां हुआ है और किन उद्योगों में विस्तार हुआ है।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : अनेक उद्योगों में विस्तार हुआ है। अगर माननीय सदस्य चाहें, तो मैं उन्हें सूची दे सकता हूं।

श्री रा० कृ० बिड़ला : नये उद्योगों की स्थापना करने के लिए और साथ ही साथ वर्तमान उद्योगों का विस्तार करने के लिये बिशाल उद्योग क्षेत्र से सम्बद्ध व्यक्तियों को गत दो वर्षों में दिये गये ऋण की कुल राशि कितनी है ?

श्री फरूरुद्दीन अली अहमद : इसके लिए मुझे पूर्व सूचना चाहिये।

श्री श्रद्धाकर सूरकार : मैं जानना चाहता हूं कि क्या विवरण-पत्र में उल्लिखित उपायों से उनके विचार में औद्योगिक उत्पादन की विकास गति में क्रान्तिकारी वृद्धि होगी और यदि हां, इस विकास के बारे में क्या अनुमान लगाया गया है ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : यहां प्रयुक्त "औद्योगिक क्रान्ति" शब्द बहुत विस्तृत शब्द है। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि यह एक सही दृष्टिकोण नहीं होगा। मगर, हम औद्योगिक विकास की बृद्धि के बारे में उत्सुक हैं और गत वर्ष उससे पिछले वर्ष की तुलना में उसमें वृद्धि हुई है।

श्री श्रद्धाकर सूपकार : दर क्या है ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : 7·5 प्रतिशत अगर हम वस्त्र उद्योग को हुये घाटे को भी शामिल कर लें, तो यह वृद्धि 10 प्रतिशत है।

Shri K. N. Tiwary : How much money has been spent on Agro-based industries in small scale and medium scale industries since this scheme has been taken up and what part of the industries is engaged in it ?

Shri F. A. Ahmed : It is difficult to furnish these details, but so far as Agro-based industries are concerned, our efforts is to provide them credit facilities and all sorts of help would be provided them for expansion of those industries.

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : श्रीमान जी, गैर-सरकारी क्षेत्र में नये उद्योगों की स्थापना इस बात पर बहुत अधिक निर्भर है कि जनता द्वारा साम्य-पूंजी में योगदान किया जाय। मन्त्री महोदय जानते ही हैं कि पहले कुछ वर्षो तक प्रत्येक नई परियोजना में लाभांश दे सकना सम्भव नहीं है और इस उद्देश्य के लिए एक कर-साख-प्रमाणपत्र योजना चालू की गई थी, जो लगता है नये वित्त विधेयक में समाप्त कर दी गई है। मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि गैर-सरकारी क्षेत्र में औद्योगिक विकास पर कर-साख प्रमाणपत्र योजना की समाप्ति का क्या प्रभाव पड़ने की सम्भावना है और कर-साख प्रमाणपत्र योजना की समाप्ति के द्वारा उत्पन्न दुष्परिणामों को निष्प्रभावी करने के लिए क्या प्रतिरोधी कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है, उसके अलावा, देश में उद्योगों के विकास के लिए वित्तीय निगमों से ऋण लेने की सुविधायें औद्योगिक क्षेत्र को प्राप्त हैं और जैसा कि माननीय सदस्य को ज्ञात है कि हमारी नई लाइसेंस नीति के अनुसार कुछ क्षेत्रों को अलग रखा गया है और कुछ विशेषीकृत क्षेत्र तथा भारी निवेश की जरूरत वाले क्षेत्रों में हमने बड़े औद्योगिक गृहों को भी अनुमति दी है, परन्तु उनके आवेदन पर देश के हित और किस सामग्री की आवश्यकता है, इस बात को ध्यान में रखते हुए विचार किया जायगा और उन्हें विदेशी मुद्रा सहित सभी सुविधायें प्रदान की जायेंगी।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : श्रीमान जी, उत्तर क्या है ? यह पूर्णत: असम्बद्ध है ।

श्री पीलु मोडी : मेरे विचार में इस सम्बन्ध में कुछ न कुछ किया जाना चाहिये । रोजाना सुबह खेला जाने वाला यह छोटामोटा खेल नहीं है । जब कोई सदस्य मन्त्री महोदय से प्रश्न पूछता है, तो मन्त्री जी के हाथ में जो भी रिपोर्ट होती है, उससे वह पढ़ने लगते हैं । पूछे गये प्रश्न और उसके उत्तर में कुछ न कुछ सम्बन्ध तो होना चाहिए । और जब यह सब होता है, तो अध्यक्ष महोदय आप ही हमें सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं । और इसलिए, अगर आप महसूस करते हैं कि प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है, उसकी उपेक्षा की गई है अथवा उससे बचा गया है, तो मेरे विचार में आपको इस बारे में कुछ न कुछ उपाय करना ही चाहिए ।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : अगर आप चाहें, तो मैं उसे दुबारा कह सकता हूं । मैंने पूछा था कि क्या यह सच है कि कर-साख प्रमाणपत्र योजना के जारी न रहने से गैर सरकारी क्षेत्र में औद्योगिक विकास पर कुप्रभाव पड़ेगा और यदि हां, तो सरकार क्या प्रतिरोधी उपाय अपनाने का विचार रखती है ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : इस बारे में हमें वित्त मन्त्रालय से पूछना होगा ।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : प्रश्न यह है कि क्या इस उपाय से गैर सरकारी क्षेत्र के उद्योग के विकास पर प्रभाव पड़ने की सम्भावना है ।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : इससे औद्योगिक उत्पादन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

श्री हेम बरुआ : मैं जानना चाहता हूं कि देश में औद्योगिक क्रान्ति लाने के लिए क्या क्षेत्रीय असन्तुलनों को भी ध्यान में रखा जायगा और क्या देश में क्षेत्रीय असन्तुलन को समाप्त करने के लिए उपाय किये जायेंगे और नये उद्योगों की स्थापना करते समय इन तथ्यों को ध्यान में रखा जायगा ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : यह एक महत्वपूर्ण सुझाव है । जब हम नये उद्योगों की स्थापना के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं, तो औद्योगिक उत्पादन की दृष्टि से पिछड़े राज्यों और क्षेत्रों के प्रश्न पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जायगा । और, मैं यह भी संकेत करना चाहता हूं कि राष्ट्रीय विकास परिषद ने एक प्रस्ताव स्वीकृत किया है जिसके अनुसार औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े राज्यों के दो जिलों को चुना जायगा, जिनमें उद्योगों का वहां विकास करने के लिए विशेष सुविधायें प्रदान की जायेंगी ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

Shri Bhogendra Jha : Mr. Speaker, It is absolutely necessary to ask a supplementary on Qn. No. 1261.

Mr. Speaker : I have called for next question and that also stands against the name of Hon'ble Member.

Shri Bhogendra Jha : Mr. Speaker, kindly allow me to ask on that question. I do not get up generally. It is very necessary to put a supplementary on that. If you like, I will not put any supplementary for next ten days.

Mr. Speaker : Hon'ble Member should not argument, but ask his next question.

Shri Bhogendra Jha : If you order, I will have to obey.

इस्पात का निर्यात

*1262. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व की मंडियों में भारतीय इस्पात की मांग इसके वर्तमान निर्यात से बहुत अधिक है ; और

(ख) यदि हां, तो अन्य देशों की मांग को पूरा करने के लिये निर्यात को बढ़ाने हेतु क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णचन्द्र पन्त) : (क) पिछले कुछ महीनों में अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में इस्पात की मांग काफी अच्छी रही है और विभिन्न किस्मों के इस्पात के निर्यात के लिए निर्धारित की गई सीमा तक आर्डर प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं हुई है ।

(ख) देश में इस्पात की मांग बढ़ जाने से यह आवश्यक हो गया है कि इस्पात का निर्यात इस प्रकार विनियमित किया जाय जिससे इस्पात की देशीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय मांग की पूर्ति में ठीक संतुलन बना रहे ।

Shri Bhogendra Jha : Mr. Speaker, the tradition in the export of steel so far, as at present has been that the best quality of iron ore which is produced in Bhilai Hospet, the quality which is acclaimed as the best in the whole world will as per agreement finalised recently be exported to Japan for the next 10-12 years. In the Report which is placed before the House, it has been emphasised like last year that Japan is traditional purchaser of our iron ore. I want to know whether we are in a position to stop export of iron ore to foreign countries and adopt a policy of exporting only goods manufactured of steel and not only steel ?

At present we are exporting to 55 countries and therefore, I would urge the Govt. to have a close co-ordination between Ministry of Steel and other Ministries, for there is a great demand of our steel and steel made goods in the Middle East countries. We need their oil. I want to know whether urgently required goods such as oil which can be available especially from Middle-East countries, be purchased in exchange to steel ? Have you made any assessment in this connection ? Foreign Oil Companies such as Esso and Caltex are still exploiting us. Dr. Triguna Sen is unable to deal with them. Are you contemplating to have oil from those countries in exchange of steel.

Secondly, I have asked to stop export of iron ore. Hon'ble Minister may reply to this also.

Shri K C. Pant : The export of Iron ore is not concerned with this Ministry.

Shri Bhogendra Jha : It has been mentioned in the Report.

Shri K. C. Pant : Pig iron has been mentioned there. We had finalised agreement with Japan for the export of iron ore. It is generally true that if we could export costly steel, we would get some amount of foreign exchange even with less tonneage. It is also done as far as possible. But nowadays we need foreign exchange very badly. We have got great deposits of iron ore. Therefore, we export all goods including iron ore, steel and engineering goods. We export even scraps so that we may earn foreign exchange. In view of our requirement of foreign exchange - - - -

Shri Bhogendra Jha : We may export manufactured steel.

Shri K. C. Pant: We very much need resources for that. But we are doing whatever is possible. There are very large deposits of iron ore. We convert it into pig iron as far as possible. Thereafter we convert pig-iron into steel. But you know that sufficient resources are required for that purpose. That is why I have used the phrase 'as far as possible.'

So far as question of export and import is concerned, it is looked after and coordinated by another Ministry. But our endeavour is to produce surplus, so that maximum amount might be exported.

Shri Bhogendra Jha : Do we really import the goods required by us in exchange to steel ? I know that it is the responsibility of another Ministry have you tried to co-ordinate with that Ministry ? Would you try to import much-needed goods in exchange ? I do not want to repeat the political pressure upon the Government and activities of oil companies. We would be able to avoid that pressure. In addition to all this, we would be able to strengthen our political relations with Middle-East countries.

Has the Government assessed that which of the fifty-five countries can supply us urgently required goods ? He has stated that Government has decided to reduce our export from this year. I want to know whether export to those countries would only be reduced, from which we are importing nothing or export to those countries would also be reduced from which we are importing our much-needed goods ?

Shri k. C. Pant: We have trade relations with all the Countries. Balance of payment is also with all the Countries. In some cases balance of payment is favourable to us and in some other cases it is against us. We have to take into consderation all the factors. We try to earn foreign exchange wherefrom it is possible. It is not always possible to export steel where it is not required. It is also not always possible to import from any country. Keeping in view all these factors, we export it.

श्री सु० कु० तापड़िया : इस सरकार की अन्य सभी वस्तुओं की भांति ही, मंत्री द्वारा मूल प्रश्न का जो उत्तर दिया जाता है, वह भी पुराना होता है। विश्व के इस्पात बाजार में मंदी शुरू हो गई है और इस्पात की कीमतों में 15 प्रतिशत की कमी हो गई है।

क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इस्पात की अन्तर्राष्ट्रीय कीमत में मन्दी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, क्या सरकार निर्माताओं और निर्यातकर्ताओं को मुख्य इस्पात और अन्य इस्पात निर्मित वस्तुओं का निर्यात करने के लिए प्रोत्साहित करेगी हम कीमतों में कमी होने का फायदा उठा सकें और वर्तमान मूल्य पर अपना सामान बेंच सकें और जिससे भावी दो तीन महीनों में ही हमारी आन्तरिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। इस प्रकार हमारे पास सामान की कमी नहीं रहेगी और इस विनिमय में हम विदेशी मुद्रा भी बचा लेंगे ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : उत्तर में आज की स्थिति का जिक्र नहीं किया गया है। उसमें यह कहा गया है कि पिछले कुछ महीनों में इस्पात का अन्तर्राष्ट्रीय बाजार बहुत उत्साहपूर्ण रहा है।

श्री सु० कु० तापड़िया : हम तो आज की नीति के बारे में पूछ रहे हैं कि क्या वह निर्यात में वृद्धि किये जाने को अनुमति देंगे। हमें छः महीने पहले की नीति के बारे में कुछ भी नहीं पूछना।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : अगर वह ध्यानपूर्वक उत्तर पढ़ें, तो उन्हें उस पर कोई भी आपत्ति नहीं होगी।

जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है, हमें अन्तर्राष्ट्रीय बाजार की ऊँची कीमतों का फायदा उठाना है; परन्तु यह भी हमेशा हमें अपनी अर्थ व्यवस्था की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए करना है। अपने उद्योग की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, हम यथा सम्भव निर्यात को प्रोत्साहन देते हैं।

श्री एस० आर० दामानी : देश में इस्पात की भारी कमी है। निर्धारित क्षमता के अनुसार उत्पादन नहीं हो रहा, वह सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों में लगभग 65 प्रतिशत ही है। इस्पात के आन्तरिक उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किये गये हैं अथवा किये जा रहे हैं? देश की मांग को पूरा करने के लिए इस वर्ष हम करीब 100 करोड़ रुपये के इस्पात का आयात करने जा रहे हैं। इस बात को मद्दे नजर रखते हुए, इस्पात के निर्यात के बारे में क्या स्पष्ट नीति है?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मेरे माननीय मित्र ने बहुत ही आधारभूत प्रश्न उठाया है कि अपने इस्पात कारखानों के उत्पादन में किस प्रकार वृद्धि की जाय? इस्पात के बारे में एक लम्बी बहस अभी हुई थी। हमने विविध पहलुओं का अध्ययन किया है। मैं उनसे पूर्णतया सहमत हूं कि उत्पादन में पूर्णतया वृद्धि करने और पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए अधिकाधिक प्रयास किया जाना चाहिए।

जहां तक व्यापक निर्यात नीति का सम्बन्ध है, जैसा कि मैंने कहा कि देश की आवश्यकताओं और इस्पात की आन्तरिक मांग को ध्यान में रखते हुए ही, निर्यात को प्रोत्साहित किया जाना है। निर्यात भी एक ऐसा क्षेत्र है जिसे हम बहुत अधिक महत्व देते हैं। वस्तुस्थिति तो यह है कि हम इसे उच्च प्राथमिकता देते हैं। मगर हमें दोनों के बीच सन्तुलन कायम रखना है; अगर आन्तरिक मांग पूरी नहीं होती, तो हमें उसका भी ध्यान रखना है उसी हिसाब से निर्यात को विनियमित करना है।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : मन्त्री महोदय ने मूल प्रश्न के उत्तर में कहा है कि देश में कमी को ध्यान में रखते हुए अब निर्यातों को विनियमित करने के लिए कुछ उपाय किये जायेंगे। निर्यातों को विनियमित करने के बारे में क्या विशिष्ट उपाय किये जा रहे हैं? क्या वह विश्व के कतिपय क्षेत्रों को निर्यातों में कमी करने पर विचार कर रहे हैं अथवा अन्य ग्राहकों के हितों को ध्यान में न रखते हुए अन्य क्षेत्रों को निर्यात में वृद्धि करने पर विचार कर रहे हैं? देश में गगन चुम्बी कीमतों में कमी करने और निर्यातों को विनियमित करने के बारे में निश्चित रूप से क्या करने का विचार है?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : हमारा व्यापक दृष्टिकोण निर्यात किये जाने वाले देशों से सम्बन्धित नहीं है, बल्कि वह देश में सप्लाई की कम स्थिति से सम्बन्धित है। जन-उपभोग की वस्तुओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है। उन वस्तुओं के बारे में, हम सीमा निर्धारित कर देते हैं अथवा कभी-कभी और सौदों पर भी रोक लगाते हैं। उदाहरणार्थ पिछले वर्ष अक्तूबर से (16 अक्तूबर 1969 से) तार की छड़ों पर रोक लगा दी गई; पिछले समझौतों अथवा सरकार के अन्य सरकारों के साथ किये गये समझौतों आदि को छोड़कर सलाखों के निर्यात पर भी प्रतिबन्ध लगा दिया गया।

सलाखों और छड़ों के मामले में भी उनका निर्यात किये जाने के बारे में, छड़ों के आवंटन की सीमा-निश्चित करने का हमारा विचार है, जिससे छड़ें और सलाखें देश में अधिकाधिक उपलब्ध हो सकें। देश में भवन-निर्माण गतिविधि से प्रत्यक्षतः सम्बद्ध यह आम उपभोग की वस्तु है।

Production and Consumption of Tin Plates

*1263. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Steel and Heavy Engineering** be pleased to state :

(a) the consumption of tin-plates in the country at present and the quantity thereof produced;

(b) the programme formulated for the production of tin-plates to meet the increasing requirement of cans for food-stuff canning industry and to maintain the pace of progress of the industries manufacturing cans; and

(c) the places where tin-plates are being produced other than at Rourkela ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Heavy Engineering (Shri K. C. Pant) : (a) The current consumption of tin-plates in the country is estimated at 180,000 to 190,000 tonnes a year. This demand is for prime quality tinplates, except about 25,000 tonnes of Open Top Sanitary Can quality and about 20,000 tonnes of tinplate-waste/waste.

(b) and (c) : Apart from Rourkela Steel Plant, tinplates are being produced by M/s. Tinplate Company of India, Jamshedpur and M/s. K. R. Steel Union of Bombay. The ttoal production in 1970-71 is expected to be about 40,000 to 150,000 tonnes. The shortage is mainly in the category of Open Top Sanitary Can quality and to a smaller extent in prime quality. With the build up of production of the Rourkela Steel Plant this shortage is expected to be met fully.

Shri Maharaj Singh Bharati : Whether it is a fact that inspite of there being a heavy demand for canned fruits and vegetables in foreign Countries and inspite of cheap fruits, vegetables and wages in the country, we can not compete the market only because tinplates have to be imported and tinplates which are manufactured in the country are expensive ?

Shri K. C. Pant : Open Top Sanitary can quality tinplate is required for canning the fruits and vegetables. Its production in our country is rather lower and we have to import it. So far as the production of such tinplates is concerned the experiments for this are going on and it is being tried that such plates should be manufactured at Rourkela.

Shri Maharaj Singh Bharati : As the hon. Minister stated in the House that such tinplates are imported and experiments are going on for their production. Would he assure the House about a time limit when such type of indigenous tinplate is definitely made available at the International market rate ?

Shri K. C. Pant : The difficulty in manufacturing is this that such quality needs very little quantity of phosphorus while the iron-are available in our country contains comparatively much quantity of phosphorus. This is why the exeriments are going on to find out the ores containing little quantity of phosphorus for manufacturing such tinplate. At present I am not in a position to make any assurance as the experiments are still going on.

Shri Shiva Chandika Prasad : Whether it is a fact that the Tinplate Company, Jamshedpur is not being supplied with the raw-material and that is why the Company red-

uced the working hours a few days ago and at present it is also considering to reduce the working hours; if so, would the Government arrange the supply of proper raw material to the company as soon as they can do so that the production of the company may increase and the labourers may not go jobless ?

Shri K. C. Pant : According to the figures available with me, it is estimated that the Tinplate Company of India would produce next year 66,000 tonnes of tinplate. That company produced 61,000 tonnes of tinplate in 1966-67, 65,000 tonnes in 1967 68 and 60,000 tonnes in 1968-69. It shows that they are supplied with enough raw material. The capacity of that company is 75,000 tonnes. The capacity of that company is being utilised much more than the capacity of other companies. They receive raw material from the Tata Iron and Steel Company and Indian Iron and Steel Company and tin is imported from foreign countries.

श्री उमानाथ : टिन प्लेट के मूल्य इतने अधिक हैं कि ग्राहकों पर उसका प्रभाव पड़ता है। रूरकेला की अपेक्षा टिन प्लेटों की उत्पादन लागत टाटा में कम है तथा टाटा द्वारा निर्मित टिन प्लेटों का मूल्य निर्धारण रूरकेला की उत्पादन लागत के आधार पर होता है। इस अन्तर का लाभ टाटा को होता है। क्या सरकार का विचार किन्हीं ऐसे प्रस्तावों के लिये है जिनके अनुसार इस अन्तर का लाभ टाटा को न मिलकर ग्राहकों को एकत्रित मूल्य प्रणाली द्वारा मिले। क्या सरकार के पास कोई ऐसे प्रस्ताव हैं जिनके द्वारा एकत्रित मूल्य द्वारा अथवा किसी अन्य कार्यवाही द्वारा ग्राहक को इस अन्तर का वास्तव में लाभ मिले। रूरकेला में उत्पादन लागत कम करने के लिये सरकार के पास क्या प्रस्ताव है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त । जिस विश्वास के साथ मेरे माननीय मित्र प्रश्न पूछते है उससे तो मुझे मेरी जानकारी पर भी सन्देह होने लगा है। मिली-जुली 30 गेज स्टैन्डर्ड टिन प्लेट का मूल्य 18/19 जनवरी 1970 से 2440 रुपये प्रति टन है। ग्रेट ब्रिटेन से आयात की हुई टिन प्लेटों का मूल्य 2650 रुपये से 2848 रुपये प्रति टन है तथा संयुक्त राज्य अमेरिका से आयात की हुई टिन प्लेटों का मूल्य 2899 रुपये से 3030 रुपये प्रति टन है।

एक माननीय सदस्य : जापान की कीमतों के बारे में आप क्या कहते हैं ?

श्री कृष्णचन्द्र पन्त : मेरे पास आंकड़े नहीं है। जैसा कि मेरे माननीय मित्र ने बताया, रूरकेला की उत्पादन लागत के आधार पर टिन प्लेटों का मूल्य निर्धारण नहीं किया जाता है बल्कि टिन प्लेट कम्पनी ऑफ इन्डिया की पूंजी संरचना के आधार पर किया जाता है अत: उत्पादन लागत तथा विक्रय आय में जिस अन्तर की वह कल्पना करते हैं उस सम्बन्ध में कोई प्रश्न ही नहीं उठता है।

श्री उमानाथ : रूरकेला में उत्पादन लागत ?

श्री कृष्णचन्द्र पन्त : यह तो जारी रहने वाली प्रक्रिया है, निश्चय ही इसकी जांच की जायेगी।

श्री मनुभाई पटेल : क्या यह मन्त्री महोदय के ध्यान में आया है कि विभिन्न उपभोक्ताओं को कोटा के आबंटन के उपरान्त लाइसेंस बहुत विलम्ब से दिये जाते हैं ? इस विलम्ब के बीच की अवधि में कई एजेन्सी काम करने लग जाती है तथा मूल्यों पर भी प्रभाव पड़ता है ; व्यावहारिक रूप से काला बाजार शुरू हो जाता है। इस समस्या को सुलझाने के लिये सरकार कौन से उपायों

पर विचार कर रही है ? अधिकारियों द्वारा कोटा वितरण में अनावश्यक रूप से 2—3 वर्षों का विलम्ब हो जाता है। क्या इस विलम्बावधि को न्यूनतम किया जायेगा ?

श्री कृष्णचन्द्र पन्त : यह कहना कि 2–3 वर्षों का विलम्ब हो जाता है, इसे मैं उचित नहीं समझता हूं। मैंने टिन प्लेट कम्पनी ऑफ इन्डिया के उत्पादन के आंकड़े प्रस्तुत कर दिये हैं। यद्यपि जितना हम चाहते हैं उतना तो नहीं बढ़ रहा है फिर भी रूरकेला में उत्पादन बढ़ रहा है। केवल तीसरी कम्पनी ही आयातित प्लेट पर पूर्णतया निर्भर करती है। उस कम्पनी को जितनी प्लेटों की आवश्यकता होती है उतनी हम विदेशी मुद्रा के प्रतिबन्धों आदि के कारण नहीं दे सकते हैं। इस समस्या को सुलझाने का एक ही तरीका है कि हम विदेशी मुद्रा अर्जित करें जिससे कि जिस स्थान पर टिन प्लेटों की कमी हैं वहां के लिये प्लेटें आयात की जा सके तथा जितनी क्षमता लागू की गई है उस क्षमता का ओपेन टोप सेनेटरी डिब्बों के प्रकार की प्लेट की मांग को पूरा करने के लिये जिस सीमा तक उपयोग करना सम्भव हो, किया जा सके। शेष कार्य के लिये धीरे-धीरे मांग पूरी की जा रही है परन्तु यदि हमें यह पता चलेगा कि मांग पूरी नहीं की जा रही है तो आयात करने का आदेश दे दिया जायेगा, गत वर्ष कमी हो जाने के कारण हमने 50 प्रतिशत माल का आयात करने का आदेश दे दिया था।

श्रीमती ज्योत्सना चन्दा : ऐसे कौन से कारखाने हैं जो ओपेन टोप सेनेटरी डिब्बों के प्रकार की प्लेट उत्पादित कर रहे हैं ? यदि हमारे इन कारखानों में से कोई सा भी उनका उत्पादन कर सकने में सक्षम है तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री कृष्णचन्द्र पन्त : इस समय वाणिज्य स्तर पर कोई भी कारखाना उनका उत्पादन कर सकने में सक्षम नहीं है। रूरकेला में ओपेन टाप डिब्बों के प्रकार की प्लेट उत्पादित की गई थी। इसमें मुख्य समस्या यही है कि हमारे कच्चे लोहे में फासफोरस की मात्रा बहुत अधिक है जो कि इस प्रकार की प्लेट बनाने के लिये नहीं चाहिये। यही प्रश्न है। हमारे कारखानों में कई प्रकार के इस्पात का उत्पादन किया जाता है। उन्हें कारखानों में अलग किया जाकर इस प्रकार की प्लेटें बनाने के प्रयोग में लिया जाता है। इस समय इन टिन प्लेटों से बने हुये डिब्बों में जो खाद्य सामग्री रखी जाती है उस पर कोई विषाक्त प्रभाव आदि नहीं पड़ता है। अतः हम मैसूर खाद्य अनुसंधान संस्थान में इस बात के लिए व्यापक प्रयोग कर रहे हैं कि वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए इन प्लेटों को उपलब्ध करने से पूर्व यह देख लें कि कार्य ठीक ढङ्ग से हो रहा है अथवा नहीं।

श्री के० एम० अब्राहम : क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि ओपेन टोप सेनीटरी प्रकार की टिन प्लेटों का इतनी बड़ी मात्रा में क्यों आयात किया जाता है ? देशी उत्पादन की वस्तुओं को प्रयोग में नहीं लाने के क्या कारण हैं ?

श्री कृष्णचन्द्र पन्त : मैं इस प्रश्न को स्पष्ट रूप से नहीं समझ सका हूं।

Shri Ram Charan : I have stood up atleast fifty times you have not allowed me.

अध्यक्ष महोदय : आप चाहें सौ बार खड़े हों..... **(व्यवधान)**

Shri Ram Charan : You have accomodated the hon. members who stood after me. I walk out in protest

[श्री रामचरण सभा भवन से बाहर चले गये]
[Shri Ram Charan then left the House]

श्री के० एम० अब्राहम : मैंने यह पूछा था कि सरकार जिन टिन प्लेटों का इतनी बड़ी मात्रा में आयात कर रही है उनके उत्पादन के लिए देशी उत्पादन क्षमता का उपयोग क्यों नहीं कर रही है ?

श्री कृष्णचन्द्र पन्त : अप्रैल-सितम्बर 1969 में 24673 टन टिन प्लेट का आयात किया गया था जो लगभग ओपेन टोप सेनीटरी के प्रकार की थी। यह मैं विस्तृत रूप से स्पष्ट कर चुका हूं कि हम उन्हें अपने देश में क्यों नहीं उत्पादित कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है कि माननीय सदस्य ने अपना क्रम आने तक प्रतीक्षा नहीं की। जब दूसरे सदस्य प्रश्न पूछ रहे थे तब वह हस्तक्षेप कर रहे थे। ऐसे सदस्यों के लिए यह अधीरता वास्तव में खेद का विषय है।

श्री चेंगलराया नायडू : मैं भी खड़ा होता रहा हूं। मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि आप वहां बैठकर पक्षपात पूर्ण रवैये से कार्य नहीं कर सकते हैं। मैं उनसे पहले खड़ा हुआ था परन्तु आपने उन्हें समय दे दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं देख रहा हूं। यदि मुझे अनुपूरक प्रश्न कर्त्ताओं की एक सूची बनानी होती तो आपको मालूम होता कि आपको अधिकतम संख्या में प्रश्न पूछने दिये जाते।

श्री चेंगलराया नायडू : मैं अपने प्रश्न पूछ रहा हूं। मैं कठिन परिश्रम करता हूं तथा अपने प्रश्न तैयार करता हूं। मुझे मेरे अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर तो बहुत ही कम बार मिलता है। आज आपने इस तरफ देखने तक की परवाह नहीं की। यदि आप अपने पद पर सरकार के प्रतिनिधि के रूप में आसीन है तो हमारे लिए यहां कोई स्थान नहीं है। मुझे खेद है।

अध्यक्ष महोदय : आपको खेद हो सकता है परन्तु यह प्रश्न पूछने का तरीका नहीं है।

श्री चेंगलराया नायडू : फिर कौन सा तरीका है ? हम कब तक प्रतीक्षा करते रहें ?

अध्यक्ष महोदय : आगामी प्रश्न।

श्री फ० गो० सेन : क्या मैं एक अनुपूरक प्रश्न पूछ सकता हूं ? मैं चार-पांच बार खड़ा हो चुका हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने अन्य सदस्य को समय दे दिया है। मैं आप सबको समय नहीं दे सकता हूं।

श्री फ० गो० सेन : वे लोग हल्ला मचाते हैं और आप उन्हें समय दे देते हैं ; मुझे आपसे कह देना चाहिये कि जो हल्ला करते हैं उन्हें अवसर मिल जाता है।

अध्यक्ष महोदय : क्रुद्ध मत होइये... (व्यवधान)

श्री फ० गो० सेन : क्षमा कीजिये। आप ठीक कह रहे हैं तथा हम गलत कह रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्रोध नहीं कीजिये। मैंने अगले प्रश्न के लिए समय दे दिया है।

अभ्यर्थी की निरर्हता के बारे में मुख्य निर्वाचन आयुक्त का सुझाव

*1264. **श्री वि० नरसिम्हा राव** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने सरकार को यह सुझाव दिया है कि निर्वाचन के दौरान भ्रष्ट आचरण के दोषी पाये गये किसी भी अभ्यर्थी की छह वर्ष के लिए निरर्हता हटा दी जाये ;

(ख) मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा प्रस्तुत किए गए अन्य प्रस्ताव क्या-क्या हैं ; और

(ग) उनके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) तारांकित प्रश्न संख्या 50 के उत्तर में 24-2-1970 को सदन के पटल पर दो विवरण रखे गए थे, जिनमें निर्वाचन आयोग की मुख्य सिफारिशें दी गई हैं। सरकार इनकी परीक्षा कर रही है।

श्री वि० नरसिम्हा राव : मध्य प्रदेश के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री तथा निर्वाचन में भ्रष्ट आचरण के लिये प्रधान मन्त्री के परामर्श कर्त्ता श्री द्वारकाप्रसाद मिश्र को भ्रष्ट आचरण के अभियोग में जो कि सीधे निरर्हता की हद में आते हैं, छह वर्ष तक के लिए निर्वाचन के लिये निरर्हतित कर दिया गया था। क्या यही कारण नहीं है जिसके लिये सरकार इस निरर्हता खंड को हटाना चाहती है ?

श्री मु० यूनुस सलीम : यह सही नहीं है कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम का निरर्हता वाली धाराओं को हटाये जाने का प्रस्ताव है। यह सही नहीं है।

श्री वि० नरसिम्हा राव : यदि हां, तो क्या सरकार बहरे तथा गूंगे खंड को हटाने का भी प्रस्ताव करेगी ? (व्यवधान)

श्री मु० यूनुस सलीम : निरर्हता लागू करने वाले उपबन्ध जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 7, 8, 8 A, 9, 9 A, 10 तथा 10 A के अन्तर्गत आते हैं। इन्हें अधिनियम से हटाया नहीं जा रहा है।

Shri Kanwar Lal Gupta : The candidates are disqualified when found guilty of indulging in corrupt practices during the elections. There are certain cases of the Supreme court, High Court or the Election tribunal where in the decisions strictures against Shri Mohan Lal Sukhadia and Shri Shyama Charan Shukla of misusing the Government money have been passed. Has the Election Commission asked the Government to make any such law by which such ministers against whom there are such strictures, can not hold prominent posts and they must be removed from their posts ?

Shri M. Yunus Saleem : There is no such principle with the Election Commission.

Shri Jharkhande Rai : In view of the increasing expenditure by the candidates during the elections for the last 20 years by which the candidates and the parties of the candidates are going into the grip of the capitalists; has the Election commission made any proposals for removing this curse and reducing the expenditure in the elections ? If so, what are the main proposals ?

Shri M. Yunus Saleem : We have received certain proposals in this regard from the Election Commission which are under consideration. They will be decidep after consideration. The point which has just been raised by the hon. member woulp also be dealt with.

श्री क० लकप्पा : कई मामले उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय में निर्णीत किये गये । निर्णय के अनुसार वे निर्वाचन में भ्रष्ट आचरण के अपराध में दोषी पाये गये । इन भ्रष्ट आचरणों में कुछ ऊंचे पदों पर पदासीन व्यक्ति भी शामिल हैं तथा वे सरकार पर दबाव डाल रहे हैं जिससे कि वह छः वर्ष तक की निरर्हता वाले खंड को अधिनियम से निकाल दे । मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि कुछ उच्च पदस्थ व्यक्ति जो भ्रष्ट आचरण शामिल हैं तथा विशेषकर राज्यों में मुख्य मंत्रिगण जो कि सरकार पर दबाव डाल रहे हैं ताकि वह खंड को अधिनियम से निकाल दे तथा वे भ्रष्ट आचरणों में वैसे ही लिप्त रहे ?

श्री मु० यूनुस सलीम : जन प्रतिनिधित्व अधिनियम से धारा 11 हटा देने के लिये निर्वाचन आयोग ने प्रस्ताव किया है । धारा 11 किसी व्यक्ति को दोषी पाये जाने पर किसी न्यायालय द्वारा लगाये गये नियन्त्रण को हटाने के प्रश्न पर निर्वाचन आयोग को पुनर्विचार करने का अधिकार प्रदान करती है । जब निर्वाचन के मामले ट्रिब्यूनलों द्वारा निर्णीत किये जाते थे उस समय इस धारा 11 को अधिनियम में ले लिया गया था परन्तु अब जब चुनाव-याचिकाओं की सुनवाई उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा होती है तो निर्वाचन आयोग ने इस धारा को हटा देने की सिफारिश की है जिससे कि निर्वाचन आयोग के पास पुनर्विचार के लिये कोई अधिकार न रहे ।

श्री बाबूराव पटेल : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । पहले प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने 'नहीं' कहा था । अब वह कहते हैं कि निर्वाचन आयोग ने ऐसा करने को कहा है ।

श्री मु० यूनुस सलीम : माननीय सदस्य ने प्रश्न तथा उसके उत्तर को उचित ढंग से नहीं समझा है । जब मैंने 'नहीं' कहा था उसका तात्पर्य यह था कि किसी व्यक्ति के भ्रष्ट आचरण के अपराध में दोषी पाये जाने पर उस पर लगाई गई निरर्हता को हटाने के लिये निर्वाचन आयोग ने कोई प्रस्ताव नहीं किया है ।

Shri Onkar Lal Berwa : As has been stated that the rule for six years disqualification has been imposed, Shri Nathu Ram Mirdha - a former speaker of Rajasthan State Legislative Assembly has been declared guilty to be indulged in the corrupt practices of stamping 1400 Ballot papers doubly by the Supreme court, will the Government arrange penalties for such persons ?

Shri M. Yunus Saleem : If he is held under law, he will definitely be penalised.

Shri Onkar Lal Berwa : The Supreme court has given the verdict, did he not read that ?

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : यह भली बात है कि निर्वाचन आयुक्त ने स्वयं ने उसी खंड को हटा देने का प्रस्ताव किया है जो खंड उन्हें निरर्हता हटाने का अधिकार प्रदान करता है । क्या मैं जान सकता हूं कि अधिनियम में संशोधन करने के लिये सरकार कब ऐसा विधेयक प्रस्तुत करेगी ? क्या वह निर्वाचन आयुक्त द्वारा श्री द्वारका प्रसाद मिश्र की निरर्हता हटाई जाने तक प्रतीक्षा करेंगी अथवा यह विधेयक सदन में शीघ्र ही प्रस्तुत होगा ?

श्री मु० यूनुस सलीम : समुचित संशोधन करने की सिफारिश प्राप्त हो गई है तथा सरकार के विचाराधीन है। मैं माननीय सदस्य को इस बात का आश्वासन देता हूं कि माननीय सदस्यों द्वारा सदन में व्यक्त किये गये भावों पर भी विचार किया जायेगा। इस विषय में सिफारिश को स्वीकार नहीं करने का प्रश्न ही नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आगामी प्रश्न।

उड़ीसा में रेलवे लाइनों का विकास

*1265 **श्री दे० अमात** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा में प्रति हजार व्यक्ति और प्रति सौ वर्ग मील क्षेत्र के हिसाब से रेलवे लाइनों की लम्बाई कितनी है तथा अन्य राज्यों और समूचे भारत के तत्सम्बन्धी तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं, और

(ख) उड़ीसा में वर्ष 1970-71 की योजना तथा चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत रेलवे विकास योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री रोहन लाल चतुर्वेदी) : (क) सभी रेलों को मिलाकर प्रति एक हजार वर्ग किलोमीटर और प्रति एक लाख जनसंख्या के लिए क्रमश: 18.2 और 11.4 मार्ग किलोमीटर रेलवे लाइनें हैं। रेलवे लाइनों की लम्बाई के बारे में सूचना रेलवे वार संकलित की जाती है न कि राज्यवार।

(ख) नयी लाइनों के लिए चौथी योजना के प्रस्तावों को अभी अंतिम रुप नहीं दिया गया है। लेकिन उड़ीसा में पड़ने वाली रेलवे के विकास से सम्बन्धित योजनाएँ, जिनके बारे में पहले ही निर्णय किया जा चुका है, इस प्रकार हैं :—

(i) कटक-पारादीप नयी लाइन, जिसका निर्माण कार्य शुरू हो चुका है,

(ii) तालचेर-बिमलगढ़ रेलवे लाइन, (जिसमें कोइरा वैली तक विस्तार शामिल है) के लिए भी सर्वेक्षण किया जा रहा है।

(iii) 1969 की अलामप्रद शाखा लाइन समिति की सिफारिशों के आधार पर रुपसा-तालबंद, छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए 1970-71 में एक विस्तृत यातायात सर्वेक्षण करने का प्रस्ताव है।

श्री द० अमात : जहां तक रेलवे का सम्बन्ध है, ऐसा दिखाई देता है कि उड़ीसा सबसे ज्यादा उपेक्षित प्रदेश है। खड़गपुर के मार्ग से राउरकेला और पारादीप के बीच की दूरी 702 किलोमीटर है। यदि दो लुप्त कड़ियों अर्थात् पारादीप-कटक और तालचेर-बिमलगढ़ को जोड़ दिया जाये, तो दूरी 390 किलोमीटर रह जायेगी, इस प्रकार 312 किलोमीटर की दूरी कम हो जायेगी। जब यह लाइन पूरी हो जायेगी तो इससे इस पिछड़े प्रदेश को आधारभूत नींव मिल जायेगी जिससे चूना पत्थर, उष्म सह, क्वार्टजाइट, अग्नि मिट्टी और अग्नि सह के परिवहन में सुविधा हो जायेगी और अन्ततः अन्दर की भूमि जहाँ खनिज अधिक मात्रा में पाये जाते हैं, इसका उड़ीसा के तटीय क्षेत्र जहां अनाज अधिक मात्रा में उत्पन्न होता है, से छोटे से छोटे रास्ते और सीधे रेल लाइन द्वारा सम्पर्क स्थापित होगा। अत: मेरा प्रश्न यह है कि ऐसा कहा जाता है कि रेल लाइन से रेल

मार्ग का विस्तार होता है। सरकार किराया भाड़ा और कोचिंग तथा यातायात की वस्तुओं के दर को युक्तिसंगत बनाने के बारे में कब विचार कर रही है, पारादीप-कटक और तालचेर-बिमलगढ़ रेल सम्पर्क पूर्ण रूप से क्यों उपेक्षित हैं जब कि राष्ट्र के लिए वे आर्थिक, व्यापारिक, औद्योगिक, प्रतिरक्षा और जनजाति के दृष्टिकोण से विशेष रूप से अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री रोहन लाल चतुर्वेदी) : यह विचारणीय विषय है। जैसा मैं पहले कह चुका हूं; कटक-पारादीप लाइन पर हम पहले से ही कार्य कर रहे हैं। तालचेर-बिमलगढ़ के बारे में, सर्वेक्षण जारी है।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : क्या इसे चतुर्थ योजना के दौरान प्रारम्भ किया जायेगा ?

श्री रोहन लाल चतुर्वेदी : सर्वेक्षण के सितम्बर महीने तक पूर्ण हो जाने की आशा है।

श्री रंगा : इस बीच नक्सलवादी प्रदेश पर अधिकार कर लेंगे ?

श्री द० अमात : हाल में,-पूरे उड़ीसा में, विशेष रूप से रउरकेला में तालचेर-बिमलगढ़ रेल सम्पर्क को शीघ्र ही स्थापित करने के लिये उग्र प्रदर्शन हुआ था जिसके परिणामस्वरूप 4 करोड़ के लगभग सार्वजनिक सम्पति का नुकसान हुआ। भारत सरकार के माननीय रेलवे मंत्री द्वारा पारादीप-कटक रेल सम्पर्क के निर्माण का कार्यक्रम अप्रैल, 1968 को प्रारम्भ किया जिसकी पूर्ण करने की निर्धारित तिथि मार्च 1971 तक की थी। उस समय के विधि, समाज कल्याण तथा रेलवे के माननीय मंत्री श्री पी० गोविन्द मेनन ने उड़ीसा सरकार को कैसे सूचित किया कि यह रेल सम्पर्क 1972 के अन्त तक पूर्ण हो जायेगा ? इस तरह सूचित करने का क्या कारण है।

श्री रोहन लाल चतुर्वेदी : इस विषय को शुरू में ही पूरी तरह स्पष्ट कर दिया गया था। निर्माण कार्य में थोड़ी सी देर हो गई थी। अब यह निर्माण पूरे जोर-शोर से प्रारम्भ हो चुका है और हम इसे 1972 के अन्त तक शीघ्रातिशीघ्र समाप्त कर लेंगे। हम इसे इससे पूर्व ही पूर्ण करने के लिये भरसक प्रयास कर रहे हैं।

Shri Hukam Chand Kachwai : Mr. Chairman, the area of Madhya Pradesh adjacent to Orissa in which the areas of Bastar and Raigarh are having about 7-8 lakhs of people who have not even seen the railway uptil now. The survey which you are going to take up, will the other areas of Madhya Pradesh connected with the boundary of Bastar and Orissa also be included in that survery.

Mr. Chairman : How this question arises from it ?

Shri Hukam Chand Kachwai : Mr Chairman, my question is specific one. A survey is going on there, Will the area of Bastar also be included for survey. This is connected with it ? There should be a straight reply, yes or no.

Mr. Chairman : You want to put the supplementrry on every question, but you should also read the question and put a question connected with it. In 70 percent of cases I remain silent, but this question has no connection at all.

Shri Hukam Chand Kachwai : Mr. Chairman, I have connected it.

Mr. Chairman : If you have connected, then the Minister should also tell so that the member may be satisfied.

Shri R. L. Chaturvedi : This question is about Orissa. The question which the hon. Member has asked, does not arise from it. But I would like to tell that the survey of the area of Bastar is not included in it.

Shri Rabi Ray : Mr. Chairman, Sir Paraeep-Cuttack rail link has been delayed by the Government itself, this has been admitted by the Hon. Minister himself, therefore, I would like to know that inspite of the assurance given by the Hon. Minister in this House that Pradeep Cuttack rail line will be completed in March 1971, then what is the reason of postponement of this rail line by the end of 1972 ?

The second thing I would like to know that when the survey of Talcher—Bimalgarh will be completed and after the completion of the survey, has any decision been taken regarding its completion in the fourth Five Year Plan ? If so, the details thereof.

Shri R. L. Chaturvedi : As far as I know, the survey of Talcher-Bimalgarh will be completed by September and it will be considered afterwards whether the work should be started on it or not. The survey will be completed in September 1970. What furthfer steps will be taken that will be ascertained after receiving the survey report.

The first question asked by the Hon. Member was that why the delay occurred. in this connection I would like to submit that about Cuttack-Paradeep we want to comlete it by March 71 but certain difficulties arose in agreement and some about siding from the state Governments due to which the work was slowed down (interruption) As I have already said, it is being taken up in full swing and we will finish it by the end of 1972· As Hon. member Mr. Dwivedy knows, that we are making all efforts to complete it as early as possible.

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : श्रीमान्, इस विषय पर कई बार चर्चा हो चुकी है। श्री गोविन्द मेनन जी यहां उपस्थित हैं, अतः मैं जानना चाहता हूं—सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया था कि यद्यपि निर्माण में थोड़ी सी देर हो गई है फिर भी रेलवे अधिकारी शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने का प्रयास करेंगे जिससे कि यह निर्माण कार्य 1971 तक पूरा हो जाये। श्री गोविन्द मेनन ने यह आश्वासन दिया था। अब, मंत्रालय ने अपना रवैया बदल लिया है और 1972 के अन्त तक पूरा होने की बात कर रहे हैं।

रेलवे मंत्री (श्री नंदा) : जिस समय आश्वासन दिया गया था मेरे विचार से उसके बाद कोई ऐसी घटना नहीं घटी जिससे तारीख को स्थगित कर दिया जाये। मैं शीघ्र ही इसकी जांच करूंगा और सदन को इसके बारे में सूचित करूंगा। यदि अभी भी इसे शीघ्र पूरा करवाना संभव हुआ तो इसके लिए हम कार्यवाही करेंगे।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : उड़ीसा और मध्य प्रदेश के पिछड़े इलाकों में रेल लाइन विस्तार में स्पष्ट दिक्कतें हैं। कुछ जिलों के पिछड़े आदिवासी इलाकों में यह मांग है कि कुछ गाड़ियों को वहां ठहरना चाहिये। उस पर भी सरकार विचार नहीं कर रही है। क्या मंत्री इस मामले पर विचार करने का आश्वासन देंगे ?

श्री रोहनलाल चतुर्वेदी : यदि कोई विशेष स्टेशन अथवा विशेष स्थल हैं जहां माननीय सदस्य किसी गाड़ी का ठहरना पसन्द करते हैं तो इस पर हम निश्चय ही विचार करेंगे।

Shri G. C. Naik ; I would like to know from the Hon. Minister that they should clear the policy. The Hon. Minister has said that a survey is going on of the Bimalgarh-Talcher line, I would like to know that in the year 1963-64 a survey was held of Paradeep rail line via Nawagarh and a sum of Rs. 12 lakh was spent, why it has not been implemented uptil now and what is the reason of surveying this new rail line ? Minister should clear his policy.

Shri R. L. Chaturvedi : The Hon. member has said that why the work was not started on the survey conducted earlier, in reply to it, I would like to say that the result of the survey showed that track line will go into complete losses and it will not be proved more useful. But at present, the work of Bimalgarh-Talcher via Koyara Valley is still continuing and as I have already said that perhaps its report will come to Railway Board by September.

Shri G. C. Naik : My question has not been correctly replied.

Mr. Chairman : You send the specific question then its reply will come.

ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन की जांच करने वाले आयोग का प्रतिवेदन

†*1267 **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन लिमिटेड के विरुद्ध विभिन्न आरोपों की जांच करने के लिये नियुक्त किये गये सरजू प्रसाद आयोग ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) क्या उपर्युक्त आयोग ने ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन का राष्ट्रीयकरण करने की सिफारिश की है ;

(ग) यदि हां, तो सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(घ) क्या यह विशेष सिफारिश सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गयी है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक-व्यापार तथा समवाय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) से (ङ) : जांच प्राधिकारी ने ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन के भली-भांति संचालन से सम्बन्धित कई सुझाव दिए हैं । प्रतिवेदन विचाराधीन है ।

श्री स० मो० बनर्जी : सरकार के लिये दो रास्ते खुले हैं, एक कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत अनुच्छेद 18 और दूसरा अनुच्छेद 16 (ख) का है । मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या कोई एक ऐसी सिफारिश की गई है कि राजनीतिज्ञों को अध्यक्ष अथवा प्रबन्ध-निदेशकों के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए । निदेशक-मंडल में अब परिवर्तन होने वाला है । अध्यक्ष श्री प्रकाश ने पहले ही त्याग-पत्र दे दिया है । इससे पहले सभी पराजित राजनीतिज्ञों को नियुक्त किया जाता था । मैं माननीय मंत्री से आश्वासन लेना चाहता हूं कि आयोग की रिपोर्ट को सामने रखते हुए जब वह निदेशक-मंडल का पुनर्गठन करें तो पराजित मंत्रियों अथवा संसद सदस्यों को उसमें शामिल नहीं करेंगे ।

औद्योगिक विकास, आंतरिक-व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : जैसा कि मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं, पूरी रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है । मैं आशा करता हूं कि इस प्रश्न पर विस्तार से कहने के लिये मुझे विवश नहीं किया जायेगा । जहां तक अध्यक्ष के त्याग-पत्र के प्रश्न का सम्बन्ध है जो यहां उठाया गया है, उसके बारे में हमारे पास कोई सूचना नहीं है ।

श्री० स० मो० बनर्जी : समाचार पत्र में यह खबर छपी थी कि श्री प्रकाश ने अपना त्याग-पत्र भेज दिया है । क्योंकि उनकी वृद्धावस्था है तथा आयोग की सिफारिश भी है अतः उन्हें पूरी ईमान-

दारी से ऐसा करना चाहिए। मुझे पता चला है कि विदेश से अपने कार्यकाल को पूरा करने के पश्चात् कोई एक राजदूत निगम के अध्यक्ष नियुक्त होने जा रहे हैं। ब्रिट्रिश इंडिया कारपोरेशन के अधिक व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए तथा कानपुर का एक सदस्य होने के नाते मैं चाहता हूँ कि यह कारपोरेशन दक्षता से चलनी चाहिए। इसे या तो सरकार को अपने हाथ में ले लेना चाहिए या इसका सरकार की सहायता से दक्षतापूर्वक संचालन होना चाहिए। एक सिफारिश यह की गई है कि पराजित राजनीतिज्ञों को कारपोरेशन के अध्यक्ष की हैसियत से नहीं लिया जाना चाहिए। सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : अध्यक्ष के त्याग-पत्र के बारे में सरकार के पास कोई प्रामाणिक सूचना नहीं है। जैसा मैंने कहा है, समूची रिपोर्ट विचाराधीन है।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या मंडल को पुनर्गठित करने के बारे में निर्णय लिया गया है। या तो सरकार इसे पूरी तरह से अपने हाथ में ले ले अथवा इसे पूर्णरूप से बाजौरिया द्वारा चलाये जाने की अनुमति प्रदान करे। यह दोहरी नियंत्रण पद्धति समाप्त की जानी चाहिये।

श्री रघुनाथ रेड्डी : जैसा मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं, समूची रिपोर्ट विचाराधीन है और इस अवस्था में कुछ भी बताना मेरे लिए संभव नहीं होगा।

मैसर्स जैसप एन्ड कम्पनी लिमिटेड के शेयरों का मुआवजा

*1268 **श्री रवि राय** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स जैसप एण्ड कम्पनी लिमिटेड के कुछेक ऐसे भूतपूर्व शेयरधारियों को, जो इन शेयरों पर एकाधिकार जमाए हुए थे, मुआवजा दिया गया परन्तु छोटे शेयरधारियों की पूर्णतः उपेक्षा की गई है ;

(ख) क्या जब मुआवजा देने का निर्णय किया गया था तो इन छोटे शेयरधारियों को यदि वरीयता नहीं भी दी गई तो क्या उन्हें उनके बराबर नहीं रखा जा सकता था ; और

(ग) इसका ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) से (ग) : विवाचक द्वारा दिये गये पंचाट जिस पर पारस्परिक सहमति थी, के अनुसार श्री शान्ति प्रसाद जैन तथा उनके सहयोगियों को जिनके मैसर्स जैसप एण्ड कंपनी लिमिटेड में 11,23,300 अधिकारक इक्विटी शेयर थे 50 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से अदायगी की गई है। थोड़ी संख्या के शेयरों को खरीदा नहीं गया था क्योंकि शेष अंशधारियों के लाभ के लिए कंपनी में अधिकारिक हित प्राप्त करना ही आवश्यक समझा गया था।

Shri Rabi Ray I would like to know from the Hon. Minister whether it is a fact that Sahu Jain Company is again trying to purchase all the shares ? If so, what steps the Government propose to take about this ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक-व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : यदि मैं अनुवाद को ठीक समझा हूं जो प्रश्न इसमें पूछा गया है कि

क्या श्री शान्ति प्रसाद जैन, जैसप एण्ड कम्पनी को खरीदना चाहते हैं। वह प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता है। कम्पनी पर सरकार नियंत्रण करना चाहती है।

नई दिल्ली में सम्पन्न विधिक सहायता सम्मेलन

अ० सू० प्र० 24. **श्री मधु लिमये** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान मार्च, 1970 में नई दिल्ली में सम्पन्न विधिक सहायता सम्मेलन की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं ; और

(ग) फौजदारी तथा दीवानी मुकदमों में विधिक सहायता के सामान्य प्रश्न के बारे में सरकार का क्या रवैया है ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री मु० यूनुस सलीम) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय विधिक सहायता सम्मेलन में इस सम्बन्ध में मतसाम्य था कि यद्यपि इस विषय में दिलचस्पी बड़ी व्यापक है और विधि-व्यवसायियों में लगन भी है, फिर भी इस विषय में अभी तक जो कुछ किया गया है, वह बहुत ही अपर्याप्त है और यह नहीं कहा जा सकता है कि विधि व्यवसायी इस सम्बन्ध में अपने सामाजिक दायित्व को पूरी तरह से निभा रहे हैं। इस कार्य में लगे हुए संगठनों और संस्थाओं का सर्वेक्षण करने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया। सम्मेलन में मतसाम्य इस सम्बन्ध में भी था कि नागरिकों के लिए विधिक सहायता का उपयोग संभव बनाने में प्रधान दायित्व राज्य का है और इसके लिए अधिकांश वित्त की व्यवस्था राज्य को करनी चाहिए। जब तक कि इसकी व्यवस्था कानूनी आधार पर नहीं की जाती, तब तक इस कार्य की निगरानी विधि-व्यवसायियों द्वारा की जा सकती है। यह अनुभव किया गया कि विधिक सहायता के कार्य में विधि के शिक्षकों और छात्रों तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी शामिल किया जा सकता है। यह भी सुझाव दिया गया कि नामांकन फीस में से विधिक सहायता के लिए एक अनिवार्य निधि के गठन का उपबंध करने के लिए अधिवक्ता अधिनियम को संशोधित किया जाए। यह भी सुझाव दिया गया कि विधिक सहायता में संदान को विशेष प्रोत्साहन देने के लिए आयकर अधिनियम को संशोधित किया जाए।

(ग) सरकार उपलभ्य साधनों में से जहां तक हो सके विधिक सहायता का उपबन्ध करने के पक्ष में है।

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, Sir, we have gone to jail any times and the people who have gone to jail after independence know that as far as poor people are concerned they do not get justice from the courts because these poor people are not in a position to arrange a lawyer on their side. There are so many fundamental rights in the constitution and under article 32 a person can move to Supreme Court; but anybody without paying court fee and without engaging the lawyer will not get the justice. To get the justice there are only two ways-one is to impose responsibility on the state that every poor person should be provided legal aid through Judical interpretation. If this is not possible there should be a law under which this will be the responsibility of the Government.

The reply which he has given is evasive. Therefore, I would like to know from the Hon. Minister whether his attention has been drawn towards the sixth amendment of the American Constitution. That amendment and the clause 340 of our Criminal Procedure Code and articles 14, 21 and 22 in the Constitution all of them have the same meaning. But in America, through an interpretation of the Supreme Court it has been made compulsory that every persen should get free legal aid. Whether Hon. Minister is ready to announce that if any poor person is not in a position to engage a lawyer, it will be the duty of the Government to provide him necessary legal aid as the clause 340 of the Criminal Procedure Code and clause 14, 21, 22 of the constitution clearly indicates. What is the interpretation of the Government about these clauses ? Whether the Government is prepared to issue such circular so that poor people should get legal aid ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Shri M. Yu nus Saleem) : In this regard on different occasions conflicting views are coming to the Government and on every occassion when this question was brought to my notice it was written to the State Government that they should also try to provide legal aid to the poor. The reply always received from the States was that due to the shortage of funds it was not possible to do so.

After this, the same question arose to the Law Commission and after thinking over it, Law Commission had made certain recommendations. In view of those recommendation, we are thinking that we should make such amendments in different laws like Advocates Act, and as Hon. Member has already said, that if need be, we will also make such amendments in Criminal Procedure Code so that legal aid could be provided to the poor persons at the earliest.

Shri Madhu Limaye : Mr. Chairman, Sir, you know I have said that the clause 340 of the Criminal Procedure Code and sixth Amendment of the American constitution are alike. For the information of Hon. Minister, both the clauses have come. The sixth amendment of the America is such- - -

Mr. Speaker : Do not speak in details.

Shri Madhu Limaye : I have asked a certain question and he is replying something else.

Shri Surendarnath Dwivedi : If there is no reply what should he say ?

Shri Madhu Limaye : I have asked a question in brief, that it has been said in the Criminal Procedure Code.

"Any person accused of an offence against whom proceedings are instituted under this Code in any court may of right be defended by a lawyer"

And what has been given in the sixth Amendment in American constitution ?

"In all criminal prosecution the accused shall enjoy a right to have the assistance of counsel for his defence."

This is about the same clause. But in America it has been interpretted that it is essential to have the legal aid. But here it is not interpretted so. Therefore, I have said that will the Government issue a circular that the same meaning will apply to the clauses in India also and legal assistance may be provided to the poor ?

Mr. Chairman : He has told the information which he was having.

Shri M. Yunus Saleem : Mr. Speaker, Sir, it is completely a different matter for the poor people to have a defence through lawyer while involved in the criminal case - - .

अध्यक्ष महोदय : उनका प्रश्न अत्यन्त विशिष्ट था कि क्या जो सुझाव उन्होंने दिये हैं उस तरीके से आप संशोधन करने जा रहे हैं।

Shri Madhu Limaye : I have not asked this question. My question is that in America there is judicial interpretation and in India also there is such provision but Judicial interpretation is not the same here. Therefore, will circular be issued to the effect that free legal astistance will be provided ?

Shri M. Yunus Saleem : It is not the meaning of Section 340 that the Government should give the expenses for legal assistance to every poor person. It is the right of the culprit that he may present himself through the lawyet. This right has never been denied.

Shri Madhu Limaye : I have mentioned the interpretation of sixth American Amendment and clause 340 of the Criminal Proeedure Code and do not find any difference in both. If it is not so, whether it has come to the notice of gouernment that a bill has been lying in this House for free legal aid. Have you noticed it ? Will the government accept the suggestion given in that bill ? If our suggestions are not acceptable, will the government himself bring a bill about it, so that free legal aid could be provided to the poor people ?

Shri M. Yunus Saleem : The different aspects of this matter are under consideration and we have not yet reached to any decision.

श्री रा० ढा० भण्डारे : श्रीमान्, मैं विधि मन्त्री से जानना चाहता हूं कि एडवोकेट विधेयक में मुफ्त कानूनी सहायता के उपबन्ध को समाविष्ट करके कब विधेयक पुनः तैयार किया जायगा जिससे कि अदालत में जाने वाले लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त हो सके ?

विधि तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : एडवोकेट अधिनियम में मुफ्त कानूनी सहायता को समाविष्ट करने सम्बन्धी उपबन्ध का प्रारूप पूरा कर लिया गया है।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : मैं जानना चाहती हूं कि क्या सरकार का ध्यान सम्मेलन में हुए इन सुझावों की ओर दिलाया गया है कि कोर्ट फी का कुछ हिस्सा जो बहुत बड़ा है, गरीबों को कानूनी सहायता देने के लिए अलग रखा जाए ? मैं सरकार से जानना चाहती हूं कि इन सुझावों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ? श्री छागला और दूसरों ने यह विशेष सुझाव दिया है कि फीस का कुछ हिस्सा गरीबों को मुफ्त सहायता देने के लिए अलग रखा जाना चाहिए। मैं सरकार से जानना चाहती हूं कि क्या सरकार ने इस सुझाव पर विचार किया है और यदि हां, तो उसके लिए सरकार कितनी राशि को अलग रखने पर विचार कर रही है।

श्री मु० यूनस सलीम : मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि विधि मन्त्रालय के पास विभिन्न सुझाव विचाराधीन हैं। विधि मन्त्रियों की बैठक द्वारा कुछ सुझाव प्रस्तुत किये जा चुके हैं और कुछ सुझाव विधि आयोग द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं। सभी सुझावों पर सरकार गम्भीरतापूर्वक विचार कर रही हैं और शीघ्र ही उचित संशोधन प्रस्तुत किये जायेंगे।

श्री रंगा : इन सभी सुझावों पर विचार करते हुए, मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या कुछ दिनों पहले प्रश्न काल के दौरान दिये गये सुझावों पर भली भांति विचार करेगी कि निर्धन जन जाति के लोग, अनुसूचित जातियां तथा कृषिक मजदूरों को दीवानी मुकद्दमों में अपनी भूमि जोत-सीमा निर्धारण में अन्तर्ग्रस्त होने पर कानूनी सहायता दी जायेगी जिससे वे न्याय के लिए लड़ सके ?

श्री मु० यूनस सलीम : सवाल बहुत टेढ़ा है । मैं निवेदन कर चुका हूं कि प्रश्नों के विभिन्न पहलूओं पर विचार किया जा रहा है और माननीय सदस्य, श्री रंगा के सुझाव पर भी हम विचार करेगें ।

श्री उमानाथ : माननीय मन्त्री ने उत्तर देते हुए कहा है कि राज्य सरकारों को गरीबों को कानूनी सहायता देने के बारे में योजना तैयार करने के लिए उन्होंने पहले ही कहा हुआ है और राज्य सरकारों ने इसे यह कहकर वापिस भेज दिया है कि फंड की कमी के कारण वे इसे लागू नहीं कर सकते हैं । अत: मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या वे इस स्थिति में हैं अथवा केन्द्रीय निधि से पैसा अलग रखने के लिए उन्होंने सुझाव दिये हैं । सम्मेलन में किये गये अन्य सुझावों के अतिरिक्त, क्या सरकार को ऐसे सुझाव प्राप्त हुए हैं कि गरीबों को कानूनी सहायता की योजना के प्रारम्भ कार्य पर केन्द्रीय निधि से पैसा अलग रखा जाय ।

श्री मु० यूनस सलीम : इस कार्य के लिये विभिन्न साधनों से फंड एकत्र करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं । फिलहाल इस समय यह प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है । लेकिन इस पर भी सरकार विचार करेगी ।

Shri Randir Singh : Mr. Chairman, Sir, though in the present law there is already a provision to provide legal aid to the poor man but it is a separate proceeding. It takes a long period. The amount spent is more in stamps than lawyer's fees. It involves long proceeding by which the expenses increase. As has been said by Mrs. Sinha in the present procedure the expenses are incurred more on stamps than in the lawyer's fee. I would like to know from the hon. Minister whether they are thinking to move any comprehensive bill to provide free legal aid to such persons, especially an army soldier in the navy or in the army who is always ready to sacrifice his life for maintaining the freedom of our country, that military soldier, poor Harijan and especially low-income group persons who are getting Rs. 100/- or Rs. 150/-p.m. besides no stamp fees should be charged so that free and speedy justice could be provided to them, if so when such a bill is likely to be put up ?

Shri M. Yunns Saleem : Sir, this suggestion will also be kept in view.

श्री हेम बरुआ : अमेरिकी उच्चतम न्यायालय ने इसकी व्याख्या उदारतापूर्वक की है दूसरी ओर हमारे न्यायालयों ने ऐसा नहीं किया है । इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उच्चतम न्यायालय ने इस विशेष अनुच्छेद की उदारतापूर्वक व्याख्या नहीं की है तो क्या सरकार इसका निर्वचन करेगी और इसके बारे में परिपत्र जारी करेगी ? प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर में माननीय मन्त्री ने कहा है कि सरकार उपलब्ध संसाधनों से गरीबों की कानूनी सहायता देने के बारे में विचार कर रही है । गरीबों को कानूनी सहायता देने के बारे में संसाधनों को जुटाने के लिए कौन से कदम उठाए गये हैं ?

श्री एम० यूनस सलीम : जहां तक व्याख्या का प्रश्न है, इसे मैं मानता हूं कि अभी मैंने निर्णय नहीं पढ़ा है और जब तक मैं पढ़ न लूं मैं कह नहीं सकता कि व्याख्या उदार है अथवा नहीं है । दूसरे सुझाव के बारे में, हम विचार कर रहे हैं ।

Shri Madhu Limaye : Why Mr. Menon is sitting silent ? He should tell what is the difference in 340 of Criminal Procedure and sixth amendment of the American Constitution.

श्री विक्रम चन्द महाजन : क्या यह सच है कि उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों और

सभी फौजदारी अदालतों में फौजदारी मुकद्दमों में कानूनी सहायता मुफ्त है ? यदि नहीं, तो कौन से राज्यों में गरीबों को मुफ्त सहायता नहीं दी जाती है ?

श्री मु० यूनस सलीम : प्रत्येक राज्य में मौत की सजा अथवा आजीवन कालापानी के फौजदारी मुकद्दमों में गरीबों को कानूनी सहायता दी जाती है।

Shri Ram Sewak Yadav : It has been said in reply to a supplementay question that free legal aid will be provided to the poor people through certain other sources and they are trying for it. I would like to know that what are the other sources through which they are trying to help ? The hon. Minister should throw some light on it so that it could be ascertained whether they are interested to help the poor or not, or they are saying this for propoganda sake ?

Shri M. Yunus Saleem : Different proposals are with us. One suggestion is this that the fee paid by the lawyers while enrolling themselves, some amount may be taken from it by the Bar Council for this fund. The other proposal which is under consideration that every lawyer who enrols himself, may be bound for taking at least six cases of the poor without charging any fee from them. He may take only that fee in it which is charged from the loser party and given to the winner party. As I have said, different proposal are under consideration.

Shri Atal Bihari Vajpayee : The question of providing free legal aid to the poor, connects this question also that the good and famous lawyers charge so much that the poor person and common person is not in a position to utlilise their services. Have the Government also thought over this problem that how to prepare such eminent lawyers to take the cases of the poor ?

Shri M. Yunus Saleem : Now every person has this right to engage an eminent lawyer or an ordinary lawyer for defending his case. It is clear that the person who is not in a position to pay the fees to the eminent lawyer for advocating, can employ an ordinary lawyer who charges less and can advocate their case from him.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

पत्रिकाओं के प्रकाशन के बारे में भारत अमरीकी सहयोग करार

*1266. **श्री सरदार अमजद अली** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि किसी अमरीकी यहूदी पत्रकार ने एक स्थानीय पत्रकार के साथ सहयोग करार किया है ;

(ख) क्या सरकार ने पत्रिकाओं आदि के प्रकाशन के बारे में उपरोक्त स्थानीय पत्रकार तथा किसी अन्य विदेशी एजेन्ट के बीच किसी और सहयोग करार की स्वीकृति दी है ; और

(ग) क्या इम्पैक्ट पब्लिशर्स (प्राइवेट) लिमिटेड की निधि में इन विदेशी सहयोग-कर्त्ताओं द्वारा धन भेजने के बारे में समवाय कार्य विभाग ने रिजर्व बैंक तथा अन्य गैर-भारतीय विनिमय बैंकों से कोई पूछताछ की है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) सरकार ने इम्पैक्ट पब्लीकेशन्स प्रा० लिमिटेड के दो विदेशी राष्ट्रों अर्थात् अमरीका के श्री सालिग हेरिसन जो नई दिल्ली में "वाशिंगटन पोस्ट" के पहले संवाददाता थे तथा ब्रिटिश राष्ट्रीय श्री कोलिन रोजर जो एक समाज शास्त्री है, को 5 00 रु० के मूल्य के एक-एक शेयर बेचने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी थी।

(ग) जी, नहीं।

फिल्म प्रोजेक्टरों का निर्माण

*1269. **श्री एन० शिवप्पा** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में फिल्म प्रोजेक्टर बनाने वाले विदेशी तथा भारतीय कारखानों के क्या नाम है तथा वे किस-किस स्थान पर स्थित है और प्रत्येक में कितनी-कितनी पूंजी लगी हुई है ;

(ख) विदेशी सहयोग किस प्रकार का है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक कारखाने में प्रतिवर्ष कितने तथा कितने मूल्य के फिल्म प्रोजेक्टर बनाये गये ;

(ग) प्रतिवर्ष कुल कितने फिल्म प्रोजेक्टरों का निर्यात किया जाता है, कर्मचारियों की संख्या कितनी है तथा उपर्युक्त कम्पनियों का वार्षिक मजूरी बिल कितना है ; और

(घ) प्रत्येक कारखाने में नियुक्त विदेशियों की संख्या क्या है, उनके वेतन क्या हैं और प्रतिवर्ष विदेशों को कितना पैसा भेजा जाता है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) से (घ) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

सफाई कार्य को व्यवसाय के रूप में करने पर रोक

*1270. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आयुक्त ने अपने प्रतिवेदन में सुझाव दिया है कि सफाई कार्य को व्यवसाय के रूप में करने पर रोक लगाई जानी चाहिये जिससे इस कार्य को करने वाले समुदाय इस व्यवसाय से सम्बद्ध निर्योग्यताओं से छुटकारा पा सकें ;

(ख) क्या इस सुझाव पर विचार किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

विधि मन्त्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) हां, श्रीमान। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त की 1968-69 की रिपोर्ट में यह सिफारिश शामिल है।

(ख) और (ग) : राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से टिप्पणियां मांगी गई है। उन टिप्पणियों के अनुसार इस प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

बाल्टी उद्योग के लिये इस्पात और जस्ते की कमी

*1271. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात और जस्ता पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न होने का कारण लघु उद्योग के क्षेत्र में बाल्टी उद्योग को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में उपर्युक्त उद्योग की सहायता करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) : बी० पी० / जी० पी० चादरों तथा जस्ते की कमी है । भारत सरकार यथा सम्भव देशी उत्पादन द्वारा तथा आयात द्वारा उपयुक्त आवंटन करके लघु एककों की आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास कर रही है । इस क्षेत्र के लिए 10 करोड़ रुपये मूल्य के दुर्लभ किस्म के लोहे तथा इस्पात के सामान के आयात करने का निश्चय किया गया है । इस क्षेत्र के लिए जस्त सम्बन्धी आयात नीति को उदार बना दिया गया है । उपलब्ध सामान को काफी मात्रा में प्रत्येक एककों के वितरण हेतु सम्बन्धित राज्यों के उद्योग निदेशकों को दे दिया जाता है ।

नई रेलवे लाइनें तथा उन पर व्यय

*1272. **श्री अब्दुल गनी डार** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक क्षेत्र (जोन) में बिछाई गई नई रेलवे लाइनों का विवरण क्या है, वे किन-किन तारीखों से चालू की गई और उन पर कितना खर्च आया , और

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रतिरक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में बिछाई गई रेलवे लाइनों का ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

(ख) पिछले तीन वर्षों में राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र जैसलमेर में रेल संचार की व्यवस्था के लिए, 'सामरिक महत्व' की लाइन के रूप में केवल पोकरन-जैसलमेर रेल सम्पर्क (मीटर लाइन 105 कि० मी०, लागत 2·60 करोड़ रुपये) को पूरा किया गया है और इसे यातायात के लिए खोल दिया गया है ।

विवरण

पिछले तीन वर्षों (1 अप्रैल, 1967 से) में बनायी गयी नयी लाइनें और उनके निर्माण की अनुमानित लागत ।

रेलवे का नाम	क्रम सं०	परियोजना का नाम	आमाना	लम्बाई कि०मी० में	अनुमानित लागत (करोड़ रु० में)	खुलने का तारीख
उत्तर	1	दिल्ली परिहार लाइनें और सम्बद्ध यातायात सुविधाएं	बड़ी लाइन	17.67	6.24	16-2-69 (केवल माल यातायात के लिए)

1	2	3	4	5	6	7
उत्तर	2	हिन्दुमलकोट-श्रीगंगानगर	बड़ी लाइन	27.56	1.17	11-1-1970 (केवल माल यातायात के लिए)
	3	सिंगरौली-ओवरा	बड़ी लाइन	57.56	11.41	पूरी हो चुकी है और ओबरा बिजली संयंत्र को कोयले की ढुलाई के लिए इंजीनियरिंग साइडिंग का काम कर रही है और आशा है यातायात के लिए शीघ्र खोल दी जायेगी।
दक्षिण	4	पोकरण-जैसलमेर	मीटर लाइन	105·00	2·60	28-1-1968
	5	बेगलूर-सेलम	मीटर लाइन	229·30	10·18	1-6-67 से 14-1-69 तक कई चरणों में खोली गयी।
दक्षिण	6	रेनिगुंटा-तिरूपति	बड़ी लाइन	9·80	0·31	22-9-1968
पूर्व	7	हल्दिया बन्दरगाह को रेल सम्पर्क (69 61 कि०मी०) (पाशकुड़ा-दुर्गचक भाग)	बड़ी लाइन	59·40	*8·25	*पूरी लाइन के लिए 16-1-69
	8	बेलाडिल्ला-कोहवलासा	बड़ी लाइन	450·52	57·97	1-11-68 (लौह अयस्क यातायात के लिए खोल दी गयी)
पश्चिम	9	झुंड-कांडला	बड़ी लाइन	230·84	16·33	कई चरणों में और अन्तिम रूप से 20-12-69 को खोल दी गयी।

दिल्ली के एक कार्यकारी पार्षद् द्वारा औद्योगिक लाइसेंस देने सम्बन्धी नीति की आलोचना

*1273. **श्री सूरज भान :**
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री यशपाल सिंह :
श्री शारदा नन्द :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 2 अप्रैल, 1970 के "इन्डियन एक्सप्रैस" में प्रकाशित उस समाचार के बारे में जानकारी है जिसमें एक करोड़ रुपये तक की पूंजी के उद्योगों को लाइसेंस मुक्त करने की केन्द्रीय सरकार की औद्योगिक नीति की दिल्ली के एक कार्यकारी पार्षद् द्वारा आलोचना की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या इसके बारे में सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) क्या यह सच है कि इस योजना से दिल्ली के लघु उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और यदि हां, तो किस सीमा तक और इस कठिनाई को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी हां।

(ख) औद्योगिक लाइसेंस देने के समय में छूट की सीमा एक करोड़ रुपये के विनियोजन तक बढ़ा देने से लघु क्षेत्र पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है क्योंकि इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त उपायों की व्यवस्था कर दी गई है। इस क्षेत्र के लिए रक्षित उद्योगों का क्षेत्र भी बढ़ाया जा रहा है।

(ग) सरकार द्वारा घोषणा की गई संशोधित लाइसेंस नीति का सामान्य रूप से सभी प्रतिनिधिकारी हितों द्वारा जिनमें उद्योग भी सम्मिलित है, स्वागत किया गया है। फिर भी कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जो विचाराधीन हैं। संशोधित लाइसेंस नीति से दिल्ली के लघु उद्योगों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशा नहीं है।

इन्टरनेशनल बिजनैस मशीन्स द्वारा मशीनों तथा संगणकों का आयात

*1274. **श्री सु० कु० तापड़िया** : **श्री नन्द कुमार सोमानी** :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स नामक एक अमरीकी फर्म को अमरीका से बहुत कीमती संगणक और मशीनों को आयात करने की अनुमति दी जा रही है ;

(ख) क्या इस फर्म से यह करार किया गया है कि भारत में पूर्णतया किराये के आधार पर संगणक लगाये जायेंगे ; और

(ग) क्या करार की अवधि समाप्त होने वाली है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के बारे में राज्य सरकारों की राय

*1275. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने राज्यों में गैर-सरकारी उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में राज्य सरकारों की राय मांगी थी ;

(ख) क्या सरकार को सभी राज्यों की राय प्राप्त हो चुकी है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) जी, नहीं ।

(ख) **और** (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

इस्पात के वितरण की पद्धति में परिवर्तन

* 1276. **श्री वेदव्रत बरूआ** : क्या **इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार इस्पात के वितरण की पद्धति में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने का है ; और

(ख) क्या इन परिवर्तनों में संयुक्त संयंत्र समिति तथा इस्पात प्राथमिकता समिति के कार्यों पर पुनर्विचार करना भी शामिल है ?

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) **और** (ख) : कुछ प्रकार के इस्पात की वर्तमान कमी को देखते हुए सरकार वर्तमान वितरण प्रणाली का पुनर्विलोकन कर रही है । पुनर्विलोकन में संयुक्त संयंत्र समिति तथा इस्पात-प्राथमिकता-समिति के कार्य भी सम्मिलित हैं ।

मैसूर में उद्योगों की स्थापना के लिए औद्योगिक लाइसेन्स दिए जाने के लिए आवेदनपत्र

*1277. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को मैसूर में नये उद्योग आरम्भ करने के लिए लाइसेन्स प्राप्त करने हेतु वर्ष 1969 में आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे ;

(ख) यदि हां, तो इन आवेदन पत्रों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) किन उद्योगों के लिए लाइसेन्स जारी किये गये हैं ; और

(घ) क्या उन उद्योगों ने अपना कार्य आरम्भ कर दिया है और यदि हां, तो कब से ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) **और** (ख) मैसूर राज्य में नये औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने हेतु लाइसेन्स प्राप्त

करने के लिये 1969 में 53 आवेदन प्राप्त हुए थे। इन 53 आवेदनों में से 12 इलेक्ट्रानिक उपकरणों तथा चीनी के कारखानों से, 3 मोटर गाड़ियों के टायरों तथा ट्यूबों से और शेष अन्य उद्योगों से सम्बन्धित थे।

(ग) और (घ) 1969 में नये औद्योगिक उपक्रमों की स्थापना के लिए प्राप्त आवेदनों में से 5 को आशयपत्र जारी किये गये थे। इनके अतिरिक्त 1969 से पूर्व प्राप्त आवेदनों में से 7 आशय पत्र तथा एक लाइसेंस जारी किया गया था। उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1951 के अन्तर्गत जारी किये गये लाइसेंसों तथा आशय पत्रों का ब्यौरा जिसमें उद्योग का नाम इत्यादि होते हैं, कई पत्रों जैसे साप्ताहिक "बुलेटिन आफ इन्डस्ट्रियल लाइसेन्सेज, इम्पोर्ट लाइसेन्सेज एण्ड एक्स्पोर्ट लाइसेन्सेज" साप्ताहिक "इण्डियन ट्रेड जर्नल" तथा मासिक "जरनल आफ इन्डस्ट्री एन्ड ट्रेड" में समय समय पर प्रकाशित किया जाता है। इन प्रकाशनों की प्रतियां संसद के पुस्तकालय को नियमित रूप से भेजी जाती हैं।

लाइसेन्स अभी कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में है। जहां तक उद्योगों की स्थापना का सम्बन्ध है इसमें सामान्यता दो से तीन वर्ष का समय लगता है अतः इन उपक्रमों द्वारा उत्पादन प्रारम्भ करने की आशा करना अभी समयपूर्व होगा।

Income earned from Export of Steel

*1278. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of **Steel and Heavy Engineering** be pleased to state:

(a) the income earned from the export of different types of steel per year;

(b) the expenditure in foreign exchange incufred on the import of different types of steel per year; and

(c) the action taken by Government to make the expansion of steel production capacity need-oriented ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Heavy Engineering (Shri K. C. Pant) : **(a) and (b)** : A statement is laid on the table of the House.

(c) A long range programme has been drawn up which envisages setting up of three steel plants, one to be located in the coastal region of Vishakhapatnam (Andhra Pradesh) the second in the Hospet area (Mysore) and the third in the district of Salem (Tamil Nadu), continous expansion of Bokaro to the 4 million tonne-stage, and the third stage expansion of Bhilai from 2.5 to 4.2 million ingot tonnes, besides securing optimum out put from the existing facilities through technological improvements and additional balancing and finishing facilities.

(a) Foreign Exchange earned from export of different types of Steel during the last four years is given below :

Year	Value in Rs. Million
1966-67	144.9
1967-68	346.4
1968-69	474.6
1969-70 (April '69 to Jan' 70)	379.9

(b) Foreign Exchange expenditure incurred on import of different types of steel is given below :

Year	Value in Rs. Million.
1966-67	695.1
1967-68	783.0
1968-69	680.0
1969-70	358.2
(April '69 to Oct. 69)	

बिहार में रेलों का विकास

*1279. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वह बिहार में रेलों के विकास के सम्बन्ध में मौके पर अध्ययन करने के लिए मार्च, 1970 के अन्तिम सप्ताह में वहां गये थे;

(ख) यदि हां, तो किन विशेष परियोजनाओं के सम्बन्ध में वह वहां गये थे और उसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना में बिहार में रेलवे के विकास के सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख) जी नहीं। लेकिन रेल मंत्री ने, केन्द्रीय सिंचाई और बिजली मंत्री तथा राज्य के लोक निर्माण विभाग के मंत्री के साथ 4-4-70 को बिहार राज्य में मानसी का दौरा किया था। यह दौरा पूर्वोत्तर रेलवे पर, खगरिया और मानसी के बीच गंगा नदी के कटाव का निरीक्षण करने के उद्देश्य से किया गया था। जैसाकि 13-3-70 को दिल्ली में हुई अन्तर मन्त्रालय बैठक में पहले ही विनिश्चय किया जा चुका था, राज्य के सिंचाई विभाग से क्षतिग्रस्त ज्वाइंट स्परों की तत्काल काम चलाऊ मरम्मत करने की प्रार्थना की गयी। इस काम के लिए रेलवे, रेल द्वारा माल की ढुलाई करके और विशेष मामले के रूप में, 2 लाख घन फुट बोल्डर देकर सभी सम्भव सहायता करेगी।

(ग) रेलों के विकास सम्बन्धी कार्यक्रम प्रादेशिक अथवा राज्यवार आधार पर नहीं, बल्कि समूची भारतीय रेल प्रणाली पर यातायात में प्रत्याशित वृद्धि के आधार पर बनाये जाते हैं।

नई दिल्ली तथा हावड़ा के बीच चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस तथा डीलक्स गाड़ियों द्वारा लिया जाने वाला समय

*1280 **श्री समर गुह** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लम्बी अवधि के पिछले अनुभव से विदित हुआ है कि नई दिल्ली और हावड़ा के बीच चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस तथा डीलक्स गाड़ियां उपरोक्त गंतव्य स्थानों पर एक घन्टा पहले पहुंच सकती हैं;

(ख) क्या ऐसा देखा गया है कि ये गाड़ियां बहुधा निर्धारित समय से पहले पहुंच जाती हैं जिसके परिणामस्वरूप उनके नई दिल्ली अथवा हावड़ा के निकट पहुंचने पर उन्हें या तो चाल धीमी करनी पड़ती है या फिर निर्धारित समय पर पहुंचने के लिए उन्हें रोक लिया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार उनके पहुंचने में लगने वाले समय को कम करने के लिये कार्यवाही-करेगी ताकि यात्री तथा संसद् सदस्य अपने गंतव्य स्थानों पर अपेक्षाकृत जल्दी पहुंच सकें और अपने कार्यालयों में समय पर जा सकें अथवा संसदीय कार्यों को समय पर देख सकें ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) (क) जी नहीं।

(ख) 101 अप/102 डाउन राजधानी एक्सप्रेस गाड़ियों का समय व्यापक परीक्षणों के बाद विभिन्न खंडों पर गाड़ी के लिए निर्धारित रफ्तार के आधार पर संगणक पर निकाला गया है। हवड़ा-दिल्ली मार्ग पर डीलक्स एक्सप्रेस के संचलन समय की तुलना इसी तरह के मार्ग पर इसी तरह के कर्मण से चलने वाली और इसी रफ्तार पर बुक की गयी दूसरी गाड़ियों से की जा सकती है। यात्रा में विहित समय में कोई ढिलाई नहीं है। अस्थायी रूप से लागू इंजीनियरिंग प्रतिबन्धों के कारण होने वाली हानि पूरी करने के लिए गाड़ियों के लिए कुछ समय की व्यवस्था की गयी है। यदि किसी समय किसी खन्ड पर किसी दिन कोई काम जारी न हो, तो गाड़िया उतना समय बचा लेती हैं और या तो अपने गन्तव्य स्टेशन पर उतना पहले पहुंच जाती हैं या ठीक समय पर पहुंचने के लिए अपनी रफ्तार मन्द कर देती हैं। दिल्ली और हवड़ा जैसे बड़े और व्यस्त स्टेशनों पर पहुंचते समय भी गाड़ियों को तेज मोड़ों और बहुत से घुमावों से होकर गुजरना पड़ता है और आवश्यक रूप से मार्ग के अन्तिम दौर में रफ्तार कम करनी पड़ती है। अन्यथा जानबूझ कर कभी भी रफ्तार धीमी नहीं की जाती।

(ग) सवाल नहीं उठता।

कम्पनियों द्वारा पूर्ण कालिक, प्रबन्ध निदेशकों की नियुक्ति तथा उनके पारिश्रमिक के बारे में अनुमति मांगना

*1281. **श्री मधु लिमये** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन-कौन सी कम्पनियों ने समवाय कानून विभाग से पूर्ण कालिक प्रबन्ध निदेशकों आदि की नियुक्ति तथा उनके पारिश्रमिकों के बारे में दिये गये अपने संकल्पों/निर्णयों के लागू करने के लिए अनुमति माँगी है;

(ख) किन कम्पनियों ने सरकारी परिपत्र का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उल्लंघन किया है;

(ग) ऐसी कौन-कौन सी कम्पनियां है जिन्होंने अपने पूर्णकालिक निर्देशकों को उस राशि से अधिक पारिश्रमिक देने की आज्ञा मांगी है जो प्रबन्ध एजेन्सी प्रणाली की समाप्ति से पूर्व कमीशन के रूप में प्रबन्ध एजेन्टों को दिया जाता था; और

(घ) इन कम्पनियों के विरुद्ध कार्यवाई करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : ऐसी संभावना है कि यह सूचना उन कम्पनियों के बारे में मांगी गई हैं जो पहले प्रबन्ध अभिकर्ताओं अथवा सचिव व कोषाध्यक्षों द्वारा प्रबंधित थीं।

(क) प्रबन्ध अभिकरण तथा सचिव एवं कोषाध्यक्ष प्रणाली के समाप्त हो जाने के परिणाम स्वरूप, इनके द्वारा प्रबन्धित कम्पनियों से प्रबन्ध अभिकर्ताओं आदि के स्थान पर प्रबन्ध निदेशक पूर्ण कालिक निदेशकों की नियुक्ति के अनुमोदनार्थ, अब तक 175 प्रार्थना-पत्र प्राप्त हो चुके हैं। कथित प्रबन्ध निदेशकों को नियुक्तियों तथा उनके पारिश्रमिक जैसा कि कम्पनियों द्वारा व्यक्त किया गया तथा कम्पनी विधि बोर्ड द्वारा स्वीकृत किया गया, की बाबत सूचना, सारिणी बद्ध की जा रही है व सदन के पटल पर विवरण पत्र प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

(ख) कम्पनी विधि बोर्ड ने, अपने मार्ग दर्शक नियमों में दी गई प्रशासनिक अधिकतम सीमा से अधिक के लेखे के लिये किसी विषय का अनुमोदन नहीं किया है।

(ग) सूचना संग्रह की जा रही है व यह सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

(घ) चूंकि, केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित प्रशासनिक अधिकतम सीमा से अधिक का पारिश्रमिक देने की इच्छा वाले अधिक प्रस्तावों के बनाने से कानून का कोई उल्लंघन नहीं होता, अतः केवल इसी एक आधार पर, सरकार का इन कम्पनियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। उन विषयों पर, यदि कोई हो, जहां कम्पनी विधि बोर्ड द्वारा अनुमोदित राशि से अधिक दी गई हो, कार्यवाही की जायेगी।

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री द्वारा बुलाया गया कागज व्यापारियों और उपभोक्ताओं का सम्मेलन

*1282. **श्री मयावन ।** **श्री नि० रं० लास्कर :**

श्री दन्डपाणि :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने कागज की कमी तथा मूल्य में वृद्धि के प्रश्न पर विचार करने के लिये कागज व्यापारियों तथा उपभोक्ताओं का एक सम्मेलन बुलाया था;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन कहां तक सफल रहा; और

(ग) क्या कोई निष्कर्ष निकाले गये हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) कागज की कमी सम्बन्धी तदर्थ समिति की बैठकें 17, 18, तथा 23 अप्रैल 1970 को हुई।

(ख) और (ग) अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है।

कागज सम्बन्धी तदर्थ समिति की बैठकें 17 तथा 18 अप्रैल 1970 को नई दिल्ली तथा 23 अप्रैल 1970 को कलकत्ता में हुई।

समिति ने निम्नलिखित निर्णय लिये और इन्हें उद्योग तथा व्यापारियों ने मान लिया :—

1. कागज के कारखाने आगामी दो या तीन मास में हल्के कागज (56 जी० एस० एम०) के उत्पादन को अधिकतम करेंगे ताकि आगामी सत्र की शैक्षणिक आवश्यकतायें जैसे लिखने तथा पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता की पूर्ति की जा सके।

2. आगामी तीन महीनों में कागज के कारखाने हल्के परिमाण के कागज (56 जी० एस० एम०) के अपने सामान्य उत्पादन के 5000 मी० टन प्रति मास का अतिरिक्त उत्पादन करेंगे।

3. कागज उद्योग अपने मुख्यालय कलकत्ता में एक प्रकोष्ठ की स्थापना करेगा जो कि गुण प्रकार सम्बन्धी अधिक मूल्य लिये जाने, सम्बन्धी कम सम्भरण सम्बन्धी कदाचारों की उचित शिकायतों की जांच करेगा।

4. व्यापारियों के प्रतिनिधियों ने भी आश्वासन दिया कि वह भी व्यापार में इस प्रकार के कदाचारों की शिकायतों की जांच के लिये इसी प्रकार के प्रकोष्ठ की स्थापना के लिये आवश्यक कदम उठायेंगे।

5. समिति की बैठकें समय समय पर हुआ करेंगी और अभी तो इस समिति की मासिक बैठकें होगी जिसमें समय समय पर कागज के सम्भरण की स्थिति की समीक्षा की जायेगी और जहां आवश्यक होगा उन शिकायतों के मूल कारणों को समाप्त करने के लिये उचित निर्णय लिये जायेंगे।

सिगनल और दूरसंचार विभाग के आपात सेवा करने वाले कर्मचारियों को प्रतिकर देना

*1283. **श्री देवेन सेन :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रेलवे की सिगनल और दूर संचार शाखा के कर्मचारियों को, जिन्हें नियत कार्य घंटे के अलावा सिगनल तथा दूरसंचार उपकरणों की खराबी को दूर करने के लिए आपात सेवा के लिये बुलाया जाता है न तो समयोपरि कार्य के लिए अतिरिक्त पारिश्रमिक और न ही अतिरिक्त छुट्टी अथवा विश्राम आदि के रूप में प्रतिकर दिया जाता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन कर्मचारियों के लिए सप्ताह में निरन्तर कार्य घंटों की कोई सीमा नहीं है और न ही साप्ताहिक विश्राम की व्यवस्था है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख) : आधुनिक सिगनल और दूर-संचार संस्थापनाओं के उत्तरोत्तर लागू किये जाने के फलस्वरूप, अब उच्चतर ग्रेड के अर्ह कर्मचारियों से कहा जाता है कि वे ऐसी समुन्नत मशीनों की तात्कालिक मरम्मत खुद करें। अतीत में, काम के घंटे विनियमों के अन्तर्गत इन वरिष्ठ कर्मचारियों को 'पर्यवेक्षक' के रुप में वर्गीकृत किया गया है और उनके काम के घंटों की कोई सीमा नहीं है तथा उन्हें कोई समयोपरि नहीं दिया जाता। इस कोटि के कर्मचारियों को तब तक साप्ताहिक विश्राम या प्रतिपूरक विश्राम नहीं दिया जाता जब तक कि वे पालियों में चौबीसों घंटे काम नहीं करते।

(ग) जो कर्मचारी 'पर्यवेक्षक कर्मचारियों के लिए निर्धारित कसौटियों पर खरे नहीं उतरते, उनके मामलों की समीक्षा रेल प्रशासनों द्वारा की जा रही है ताकि वर्तमान नियमों के अधीन उनके कार्यभार के अनुसार उन्हें स्वीकार्य लाभ दिये जा सकें।

संशोधित योजना में पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए धन का नियतन

*1284. **श्री श्रीनिवास मिश्र** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संशोधित योजना में पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए धन के नियतन में कोई वृद्धि नहीं की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि "पिछड़े वर्गों के कल्याण" के लिए तथा उड़ीसा में केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए केन्द्र द्वारा योजना में नियत धनराशि उस राज्य की आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति तथा संख्या के अनुपात में भी नहीं है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्यमंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेण, गुह) : (क) नहीं। पिछड़े वर्गों के कल्याण की योजनाओं के अधीन संशोधित योजना में 8.05 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की गई है। मसौदा योजना में 134.37 करोड़ रुपये की जो राशि रखी गई थी उसे संशोधित योजना में 142.42 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राज्य योजना में किया गया परिव्यय प्रत्येक राज्य में पिछड़े वर्गों की आबादी से पूर्णतया सम्बन्धित नहीं होता है। इसका निश्चय मुख्यतया पूरी राज्य योजना में इस कार्यक्रम के लिए की गई सम्बन्धित प्राथमिकता द्वारा किया जाता है।

केन्द्र द्वारा प्रवर्तित कार्यक्रम के अधीन उपलब्ध धन के अनुसार आवंटन निश्चित किए जाते हैं। ये न केवल आबादी के आधार पर होते हैं परन्तु पिछड़ेपन और पिछले वर्षों के कार्य जैसी बातों पर भी आधारित होते हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

निर्वाचनों में मतदान को प्रभावित करने के लिए धन का कथित प्रयोग

*1285. **श्री बलराज मधोक** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मार्च, 1970 में राज्य सभा के लिए हुई द्विवार्षिक निर्वाचनों में धन ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अन्य निर्वाचनों में भी धन का महत्व अधिकाधिक बढ़ता जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो निर्वाचनों को जीतने के लिए धन के महत्व को समाप्त करने अथवा कम करने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है ?

विधि तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री प० गोविन्द मेनन) : (क) और (ख) : सरकार को या निर्वाचन आयोग को इस सम्बन्ध में कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

पंजाब में एक अमरीकी फर्म के सहयोग से ट्रैक्टरों का निर्माण

*1286. **श्री अदिचन** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में ट्रैक्टर बनाने के एक कारखाने की स्थापना के लिए अमरीकी फर्म ने सहयोग की पेशकश की है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित परियोजना का ब्यौरा क्या है और सहयोग की पेशकश की शर्तें क्या हैं ; और

(ग) इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और परियोजना अब किस प्रक्रम पर है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

Report regarding Newspapers of Shri Goenka

*1287. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Industrial Development, Internal Irade and Company Affairs** be pleased to state.

(a) whether it is a fact that the Company Law Department of his Ministry has submitted a report to Government in respect of the news-papers run by Shri Goenka;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether it is also a fact that Government have paid loans to the newspapers of Shri Goenka; and

(d) if so, the details thereof and the justification for giving them loans ?

The Minister fo Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F.A. Ahmed) : (a) and (b) : The Company Law Board have received reports on inspection of books of accounts of 4 newspaper companies under Section 209 (4) of the Companies Act, 1956. The reports are under examination.

(c) and (d) : In of rmation is being collected and it will be laid on the table of the House.

रेलवे कर्मचारियों का पास तथा पी० टी० ओ०

*1288. **श्री रामावतार शर्मा** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे कर्मचारियों के प्रत्येक वर्ग को भारतीय रेलों में यात्रा करने के लिये प्रति वर्ष कितने नि:शुल्क पास तथा पी० टी० ओ० जारी किये जाते हैं;

(ख) क्या इन पासों तथा पी० टी० ओ० के जारी किये जाने के फलस्वरूप रेलवे को होने वाली हानि का सरकार ने कोई अनुमान लगाया है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सेवा निवृत्त रेलवे कर्मचारियों को भी रेलवे में यात्रा के लिए नि:शुल्क पास दिये जाते हैं और यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है; और

(घ) सरकार किफायत करने और रेलवे की आय बढ़ाने के हेतु रेलवे कर्मचारियों की इस सुविधा को समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा): (क) से (घ) विभिन्न श्रेणी के रेल कर्मचारियों को आजकल जो यात्रा सम्बन्धी रियायतें दी जा रही हैं, वे जब से रेलें बनी हैं, तब से एक शताब्दी पुरानी विकासवादी प्रक्रिया के परिणाम हैं । रेल कर्मचारियों को दी जानी वाली यह सुविधा रेलों पर और एयर

लाइन्स, शिपिंग कम्पनियों और रोडवेज आदि जैसे अन्य परिवहन उपक्रमों में अपनायी गयी अन्तर्राष्ट्रीय परिपाटी के अनुरूप है ।

2. इसी परम्परा की पृष्ठभूमि में रेल कर्मचारियों को जो यात्रा सम्बन्धी सुविधाएं प्राप्त हैं, वे प्राय: उनकी सेवा की शर्तों के अंगस्वरूप हो गये हैं और इस तरह रेल कर्मचारियों के संगठन इस सुविधा को अपने अधिकार के रूप में देखते हैं और वे इस सुविधा में किसी ऐसे आशोधन के सवाल के प्रति अति संवेदनशील हैं जो उनके लिए असुविधाजनक हो ।

3. सेवा के दौरान और सेवानिवृत्ति के बाद रेल कर्मचारियों को जो रियायतें स्वीकार्य हैं, वे इस प्रकार है :—

सेवा की अवधि में यात्रा सम्बन्धी रियायतों का मान

कर्मचारियों की कोटि	पासों की संख्या	सुविधा टिकट आदेशों की संख्या
श्रेणी I और II	6 सेट	6 सेट
श्रेणी III और Iv		
5 वर्ष से अधिक की सेवा	3 सेट	6 सेट
5 वर्ष तक की सेवा	1 सेट	6 सेट

सेवा निवृत्त रेल कर्मचारियों के लिये यात्रा सम्बन्धी रियायतों का मान

कर्मचारियों की कोटि	पासों की संख्या
श्रेणी I और II	
22 वर्ष की सेवा के बाद—	3 सेट
20 वर्ष की सेवा के बाद—	2 सेट
श्रेणी III	
30 वर्ष की सेवा के बाद—	2 सेट
20 वर्ष की सेवा के बाद—	1 सेट
श्रेणी Iv	
25 वर्ष की सेवा के बाद—5 वर्ष में केवल एक बार दो इकहरी यात्रा पास (केवल अपने तथा अपनी पत्नी के लिए)	

4. रेल कर्मचारियों को दी जाने वाली इन रियायतों को सरकार हानि के रूप में नहीं, बल्कि कुछ इस प्रकार देखती है, जिन्हें वे अपनी सेवा की शर्तों के अंग के रूप में वैध रूप से पाने के पात्र हैं । अत: इस रियायत को देने से सरकार को नुकसान होने का सवाल पैदा नहीं होता ।

5. रेल कर्मचारियों द्वारा वास्तव में इस सुविधा का कितना लाभ उठाया जाता है उसका मूल्यांकन रुपयों में किया जा रहा है ताकि सरकार को यह पता लग सके कि यह सुविधा अपने उपयुक्त परिप्रेक्ष्य में ठीक है या नहीं ।

मेसर्स अम्बा मोटर्स, झन्डे वाला, नई दिल्ली द्वारा
लैम्ब्रेटा स्कूटर के लिए आवेदन-पत्रों का पंजीकरण

*1289. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मेसर्स अम्बा मोटर्स, झन्डे वाला, नई दिल्ली ने अप्रैल, 1967 में लैम्ब्रेटा स्कूटरों के लिए आवेदन पत्रों का पंजीकरण आरम्भ किया था परन्तु अभी तक उन्होंने कोई स्कूटर नहीं दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त फर्म स्कूटरों का वितरण कब करेंगी ;और

(ग) उक्त फर्म ने अब तक कुल कितने आवेदन पत्रों का पंजीकरण किया और उसको स्कूटरों का तैमासिक कोटा कितना दिया गया ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य-मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) : मेसर्स अम्बा मोटर्स, झन्डेवालान, नई दिल्ली ने स्कूटरों के आवन्टन के लिए आवेदनों का पन्जीकरण 1 अप्रैल, 1967 से प्रारम्भ किया। यह फर्म इस समय स्कूटरों का भुगतान उन लोगों को कर रही है जो कि 1 अप्रैल, 1967 से पूर्व मेसर्स एलाइड मोटर्स लिमिटेड के पास पंजीकृत थे क्योंकि 1 अप्रैल, 1967 से पूर्व पंजीकृत ग्राहकों की प्रतीक्षा सूची का निपटान दोनों वितरकों, मेसर्स एलाइड मोटर्स लिमिटेड तथा मेसर्स अम्बा मोटर्स लिमिटेड, झण्डेवालान, नई दिल्ली, को अपने-अपने कोटे से पंजीकरण की तिथि के अनुसार करना है। पूर्व इसके कि 1 अप्रैल, 1967 और उसके पश्चात् पंजीकृत लोगों को आवन्टन किया जाये मेसर्स अम्बा मोटर्स अपने पास पन्जीकृत आवेदकों को स्कूटरों का आवंटन 1 अप्रैल,1967 से पूर्व की सूची के निपटानोपरान्त ही करेंगे। इस समय के उत्पादन तथा दोनों वितरकों के कोटे के आधार पर मेसर्स अम्बा मोटर्स को अपने पास पन्जीकृत व्यक्तियों को आवंटन प्रारम्भ करने में अभी लगभग दो वर्ष लगेंगे।

(ग) स्कूटरों के आवंटन हेतु मेसर्स अम्बा मोटर्स के पास 1 अप्रेल, 1967 से 17 अप्रैल, 1970 तक पन्जीकृत आवेदनों की संख्या 2,513 है और उनका कोटा 100 स्कूटर प्रति तिमाही है।

गंगा नदी द्वारा भूमि के कटाव से आसाम (पूर्वोत्तर सीमा रेलवे)
को जाने वाली रेलवे लाइन को खतरा

*1290. **श्री हेम बरुआ** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गंगा नदी के द्वारा भूमि कटाव से आसाम को जाने वाली पूर्वोत्तर सीमा रेलवे की लाइन को गंभीर खतरा पैदा हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस खतरे की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं और इसको दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख) गंगा नदी द्वारा अपने बायें किनारे पर कटाव के कारण पूर्वोत्तर रेलवे (न कि पूर्वोत्तर सीमा रेलवे) के खगरिया और मानसी के बीच की रेलवे लाइन को, जो कि असम के ट्रंक मार्ग का एक भाग है, गंभीर खतरा पैदा हो गया है। इस क्षेत्र

मे रेल-संचार सुनिश्चित करने के लिए खगरिया और मानसी के बीच रेलवे लाइन को 1.3 कि०मी० उत्तर की ओर खिसकाया जा रहा है और निर्माण कार्य चालू है। जैसा कि 13-3-1970 को हुई अन्तर्मन्त्रालय बैठक में निर्णय लिया गया, पिछली बाढ़ के दौरान संयुक्त ठोकरों को पहुंची गम्भीर टूट-फूट की मरम्मत बिहार सरकार के खर्च पर बिहार सरकार के सिंचाई विभाग द्वारा की जायेगी और रेलवे और जहाजरानी एवं परिवहन मन्त्रालय समान अनुपात में खर्च वहन करेंगे। रेलवे, रेलगाड़ियों द्वारा सामान के परिवहन की आवश्यक सुविधाएं प्रदान करेगी और उसकी लागत को मरम्मत के काम पर आने वाले रेलवे के हिस्से के खर्च में समायोजित किया जायेगा। राज्य सरकार को इस काम को अविलम्ब प्रारम्भ करने की स्थिति में लाने के उद्देश्य से रेलवे अपने साधनों से 2 लाख घन फुट बोल्डर भी सप्लाई करेगी।

जहां तक स्थायी उपायों का सम्बन्ध है, विभिन्न सम्बन्धित पार्टियों अर्थात् रेल मन्त्रालय, परिवहन, सिंचाई एवं बिजली और बिहार सरकार द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि केन्द्रीय पानी एवं बिजली अनुसंधान स्टेशन, पूना द्वारा नमूना अध्ययन करने के बाद सिंचाई और बिजली मन्त्रालय के खर्च से एक संगठित योजना तैयार की जाये। इस व्यवस्थापन के बाद ही दीर्घ कालिक उपायों पर आने वाली लागत को विभिन्न पार्टियों के बीच बांटने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

अन्धे बच्चों के लिए प्रतिभा खोज योजना

7718. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा : श्री बाल्मीकि चौधरी** क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रेल लिपि में पुस्तकें तैयार करने के लिये एक राष्ट्रीय बोर्ड की स्थापना की व्यवहार्यता पर विचार कर लिया गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार अन्धे बच्चों के लिये प्रतिभा खोज योजना बनाने के बारे में विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय किया जायेगा ?

विधि मन्त्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (डा० (श्रीमती) फूलरेण-गुह): (क) देहरादून में नेत्रहीनों के लिये एक वृद्ध राष्ट्रीय केन्द्र का स्थापना की गयी है। इस केन्द्र का एक कार्य, अधिकांशत: हिन्दी में ब्रेल सहित्य उपलब्ध कराना है। क्षेत्रीय भाषा साहित्य उपलब्ध कराने के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ की बात आपातनिधि की सहायता से तीन ब्रेल प्रेसों की स्थापना की गयी है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

"बंसफार" जाति को अनुसूचित जाति घोषित करना

7719. **श्री मधु लिमये** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उस पत्र की ओर दिलाया गया है जिसमें "बंसफार" जाति को अनुसूचित जाति घोषित करने का अनुरोध किया गया है ;

(ख) क्या उक्त जाति को राजस्थान में अनुसूचित जाति माना जाता है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार बिहार में भी उक्त जाति को अनुसूचित जाति घोषित करेगी ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) हां ।

(ख) वर्तमान सूची में बंसफोर अजमेर जिले, झालावार जिले के सुनलटप्पा तथा सिरोही जिले के आबु रोड टालुका को छोड़ कर समस्त राजस्थान में अनुसूचित जाति है । अजमेर जिले में "बांसफोड़" अनुसूचित जाति है ।

(ग) और (घ) अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिम जातियां आदेश (संशोधन) विधेयक, 1967 से सम्बद्ध संयुक्त समिति ने 17 नवम्बर, 1969 को संसद को पेश की गई अपनी रिपोर्ट में "बंसफार" को बिहार में "डोम" के पर्याय के रूप में शामिल किए जाने की सिफारिश की है । संयुक्त समिति द्वारा रिपोर्ट किए अनुसार विधेयक इस समय सदन के सामने है ।

नई दिल्ली स्टेशन के पर्यटक प्लेटफार्म पर भारतीय रेल प्रदर्शन

7720. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च, 1970 के दूसरे सप्ताह में नई दिल्ली स्टेशन के पर्यटक प्लेटफार्म पर आयोजित भारतीय रेल प्रदर्शनी पर कुल कितना खर्च हुआ ;

(ख) रेल प्रदर्शनी का किन-किन स्टेशनों पर आयोजन किया गया और उसमें किन-किन वस्तुओं की बिक्री की गई और कितने रुपये की बिक्री हुई ;

(ग) प्रदर्शनी में किस प्रकार की कला कौशल का प्रदर्शन किया गया और कला कौशल का प्रदर्शन करने वाले मुख्य कलाकारों के नाम क्या हैं ; और

(घ) प्रदर्शन गाड़ी के दौरे से कितना लाभ हुआ ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) से (घ) चूंकि भारतीय रेल प्रदर्शनी गाड़ी बम्बई के एक प्राइवेट वाणिज्यिक संगठन द्वारा चालू और आयोजित की गई है इसलिए, रेलों के पास अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं है, लेकिन यह केवल इस संगठन से प्राप्त की जा सकती है । यह प्रदर्शनी गाड़ी इस संगठन को पट्टे पर दी गयी है और इसका नाम भारतीय रेल प्रदर्शनी है जिसका प्रधान कार्यालय बम्बई में है और रेलें सवारी डिब्बों की मरम्मत और बदलाव, ढुलाई और ठहरने आदि के लिए नियमानुसार प्रभार वसूल कर रही है ।

रूरकेला इस्पात संयत्र को गैर सरकारी खान मालिकों से लौह अयस्क की सप्लाई

7721. **श्री जुगल मंडल** : **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** :

क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूरकेला इस्पात संयत्र गैर-सरकारी खान मालिकों से लौह अयस्क प्राप्त कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उन खान मालिकों के नाम क्या हैं और वर्ष 1969-70 के दौरान प्रत्येक से यह कितनी कितनी मात्रा में प्राप्त किया गया ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, नहीं। राउरकेला इस्पात कारखाने की जो आवश्यकता बरसुआ की इसकी रक्षित खान से पूरी नहीं होती, खनिज तथा धातु व्यापार निगम की मार्फत पूरी की जाती है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, बंगलौर द्वारा घड़ियों का निर्माण

7722. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, बंगलौर ने प्रति वर्ष विभिन्न प्रकार की कितनी घड़ियों का निर्माण किया और उनकी कीमत क्या थी ;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रति वर्ष देश में कितनी घड़ियां बेची गई और उनकी कीमत क्या थी और विदेशों में किन-किन देशों को कितनी कितनी घड़ियों का निर्यात किया गया तथा उनकी कीमत कितनी थी ;

(ग) इस समय कितनी संख्या में घड़ियां स्टाक में है और उनकी कीमत कितनी है ;

(घ) जापान की मेसर्स सिटिजन वाच कम्पनी से दिन और तिथि की घड़ियां निर्माण करने के लिये किन-किन शर्तों पर तकनीकी सहयोग प्राप्त किया गया है और उक्त करार किस तारीख से व्यावहारिक तौर पर क्रियान्वित होगा ; और

(ङ) तकनीकी सहयोग के लिये जापानी फर्म को प्रति वर्ष लगभग कितनी धनराशि देने का प्रस्ताव है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा पिछले तीन वर्षों में निर्मित घड़ियों की संख्या निम्न प्रकार थीं :

वर्ष	सं०	मूल्य (लाख रु० में)
1967-68	2,50,000	264
1968-69	3,00,000	327
1969-70	3,30,000	365 -।- (अस्थायी)

पिछले तीन वर्षों में एच० एम० टी० घड़ियों की बिक्री निम्न प्रकार थी :

वर्ष	देश में बिक्री		निर्यात		योग	
	संख्या	मूल्य रु० में	संख्या	मूल्य रु० में	संख्या	मूल्य रु० में
1967-68	244492	268,46,807	931	53,484	245423	269,00,291

1968-69	301074	332,13,522	724	39,383	301798	332,42,905
1969-70 (अस्थायी)	333492	359,32,000	359	21,448	3,33,851	359,53,448

निर्यात के देशवार अलग-अलग आंकड़े निम्न प्रकार हैं :

देश का नाम जिसको निर्यात किया गया	1967-68 घड़ियों की संख्या	1967-68 नौतल पर्यन्त नि:शुल्क मूल्य	1968-69 घड़ियों की संख्या	1968-69 नौतल पर्यन्त निशुल्क मूल्य	1969-70 घड़ियों की संख्या	1969-70 नौतल पर्यन्त नि:शुल्क मूल्य
1	2	3	4	5	6	7
यू० एस० ए०	12	723.12	33	1601.23	8	427.71
कनाडा	100	1886.17	101	3346.85	104	3471.46
वाच मूवमेंट्स						
सूडान	—	—	—	—	6	257.26
श्रीलंका	—	—	1	49.81	5	257.13
आस्ट्रेलिया	42	2021.24	60	2972.24	154	12629.13
यू० के०	60	2709.00	24	1138.66	14	744.18
हांगकांग	—	—	—	—	25	1346.25
लेबनान	—	—	—	—	3	161.55
ईरान	—	—	1	44.12	40	2154.00
न्यूजीलैण्ड	—	—	60	2861.16	—	—
अरब	—	—	25	1214.60	—	—
नार्वे	—	—	1	41.66	—	—
इजिप्ट	50	3150.00	12	628.60	—	—
फिजी द्वीप समुह		—	5	227.23	—	—
लीबिया	421	19893.51	394	24822.00	—	—
पाकिस्तान	—	—	5	195.64	—	—
अदन	—	—	5	238.26	—	—
पश्चिमी जर्मनी	7	314.74	—	—	—	—
राज्य व्यापार निगम (विदेशी मुद्रा के बदले पुन: बिक्री)	334	22560.40	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7
मलाया	5	225.75	—	—	—	—
योग	931	53483.93	724	39382.66	359	21448.67
	100					

वाच मवमेंट्स

(ग) 31-3-1970 को अन्तिमस्टाक

संख्या	मूल्य
5054	लगभग 5 लाख

* अस्थायी

(घ) और (ङ) : हिन्दुस्तान मशीन टूल तथा जापान के मेसर्स सिटीजन वाच कं० के बीच तारीख और समय बताने वाली स्वचालित घड़ियों के निर्माण के लिए किया गया करार वाणिज्यिक के रूप में है तथा उसकी शर्तें बताना उपयुक्त नहीं है। इस करार पर फिलहाल सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है और उसे सरकार से सहमति मिल जाने के पश्चात लागू किया जाएगा।

प्लेट और चित्रित कांच का निर्माण

7723. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्लेट और चित्रित कांच का निर्माण करने वाले कारखानों के नाम और पते क्या हैं और सहयोगकर्ताओं के नाम क्या है ;

(ख) देश की सब प्रकार के कांच की वार्षिक आवश्यकता कितनी है और उक्त कारखानों द्वारा प्रत्येक वर्ष कितनी कीमत के कांच का निर्माण किया जाता है ;

(ग) क्या यह सच है कि वर्तमान कारखानों ने 1969 में उत्पादन कम कर दिया था और बम्बई के मेसर्स नवीन ग्लास वर्क्स ने पूरी तौर से उत्पादन बन्द कर दिया है ;

(घ) यदि हां, तो इसके कारण हैं ;

(ङ) क्या यह सच है कि आयातित पुर्जों को प्राप्त करने में होने वाली विभिन्न कठिनाइयों के कारण ये कारखाने निर्धारित उत्पादन नहीं कर पाते ; और

(च) यदि हां, तो उक्त उद्योग को सहायता देने के लिये क्या व्यावहारिक कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य-मंत्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) 'फ्लैट कांच' एक सोरस तथा पालिश किया हुआ फ्लेट कांच होता है, देश में इसकी क्षमता स्थापित नहीं की गई है। हां, तकनीकी विकास के महानिदेशालय की पुस्तिका में दर्ज वायर्ड तथा चित्रित कांच बनाने वाले एकक तथा उनके सहयोगकर्ता ये हैं :

एकक का नाम	सहयोगकर्ता का नाम
1. हिन्दुस्तान पिल्किंगटन ग्लासवर्क लि० आसनसोल	पिल्किंगटन ब्र० से० हेलेंस, यू० के०
2. विन्डो ग्लास लि०, कलकत्ता	सकेप सेन्ट्रलहेंधु जगराई जारगो, डब्लू० वर्सेविया, वरासजवाज, पौलेण्ड
3. श्री वल्लभ ग्लास वर्क्स, आनन्द	कोई सहयोग नहीं ।
4. नवीन ग्लास वर्क्स, बड़ौदा	मिसिसिपी ग्लास कं० एसके विलेवी, मिसौरी, यू० एस० ए० ।

सभी प्रकार के कांच तथा ग्लासवेयर की कुल वार्षिक मांग का अनुमानित मूल्य 2000 लाख रू० है तथा उपर्युक्त एककों में निर्मित (वायर्ड तथा मिश्रित कांच) कांच का मूल्य 120 लाख रू० अनुमानित है ।

(ग) और (घ) : 1968 की अपेक्षा 1969 में उत्पादन कम हुआ । मे० नवीन ग्लास वर्क्स, बम्बई मार्च, 1968 से उत्पादन नहीं कर रहे हैं । इसका कारण अपर्याप्त देशी मांग तथा स्टाक का संचय है ।

(ङ) नहीं ।

(च) जहां तक आयातित पुर्जों का संबन्ध है, प्रश्न ही नहीं उठता । एकक अपने उत्पादन में विविधता लाकर के कैथेड्राल ग्लास तथा ऊष्म सह कांच आदि जैसी अन्य वस्तुएं बना कर अपनी अधिष्ठापित क्षमता का उपयोग कर रहे हैं ।

कैंप लैम्पों का निर्माण

7724. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला तथा अन्य खानों को प्रति वर्ष कितने और कितनी कीमत के कैंप लैम्पों की आवश्यकता होती है ;

(ख) क्या यह सच है कि केवल मेसर्स ओल्डहम एण्ड सन्स (इन्डिया) लिमिटेड उक्त लैम्पों का बड़े पैमाने पर निर्माण करती है और इसके निर्माण के बारे में उसे एकाधिकार प्राप्त है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उक्त एकाधिकार के कारण वे लैम्पों की बिक्री से अनुचित और बहुत अधिक लाभ प्राप्त करते हैं ; और

(घ) मूल्यों को नियन्त्रित न करने और प्रतियोगी निर्माण कर्ताओं को प्रोत्साहन न देने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

रेलवे से असम्बद्ध व्यक्तियों को रेलवे सम्मानार्थ पास देना

7725. **श्री न० कु० सांघी** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969-70 में रेलवे मन्त्री के विवेकाधिकार के अन्तर्गत रेलवे से असम्बद्ध व्यक्तियों को कितने सम्मानार्थ रेलवे पास दिये गये और 31 मार्च, 1970 को कितने पास वैध थे ;

(ख) वे पास कहां-कहां (अर्थात् सभी रेलों के लिये अथवा विभिन्न रेलवे जोनों के लिए) और कितनी कितनी अवधि के लिये वैध हैं ; और

(ग) उक्त पासों के देने के लिये क्या कसौटी निर्धारित हैं ?

रेलवें मंत्री (श्री नन्दा) : (क) 54, जिनमें से 47 पास 31-3-70 को वैध थे।

(ख) सभी रेलों पर उपलब्ध 49 पास-44 पास 12 महीने के लिए और 5 पास 6 महीने के लिए। क्षेत्रीय रेलवे पर उपलब्ध 3 पास 12 महीने के लिए।

2 चैक पास-12 महीने के लिए वैध।

(ग) अखिल भारतीय संगठनों या सुविख्यात व्यक्तियों को, राष्ट्रीय महत्व के समझे गये कार्यों को करने में सुविधा देने के उद्देश्य से मानार्थ पास बहुत ही सीमित संख्या में तब जारी किये जाते हैं जब सरकार यह समझती है कि ऐसे कार्य मानवता वादी प्रकृति के हैं अथवा सामाजिक या सांस्कृतिक महत्व के हैं जिनके लिए सहायता देना जरूरी है और जबकि इस प्रकार के स्वयंसेवी संगठनों/व्यक्तियों के कार्य-क्षेत्र सरकारी कार्य-क्षेत्र की अपेक्षा अधिक व्यापक होते हैं।

रेलवे बोर्ड में राजपत्रित और वरिष्ठ पद

7726. **श्री न० कु० सांघी** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे बोर्ड में 31 मार्च, 1970 तक एक महीने, तीन महीने और छ महीने और इससे अधिक अवधि से कितने राजपत्रित और वरिष्ठ पदों को भरा नहीं गया है ;

(ख) उन पदों की संख्या कितनी है जिन्हें अस्थायी स्थानापन्न व्यवस्था द्वारा भरा गया है ; और

(ग) उक्त पदों को भरने में विलम्ब करने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नदा) :

(क) (i) एक महीने से तीन महीने तक---तीन

(ii) तीन महीने से ऊपर लेकिन छ महीने से अधिक नहीं-कोई नहीं।

(iii) छः महीने से ऊपर---एक

(ख) उपयुक्त मद (i) में से, दो।

(ग) उपयुक्त (क) (i) में उल्लिखित तीन पदों में से एक को नियमित आधार पर 9 अप्रैल, 1970 से भर दिया गया है। दो अन्य मदों के लिए रेलों से उपयुक्त अधिकारियों का चयन करने के लिये कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। जब कि इस सम्बन्ध में कार्रवाई हो रही है, इन पदों को कार्य के हित में स्थानापन्न आधार पर भर दिया गया है।

मद (क) (iii) में दिये पद के सम्बन्ध में एक उपयुक्त अधिकारी की नियुक्ति करने के लिए आदेश जारी कर दिये गये हैं। यह निःसंवर्ग पद है और इसके उपयुक्त व्यक्ति का चयन करने के लिए अर्हता, उम्मीदवारी- क्षेत्र आदि निर्धारित करना जरूरी था जिसमें कुछ समय लगा।

स्कूटरों के आवंटन के लिये सरकारी कर्मचारियों के आवेदन-पत्रों की रजिस्टरी

7727. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा :** क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1970 तक मन्त्रालय ने स्कूटरों के आवंटन के लिये सरकारी कर्मचारियों के श्रेणीवार कितने आवेदन-पत्र रजिस्टर किये ; और

(ख) उन्हें स्कूटर कब तक मिलने की सम्भावना है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) **और (ख) :** 31 मार्च, 1970 तक के कुल निलम्बित आवेदन पत्रों की संख्या लगभग 60,000 हैं। 1970 में प्राप्त आवेदनों को अभी श्रेणीवार विभक्त नहीं किया गया है। फिर भी, 31 अप्रैल, 1969 तक स्कूटर आवंटन के लिए अनिर्णीत आवेदन पत्रों की संख्या और इन्हें स्कूटर प्राप्त होने की अनुमानित अवधि नीचे दी जा रही है :

सूची नं०	श्रेणी	30-4-69 तक प्राप्त आवेदनों की संख्या		अनुमानित प्रतीक्षा अवधि	
		वेस्पा वेस्पा	लेम्ब्रेटा	वेस्पा	लेम्ब्रेटा
1	2	3	4	5	6
1.	अधिकारी जो 900 रु० प्रति मास तथा उससे अधिक वेतन ले रहे हैं।	699	कुछ नहीं	1 वर्ष 6 माह	1969 तक जितने आवेदन पत्र आये सबको दे दिया गया।
2.	प्रशासक अधिकारी (इक्जीक्यूटिव आफीसर्स) जो 500 रु० और 899 रु० के बीच वेतन ले रहे हैं।	1184	179	2 वर्ष 3 माह	6 माह
3.	गैर एक्जीक्यूटिव जो 500 रु० तथा 899 रु० के बीच वेतन ले रहे हैं।	4792	1528	3 वर्ष 6 माह	1 वर्ष
4.	एक्जीक्यूटिव आफीसर्स जो 300 रु० और 499 रु० के बीच वेतन ले रहे हैं।	4391	821	5 वर्ष	1 वर्ष
5.	संयुक्त सचिव तथा उससे ऊपर के पद के अधिकारियों के साथ सम्बद्ध निजी सहायक	240	17	1 वर्ष 3 माह	6 माह

1	2	3	4	5	6
6.	चिकित्सक	142	35	9 माह	9 माह
7.	गैर-इक्जीक्यूटिव आफीसर्स जो 350 रु० और 499 रु० के बीच वेतन ले रहे हैं।	17596	4516	6 वर्ष से ऊपर	2 वर्ष 3 माह

गांधरा स्टेशन (उत्तर रेलवे) के नाम में परिवर्तन

7728. **श्री अब्दुल गनी डार** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गांधरा स्टेशन का नाम "इस्माइला हरयाना" रखने के बारे में उत्तर रेलवे को कोई सुझाव प्राप्त हुआ है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि स्थानीय प्राधिकारियों ने उक्त सुझाव की पहले ही सिफारिश की है ;

(ग) यदि हां, तो इसको क्रियान्वित करने में कितना समय लगेगा ; और

(घ) इस बारे में नवीनतम स्थिति क्या है और इस सम्बन्ध में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां। प्रस्तावित नाम इस्माइला हरयाना है।

(ख) जी हां।

(ग) और (ग) गृह मन्त्रालय ने यह विनिश्चय किया है कि ऐसे प्रस्तावों को 30 जून, 1971 तक अनिर्णीत रखा जाये ताकि 1971 में शुरू होने वाली जनगणना का कार्य पूरा हो जाये।

अस्थल बोहर स्टेशन (उत्तर रेलवे) में बिजली की व्यवस्था न होना

7729. **श्री अब्दुल गनीडार** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अस्थल बोहर स्टेशन पर अभी तक बिजली की व्यवस्था नहीं है ;

(ख) क्या उक्त स्टेशन के निकट ही बिजली की सप्लाई लाइन है ;

(ग) यदि हां, तो वहां पर बिजली की व्यवस्था न करने के क्या कारण हैं ; और

(घ) वहां पर बिजली उपलब्ध करने में कितना समय लगेगा ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) अस्थल बोहर स्टेशन पर बिजली लगाने का काम हो रहा है और 90 प्रतिशत संस्थापन-कार्य पूरा किया जा चुका है। हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड से बिजली लेने के सम्बन्ध में लिखा पढ़ी की जा रही है और शीघ्र ही तय हो जाने की आशा है।

(घ) लगभग अगले तीन महीनों में स्टेशन पर बिजली लग जाने की आशा है।

बहादुरगढ़ रेलवे स्टेशन (उत्तर रेलवे) पर सार्वजनिक सुविधाओं की कमी

7730. **श्री अब्दुल गनी डार** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहादुरगढ़ रेलवे स्टेशन पर पेशाबघर तथा शौचालय नहीं हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इंजीनियरिंग कार्यालय, जींद, ने कुछ वर्ष पूर्व इनके निर्माण की मंजूरी दे दी थी ;

(ग) यदि हां, तो उनका निर्माण न करने के क्या कारण हैं और विलम्ब के लिये जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाही की गई है :

(घ) इस बारे में गत एक वर्ष में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ङ) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो उसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी नहीं, यात्रियों की सुविधा के लिए इस स्टेशन पर आठ शौचालय पहले से मौजूद हैं ।

(ख) और (ग) : सवाल नहीं उठता ।

(घ) कोई शिकायत नहीं मिली हैं ।

(ङ) सवाल नहीं उठता ।

जनरल ड्यूटी मैडिकल आफिसर की प्रोन्नति के बारे में विधि मंत्रालय की राय

7731. **श्री कृ० मा० कौशिक** : क्या विधि तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अधीन जनरल ड्यूटी मैडिकल आफिसर श्रेणी 2 को जनरल ड्यूटी मैडिकल आफिसर श्रेणी 1 के पद पर प्रोन्नत करने के सम्बन्ध में स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय द्वारा कुछ निर्देश भेजे गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो निर्देशों के ब्यौरे क्या हैं ; और

(ग) इन निर्देशों का उत्तर देने में उनके मंत्रालय को कितना समय लगेगा ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में उपमन्त्री (श्री मु० यूनुस सलीम) : (क) 24 जुलाई, 1969, 28 अगस्त, 1969, 18 नवम्बर, 1969 और 16 जनवरी, 1970 को इस विषय पर चार निर्देश स्वास्थ्य विभाग से सलाह के लिए प्राप्त हुए थे ।

(ख) भारत सरकार के विभागों द्वारा उठाए गए विभिन्न प्रश्नों पर इस मंत्रालय द्वारा दी गई विधिक सलाह अन्तर्विभागीय टिप्पणों का भाग है और यह लोक हित में नहीं है कि उसे प्रकट किया जाए ।

(ग) पूर्ववर्णित चार निर्देश क्रमशः 26 जुलाई, 1969, 30 अगस्त, 1969, 19 नवम्बर, 1969 और 4 फरवरी, 1970 को स्वास्थ्य विभाग को लौटा दिए गए थे ।

Complaint about Practice of Untouchability by Director of Dr. Bhagwan Das Memorial Trust, Lajpat Nagar New Delhi

7732. **Shri Molahu Prashad** : Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state:

(a) whether the Delhi police has recorded any complaint of the practice of untouchability against Shri Kumar Pal, Director of Dr. Bhagwan Das Memorial Trust, 2F-Lajpat Nagar, New Delhi-24;

(b) whether the Lok Kalyan Sabha, 145-B, Amar Colony, Delhi has issued any Wall Poster in the form of an open letter on the subject; and

(c) if so, what action has been taken in this regard ?

The Minister of State in The Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Dr.) (Smt.) Phulrenu Guha) : (a) No.

(b) Not to the knowledge of the Delhi Police.

(c) Does not arise.

निर्यात करने वाली पुनर्वेलन मिलों के लिये बिलेटों की आवश्यकता

7733. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री निर्यात करने वाली पुनर्वेलन मिलों के लिये बिलेटों की आवश्यकता के बारे में 2 दिसम्बर, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2366 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपर्युक्त प्रश्न के भाग (ख) में पूछी गई अपेक्षित जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : **(क) और (ख)** : आश्वासन 2-4-70 को पूरा कर दिया गया था। फिर भी, एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है जिसमें जानकारी दी गई है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3334/70]

गोवर्द्धन दास सोनी बनाम नाथूराम मिरधा का मामला

7734. **श्री रा० की अमीन** : **श्री एन० शिवप्पा** :
श्री वि० नरसिम्हा राव : **श्री प्र० के० देव** :
श्री अकमल खां : **श्री गाडिलिंगन गौड** :

क्या विधि तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक संसद् सदस्यों ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा गृह मंत्री को पत्र लिखे हैं जिनमें गोवर्धनदास सोनी बनाम नाथूराम मिरधा के मामले में उच्चतम न्यायालय के हाल के निर्णय से उत्पन्न मामले को केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपने का अनुरोध किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी, हां ।

(ख) निर्वाचन आयोग ने इस मामले में पूरी जांच कराने के लिए कार्रवाई की है ताकि ऐसे भ्रष्ट आचरणों को भविष्य में न होने देने के लिए समुचित और प्रभावपूर्ण कार्रवाई आरंभ की जा सके ।

कलकत्ता बिजली सप्लाई निगम का प्रबन्ध और नियन्त्रण

7735. **श्रीमती शारदा मुकर्जी** : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता बिजली सप्लाई निगम का प्रबन्ध तथा नियंत्रण भारत को हस्तांतरित किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इस हस्तान्तरण के लिये यदि कोई मुआवजा दिया गया था तो कितना ; और

(ग) क्या अब समस्त प्रबन्ध भारतीयों के ही हाथों में है, यदि हां, तो इसके निदेशक कौन है तथा वे किनके द्वारा नियुक्त किये गये है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) : मै० कलकत्ता इलैक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन अभी तक भारत में एक विदेशी कम्पनी, जैसा कि कम्पनी अधिनियम की धारा 591 में परिभाषित है, के रूप में कार्य कर रही है । इसने यह बताते हुये एक साधारण संकल्प पारित कर दिया है कि कम्पनी का व्यापार 5-1-70 से, भारत गण राज्य में अथवा ब्रिटेन से बाहर को भी नियंत्रित व प्रबंधित होगा । इस कम्पनी के एक स्वदेशी कम्पनी की मान्यता का प्रश्न, जो कम्पनी द्वारा भारत सरकार को सौंपा गया है, वित्त मंत्रालय में विचाराधीन है ।

(ग) उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार कम्पनी का प्रबन्ध वर्तमान में पूर्ण रूप से भारतीय नहीं है ।

कम्पनी के वर्तमान निदेशकों तथा इसके सचिव के ब्यौरे निम्न प्रकार है :—

	निदेशक का नाम	राष्ट्रीयता
1—	श्री इवान अलास्टेयर मैकपार्सान	ब्रिटिश
2—	श्री जान विल्सन माउन्टलेट	ब्रिटिश
3—	सर ओवियन ट्रोवर जैकिन्स	ब्रिटिश
4—	श्री सचीन्द्र चौधरी	भारतीय
5—	श्री विनय भूषण घोष	भारतीय
6—	श्री दोराब विस्टन जी मानिकजी कान्गा (प्र० निदेशक)	भारतीय
7—	श्री क्रिल आगस्ट गुन्थर	ब्रिटिश
8—	श्री सलिल कुमार मित्रा (सचिव)	भारतीय

एकीकृत पोषाहार कार्यक्रम

7736. श्री शिव चन्द्र झा : श्री दे० अमात :

श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या विधि तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने पोषाहार कार्यक्रम की कोई समेकित योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) हां।

(ख) भारत सरकार ने 0-3 वर्ष की आयु वर्ग के 10 लाख बच्चों के लिए, 5 लाख बच्चे आदिवासी क्षेत्रों के तथा 5 लाख नगरों के गंदे क्षेत्रों के, 1970-71 में एक पोषाहार योजना शुरू करने का निश्चय किया है। 0-1 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को लगभग 200 केलोरी और 8-10 ग्राम अच्छे प्रकार का प्रोटीन दिया जाएगा। जिसका कुछ भाग दूध से प्राप्त होगा। 1-3 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को लगभग 300 केलोरी तथा 12 ग्राम अच्छे प्रकार का प्रोटीन मिलेगा। इस योजना को राज्य सरकारों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा और एक वर्ष में 250 दिनों तक चलाया जाएगा। चालु वर्ष में इस योजना के लिए 4 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है।

क्रश कार्यक्रम के अतिरिक्त बालवाड़ियों के माध्यम से स्कूल-पूर्व बच्चों के लिए पोषाहार सेवाओं के कार्यक्रम को आयोजना-योजना के रूप में चलाया जा रहा है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम के लिए 6 करोड़ रुपये की व्यवस्था का प्रस्ताव किया गया है, जिसमें से 1970-71 में इस कार्यक्रम को शुरू करने के लिए बजट में 20 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। पूरक खुराक देने के कार्यक्रम को, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक बच्चे के लिए एक वर्ष में 250 दिनों के लिए प्रति दिन 300 केलोरी खुराक तथा 15 ग्राम प्रोटीन आती है, समाज कल्याण संगठनों द्वारा बालवाड़ियों के माध्यम से चलाया जाएगा। लगभग 200 बालवाड़ियों के माध्यम से इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 60,000 बच्चों को लाने का प्रस्ताव है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

स्लैग (कचरा) जमा होना

7737. श्री स० कुन्दू : क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के तीन संयंत्रों में कुल कितना कचरा जमा हुआ था और आगामी तीन वर्षों में कितना कचरा जमा होने की संभावना है ;

(ख) कितना कचरा बेच दिया गया था और कचरे का निपटान सुनिश्चित करने के लिये क्या नीति अपनाई जाती है ;

(ग) क्या किसी व्यक्ति अथवा उद्योग को स्लैग सीमेंट और ग्रेनुलेटिड स्लैग बनाने के लिये कोई लाइसेंस जारी किये गये हैं और यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ;

(घ) ए० सी० सी० मेसर्स दिग्विजय सीमेंट कम्पनी और मेसर्स जयपुर उद्योग कम्पनी से क्रमशः उनके जामुल भिलाई गुजरात तथा राजस्थान स्थित कारखानों के लिये स्लैग का प्रति टन मूल्य कितना लिया जाता है और कारखाने के संबंधित स्थानों पर स्लैग ले जाने के लिये प्रति टन कितनी लागत आती है ;

(ङ) क्या स्लैग के निपटान पर रोक लगाने और बेरोजगार तकनीशनों तथा लघु उद्योग द्वारा स्लैग सीमेंट तथा ग्रेनुलेटिड स्लैग बनाये जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) क्या सरकारी क्षेत्र में स्लैग सीमेंट बनाने का कारखाना लगाने के लिये कोई कार्यवाही की गई है और क्या इस संबंध में भारतीय सीमेंट निगम को लिखा गया है और यदि हां, तो कब तक ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) और (ख): कारखाना-वार स्थिति इस प्रकार है:-

कारखाना	स्लैग उत्पादन (दस लाख टन) 1969-70 में 1970-71 से 1972-73 तक		स्लैग का निपटान
भिलाई इस्पात कारखाना	1.77	5.8	घमन मट्टी स्लैग को ग्रेनुलेशन प्लांट में दानेदार स्लैग बना कर कई प्राईवेट पार्टियों को बेचा जाता है। खुली मट्टी से प्राप्त होने वाला सारा स्लैग अभी इकट्ठा किया जा रहा है किन्तु इसके पुनः उपयोग का प्रश्न विचाराधीन है।
दुर्गा पुर इस्पात कारखाना	6.0	2.5/से 3.0 तक	अब तक लगभग 100,000 टन घमन मट्टी स्लैग का निपटान किया गया है। द्रवित स्लैग की सप्लाई के लिए मेसर्स बिड़ला जूट मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी के साथ एक दीर्घ कालीन करार किया गया है।
	* 1969-70 के अन्त तक कुल एकत्रित मात्रा		
राउरकेला इस्पात कारखाना	1.13	4.25	द्रवित घमन मट्टी-स्लैग की बिक्री के लिए एक पार्टी को आशय पत्र

जारी किया गया है जो इससे दानेदार स्लैग बनाएगी।

एक और पार्टी को स्टील मैल्टिंग शाप से प्राप्त स्लैग की कुछ मात्रा स्वीकार करने के लिए आशय पत्र जारी किया गया है जो इससे खाद बनाएगी।

(ग) : इस समय निम्नलिखित कारखानों द्वारा स्लैग सीमेंट का उत्पादन किया जाता है :—

(1) चैबासा सीमेंन्ट्स।

(2) जामुल सीमेंट वर्क्स।

(3) मैसूर आइरन एन्ड स्टील लिमिटेड।

(4) दिग्विजय सीमेंट कम्पनी।

(5) जयपुर उद्योग लिमिटेड।

(6) काईमोर सीमेंट वर्क्स।

(7) बागलकोट सीमेंट कम्पनी।

स्लैग सीमेंट के उत्पादन के लिये पाँच अन्य लोगों को औद्योगिक लाइसेन्स दिये गये थे; परन्तु कार्यकारी कदम न उठाने के कारण उन्हें रद कर दिया गया—

(घ) विक्रय मूल्य न बताना एक व्यापारिक प्रक्रिया है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) भारतीय सीमेन्ट निगम को अभी तक स्वैण सीमेंट का उत्पादन करने के लिये नहीं कहा गया है। वैसे निगम ने हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को अपनी 1971 के मध्य से भिलाई से ग्रेनुलेटेड स्लैग की 180,000 टन से 2,00,000 टन तक की अपनी अनुमानित आवश्यकता को बता दिया है। एक बार हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने स्लैग सीमेंट संयन्त्र लगाने की योजना बनाई थी परन्तु वह बाद में क्रियान्वित नहीं की गई।

छोटे पैमाने के उद्योगों को विकसित करने के लिये ब्रिटेन द्वारा किये गये उपायों का अध्ययन करने के लिए भारतीय प्रतिनिधि मन्डल की ब्रिटेन यात्रा

7738. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **औद्योगिक विकास, आंन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने, ब्रिटिश सरकार द्वारा लघु उद्योगों, विशेष कर देश में पिछड़े क्षेत्रों के उद्योगों के विस्तार को प्रोत्साहन देने के बारे में की गई कार्यवाही का अध्ययन करने के लिये फरवरी, 1970 में ब्रिटेन का दौरा किया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां। शिष्ट मन्डल के विचारार्थ विषयों में पिछड़े हुए क्षेत्रों में उद्योगों का बिखराव तथा उप संविदा के आधार पर लघु उद्योग के विकास का भी अध्ययन करना था।

(ख) शिष्ट मंडल अप्रैल के प्रथम सप्ताह में ही यात्रा से वापस आ गया और अभी तक उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

एक पश्चिम एशियाई देश में राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम की सहायता से बहुप्रयोजनीय प्रादेशिक विकास

7739. **श्री दे० अमात** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम एशिया के किसी देश ने 8 बिलियन डालर के बहुप्रयोजनीय प्रादेशिक विकास कार्यक्रम के लिये भारत के राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम की सेवायें प्राप्त की हैं;

(ख) यदि हां, तो किन शर्तों पर और कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त देश का नाम क्या है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

अनुसूचित जातियों को मकान बनाने के लिये वित्तीय सहायता

7740. **श्री राम चरण** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों के लोगों को दिल्ली में मकान बनाने हेतु वित्तीय सहायता देने के लिये कोई व्यवस्था की गई थी;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली प्रशासन ने वित्तीय वर्ष 1969-70 में इस प्रयोजन के लिए कितनी राशि मंजूर की थी;

(ग) अनुसूचित जातियों के कितने व्यक्तियों को मकान बनाने के लिये राज-सहायता के रूप में राशि दी गई थी और कितनी; और

(घ) दिल्ली प्रशासन के हरिजन कल्याण विभाग के पास सहायता के लिये कितने आवेदन पत्र अब भी विचाराधीन हैं ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) हां, श्रीमान।

(ख) 12·00 लाख रुपये।

(ग) अनुसूचित जातियों के 3,344 व्यक्तियों को मकानों के निर्माण के लिये 11 99,973 रुपये का उपदान दिया गया था ।

(घ) 1443.

देश में आदिवासी बच्चों के लिये आश्रम प्रणाली की शिक्षा

7741. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आयुक्त ने देश में आदिवासी बच्चों के लिये आश्रम प्रणाली की शिक्षा की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) हां, श्रीमान ।

(ख) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त की 1968-69 की रिपोर्ट के, जिसे सभा पटल पर रख दिया गया है, 2.20 से 2.24 पैरे इस सम्बन्ध में संगत हैं ; "आश्रम प्रकार के स्कूल" की योजना अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण से सम्बद्ध अनुमोदित योजनाओं में से एक है। राज्य सरकारें धन उपलब्ध होने पर इस योजना की कार्यान्विति से सम्बन्धित हैं । रिपोर्ट की प्रतियां सभी राज्य सरकारों को भेज दी गई हैं ।

उपयोग न किये गये संसाधनों का औद्योगिक सर्वेक्षण

7742. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों के परामर्श से चौथी योजना में एक नई नीति अपनाने के बारे में विचार कर रही है जिसमें औद्योगिक विकास के लिये ऐसे क्षेत्रों का उपयोग करने की व्यवस्था है जिनका अब तक उपयोग नहीं किया गया है परन्तु जहां पर संसाधनों का बाहुल्य है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या प्रत्येक राज्य में ऐसे क्षेत्रों का औद्योगिक सर्वेक्षण करने का विचार है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रत्येक राज्य में ऐसे क्षेत्रों के औद्योगिक विकास के लिये चौथी योजना में कितनी राशि नियत की गई है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) नहीं श्रीमान ।

(ख) राज्य अथवा उसके क्षेत्रों की औद्योगिक विकास क्षमता का मूल्यांकन राज्य सरकारों से उन उचित आयकरणों द्वारा कराया गया है जिन्हें इस उद्देश्य में सक्षम समझा गया है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Production of Steel Plates and Steel Sheets

7743. 3**Shri Maharaj Singh Bharti** : Will the Minister of **steel and Heavy Engineering** be pleased to state :

(a) the extent of demand and production of steel plates and steel sheets during the last three years and the position in this regard by the end of the Fourth Plan; and

(b) the extent to which the target of production of plates and sheets would be increased keeping in view the industrial development and heavy export of wagons and pipes ?

The Deputy Minister in the Ministry of steel and heavy Engineering (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) Precise data on demand for plates and sheets for the last three years are not available. However, consumption of plates and sheets arrived at by adding actual indigenous production and imperts is as below :

('000 tonnes)

Items	1967-68		1968-69		1969-70 (April 69-Feb 70)	
	Consumption	Production	Consump-tion	Production	Consump-tion	Production
Plates	374.6	335.1	404.9	364.5	285.7	260.0
Sheets	554.7	520.6	698.5	601.1	579.2	523.5

There has been some unsatisfied demand for all the flat products in the past but it is difficult to quantify this unsatisfied demand.

The expectedsdemand and availability of plates and sheets at the end of the Fourth plan is as follows :

('000 tonnes)

Item	1973-74	
	Demand	Availability
Plates	833	342
Sheets	1,837	1,674

(b) The Fourth Plan tragets have been fixed to the limits of practicability and vailability of resources, taking into account both the domestic and export demands. There is no possibility of further increase during the Fourth Plan.

गुड़गांव की मुस्लिम महिलाओं की मांगे

7744. **श्री जय सिंह :** **श्री यज्ञदत्त शर्मा :**

श्री हरदयाल देवगुण :

क्या विधि तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हरियाणा के गुड़गांव स्थान पर मुस्लिम महिलाओं ने सरकार पर इस बात के लिए जोर देने हेतु हाल में एक विशाल प्रदर्शन किया था कि उनको सामाजिक बन्धनों से मुक्ति दिलाने की दृष्टि से मुस्लिम विधि में, जो कि पुरानी हो चुकी है, सुधार किया जाए ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्री मु० यूनुस सलीम) : (क) कुछ समाचार पत्रों में यह संवाद छपा था कि गुड़गांव में मुसलमान महिलाओं के एक दल ने बहुपत्नीत्व के विरुद्ध प्रतिवाद करने के लिए एक जलूस निकाला था।

(ख) सरकार का विचार अभी कोई कार्रवाई करने की नहीं है, क्योंकि इस समुदाय के विभिन्न वर्गों में इस विषय में अभी कोई मतसाम नहीं है।

रुपसा स्थित रेलवे फाटक पर माल गाड़ी की दुर्घटना

7745. **श्री वि० नरसिम्हा राव** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कटक से लगभग 200 किलोमीटर दूर रुपसा स्थित रेलवे फाटक पर एक मालगाड़ी और स्टेशन वैगन के बीच टक्कर हो गई थी ;

(ख) इस दुर्घटना में कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई ;

(ग) इस फाटक पर कोई चौकीदार न रखने के क्या कारण हैं ; और

(घ) मृत व्यक्तियों के परिवारों को कितना मुआवजा दिया गया है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) 3-3-1970 को रुपसा स्टेशन के अप स्टार्टर और एडवांस्ड स्टार्टर सिगनलों के बीच बिना चौकीदार वाले एक समपार पर 525 अप माल गाड़ी एक स्टेशन वैगन से टकरा गयी।

(ख) तीन।

(ग) 1963 से 1968 तक की अवधि में इस समपार के सड़क यातायात की जो पंच-वर्षीय गणना की गयी उससे इस समपार पर चौकीदार रखने का औचित्य नहीं बनता।

(घ) मुआवजे के लिए अब तक कोई दावा नहीं मिला हुआ है।

गोला गोकर्ण नाथ रेलवे स्टेशन से बुक की गई भारतीय औषधियां

7746. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे के गोला गोकर्ण नाथ रेलवे स्टेशन से 1 अगस्त, 1967 को पी० डब्लू० बी० संख्या 9493 के अन्तर्गत बुक की गई भारतीय औषधियों की पेटी मेरठ सिटी स्टेशन में 3 अगस्त, 1967 को प्राप्त हुई थी और उसके प्राप्तकर्ता को पेटी खोलकर सौंपी गई थी।

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में मेरठ सिटी स्टेशन के पार्सल कर्मचारियों द्वारा जारी किया गया 'डेमेजज एन्ड डैफीशिएन्सी एडवाइस' नकली है;

(ग) यदि हां, तो रेलवे प्रशासन ने दावे की कितनी राशि दी ; और

(घ) दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां।

(ख) इस सम्बन्ध में जारी किये गये 'क्षति एवं कमी प्रमाण-पत्र' के नकली होने का संदेह है।

(ग) इस मामले में दावे के कारण 1,097.48 रुपये का भुगतान किया गया।

(घ) उत्तरदायी ठहराये गये व्यक्ति के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई शुरू कर दी गयी है।

त्रिवेंद्रम-एरणाकुलम सेक्शन पर डीजल इंजन लागू करना

7747. **श्री मगलाथुमाडम** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिवेंद्रम-एरणाकुलम सेक्शन पर डीजल इंजन चलाने का कोई प्रस्ताव या सुझाव रेलवे बोर्ड के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख) जी हां। दूसरे खण्डों के साथ-साथ त्रिवेंद्रम एरणाकुलम खण्ड के डीजलीकरण और उपलब्ध साधनों के अन्तर्गत उनकी परस्पर प्राथमिकता के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

डीजलीकरण योजना को अन्तिम रूप देते समय इस खण्ड की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जायेगा।

मेसर्स फिलिप्स कम्पनी का विस्तार

7748. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेसर्स फिलिप्स कम्पनी को देश में लैम्प उद्योग में एकाधिकार प्राप्त है ;

(ख) यदि हां, तो उसे और आगे विस्तार करने की अनुमति देने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या उनके मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के साथ निकट सम्बन्ध होने के कारण उसे अनुचित रूप से लाभ पहुंचाया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या इस मामले में जांच पड़ताल की गई है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): **(क) और (ख)** : वैद्युत लैम्प उद्योग में जी० एल० एस० लैम्प तथा फ्लोरोसेंट ट्यूबें दो मुख्य चीजें हैं। जहां तक इनका सम्बन्ध है, 10 एककों से अधिक इनके उत्पादन में लगे हुए हैं जिनमें फिलिप्स (इंडिया) लिमिटेड भी सम्मिलित है 1969 के 888.8 लाख जी० एल० एस० लैम्पों तथा 103 लाख फ्लोरोसेंट ट्यूबों के कुल उत्पादन में से फिलिप्स इंडिया ने 185 लाख (19 प्रतिशत) जी० एल० एस० तथा 37 लाख फ्लोरोसेंट ट्यूबें (36 प्रतिशत) का उत्पादन किया। अतः उद्योग में मेसर्स फिलिप्स का एकाधिकार नहीं है परन्तु फ्लोरोसेन्ट ट्यूबों के मामले में उनकी प्रमुख स्थिति है।

(ग) जो, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

टैनरी एण्ड फूटवियर कारपोरेशन आफ इंडिया में उत्पादन

7749. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेसर्स कूपर एलेन, कानपुर जिसे अब भारतीय टैनरी एण्ड फूटवियर निगम लिमिटेड कहा जाता है, में पूरा उत्पादन होने लगा है ;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) पूरा उत्पादन कब तक आरम्भ होने की संभावना है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) : टैनरी तथा फुटवीयर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड क्रयादेशों की कमी, पुरानी तथा घिसी मशीनों के कारण अभी अपनी पूर्ण क्षमता से उत्पादन नहीं कर पा रहा है। इसके अतिरिक्त प्रभार ग्रहण करने के पश्चात् 18 मास के लगभग कूपर एलेन तथा नार्थ वेस्ट टैनरी यूनिटें भी उत्पादन नहीं कर सकी क्योंकि उत्पादन की गति बनाने में कुछ समय लगा। पूर्ण उत्पादन लगभग 18 मास में होने लगेगा।

चितरंजन इंजन बनाने के कारखाने में उत्पादन में वृद्धि

7750. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्कस में उत्पादन में वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि, हां, तो क्या उत्पादन लागत में भी कमी हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो टैलको की तुलना में यह कम है या अधिक है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा): (क) बिजली रेल इंजनों तथा डीजल शंटिंग रेल इंजनों का उत्पादन बढ़ गया है जबकि नीति के अनुसार भाप रेल इंजनों का उत्पादन कम कर दिया गया है। पिछले दो वर्षों में चितरंजन रेल इंजन कारखाने से भेजे गये रेल इंजनों की संख्या इस प्रकार है :—

	1968–69	1969–70
(i) भाप के रेल इंजन		
बड़ी लाइन	64	36
मीटर लाइन	—	13
(ii) बिजली रेल इंजन (ए०सी०)		
बड़ी लाइन	29	50
(iii) डीजल शंटर		
बड़ी लाइन	8	31

(ख) सभी चीजों की कीमत में वृद्धि हो जाने के कारण लागत में कमी करना सम्भव नहीं है।

(ग) चितरंजन में बनाये गये मीटर लाइन के वाई० जी० टाइप के रेल इंजनों की आजकल की लागत की तुलना टेल्को द्वारा बनाये गये रेल इंजनों की लागत के साथ करना सम्भव नहीं है क्योंकि इस फर्म ने 1966 के बाद इस टाइप के रेल इंजन नहीं बनाये।

भारी इंजीनियरी निगम रांची के विस्थापित आदिवासी व्यक्तियों को दुकानों का आवंटन

7751. **श्री कार्तिक उरांव** : क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारी इंजीनियरी निगम की प्रकाशित नीतियों के बावजूद इस

निगम से विस्थापित एक भी आदिवासी विस्थापित को शापिंग सेंटर में कोई दुकान आवंटित नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं, और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो तो कुल कितनी दुकाने आवंटित की गई है और भारी इंजीनियरी निगम लिमिटेड, रांची की स्थापना से विस्थापित आदिवासियों को कुल कितनी दुकानें आवंटित की गई हैं ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) से (ग) : जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

रूसी विशिष्ट विवरण के अनुसार भारतीय संविधियां

7752. **श्री कार्तिक उरांव** : **क्या औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय** कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूसी मानक, मानदंड तथा विशिष्ट विवरण, बायलर्स तथा प्रेसर वैसल्स, एलैक्ट्रिकल पावर्स और फैक्टरी कानूनों से सम्बन्धित भारतीय संविधियों में निहित भारतीय मानक, मानदंड तथा विशिष्ट विवरणों के अनुरूप हैं;

(ख) यदि हां, तो उन्हें कहां तक क्रियान्वित किया जाता है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या इन विनियमों की अवहेलना करके रूसियों को उपकरण तैयार करने, लगाने तथा चालू करने दिया जाता है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद): (क) से (ग) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

ईसाइयों तथा मुसलमानों को अनुसूचित आदिम जातियों की सूची से निकालने के बारे में अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आदेश (संशोधन) विधेयक, 1967 सम्बन्धी संयुक्त समिति की सिफारिशें

7753. **श्री कार्तिक उरांव** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मेघालय सरकार ने अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आदेश (संशोधन) विधेयक, 1967 सम्बन्धी संयुक्त समिति की सिफारिश का विशेषत: अनुसूचित आदिम जातियों की सूची से ईसाइयों तथा मुसलमानों को निकालने की सिफारिश का विरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो मेघालय सरकार ने क्या कारण बताये हैं; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि मन्त्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु

गुह) : (क) मेघालय सरकार से इस मामले में कोई संसूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते ।

पश्चिम बंगाल में बन्द करखानों की समस्याओं की जांच करने के लिये समिति स्थापित करना

7754. **श्री रवि राय** : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने बन्द कारखानों की समस्याओं पर विचार करने के लिये एक समिति नियुक्त की थी;

(ख) यदि हां, तो उसके निर्देशपद क्या क्या थे;

(ग) क्या इस समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद):(क) से (घ) सूचना इकठ्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

खादी ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष द्वारा प्राप्त भत्ते

7755. **श्री एन० शिवप्पा** : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खादी ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष ने नई दिल्ली तथा अन्य स्थानों में जाने के लिये विमान तथा रेल यात्रा के लिये यात्रा तथा अन्य व्यय और दैनिक भत्ते लिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो अक्तूबर 1968 तथा सितम्बर 1969 की अवधि में इस कारण कितनी राशि ली गई और वास्तविक यात्राओं का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) बम्बई में खादी ग्रामोद्योग मुख्यालय के खर्च के सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां ।

(ख) कृपया अनुबंध 'क' देखें ।

(ग) कृपया अनुबंध 'ख' देखें ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिये संख्या एल टी० 3335/70]

जीवन स्तर ऊँचा करने के लिए मध्य प्रदेश की अनुसूचित आदिम जातियों को सुविधायें

7756. **श्री गं० च० दीक्षित** : क्या विधि तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मध्य प्रदेश में अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों की गरीबी तथा पिछड़ेपन की जानकारी है ;

(ख) क्या उन लोगों की कठिनाइयों को हल करने की दृष्टि से सरकार का विचार उन क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों, लघु उद्योगों, हथकरघा तथा हस्तशिल्प उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए कुछ योजनाएं आरम्भ करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार मध्य प्रदेश सरकार को कुछ सहायता देने का है ताकि वह मध्य प्रदेश के उन क्षेत्रों के आदिवासी लोगों का जीवन स्तर ऊंचा कर सके ?

विधि तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेण गुह) : (क), (ख) तथा (ग)—अतारांकित प्रश्न संख्या 3396 के उत्तर की ओर, जो 9 दिसम्बर, 1969 को दिया गया था, ध्यान आकर्षित किया जाता है।

Grant of loans to Madhya Pradesh

7757. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the total amount of industrial loans granted to Madhya Pradesh during the years 1967, 1968 and 1969;

(b) whether all the industrial schemes for which loans had been granted have been implemented.

(c) if not, the number of schemes which have not been implemented; and

(d) the number of persons engaged on the schemes which have since been undertaken ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) to (d) : The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Issue of licences for setting up of industries in Madhya Pradesh

7758. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that last year some applications were submitted for obtaining licences to set up industries in Madhya Pradesh;

(b) if so, the details of the said applications;

(c) the types of industries for which licences have been issued;

(d) whether the industries for which licences have been granted have since started their production work; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) and (b) : During 1969, 23 applications were received for licences of all types for setting up of industries in Madhya Pradesh. Out of these, 16 were for new undertakings, 3 for substantial expansion of existing undertakings and 4 for manufacture of new articles.

(c) to (e) Only one "letter of intent" for the manufacture of Midget Electrodes has so far been issued in respect of the applications received in 1969. However, 3

licences and one "letter of intent" were issued last year in respect of applications received prior to 1969. These three licences have been issued for (i) Aluminium Pigs, Aluminium Alloy Pigs, Aluminium Billets and Ingots, (ii) Aluminium Rolled Semis, Extruded Semis, and (iii) Pig Iron, Granulated Slag, Crude Phenols etc. The "letter of intent" has been issued for the manufacture of Power Capacitors.

The licences are still at various stages of implementation. As the setting up of industries normally takes two to three years time it is too early to expect the industries to have started production.

Industries in Madhya Pradesh

7759. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the number of industries recommended to be set up during the later period of the Third Five Year Plan and the beginning of the Five Year Plan in Madhya Pradesh and the number of industries which have actualy been set up;

(b) the Number of industries set up in the Madhya Pradesh which earn foreign exchange through the export of silk, wood etc. and how it compare with those set up in other States which do not earn any foreign exchange at all; and

(c) the Steps taken by the Central Government and the Planning Commission to increase the proportion of number of industries in Madhya Pradesh ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) (a) and (c) : The projects in the Central Sector taken up in Madhya Pradesh during the later period of the Third Five Year Plan and the beginning of the Fourth Five Year Plan are :

i) Expansion of Bhilai Steel Plant, Bhilai

ii) Expansion of Heavy Electrical Plant, Bhopal

iii) Expansion of Nepa Paper Mills, Nepanagar and

iv) Korba Aluminium, Korba.

In the State Sector a few projects were completed during the later period of the Third Five Year Plan namely, the Cotton Solvent Extraction Plant, Ujjain, Cotton Spinning Mill, Sanwad and the Power Alcohol Plant, Ratlam. In addition, the Gwalior Engineering works and the Gwalior Leather Factory and Tannery were developed.

During 1966-69, the few projects initiated in addition to the expansion of the existing units were the Fatty Acid and Glycerine Plant, A Spinning of cotton waste plant and the Carbon-dioxide plant.

For the Fourth Plan the State Government have provision for the expansion of projects already set up in the State under the State Sector as well as new projects such as Copper Strips, paper insulated conductors, non-woven fabrics and Brewery and Solid Carbon-dioxide plant have been proposed.

In the small scale sector, the number of units registered with the State Directorate of Industries increased from 5224 in 1966 to 13031 in 1969. A provision of Rs. 8.75 crores has been made for industries and minerals and Rs. 6.00 crores for village and small industries in the State Sector during the Fourth Plan period.

(b) The requisite information is being collected and will be laid on the Table of the House.

मनीपुर में विकलांग व्यक्तियों को रोजगार

7760. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर संघ राज्य क्षेत्र में विकलांग व्यक्तियों को रोजगार दिया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने व्यक्तियों ने धन्धों के लिये आवेदन दिये थे और कितनों को रोजगार दिया गया ; और

(ग) क्या मनीपुर सरकार विकलांगों को रोजगार के मामले में रियायत देती है तथा सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाती है।

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेण गुह) : (क) और (ख): यह सूचना एकत्रित की जा रही है तथा यथासम्भव शीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) केन्द्रीय सरकार के खाली पदों के लिए पेश किए जाने के हेतु राष्ट्रीय रोजगार सेवा द्वारा विकलांग व्यक्तियों को प्राथमिकता नम्बर 3 दी गई है। यह बात इम्फाल के रोजगार कार्यालय पर लागू होती है। श्रेणी 3 तथा श्रेणी 4 केन्द्रीय सेवाओं में भर्ती के प्रयोजन के लिए विकलांग व्यक्तियों को उच्च वय-सीमा में 5 वर्ष की छूट दी गई है।

धार्मिक दलों, संगठनों आदि को रियायत के बारे में स्टेशनों का परिपत्र

7761. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **रलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने सभी रेलवे स्टेशनों को परिपत्र जारी किया है कि धार्मिक प्रयोजनों के लिये रेल से यात्रा करने वाले धार्मिक दलों अथवा संगठनों के सदस्यों तथा व्यक्तियों को रियायत दी जाय ; और

(ख) यदि हां, तो इस परिपत्र का ब्यौरा क्या है और उसे कब से लागू किया गया है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) जी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

भारत में विदेशी परामर्शदाता

7762. **श्री देवकी नंदन पाटोदिया** : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में सहयोग करारों के अधीन कितने विदेशी परामर्शदाता कार्य कर रहे हैं ;

(ख) क्या गत तीन वर्षों में ऐसे विदेशी परामर्शदाताओं की संख्या में वृद्धि हुई है ; और

(ग) क्या इन परामर्शदाताओं के स्थान पर भारतीय परामर्शदाता रखने के सम्बन्ध में कुछ प्रगति हुई है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग): जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

समझा जाता है कि प्रश्न इस समय देश में सहयोग करारों के अन्तर्गत कार्य कर रहे विदेशी तकनीशियनों के संबंध में है। उनकी संख्या तत्काल उपलब्ध नहीं है, फिर भी सरकार उन अल्पावधि के विदेशी तकनीशियनों के संबंध में आंकड़े एकत्र कर रही है जिनकी कुल उपलब्धियों 2000 रु० से अधिक है और जिन्हें अपने पारिश्रमिक पर आयकर देने से मुक्त कर दिया गया है यह जानकारी पूर्णतया ऐच्छिक आधार पर एकत्र की जा रही है और औद्योगिक एवं वाणिज्य उपक्रमों के लिए यह जानकारी देना कानूनी तौर पर आवश्यक नहीं है।

निम्नलिखित विवरण में 1967 से 1969 तक प्रत्येक वर्ष की 1 जनवरी, को विदेशी कम्पनियों तथा सरकारी उपक्रमों द्वारा सेवाकाल अल्पकालिक उन विदेशी तकनीशियनों की संख्या दिखाई गई है जिनकी कुल उपलब्धियां 2000 रु० प्रतिमास से अधिक थी। विवरण से पता चलेगा कि सरकारी और गैर सरकारी दोनों क्षेत्रों की कम्पनियों में सेवारत विदेशी तकनीशियनों की कुल संख्या गिरती जा रही है जो 1 जनवरी, 1967 को 1897 की तुलना में 1 जनवरी 1969 को 1504 थी।

जनवरी	विदेशी कम्पनियां	भारतीय कम्पनिया	सरकारी उपक्रम	सेवारत विदेशी तकनीशियनों की कुल संख्या
1967	411	167	1319	897
1968	292	126	1147	1564
1969	285	108	1111	1504

औद्योगिक उद्यमों में काम करने के लिए भारत आने वाले विदेशी तकनीशियनों के मामलों की जांच तकनीकी प्राधिकारियों द्वारा की जाती है और अनुमति देते समय सामान्य रूप से यह मान लिया जाता है कि उनके समकक्ष भारतीयों के प्रशिक्षण के लिए प्रबन्ध किए जाऐगें जो अन्ततोगत्वा उन विदेशी तकनीशियनों का स्थान प्राप्त कर लेंगे जिन्हें विशिष्ट अवधि के लिए सेवा में रखने की अनुमति दी गई है।

भिलाई इस्पात कारखाने में उत्पादन

7763. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 2 अप्रैल, 1970 के "हिन्दुस्तान स्टैंडर्ड" में प्रकाशित समाचार के अनुसार. भिलाई इस्पात कारखाने के महाप्रबन्धक ने दावे के साथ कहा है कि इस कारखाने में शीघ्र ही निर्धारित क्षमता के अनुसार उत्पादन होने लगेगा ;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त आश्वासन कब तक क्रियान्वित किया जायेगा ;

(ग) जहां तक निर्धारित क्षमता के अनुसार उत्पादन का सम्बन्ध है सरकारी क्षेत्र के अन्य इस्पात कारखानों के सम्बन्ध में क्या स्थिति है ; और

(घ) भिलाई इस्पात कारखाने की भांति उनमें उनकी निर्धारित क्षमता के अनुसार उत्पादन कब से होने लगेगा ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : (क) महा-प्रवन्धक ने कहा था कि द्वितीय चरण की निर्धारित क्षमता प्राप्त करने के लिए कारखाना तैयार है।

(ख) 1970-71 में लगभग 22.5 लाख टन इस्पात पिण्ड के उत्पादन का अनुमान है। अनुमान है कि अगले दो वर्षों में कारखाना अपनी निर्धारित क्षमता प्राप्त कर लेगा।

(ग) और (घ) : राउरकेला इस्पात कारखाने में 1969-70 में 11 लाख टन इस्पात पिण्ड का उत्पादन हुआ हैं और वर्ष 1970-71 में 15 लाख टन उत्पादन की योजना बनाई गई है। इसके पश्चात् 18 लाख टन की निर्धारित क्षमता प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास किया जायेगा। दुर्गापुर इस्पात कारखाने ने 1969-70 में 8.2 लाख टन इस्पात पिण्ड का उत्पादन किया। 1970-71 में 11 लाख टन पिण्ड के अनुमानित उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। परन्तु कारखाने में श्रमिक सम्बन्ध को देखते हुए यह कहना कठिन है कि कारखाना अपनी निर्धारित क्षमता कब प्राप्त करेगा।

दुर्गापुर इस्पात कारखाने के अधिकारियों के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट

7764. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भ्रष्टाचार के आरोपों के सम्बन्ध में दुर्गापुर इस्पात कारखाने के कुछ अधिकारियों की गतिविधियों के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने जांच की है ;

(ख) क्या मंत्रालय को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने सुझाव दिया था कि दुर्गापुर इस्पात कारखाने के छः सर्वोच्च अधिकारियों को तुरन्त निलम्बित किया जाना चाहिए ;

(ग) क्या सरकार ने इस सुझाव को क्रियान्वित करने के लिये कोई निर्णय लिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और क्या सरकार सी० बी० आई० की रिपोर्ट की एक प्रति सभा-पटल पर रखेगी ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : **(क) से (घ)** : यह स्पष्ट नहीं है कि माननीय सदस्य किस विशेष मामले के बारे में जानना चाहते हैं। कुछ मामले इस मंत्रालय के ध्यान में लाये गये हैं। इन सभी मामलों में केवल प्रारम्भिक जांच पूरी की गई है और कोई विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने किसी भी मामले में किसी अधिकारी को निलंबित करने की सिफारिश नहीं की है। विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त होने पर केन्द्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से उचित कार्यवाही की जाएगी।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड में डिजाईन ब्यूरो स्थापित करने के लिए भारत-रूस करार

7765. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : **श्री कार्तिक उरांव** :

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड में एक डिजायन ब्यूरो स्थापित करने के लिये 'गिप्रोमेज' के साथ कोई करार किया है जोकि मूल निकाय से स्वतंत्र होगा।

(ख) यदि हां, तो करार का ब्यौरा क्या है; और

(ग) नये संगठन का दर्जा तथा उसके संस्थापन का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) जी, नहीं परन्तु हिन्दुस्तान स्टील लि० ने रूस के त्याजप्रोमेक्सपोर्त्त के साथ केन्द्रीय इंजीनियरी और रूपांकन ब्यूरो को सहयोग देने हेतु एक करार किया है।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

औद्योगिकरण के लिये संयुक्त क्षेत्र बनाया जाना

7766. **श्री मुहम्मद शरीफ** : **क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई के एक सुप्रसिद्ध उद्योगपति श्री एन० एच० टाटा ने सरकार तथा उद्योगपतियों से एक संयुक्त क्षेत्र बनाने हेतु प्रयत्न करने का अनुरोध किया है, जिसमें गैर सरकारी तथा सरकारी क्षेत्र लाभदायक ढंग से सहयोग कर सकें और देश में शीघ्रता से उद्योगीकरण ला सकें, और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) तेजी से औद्योगीकरण करने के लिए संयुक्त क्षेत्र निर्मित करने हेतु श्री एन० एच० टाटा द्वारा दिये गये वक्तव्य के बारे में 5 फरवरी, 1970 को हिन्दुस्तान टाइम्स में छपी खबर सरकार की जानकारी में आई है।

(ख) औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति की रिपोर्ट में संयुक्त क्षेत्र के बारे में दिये गये सुझाव को सरकार ने पहले ही सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया है। गैर-सरकारी उद्यम समूहों की मुख्य परियोजनाओं के प्रकरण में इस संप्रत्यय को लागू करना सरकार का काम होगा। उन बड़ी परियोजनाओं में जिनमें सरकारी वित्तीय संस्थानों से पर्याप्त सहायता की आवश्यकता होती है के प्रबन्ध में सरकार का अधिक हाथ रहेगा।

दिल्ली से पठानकोट, अमृतसर, अहमदाबाद तथा फिरोजपुर को राजधानी एक्सप्रेस चलाये जाने की मांग

7767. **श्री अब्दुल गनी दार** : **श्री राम कृष्ण गुप्त** :

श्री दे० अमात :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली से कलकत्ता के लिये उपलब्ध है और दिल्ली से पठानकोट, अमृतसर, अहमदाबाद तथा फिरोजपुर के लिये नहीं चलती है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या इन सेक्शनों पर तेज चलने वाली गाड़ियां चलाने के प्रश्न को वरीयता दी गई थी ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां।

(ख) राजधानी एक्सप्रेस की तरह की तेज रफ्तार गाड़ियां चलाने के लिए यातायात सम्बन्धी औचित्य के अलावा काफी जांच पड़ताल और पर्याप्त साधनों की जरूरत होती है। ये साधन सीमित होने के कारण उपर्युक्त सभी तत्वों को ध्यान में रखते हुए प्राथमिकताएँ निर्धारित करनी होंगी।

(ग) तदनुसार दिल्ली-अहमदाबाद मीटर लाइन तथा दिल्ली-बम्बई बड़ी लाइन के लिए जांच-पड़ताल और व्यावहारिकता सम्बन्धी अध्ययन किये जा रहे हैं।

औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति सम्बन्धी दत्त समिति के प्रतिवेदन पर अनुसरणात्मक कार्यवाही

7768. **श्री सूरज भान :** **श्री शारदा नन्द :**
श्री कंवर लाल गुप्त :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति के बारे में दत्त समिति के प्रतिवेदन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ख) इस प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में उसे क्या प्रतिक्रियाएँ प्राप्त हुई हैं ; और

(ग) सरकार की इस कार्यवाही से क्या लाभ तथा परिणाम निकलने की सम्भावना है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : **(क) से (ग)** : सरकार ने औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति की सिफारिशों पर विचार कर लिया है और देश में औद्योगिक विकास को बढ़ाने के लिए यथासंभव नियंत्रणों में ढील देने की आवश्यकता तथा साथ ही आर्थिक शक्तियों के केन्द्रीयकरण को रोकने तथा अन्य सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने की दृष्टि से लाइसेंसिंग नीति में कुछ संशोधनों की घोषणा भी कर दी है। इस सम्बन्ध में जारी की गयी प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 18-2-70 तथा दिनांक 19-2-70 की दो अधिसूचनाओं की प्रतियां 24-2-70 के अतारांकित प्रश्न संख्या 311 के उत्तर में संलग्न करके सभा-पटल पर रखी गई थीं। तत्पश्चात् 28-2-70 को जारी की गई अधिसूचना तथा 13-3-70 को जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति की प्रतिलिपि भी 24-3-70 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3819 के उत्तर में संलग्न करके सभा-पटल पर रखी गई। सरकार का ऐसा विचार है कि औद्योगिक लाइसेंसिंग में नीति सम्बन्धी किए गये विभिन्न परिवर्तन आज की स्थिति में देश के विकास के लिए तथा उसके समग्र सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के सन्दर्भ में सबसे अधिक उपयुक्त हैं। सरकार आशा करती है कि नई लाइसेंसिंग नीति उद्यमियों, विशेषकर लघु तथा मध्यम उद्यमियों के लिए चाहे वे विद्यमान हैं अथवा नये, अधिकाधिक स्वतंत्रता और अवसर सुनिश्चित करेगी और उत्पादन का प्रसार भी करेगी एवं देश के लिए विविधीकृत औद्योगिक आधार का निर्माण करेगी। इन किये गये परिवर्तनों का साधारणतया विभिन्न हितों के प्रतिनिधियों द्वारा जिनमें उद्योग भी सम्मिलित हैं स्वागत किया गया है।

नारनौल तथा रिवाड़ी रेलवे स्टेशनों (पश्चिमी तथा उत्तरी रेलवे) पर आग लगने के कारण कुछ व्यक्तियों की मृत्यु

7769. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 और 31 जनवरी, 1970-को नारनौल तथा रिवाड़ी रेलवे स्टेशनों पर आग लग जाने के कारण कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी ;

(ख) क्या आग लगने के कारणों की कोई जांच की गई हैं ; और

(ग) उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) गोली चलाने के कारण (न कि आग लगने के कारण) दो व्यक्ति रिवाड़ी स्टेशन की परिसीमा में 30-1-1970 को मारे गये और 31-1-1970 को नारनौल स्टेशन पर एक व्यक्ति को चोटें पहुंची और वह बाद में अस्पताल में मर गया।

(ख) गोली चलाने के दोनों मामलों में मजिस्ट्रेट द्वारा जांच का आदेश दिया गया था।

(ग) रिवाड़ी में गोली चलाने को औचित्यपूर्ण ठहराया गया है और नारनौल में गोली चलाने के प्रश्न पर निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही है।

हरियाणा में सभा के स्थानों के लिए उप-निर्वाचन

7770. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** **श्री श्रीचन्द्र गोयल :**

क्या **विधि तथा समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा में रिक्त पड़े सभा स्थानों के लिये उपनिर्वाचन आयोजित करने के कार्यक्रम को अन्तिम रूप दिया जा चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो निर्वाचन क्षेत्र-वार उसका ब्यौरा क्या है ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्री मु० यूनुस सलीम) : (क) जी, हां।

(ख) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। (ग्रंथालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 3336/70)

बम्बई की स्टैंडर्ड ड्रम एण्ड बैरल मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी को इस्पात की चादरों का आवंटन

7771. **श्री सीताराम केसरी : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तकनीकी विकास के महानिदेशालय द्वारा बम्बई की स्टैंडर्ड ड्रम एण्ड बैरल मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी को तेल के बैरलों तथा छोटे ड्रमों का निर्माण करने के लिए 1959 से 18 गैज तथा 24 गैज की इस्पात की कितनी चादरें दी गई;

(ख) इस फर्म को तकनीकी विकास महा निदेशालय की सिफारिश पर वर्ष 1959 से तेल के बैरल और छोटे ड्रम बनाने के लिये कितने आयात लाइसेंस दिये गये हैं;

(ग) बिटुमन ड्रम बनाने के लिए इस कम्पनी को मैसर्स स्टैंडर्ड वैक्यूम आयल रिफाइनरी कम्पनी से उनके हिसाब पर वर्ष 1959 से विभिन्न गैज की इस्पात की कितनी चादरें प्राप्त हुई;

(घ) तेल के बैरल बनाने के लिये इण्डियन आयल कारपोरेशन से उनके हिसाब पर आज तक कितनी चादरें मिलीं; और

(ङ) उन्हें अन्य सांवनों से विभिन्न गेजों की कितनी चादरें मिलीं ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ङ) आवश्यक जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

मैसर्ज स्टैंडर्ड ड्रम एण्ड बैरल मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी द्वारा उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम, 1951 का उल्लंघन

7772. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री मैसर्ज स्टैंडर्ड ड्रम एण्ड बैरल मैनुफैक्चारिंग कम्पनी द्वारा उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम 1951 के उल्लंघन के बारे में 17 मार्च, 1970 के तारांकित प्रश्न संख्या 497 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मैसर्स स्टैंडर्ड ड्रम एण्ड बैरल मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी से मिली अतिरिक्त जानकारी की इस बीच जांच पूरी कर ली है;

(ख) यदि हां, तो उस मामले में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो जांच के कब तक पूरी हो जाने की सम्भावना है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) : मामले की जांच चल रही है । निर्णय लेने के उपरान्त उसे शीघ्र ही सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

मार्ग में इस्पात की चोरी

7773. **श्री वेदव्रत बरुआ** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय ने मार्ग में इस्पात आदि के बड़े पैमाने पर चोरी होने के विरुद्ध रेलवे से शिकायत की है;

(ख) गत वर्ष मार्ग में चोरी हुए इस्पात तथा इस्पात उत्पादों का मूल्य क्या है; और

(ग) क्या किसी रेलवे कर्मचारी को उसकी असावधानी के कारण मार्ग में हुई इस्पात की चोरी के लिये दण्ड दिया गया है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) से (ग) : सूचना मंगाई जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

लघु उद्योगों का वित्तपोषण

7774. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसा कोई प्रस्ताव है कि लघु उद्योग को वित्तपोषण की जिम्मेदारी केन्द्र द्वारा सीधे उनको वित्त देने की वर्तमान व्यवस्था के बजाय राज्यों को सौंप दी जाये; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : **(क) और (ख)** : लघु उद्योगों का वित्त पोषण इस समय राज्य सरकार, उसके अभिकरण और बैंक करते हैं केन्द्रीय सरकार नहीं करती ।

रेलवे में डीजल से चलने वाले इन्जनों को लगाये जाने से देश की अर्थ व्यवस्था में संकट

7775. **श्री जी० बाई० कृष्णन** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे में डीजल से चलने वाले इंजनों की संख्या में उपरोक्त वृद्धि होने से देश की अर्थ व्यवस्था गम्भीर रूप से संकटग्रस्त हो रही है ;

(ख) क्या सरकार रेलवे में डीजल से चलने वाले इंजनों को रखने की प्रथा को रोकने तथा भाप से चलने वाले इंजनों का उपयोग करने की स्थिति में है जिससे कि कोयले के उत्पादन में कमी न हो, खाने बन्द न हों और खनिकों, खनन इन्जिनियरों और अन्य कर्मचारियों में बेरोजगारी न बढ़े; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : **(क)** जी नहीं ।

(ख) डीजलीकरण के कारण कोयला-उद्योग में संकट उत्पन्न हो गया है, यह धारणा सही नहीं है । क्रमबद्ध योजनाओं में होने वाले अतिरिक्त यातायात को सम्हालने के लिए रेलों का डीजलीकरण कार्यक्रम आवश्यक है । डीजलीकरण के कारण, अब तक, कोयले की कुल खपत में वस्तुतः कमी नहीं हुई हैं । अतः इसके कारण खानों में कोई बेरोजगारी नहीं हुई होगी ।

(ग) रेलों से जो अपेक्षाएं है, यदि उन्हें पूरा करना है तो आधुनिकीकरण अनिवार्य है । आधुनिक कर्षण से सर्व प्रथम लाभ उठाने वालों में कोयला उद्योग एक है । क्योंकि इसके अभाव में पर्याप्त मात्रा में कोयला नहीं ढोया जा सकता था ।

Setting up of organisation for Engineering industry

7776. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Shri Basak, Chairman, Indian Engineering Association, has given a suggestion to set up an organisation on the lines of the Industrial Reorganisation Corporation of Britain with the object of increasing the efficiency of engineering industry;

(b) if so, the reaction of Government thereto; and

(c) the action Government propose to take to improve the working of engineering industry ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : **(a) to (c)** : The Chairman of the Indian Engineering Association had suggested that a special analysis of the problems of the capital goods sector with a view to strengthening it, as was done by the Industrial Reorganisation Commission in U. K. when faced with simiar problems, should be undertaken in India. Government has not taken any specific action on the suggestion, as, in its view, the Industrial Licensing Policy is adequate to ensure accelerated pace of industrial development, besides provid-

ing opportunities to the medium and small scale sector entrepreneurs and at the same time avoiding concentration of economic power. However, in dealing with issues relating to the capital goods sector with reference to the Fourth Five Year Plan, efforts are proposed to be made to ensure better utilisation of plant capacities through diversification of production and also by taking up new lines of production. Concerted efforts will also be made for promoting and increasing the export of capital goods.

होशियारपुर तथा बुलडाना संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों से लोक सभा के लिए उप-निर्वाचन

7777. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या विधि तथा समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क होशियारपुर पंजाब, तथा बुलडाना महाराष्ट्र) संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों से लोक सभा के लिए उपनिर्वाचन कराने के लिए अन्तिमरूप से कोई निर्वाचन कार्यक्रम बना लिया गया है ; और

(ख यदि हां, तो कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्री मु० यूनुस सलीम) : (क) और (ख) : पंजाब में होशियारपुर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से कोई भी उपनिर्वाचन होना बाकी नहीं है। बुलडाना संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में उपनिर्वाचन हो रहा है और मतदान 26 अप्रेल, 1970 को हुआ था।

रेलवे कर्मचारियों के बच्चों के लिये चण्डीगढ़ में स्कूल का खोला जाना

7778. श्री **श्रीचन्द गोयल** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे कर्मचारियों के पुत्र-पुत्रियों के लिए चण्डीगढ़ रेलवे स्टेशन के निकट कोई स्कूल नहीं है और उनको प्राथमिक कक्षाओं के लिये भी कई मील की यात्रा करनी पड़ती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या कर्मचारियों ने रेलवे परिसीमा में स्कूल खोले जाने की मांग की है ; और

(ग) उनकी माँगों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) चण्डीगढ़ रेलवे स्टेशन से 1.5 मील के घेरे में स्थित पास के गांव अर्थात मनी माजरा और मौली में प्रारम्भिक स्कूल मौजूद हैं।

(ख) जी हां।

(ग) चूंकि शिक्षा मुख्य रूप से राज्य सरकार की जिम्मेदारी है इसलिये रेलवे स्टेशन के नजदीक प्रारम्भिक स्कूल खोलने के लिए चण्डीगढ़ प्रशासन के साथ पत्र-व्यवहार जारी है।

चण्डीगढ़ स्टेशन पर क्लर्कों के काम के अधिक घन्टे

7779. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यह बात सरकार के ध्यान में लाई गई है कि चण्डीगढ़ रेलवे

स्टेशन पर नियुक्त कर्मचारियों की संख्या अपर्याप्त है ;

(ख क्या कर्मचारियों की संख्या कम होने के कारण कुछ क्लर्कों को आठ घन्टे की सामान्य ड्यूटी की अपेक्षा बारह से सोलह घन्टे कार्य करना पड़ता है ; और

(ग) स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क से (ग) सूचना मंगाई जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

राजधानी एक्सप्रेस में बंगाली संगीत तथा समाचार बुलेटिन

7780. **श्री समर गुह** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजधानी एक्सप्रेस से बंगला भाषा भाषी लोगों की एक बड़ी संख्या यात्रा करती है ;

(ख) यदि हां, तो बड़ी संख्या में यात्रा करने वाले बंगला भाषा भाषी यात्रियों को लाभान्वित करने के लिये आकाशवाणी के कार्यक्रमों में बंगाली संगीत तथा बंगला भाषा में समाचार बुलेटिनों को सम्मिलित न किये जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या राजधानी एक्सप्रेस में टैगौर संगीत और अन्य उच्च स्तरीय बंगाली संगीत और बंगाली समाचार बुलेटिनों के लिये व्यवस्था की जायेगी ; और

(घ) क्या वाद्य संगीत जैसे शहनाई, सितार वायलिन आदि को भी सम्मिलित किया जायेगा ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) राजधानी एक्सप्रेस या किसी अन्य गाड़ी के लिए बुक किए गए यात्रियों से सम्बन्धित सूचना यात्रियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा के आधार पर नहीं रखी जातीं ।

(ख) और राजधानी एक्सप्रेस में लाउडस्पीकर द्वारा भारतीय और पश्चिमी संगीत सुनाये जाते हैं। इनके अलावा, आकाशवाणी, विविध भारती कार्यक्रम भी, यदि गाड़ी की यात्रा के दौरान चल रहे हों तो उन्हें भी लाउडस्पीकर द्वारा रिले किया जाता है। घोषणायें केवल अंग्रेजी और हिन्दी में की जाती हैं ताकि यात्रियों में से अधिकांश लोगों का काम उससे चल जाय। वर्तमान व्यवस्था इस गाड़ी से यात्रा करने वालों में से अधिकांश के लिए उपयुक्त है ।

(घ) राजधानी एक्सप्रेस में रिले किये जाने वाले संगीत की सतत समीक्षा की जाती है और समय-समय पर आवश्यक परिवर्धन और परिवर्तन किये जाते हैं ।

लम्बी दूरी की गाड़ियों में तीसरे दर्जे के यात्रियों के लिये पीने के पानी की सप्लाई तथा चाय की बिक्री

7781. **श्री समर गुह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लम्बी दूरी तक चलने वाली रेल गाड़ियों के तीसरे दर्जों के डिब्बों में पीने के पानी की सुविधा तथा रात्रि में सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है ;

(ख) क्या रेलवे स्टेशनों पर चाय बेचने वाले तीसरे दर्जे के यात्रियों को प्रायः चाय की

पत्तियों का सत्त अथवा कई बार उबाली गयी चाय की पत्तियों के चूरे का पानी जो वास्तव में चाय के नाम पर हानिकारक टेनिक एसिड लिकर होता है सप्लाई करते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तीसरे दर्जे के यात्रियों की इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी नहीं । रेलों द्वारा यात्रियों को सभी स्टेशनों और खड़ी गाड़ियों में पीने के पानी की सप्लाई की पर्याप्त व्यवस्था की जाती है । महत्वपूर्ण स्टेशनों पर पानी की ट्रालियाँ प्लेटफार्मों पर थोड़ी-थोड़ी दूर पर रख दी जाती हैं ताकि सभी बोगियों के यात्रियों को पीने का पानी दिया जा सके । पानी वाले बाल्टियों में पानी और लोटा लेकर गाड़ी से एक सिरे से दूसरे सिरे तक घूमते रहते हैं और मांग के अनुसार पानी सप्लाई करते हैं ।

गलियारेदार टाइप के पहले दर्जे के सोने के सवारी डिब्बों में कंटेनरों में पीने के ठण्डे पानी की व्यवस्था की गयी है । इस सुविधा को क्रमशः लम्बी दूरी की सभी महत्वपूर्ण गाड़ियों में करने का प्रस्ताव है ।

सरकारी रेलवे पुलिस द्वारा महत्वपूर्ण स्टेशनों पर निगरानी रखने और अपराधियों तथा समाज विरोधी तत्वों को पकड़ने के लिए आवधिक छापे मारने जैसी सामान्य पुलिस व्यवस्था को कड़ा करने के अलावा सरकारी पुलिस ने प्रभावित क्षेत्रों में रात की महत्वपूर्ण गाड़ियों में मार्गरक्षी की व्यवस्था करके अतिरिक्त सरक्षा के उपाय किये हैं ।

(ख) जी नहीं । यह सुनिश्चित करने के लिए कि जो चाय यात्रियों को दी जाय, वह सन्तोषजनक किस्म की हो, अक्सर जांच की जाती है । अपेक्षित मानक की चाय न बेचे जाने के सम्बन्ध में पाये गये मामलों पर उपयुक्त कार्रवाई की जाती है ।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

इस्पात कारखाने से रद्दी इस्पात का निवटारा

7782. **श्री क० अनिरूद्धन** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस्पात कारखानों से रद्दी इस्पात का निवटारा करने के बारे में क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है ; और

(ख) क्या केरल, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश आदि राज्यों ने अपने लघु उद्योगों के लिये रद्दी इस्पात तथा कच्चे माल की नियमित सप्लाई किये जाने की मांग की है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : **(क) और (ख)** : सम्भवतः अभिप्राय इस्पात की रद्दी चादरों और चादरों की कतरनों से है । ये संयुक्त संयंत्र समिति के अधिकार क्षेत्र से बाहर है और उत्पादकों को इनकी बिक्री के मामले में पूरी स्वतंत्रता है । हिन्दुस्तान स्टील लि० से कहा गया है कि वे ऐसे माल का अधिकांश अपने स्टाकयार्डों की मार्फत वास्तविक उपभोक्ताओं को सम्बन्धित राज्यों के उद्योग निदेशकों की सिफारिशों पर बेचें । फिर भी, संयुक्त संयंत्र समिति के परामर्श से स्थिति पर पुनर्विचार किया जा रहा है ताकि सभी प्रमुख उत्पादकों के लिए समान नीति अपनाई जाय ।

(ख)साधारणतः लघु उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति के सम्बन्ध में आवेदन आन्ध्र, महाराष्ट्र और तमलिनाडु प्रान्तों से प्राप्त हुए हैं।

Contractors of book stalls at Railway stations

7783.**Shri Molahu Prashad** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the names of those Railway Stations throughout the country where book stalls have been provided and the number of book stalls provided at each of the said Railway stations ;

(b) the names, designations and the addresses of the contractors of each station ;

(c) the terms and conditions on which each contractor has been allotted the contract as also the period of the contract ;

(d) the date on which the period of each contract would expire ; and

(e) the terms and conditions on which each contractor appoints his staff and the details of the pay and other facilities given to the staff by them ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) to (d) : There are about 184 Bookstall contractors having 652 book stalls at various stations on Indian Railways. Compilation of the information in regard to names and addresses of each bookstall contractor alongwith names of stations where book stalls are functioning as also the dates of expiry of the contracts will require collection of voluminous data and involve considerable labour and time which will not be commensurate with the results likely to be achieved.

If the Hon'ble Member could indicate the particular bookstall contractor or contractors about whom information is required, this can be collected and furnished.

(e) This is a matter to be settled between the book stall contractors and their staff with which Railways are not concerned.

मुर्रा ग्राम पुल का निर्माण

7784. **श्री मधु लिमये** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हिन्द कंसट्रक्शन कारपोरेशन के एक भूतपूर्व कर्मचारी से कोई पत्र मिला है जिसमें कारपोरेशन द्वारा मुर्रा ग्राम पुल के निर्माण को सदोष बताया है;

(ख) यदि हां तो शिकायत का सार क्या है; और

(ग) इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां । माननीय सदस्य के जरिये हिन्द कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन के भूतपूर्व मुंशी श्री राजकुमार आनन्द की एक शिकायत मिली थी।

(ख) शिकायत मानक से घटिया किस्म का काम करने के सम्बन्ध में थी, जो मेसर्स हिन्द कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन द्वारा किया गया था।

(ग) मामले की जांच की जा रही है।

वैस्ट कोस्ट एक्सप्रैस में मंगलौर से बम्बई तक के लिए डायरैक्ट रेल डिब्बा

7785. **श्री ए० श्रीधरन:** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अधिकारियों ने 1 अप्रैल, 1970 से वेस्ट कोस्ट एक्सप्रैस के साथ मंगलौर से बम्बई तक के लिये एक डायरैक्ट रेल डिब्बा लगाने का निर्णय किया है ;

(ख) इस बात को देखते हुए कि सीधे जाने वाला यह रेल डिब्बा पहले मंगलौर-मद्रास मेल नं० 2 के साथ जोड़ा जाता था और वर्तमान प्रबन्ध से यात्रियों को बहुत असुविधा होगी क्या सरकार मूल प्रबन्ध को न बदले जाने के आदेश जारी करेगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां। 1 अप्रैल, 1970 से बम्बई और मंगलूर के बीच तीसरे दर्जे के सीधे 3-टियर शयनयान सवारी डिब्बे को 13/14 बम्बई-मद्रास जनता एक्सप्रेस, 27/28 वेस्ट कोस्ट एक्सप्रैस और अरकोणम और शेरुवण्णूर के रास्ते 29/30 मालाबार एक्सप्रैस गाड़ियों में चलाया जा रहा है।

(ख) और (ग) : जी नहीं। 29/30 मालाबार एक्सप्रेस जिसमें यह सीधा सवारी डिब्बा शोखण्णूर और मंगलूर के बीच चलता है, इस खण्ड के उन सभी स्टेशनों पर खड़ी होती हैं जहाँ 1/2 मद्रास-मंगलूर डाक गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, सिवाय पार्प्पनंगाडि के जहाँ केवल नं० 1 डाक खड़ी होती है। इसके अलावा, 29/30 मालाबार-एक्सप्रेस इस खण्ड के कुछ और स्टेशनों पर ठहरती है जहाँ 1/2 डाक गाड़ियाँ नहीं ठहरतीं। अतः शोरुवण्णूर-मंगलूर खण्ड के सभी महत्वपूर्ण स्टेशनों से यात्रियों के लिए सीधे सवारी डिब्बे की सुविधा अब भी उपलब्ध है। इसके अलावा, संशोधित व्यवस्था के अनुसार मंगलूर से बम्बई तक के सीधे सवारी डिब्बे का यात्रा समय, सब कुछ मिलाकर 7 घन्टे 40 मिनट और वापसी में 5 घन्टे 55 मिनट तक कम हो गया है।

बिहार के पालायन जिले में कागज बनाने का कारखाना

7786. **श्री कार्तिक उरांव** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के पालायन जिले में कागज बनाने का कारखाना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है क्यों कि पालायन के वन में बांस पर्याप्त मात्रा में मिलता है ;

(क)यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं; तो इसके कारण क्या है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) जी, नहीं।

(ख)और(ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

रांची-चाइबासा रोड के रेलवे फाटक पर उपरि-पुल

7787. **श्री कार्तिक उरांव** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रांची-चाइबारा सड़क के रेलवे फाटक पर उपरि-पुल अथवा उप मार्ग (बाई-पास) का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है क्योंकि जनता को भारी कठिनाई होती है तथा यातायात पर कुप्रभाव पड़ता है ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) सम्भवतः माननीय सदस्य का आशय रांची और हटिया स्टेशनों के बीच रांची-चाइबासा मार्ग पर ऊपरी सड़क पुल के निर्माण से है। यदि हाँ, तो यह प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ख) प्रस्तावित ऊपरी सड़क पुल चार गल्लीदार सड़क यातायात की आवश्यकताओं को पूरा करेगा। पुल की कुल लागत 45·22 लाख रुपये होती है जिसमें से करार की शर्तों के अनुसार, रेलवे दो गल्लीदार पुल की लागत देगी जो 18·86 लाख रुपये आती है और शेष लागत राज्य सरकार देगी। रेलवे द्वारा बनाये गये नक्शे और अनुमान, दिसम्बर, 1969 में, स्वीकृति के लिए राज्य सरकार को भेज दिये गये हैं। राज्य सरकार के उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ग) सवाल नहीं उठता।

रेलवे सुरक्षा आयुक्त का प्रतिवेदन

7789. **श्री मायाबन** : **श्री चेंगलराया नायडू** :

श्री दण्डपानी : **श्री नि० रं० लास्कर** :

क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे सुरक्षा आयुक्त ने अपने प्रतिवेदन में यह उल्लेख किया है कि वर्ष 1968-69 में वर्ष 1967-1968 की अपेक्षा कम दुर्घटनायें हुई हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या वर्ष 1968-69 में देश में अधिक रेलवे दुर्घटनायें हुई :

(ग) क्या उपद्रवियों द्वारा आक्रमण करके रेलवे को पहुंचाई गई भारी क्षति के बारे में प्रतिवेदन में विचार नहीं किया गया है ; और

(घ) यदि हाँ, तो देश में रेलवे दुर्घटनाओं को कम करने के बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां।

(ख) सवाल नहीं उठता।

(ग) रिपोर्ट में इस पहलू पर विचार नहीं किया गया है।

(घ) सवाल नहीं उठता।

सिगनल तथा दूर संचार विभाग के कर्मचारियों को स्थायी बनाना

7790. **श्री देवेन सेन** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे के सिगनल तथा दूर संचार विभाग के कर्मचारियों को नियमित रूप से स्थायी नहीं बनाया जा रहा है और विशिष्ट ग्रेडों में आठ वर्ष की सेवा के उपरांत भी कर्मचारियों को स्थायी नहीं बनाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रशासन कर्मचारियों की इस कठिनाई को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही करेगा तथा कब तक करेगा ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) :(क) और (ख) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

रेलवे पर असमानता को समाप्त करने के लिये पदनामों तथा कार्यों का मानकीकरण

7791. **श्री देवेन सेन** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न क्षेत्रों के कुछ डिवीजनों तथा भारतीय रेलवे के विभिन्न क्षेत्रों ने भी सिग्नल तथा दूर संचार कर्मचारियों के विभिन्न संवर्गों के अलग-अलग पदनाम रखे हुए हैं जिसके परिणाम स्वरूप समान अथवा बराबर का कार्य करने वाले दो कर्मचारी अपने-अपने क्षेत्रों में भिन्न पदनामों से जाने जाते हैं तथा उनकी उपलब्धियां भी अलग-अलग राशि की मिलती हैं ;

(ख) क्या पदनामों में इस प्रकार का द्वेषजनक विभेद करके कर्मचारियों के वेतनों तथा अन्य उपलब्धियों के बारे में उनके प्रति अन्याय तथा अनुचित भेदभाव करने का प्राधिकारियों को अवसर मिल जाता है जबकि वे समान कार्य करते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार पदनामों और कार्यों का मानकीकरण करके इन असमानताओं को समाप्त करेगी ; और यदि हां, तो कब करेगी ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (ग) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

जी० आर० पी० दिल्ली द्वारा अत्यधिक मारपीट करने के कारण नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर काम कर रहे एक हरिजन सफाई कर्मचारी की मृत्यु

7792. **श्री देवेन सेन** :
श्री समर गुह :
श्री ए० श्रीधरन :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री स० कुन्डू :
श्री चन्द्रिका प्रसाद :
श्री यशपाल सिंह :
श्री किंकर सिंह :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बलबीर नाम के एक हरिजन, जो कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन (टी० एक्स० आर० कोचिंग नई दिल्ली, उत्तर रेलवे) में सफाई कर्मचारी के रूप में काम कर रहा था, जी० आर० पी० दिल्ली द्वारा एक झूठे मामले में अत्यधिक पीटे जाने के कारण मर गया था

और सोनीपत रेलवे स्टेशन के समीप उसका शव चलती गाड़ी से फेंक दिया गया था जहां से वह बाद में बरामद हुआ ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार मामले की पूरी-पूरी जांच कराने के लिये एक आयोग नियुक्त करने का है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) मृत्यु के कारणों का पता लगाने से सम्बन्धित सरकारी रेलवे पुलिस की कार्यवाही से पता चला है कि इस मामले में आत्महत्या किये जाने का सन्देह है। सरकारी रेलवे पुलिस की जांच-पड़ताल अभी जारी है।

(ख) सवाल नहीं उठता।

उद्योग में एकाधिकार

7793. **श्री चेंगलराया नायडू** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मन्त्रलाय को प्रारम्भिक अध्ययन में इस बात का पता लगा है कि अधिनियम की परिभाषा के अनुसार देश में व्यवहारिक रूप से प्रत्येक उद्योग में एकाधिकारिक फर्में अथवा प्रभावी उपक्रम हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसा भी मालूम पड़ता है कि एकाधिकारिक फर्मों की संख्या प्रभावी उपक्रमों से बहुत अधिक होगी ;

(ग) यदि हां, तो प्रारम्भिक अध्ययन में अन्य क्या बातें बताई गई हैं ; और

(घ) इस सम्बन्ध में कमियों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) क्योंकि अभी तक समवाय कार्य विभाग द्वारा सभी उद्योगों के विषय में ऐसा अध्ययन नहीं किया गया है अतः यह कहना सम्भव नहीं है कि व्यवहारिक रूप से देश के प्रत्येक उद्योग में एकाधिकारी फर्में अथवा प्रभावशाली उपक्रम हैं, जिनकी परिभाषा एकाधिकार तथा नियंत्रित व्यापार कार्य प्रणाली अधिनियम 1970 में दी गई है।

(ख) से (घ) : प्रश्न नहीं उठते।

निम्बाहेरे (राजस्थान) में सीमेंट फैक्टरी स्थापित करने का लाइसेंस

7794. **श्री ओंकार लाल बोहरा**: क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जे० के० ग्रुप को निम्बाहेरे (राजस्थान) में सीमेंट कारखाना स्थापित करने का लाइसेंस किस तारीख को दिया गया था और इस लाइसेंस की शर्तें क्या थी ;

(ख) क्या यह सच है कि इस परियोजना की प्रगति अब तक बहुत धीमी रही है और प्रबन्धक भी इस कारखाने को शीघ्र पूरा करना नहीं चाहते ;

(ग) इस परियोजना को ऋण, बिजली तथा पानी की सप्लाई के लिये राज्य सरकार ने क्या-क्या सुविधाएं तथा रियायतें दी है ;

(घ) इस परियोजना के लिये कितनी भूमि अर्जित की गई है और किसानों को कितना मुआवजा दिया गया ; और

(ङ) क्या यह सभी उपजाऊ भूमि जिस पर खेती की जा रही थी, इन तमाम वर्षों में बेकार पड़ी रही ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) 4 लाख मीट्रिक टन पोर्टलैंड सीमेंट का निर्माण करने के लिये डाबला स्टेशन (राजस्थान) के निकट कोटपुतली में सीमेंट का कारखाना लगाने के लिए 18-8-1965 को केवल एक आशय-पत्र जारी किया गया था। सीमेंट कारखाने को मई, 1966 से उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के लाइसेंस प्राप्त करने वाले उपबंधों से छूट दे दी गई थी और पता चला है कि पार्टी कारखाने को निम्बाहेर (राजस्थान) ले गई है। निम्बाहेर में सीमेंट का कारखाना लगाने के लिये जे० के० ग्रुप को कोई भी लाइसेंस नहीं दिया गया था।

(ख) प्रगति धीमी जान पड़ती है। सरकार को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि व्यवस्थापकों द्वारा कारखाने को पूरा करने की गति बढ़ाने में अनिच्छुक क्यों हैं, क्योंकि ये उद्योग 13 मई, 1966 से उद्योग (विकास तथा विनियमन) नियम 1951 के लाइसेंस प्राप्त करने वाले उपबन्धों से मुक्त कर दी गई थी।

(ग) राजस्थान राज्य सरकार ने परियोजना के लिए निम्नलिखित सुविधाएं दी हैं :—

1. राज्य सरकार द्वारा परियोजना के लिए आवश्यक भूमि की व्यवस्था कर दी गई है।

2. राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा संयंत्र को चलाने के लिए विद्युत का संभरण करना स्वीकार कर लिया है।

3. राज्य सरकार के सिंचाई विभाग ने पार्टी को सतत प्रवाहिनी नदी कारमाली से पानी लेने के लिए अनुमति दे दी है।

4. राज्य सरकार द्वारा चूने के पत्थर और गेस के मामले में खनन पट्टे देना स्वीकार कर लिया है।

5. राज्य सरकार ने लोक निर्माण विभाग के जरिये कम्पनी के खर्च पर राजपथ का मार्ग बदल दिया था क्योंकि वह चूने के पत्थर निक्षेपों के ऊपर आती है।

6. उसने कम्पनी को इस परियोजना के लिए 30 लाख रुपये का ऋण स्वीकृत किया है।

(घ) और (ङ) कारखाने, बस्ती और परियोजना के विस्तार कार्यों के लिए 403 एकड़ भूमि ले ली गई है। इसमें से बताया जाता है कि 152 एकड़ भूमि पर खेती हो रही थी और शेष 251 एकड़ बंजर भूमि थी जो राज्य सरकार के अधिकार में थी। खातेदारों ने राज्य सरकार को गैर सरकारी भूमि प्रदान कर दी और राज्य सरकार ने कुल 403 एकड़ भूमि 99 साला पट्टे पर 74,600 रुपये में भुगतान पर कम्पनी को प्रीमियम के रूप में हस्तांतरिक कर दी। उपर्युक्त प्रीमियम के अलावा 11,190 रुपये के पट्टे का वार्षिक किराया राज्य सरकार के लिए सुरक्षित कर दिया गया है।

राज्य सरकार के जरिये निजी भूमि मालिकों को दिये गये वार्षिक मुआवजे की वास्तविक राशि 16,5,330 रुपये है।

Setting up of a pig Iron Factory in Rajasthan by M/s Kamani Engineers

7795. **Shri Onkarlal Bohra** : Will the Minister of **Steel and Heavy Engineering** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an industrial licence was granted to M/s. Kamani Engineers of Bombay several years ago to establish a pig iron factory near Udaipur in Rajasthan ;

(b) if so, the progress made so far ;

(c) whether it is a fact that about 1200 acres of land was given to them near the Station at cheap rates ; and

(d) whether the said land far exceeded their requirement and whether the excess land lying unutilised with them would be taken back keeping in view the progress made so far ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Heavy Engineering (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) Yes, Sir. An industrial licence for the setting up of a pig iron plant with an annual capacity of 100,000 tonnes at Udaipur was granted to M/s. Kamani Engineering Corporation, Ltd. Bombay, on 3.8.62.

(b) The firm have arranged for the necessary mining lease, acquisition of land, power and water supply, etc. They are also negotiating with a consortium of foreign suppliers for the supply of plant and machinery.

(c) and (d) : The information concerns the State Government. The Government of India have no information in the matter.

Quarters for assitsant Permanent Way Inspectors on Northern Railway

7796. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the number of the Assistant permanent Way Inspectors has been increased on the Northern Railway ;

(b) whether it is also a fact that no suitable arrangements have so far been made to provide them with the quarters ;

(c) whether it is further a fact that they are being compelled to live in Type-I quarters ; and

(d) if so, the reasons therefor and the arrangements Government propose to make to give them quarters ?

The Minister of Railways (Shri G. L. Nanda) : (a) Yes.

(b) to (d) Quarters according to entitlement can only be offered to the extent they are available. Construction of additional quarters required for Assistant Permanent Way Inspectors and other essential staff is being planned by the Railway Administration keeping in view the availability of funds. Till such time the quarters are built they are offered accomodation of a lower type than their entitlement, but they have the opsion to refuse the same and make their own arrangements for housing themselves.

Disparity between percentages of certain posts on Central Railway

7797. **Shri Hukum Chand Kachwai** : will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the percentage of Telegraph Clerks, Trains Clerks and Commercial Clerks to the categorised posts on the Central Railway and the percentage of Ticket Collectors and Travelling Ticket Inspectors to the said posts ;

(b) whether it is a fact that there is much disparity between the said two percentages ;

(c) if so, the reasons therefor ; and

(d) whether Government propose to remove this disparity ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) A statement giving the percentages laid down by the Railway Board is laid on the Table of the House. (Annexure A). Placed in library See No. LT 3337/70)

(b) to (d). As the duties and responsibilities, Pay structure as well as channel of promotion of these categories are different, it is not possible to adopt a uniform percentage distribution of posts in various grades for all these categories of staff.

तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को उच्चतर श्रेणी में स्थानापन्न होकर कार्य करने का अवसर देना

7798. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड ने ऐसे आदेश जारी किये थे कि उच्चतर श्रेणियों में तीन वर्ष से अधिक समय से स्थानापन्न रूप में कार्य कर रहे द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों की पदावनति न की जाय ; और

(ख) यदि हां, तो उच्चतर श्रेणियों में 3 वर्ष से भी अधिक समय से स्थानापन्न तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के सम्बन्ध में ऐसे ही अनुदेश जारी न किये जाने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां ।

(ख) तीसरी श्रेणी के कर्मचारियों के मामले में इस तरह का संरक्षण देना आवश्यक नहीं समझा जाता, क्योंकि जब तक वे अनुपयुक्त न हों तब तक, उन्हें सामान्यत: इस तरह की परिस्थितियों में परिवर्तित नहीं किया जाता ।

उत्तर रेलवे में सहायक रेल-पथ निरीक्षकों के रूप में रखे गये व्यक्तियों को वेतन वृद्धि देना

7799. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : **श्री श्रीचन्द गोयल** :

क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे में सहायक रेल-पथ निरीक्षकों के रूप में रखे गये विभिन्न रेलों के फालतू सहायक निर्माण निरीक्षकों (वर्क्स इंस्पैक्टरों) को वेतन वृद्धि नहीं दी गई है जो कि उनको मिलनी चाहिए ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख) : सूचना मंगायी जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

उत्तर रेलवे में सहायक रेल-पथ निरीक्षक के तौर पर समाहित किये गये कर्मचारियों की भविष्य निधि तथा अभिलेखों का हस्तान्तरण

7800. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी और केन्द्रीय रेलवे के जिन फालतू सहायक निर्माता निरीक्षकों को उत्तर रेलवे में सहायक रेल-पथ निरीक्षक के रूप में समाहित किया गया है उनके सेवा अभिलेखों, अवकाश सम्बन्धी लेखों तथा भविष्य निधि लेखों आदि को अभी तक उत्तर रेलवे के प्राधिकारियों को हस्तांतरित नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) यदि इस प्रश्न के भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो तो क्या उत्तर रेलवे के प्राधिकारियों ने उनके रिकार्डों को उनके सम्बन्धित डिवीजनों को सौंप दिया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (घ) : मध्य और पश्चिम रेलों के लगभग 61 सहायक निर्माण निरीक्षक उत्तर रेलवे में स्थानान्तरित किये गये हैं । इनमें से केवल 36 कर्मचारियों के सेवा-रिकार्ड मिले हैं जो उत्तर रेलवे के सम्बन्धित मंडलों को भेज दिये गये हैं । उत्तर रेल प्रशासन ने दूसरे कर्मचारियों के सेवा रिकार्ड शीघ्र भेजने के लिए सम्बन्धित रेलों से कहा है ।

आमतौर पर एक कर्मचारी के एक रेलवे से दूसरी रेलवे में स्थानान्तरण होने और उसके सेवा-रिकार्ड, छुट्टी लेखे और भविष्य निधि लेखे जिन्हें अद्यतन बनाना होता है, के अन्तरण में दो से तीन महीने तक का समय लग जाता है । रिकार्डों के शीघ्र अन्तरण के लिए सभी प्रयास किये जा रहे हैं ।

Looting of Ahmedabad-Bhopal train near Meghnagar Station (Western Railway)

7801. **Shri Jagannath Rao Joshi ; Shri Bharat Singh Chauhan ; Shri Hukam Chand Kachwai** :

Will the Minister of **Reilways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Adivasis tried to loot Ahmedabad-Bhopal train near Meghnagar Station (Western Railway) in the first week of April, 1970 ;

(b) whether it is also a fact that the police resorted to firing at that time resulting in injuries to many passengers ; and

(c) if so, the details of the incident and the action proposed to be taken by Government in this regard ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) Yes. A gang of Bhils (Advivasis) had, with the intention of looting its contents, opened the luggage van of train No. 111-A

Dn. Godhara-Bhopal passenger on 2.4.70, as it arrived at Nahargarh Station, in the Anas-Meghnagar Section.

(b) and (c) A Sub-Inspector of Railway Protection Force who was travelling by the same train tried to prevent the Bhils from removing a bale of woolen cloth ; but the Bhils attacked him with stones and shot arrows at him, where-upon the Sub-Inspector fired on the assailants in self defence.

Only one Bhil was hit and injured by a bullet. No passenger was injured.

Government Railway Police, Ratlam, have registered a case under section 397 I. P. C. Armed Railway Protection Force personnel were deployed to escort trains, protect stations, and patrol vulnerable sections in this area.

Track patrolling is being done jointly by the Railway Protection Force and Government Railway Police. State Police have also been requested to take preventive measures against the eriminal activities of Bhils (Adivasis) in this area.

Display of reservation chart re : Sleeping Berths and seats at Allahabad Railway Station Platform

7802. **Shri Jagannath Rao Joshi :** **Shri Bharat Singh Chauhan :**
Shri Hukam Chand Kachwai : **Shri Onkar Lal Berwa :**

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that at Allahabad Station, no arrangement has so far been made to display on the platforms the list of the passengers who get sleeping berths and seats reserved for them ;

(b) whether Government are aware that the passengers are put to great inconvenience as a result thereof and it is the Conductor-Guard or some other person who provides information to this effect as and when the train arrives at the station ;

(c) if so, the steps proposed to be taken by Government to ensure that the reservation charts are displayed on the Platforms ; and

(d) the reasons for which the said arrangements have not been made so far in this connection.

The Minister of Railways (Shri Nanda) . (a) : No. Reservation charts are duly displayed in advance on the platform from which the train starts at Allahabad station.

(b) to (d) : Do not arise.

लेखा विभाग द्वारा स्टेशनों के नाम बाकी राशि में वृद्धि करना

7803. **श्री सत्य नारायण सिंह :** **श्री के० रमानी :**
श्री भगवान दास : **श्री के एम० अब्राहम :**

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माल यातायात पर पिछले महीनों बकाया न्यून शुल्क आडट चार्जेज के रूप में एकत्रित की गई बकाया रकम का सत्यापन किये बिना लेखा विभाग द्वारा स्टेशनों के नाम में बाकी राशि बढ़ाई जा रही है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि रेलवे बोर्ड ने हाल ही में निदेश जारी किये हैं कि पिछले महीनों में न्यून शुल्क के रूप में एकत्रित की गई बकाया रकम का सत्यापन किये जाने के बाद ही

स्टेशनों के नाम में बाकी राशि में वृद्धि की जाये;

(ग) यदि हां, तो उक्त सत्यापन के परिणामस्वरूप फरवरी 1970 और मार्च 1970 में स्थानीय यातायात और विदेशी माल यातायात के मामले में पश्चिम रेलवे पर यातायात लेखा के नाम में लिखी गई कितनी बाकी धनराशि काटी गयी ; और

(घ) सरकार ने इस बात को सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की है कि बकाया न्यून शुल्क का सत्यापन किये बिना नाम में रकम न बढ़ाई जाये जिससे स्टेशन पर नियुक्त वाणिज्यिक कर्मचारियों को अनावश्यक परेशानी से बचाया जा सके ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां।

(ख) जी हां। नवम्बर, 1969 में रेलों को यह हिदायत जारी की गयी है कि सम्बन्धित महीने में और उसके बाद के महीने में बकाया न्यून शुल्क विवरणों के साथ स्टेशनों से प्राप्त मशीन से तैयार की गयी बकाया रकम की सार-सूची का सत्यापन करने के बाद ही स्टेशनों के नाम बाकी राशि निकाली जाये।

(ग) कुछ नहीं।

(घ) जैसा कि ऊपर भाग (ख) के उत्तर में बताया गया है, इस सम्बन्ध में आदेश दिये जा चुके हैं।

वर्कशाप एण्ड स्टोर्स एकाउन्ट्स कार्यालय, अजमेर (पश्चिम रेलवे) में ग्रेड-2 के क्लर्कों को स्थायी बनाया जाना

7804. **श्री सत्य नारायण सिंह :** **श्री गणेश घोष :**
श्री मुहम्मद इस्माइल : **श्री नम्बियार :**

क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अजमेर स्थित पश्चिमी रेलवे के वर्कशाप एण्ड स्टोर्स एकाउन्ट्स कार्यालय में ग्रेड-2 के कुल कितने क्लर्क हैं जो सेवा के 13 वर्ष पूरा करने के पश्चात् भी अस्थायी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

अखिल भारतीय अश्रेणीकृत रेलवे लेखा कर्मचारी एसोसिएशन के तीसरे सम्मेलन में पारित प्रस्ताव

7805. **श्री पी० पी० एस्थोस :** **श्री गणेश घोष :**
श्री के० रमानी : **श्री ई० के० नायनार :**

क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय अश्रेणीकृत रेलवे लेखा कर्मचारी एसोसिएशन का एक प्रतिनिधि मंडल उनको 7 मार्च, 1970 को रेल भवन नई दिल्ली में मिला था और उन्होंने अपने तीसरे सम्मेलन में पारित प्रस्ताव की एक प्रति उन्हें दी थी ;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव में उल्लिखित मांगों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने प्रत्येक मांग को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां।

(ख) उनकी मांगें (i) रेलों में लेखा क्लर्कों के लिए लागू 110-180 रुपये और 130-300 रुपये के दो ग्रैडों को मिलाने; (ii) अपेंडिक्स—11 परीक्षा समाप्त करके उसके स्थान पर एक सरल उपयुक्तता परीक्षा शुरू करने; (iii) भर्ती ग्रेड के अधिकतम पर रुके रहने की स्थिति को दूर करने; (iv) चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के निवृत्ति उपरान्त पासों के मान; और (v) आवासीय कार्ड पास जारी करने में बारे में हैं।

(ग) इन सभी मांगों की गुण-दोष के आधार पर जांच की गई है। लेकिन सरकार किसी एक वर्ग की सेवा की शर्तों में कोई बहुत अधिक संशोधन करने स्थिति में नहीं है क्योंकि ऐसा करने से अन्य वर्गों में प्रतिक्रिया होगी। फिर भी, जो कर्मचारी पिछले दो या अधिक वर्षों से अपने वेतन-मान के अधिकतम पर रुके हुए हैं उनके बारे में यह निश्चय किया जा चुका है कि उन्हें एक वेतन-वृद्धि के बराबर रकम वैयक्तिम वेतन के रूप में दी जाये। वेतन-मान आदि सेवा की अन्य शर्तों के बारे में वेतन आयोग विचार करेगा जिसकी कि सरकार द्वारा स्थापना की जा चुकी है।

वर्षा के कारण खाद्यान्नों की मार्ग में हुई क्षति

7806. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1967 से 1969 तक वर्षा के कारण 12.250 मीट्रिक टन खाद्यानों को मार्ग में क्षति पहुंची थी ;

(ख) यदि हां, तो उस क्षति के क्या कारण थे और उसके लिए कौन उत्तरदायी हैं; और

(ग) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कार्यवाही की है कि भविष्य में खाद्यान्नों को क्षति न पहुंचे ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) यह सही है कि 1967 से 1969 तक ढुलाई के समय भींग जाने के कारण कुछ मात्रा में खाद्यान क्षतिग्रस्त हो गया था लेकिन इस प्रकार से क्षतिग्रस्त हुए खाद्यान्न की सही मात्रा का अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

(ख) सामान्यतया अप्रत्याशित वर्षा और दरवाजे की दरारों से पानी रिसने के कारण क्षति होती है। खुले मालडिब्बों में खाद्यानों की ढुलाई में उनको ढकने वाले तिरपाल के उड़ जाने के कारण उनमें लदे हुये खाद्यान्नों के भींग जाने से भी कुछ मात्रा में क्षति पहुंचती है। चूंकि इस प्रकार की क्षति ढुलाई में विशुद्ध रूप से आनुषंगिक है इसलिए, इसके लिए कोई व्यक्ति उत्तारदायी नहीं है।

(ग) जी हां, इस बात को सुनिश्चित करने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं कि जहां तक सम्भव हो, खाद्यान्नों की ढुलाई के लिए बन्द माल डिब्बों की सप्लाई की जाये और केवल अपरिहार्य मामलों में खुले माल डिब्बों की सप्लाई की जाय। खुले माल डिब्बों के संबन्ध में यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि मालडिब्बों को तिरपाल से अच्छी तरह से ढक दिया जाये और सुरक्षा कर्मचारियों द्वारा अनुरक्षी व्यवस्था की जाये।

Rising cost of Engines produced in Diesel Locomotive Works, Varanasi

7807. **Shri Chandrika Prasad** : Will the Mnister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the cost of diesel engine being produced in the Diesel Locomotive Works, Varanasi is increasing day-by-day and as a result of that the engines produced are very costly; and

(b) whether the cost of the said engine at present comes to about Rs. 27 lakhs which is much higher than that of the completed imported engine which costs about Rs. 23 lakhs ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) The cost of production of BG diesel electric locomotives at the Diesel Locomotive Works, Varanasi has shown an upward trend due mostly to increase in the cost of imported as well as indigenously procured components. However, keeping in view the relevant factors viz. the general level of prices, the level of production, it can not be said that the engines produced are very costly.

(b) As per the latest available cost data, the cost of production of BG diesel electric locomotive at the Diesel Locomotive Works, Varanasi, comes to Rs. 22.16 lakhs (excluding proforma charges) and to Rs. 25.45 lakhs (including proforma charges). As such locomotives are not now imported, the landed cost thereof is not available.

Deduction of a Day's wages from Pay Bills of Workers of Store Depot (Diesel Locomotive Works), Varanasi

7808. **Shri Chandrika Prasad** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that because of strike on the 20th July, 1968, the Administration had deducted one day's wages from the pay-bills of the workers of the Store Depot of the Diesel Locomotive Works, Varanasi although they had worked zealously for the entire day; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) **and** (b) : Out of 4 6empoyees the Stores Depot of Diesel Locomotive Works 359 did participate in the illegal strike and stoppage of work on 20-7-1968 and they were not paid wages for the day in accordance with the extant rules.

भारतीय रेलवे में वर्ष 1968-69 में यात्री यातायात में कमी

7809. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 16 वर्षों में पहली बार भारतीय रेलों में वर्ष 1968-69 में 2.0 प्रतिशत यात्री यातायात तथा प्रति किलोमीटर 0.20 प्रतिशत यात्री कम हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या कारण है ; और

(ग) यदि नहीं, तो वास्तविक स्थिति क्या है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां ।

(ख) यह कमी कुछ तो मानसून जल्दी शुरू हो जाने और कुछ बाढ़ और लाइन टूटने के

कारण और कुछ हद तक कम दूरी के यात्री-यातायात का झुकाव रेल से हटकर सड़क परिवहन की ओर हो जाने के कारण आयी।

अब स्थिति बदल गयी है और 1968-69 के पिछले वर्ष की अपेक्षा 1969-70 में यात्री यातायात में वृद्धि हुई है।

(ग) सवाल नहीं उठता।

चौथी योजना के अन्तर्गत कागज की मांग

7810. **श्री ज्योतिर्मय** बसु : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार और समवाय कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी योजना की अवधि में विभिन्न प्रकार के कागजों की वर्ष वार अनुमानित मांग कितनी होगी ;

(ख) इस समय देश में कागज के कारखानों की अनुमानित स्थापित क्षमता कितनी हैं ; और

(ग) सरकार ने चौथी पंचवर्षीय अवधि में वर्षदार अनुमानित मांग की समस्या सुलझाने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) लुग्दी कागज तथा सम्बद्ध उद्योगों की विकास परिषद द्वारा किये गये अध्ययन के अनुसार चौथी पंचवर्षीय योजना में कागज और गत्ते (अखबारी कागज और स्ट्रा बोर्ड / मिल बोर्ड) की मांग निम्नलिखित प्रकार से हो जाने की सम्भावना है :—

वर्ष	मी० टन
1969-70	725,000
1970-71	785,000
1971-72	845,000
1972-73	900,000
1973-74	960,000

(क) कल्चरल पेपर्स (मुद्रण एवं लेखन कागज) की मांग कुल मांग की लगभग 60 प्रतिशत तथा शेष 40 प्रतिशत मांग औद्योगिक कागज (पैकिंग और लपटने का कागज तथा गत्ते) की होती है।

(ख) कागज और गत्ते की वर्तमान स्थापित क्षमता लगभग 7,68,000 मी० टन है जो 1972 तक चार विस्तार योजनाओं तथा गैर सरकारी क्षेत्र में क्रियान्वित की जा रही योजना के फलस्वरूप बढ़कर लगभग 8,13,000 मी० टन हो जाने की आशा है।

(ग) हाल ही में विद्यमान एककों का विस्तार करने तथा गैर सरकारी क्षेत्र में कुछ नये एककों की स्थापना करने के प्रस्तावों पर शीघ्र ही निर्णय किए जाने की सम्भावना है। यदि ये सभी प्रस्ताव स्वीकार हो जाते हैं और कार्यान्वित कर लिए जाते हैं तो स्थापित क्षमता में लगभग

1,96,000 मी० टन की वृद्धि हो जायेगी। उपर्युक्त के अलावा चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक सरकारी क्षेत्र में 80,000 मी० टन मुद्रण और लेखन कागज तैयार करने की क्षमता स्थापित करने का भी निश्चय किया गया है।

बडागार में बैस्ट कोस्ट एक्सप्रेस का रुकना

7811. **श्री ए० श्रीधरन** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस आशय का कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें यह अनुरोध किया गया हो कि दक्षिण रेलवे में बडागारा पर बेस्ट कोस्ट ऐक्सप्रेस को रुकना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उस अनुरोध को स्वीकार कर लिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) उसके निम्नलिखित कारण हैं :—

(i) 1 डाउन / 2 अप मदरास–मंगलूर डाक गाड़ियों सहित 6 जोड़ी गाड़ियां और 29 डाउन/30 अप कोच्चिन–मंगलूर एक्सप्रेस गाड़ियां बडगरा में रुकती हैं।

(ii) 27 डाउन/28 अप वेस्ट कोस्ट एक्सप्रेस गाड़ियों के तुरन्त बाद/पहले ही 29 डाउन/30 अप गाड़ियां चलती हैं।

(iii) 27 डाउन/28 अप क्रमश: 02.41 और 00.23 बजे बडगरा से होकर गुजरती हैं जो बहुत असुविधाजनक समय है।

हैवी इलेक्ट्रिकल्स (इंडिया) लि० द्वारा अणु शक्ति आयोग को टर्बो-जनरेटरों की सप्लाई

7812. **श्री रा० बरुआ** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अणु शक्ति आयोग ने 220 मेगावाट एकल यूनिट टर्बो जनरेटर के लिए सितम्बर, 1967 में हैवी इलेक्ट्रीक्लस (इंडिया) लि० भोपाल को आशय पत्र दिया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या हैवी इलेक्ट्रीकल्स (इंडिया) लिमिटेड उसकी सप्लाई के बारे में वर्ष 1969 के अन्त तक भी कोई समय-सीमा बता सकता है;

(ग) क्या इस असाधारण विलम्ब से कलपक्कम अणु शक्ति परियोजना को पूरा करने में रुकावट उत्पन्न हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो अपेक्षित जनरेटर की सप्लाई करने में इलेक्ट्रीकल्स (इंडिया) लिमिटेड की असमर्थता के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) : अणु शक्ति आयोग द्वारा अक्तूबर, 1968 में टर्बाइन की मांग की सीमा

हैवी इलेक्ट्रिकल्स (इंडिया) लि०, भोपाल को बता दी गई थी। इसे बनाने के उद्देश्य से बढ़िया किस्म की तकनीकी जानकारी प्राप्त करने तथा पुर्जे खरीदने के बारे में विदेशी सहयोगकर्ताओ के साथ लम्बे अरसे तक बातचीत की गई थी। ब्रिटिश की फर्म के साथ सहयोग शर्तों पर अब अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया गया है तथा हैवी इलेक्ट्रीकल्स (इंडिया) लि० उपकरण की सप्लाई के लिये लगभग साढ़े तीन से 4 वर्ष तक का समय लगेगा।

पटेल नगर (दिल्ली) रेलवे स्टेशन के निकट ऊपरी पुल

7813. **श्री न० रा० देवघरे** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) पटेल नगर (दिल्ली) रेलवे स्टेशन के निकट ऊपरी पुल का निर्माण कब आरम्भ किया गया था ;

(ख) यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा; और

(ग) इस पुल पर अनुमानतः कितना व्यय आने की संभावना है ?

रेलवे मंत्री (श्री नंदा) : (क) पुल से पहुंच मार्गों का काम दिल्ली नगर निगम ने जनवरी, 1969 में शुरू किया था और पुल संरचना का काम रेलवे ने जुलाई, 1969 में शुरू किया।

(ख) आशा है, दिसम्बर, 1970 तक यह काम पूरा हो जायेगा।

(ग) लगभग 82 लाख रुपये। इसमें पहुंच मार्गों की लागत भी शामिल है जिनका निर्माण दिल्ली नगर निगम द्वारा किया जा रहा है।

चौथी पंचवर्षीय योजना में रेलवे का विद्युतीकरण तथा डीजलीकरण

7814. **श्री न० रा० देवघरे** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना में भारतीय रेलवे में (जोनवार) कुल कितने मील रेल दूरी का (1 विद्युतीकरण तथा (2) डीजलीकरण किये जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) इन विद्युतीकरण तथा डीजलीकरण परियोजनाओं का ब्योरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) :(क) और (ख) : **बिजलीकरण**

चौथी योजना के दौरान, स्वीकृत परियोजनाओं के 680 मार्ग कि० मीटर में बिजलीकरण के काम को पूरा करने और लगभग 2000 मार्ग कि० मी० में बिजलीकरण का नया काम करने का प्रस्ताव है, जिसमें से, इस योजना-अवधि में, लगभग 1 00 मार्ग कि० मीटर में बिजलीकरण का काम पूरा करने का प्रस्ताव है। इन 2000 मार्ग कि० मी० में से पश्चिम रेलवे पर विरार-साबरमती खंड (442 मार्ग कि० मी०) के बिजलीकरण की मंजूरी दी जा चुकी है। किर्रडुल-वाल्टेयर (471 मार्ग कि० मी०) और पंचकुड़ा-हल्दिया (71 मार्ग कि० मी०) खंडों जो कि दोनों खंड दक्षिण-पूर्व रेलवे पर हैं, के बिजलीकरण का काम 1970-71 के बजट में शामिल किया गया है। दूसरे खण्डों के बिजलीकरण का काम विचाराधीन है।

डीजलीकरण

योजना अवधि के दौरान लगभग 23000 मार्ग कि० मी० में डीजल रेल इंजनों से गाड़ियां चलाने का प्रस्ताव है, जिसमें से 2,000 मार्ग कि० मी० में, योजना के प्रारम्भ-काल से,

पहले ही, आंशिक रूप से या पूरी तरह डीजल रेल इंजनों से गाड़ियां चलाई जा रही हैं । खंड-वार ब्योरा तैयार किया जा रहा है ।

नागपुर में बच्चों के लिए रेलगाड़ी

7815. **श्री न० रा० देवघरे** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नागपुर में बच्चों के लिए एक रेलगाड़ी की व्यवस्था करने का है ;

(ख) यदि हां, तो उस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा): (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

(ग) बच्चों के लिए रेल-गाड़ी की व्यवस्था किस स्थान पर की जाये; यह राज्य सरकार निर्धारित करती है। महाराष्ट्र राज्य का प्रस्ताव है कि इस गाड़ी की व्यवस्था बम्बई में की जाये ।

Stoppage of House Rent Allowance to employees residing in Danapur Station (Eastern Railway)

7816. **Shri Ramavatar Shastri**: Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that tha Divisional Superintendent's Office and Loco Shed of the Eastern Railway are situated in Danapur (Khagaul) and, if so, the number of workers employed there ;

(b) whether the Danapur Cantonment is a Military Station and, if so, the number of the Central Government employees working there ;

(c) whether it is also a fact that Government had declared Danapur Cantonment and Danapur station as 'C' class cities and had been paying house rent allowance to the Government employees for the last three years ; and

(d) whether it is further a fact that Government have stopped paying house-rent allowance to the employees residing in Danapur station (Khagaul) with effect from January this year and if so, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) to (d), Danapur Railway Station and the Divisional Superintendent's office, Danapur are situated in Khagaul Municipality, which is not a qualified city for drawal of House Rent and Compensatory (City) Allowances. The Railway employees of those offices are thus not entitled to House rent allowance as the conditions laid down for this purpose are not fulfilled in their case. The payment of this allowance has been stopped with effect from 1.3.70 because the payments hitherto made constituted an irregularity. The other information asked in the question is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Supply of cold water to workers of Loco Shed, Danapur (Eastern Railway)

7817. **Shri Ramavatar Shastri**: Will the Minister of **Railways** be pleased to

state :

(a) the number of workers employed separately in the Divisional Superintendent's office, Danapur Shed, Eastern Railway ;

(b) whether it is a fact that there is an arrangement for supplying cold water to the Railway workers employed in the Divisional Superintendent's office ;

(c) whether it is also a fact that as against it, the workers of the Loco Shed have to take very hot water from the iron tanks in scorching heat and drink the same ,

(d) If so, the reasons for this discriminatory policy ; and

(e) whether Government propose to supply cold water to the Loco Shed workers also and, if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) The number of workers in Divisional Superintendent's office, Danapur and Divisional shed, Danapur is 1,033 and 800 respectively.

(b) Yes.

(c) No.

(d) Does not arise.

(e) Government are supplying cold water in earthen pots and "surahis".

Shifting of Loco Shed, Danapur (Eastern Railway)

7818. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is a big Loco Shed in Danapur in the Eastern Railway ;

(b) whether it is also a fact that Government propose to shift rhe said Shed to some other place ;

(c) if so, the reasons and justification therefor ; and

(d) by whose advice this is being done ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) (a) Yes

(b) No.

(c) and (d) Do not arise.

Theft of copper wire on Eastern Railway

7819. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the cases of thefts of copper wire have increased on the Eastern Railway recently ;

(b) If so, the quantity and value of copper wire stolen during January, February and March, 1970, separately :

(c) whether Government have taken any steps to check such thefts ; and

(d) if so, the details thereof and the result achieved ?

The Minister of Railways : (a) Yes. Theft of Overhead electric wires had recorded an increase but is now showing a downward trend.

(b) Month	No. of cases	Value
		Rs.
January	21	21,461
February	38	20,121
March	19	14,706

(c) Yes.

(d) 12 Joint camps manned by State Armed Police/Railway Protection Special Force were opend at different Places. Joint patrol parties cover affected sections by patrolling in 4 EMU rakes, one each in Bongaon-Budge Budge and Lakshmikantapur-Diamond Harbour Sections, and they also patrol sections by trollies.

Close co-operation is being maintained with the State Police. A meeting was held by the then Dy. Chief Minister with the Police Officers of the State and the Railway Police wherein it was impressed upon them to take steps to check theft of wire. As a result of these measures, the incidence of this crime is showing a downward trend.

दिल्ली मेन स्टेशन के पार्सल कर्मचारियों द्वारा चांदी की छड़ों का गबन किया जाना

7820. **श्री ओंकार लाल बेरवा:** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली मेन स्टेशन के पार्सल कर्मचारियों द्वारा लगभग 80 किलोग्राम भार वाली चांदी की दो छड़ों को बुक किया गया था और 26 सितम्बर, 1967 को उन्होंने उनका गबन किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई विभागीय जांच की गई थी ; और

(ग) क्या संदिग्ध कर्मचारियों को उस स्टेशन से स्थानान्तरित कर दिया गया था ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा): (क) दिल्ली जंकशन स्टेशन से चांदी की अनेक छड़ें बुक की गयी थीं। इनमें से 70 किलोग्राम वजन की चांदी की दो छड़ें प्रेषण के लिए बुक किये जाने के बाद 26-9 1967 को दिल्ली पार्सल कार्यालय से गायब पायी गयीं।

(ख) और (ग) : सरकारी रेलवे पुलिस ने छान-बीन शुरू की थी लेकिन इस मामले को इस रूप में बंद कर दिया कि इसका पता नहीं चला। विभागीय जांच-पड़ताल की जा रही है और जांच के परिणाम के आधार पर इस मामले में आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

मेरठ सिटी स्टेशन (उत्तर रेलवे) पार्सल कर्मचारियों द्वारा सरकारी धन का गबन

7821. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली स्थित उत्तर रेलवे सतर्कता विभाग के किसी निरीक्षक ने मेरठ सिटी स्टेशन के पार्सल कर्मचारियों द्वारा सरकारी धन का गबन किये जाने के मामले के सम्बन्ध में 26 जुलाई, 1969 को उस स्टेशन का दौरा किया था ; और

(ख) यदि हां, तो क्या जांच पूरी हो गई है तथा सम्बन्धित कर्मचारी को आरोप पत्र दे दिया गया है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) :(क) जी हां।

(ख) जांच पूरी कर ली गयी है और आगे कार्रवाई के लिए उसकी रिपोर्ट पर बिचार किया जा रहा है।

Employment on Northern and North Eastern Railways

7822. **Shri Chandrika Prasad** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether application had been invited vide Railway Service Commission, Allahabad Employment Notice No. 4/66-67 on the Northern and North Eastern Railways, Category No. 34642 ;

(b) If so, the number of persons who sent in applications and the number out of those who were permitted to take the examination ;

(c) the number of those who passed the examination as also of those who were given employment ; and

(d) the number of Harijans among those who were given employment ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) to (d) : Information is being collected and will be laid an the Table of the Sabha.

रुरकेला इस्पात कारखाने के कर्मचारियों को सवारी भत्ता

7824. **श्री स० कुन्दू** : क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सवारी भत्ता नियमों को वर्ष 1970 के लिए रुरकेला इस्पात कारखाने के केवल प्रबन्धक वर्ग के कर्मचारियों पर लागू किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार ये सुबिधाएँ उसी कारखाने के अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों को देने का है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मंत्रालय में उप-मंत्र। (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) और (ख): हिन्दुस्तान स्टील लि० से मालूम हुआ है कि हाल में उन्होंने अपने सवारी भता नियमों में संशोधन किया है। अब यह सुविधा उन सभी कर्मचारियों को दी गई जिनका मूल वेतन 700 रुपये प्रति मास या इससे अधिक है। सरकारी काम से जाने पर उन्होंने जो वास्तव में खर्च किया हो वह उन्हें वापस मिल जाएगा।

(ग) और (घ) : कम्पनी के अन्य कर्मचारियों को यह सुबिधा देने के प्रश्न पर निर्णय करना कम्पनी के प्रबंधकों का काम है। ऐसा मालूम हुआ है कि इस्पात उद्योग की द्वि-पक्षीय वेतन-वार्ता समिति जिन मामलों पर इस समय बिचार कर रही है यह मामला उनमें एक है।

रुरकेला इस्पात कारखाने के कर्मचारियों को प्राप्त छुट्टी-यात्रा-रियायत सम्बंधी सुविधा

7825. **श्री स० कुण्डू** : क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान इस्पात लिमिटेड के निदेशक-मंडल ने 4 मार्च, 1969 को दिल्ली में हुई अपनी बैठक में रूरकेला इस्पात कारखाना के स्थानीय कर्मचारियों को प्राप्त छुट्टी-यात्रा रियायत की सुविधाएं 31 मार्च, 1970 से समाप्त कर दी है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या सरकार का विचार इसको स्थानीय कर्मचारियों के लाभ के लिए पुनः लागू करने का है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) हिन्दुस्तान स्टील लि० ने सूचित किया है कि दो वर्ष में एक बार घर जाने के लिए छुट्टी-यात्रा-रियायत वापस नहीं ली गई है परन्तु 1969-70 में कर्मचारियों को घर के अलावा अन्य स्थानों पर जाने के लिए जो सुविधा दी गई थी वह निदेशक मंडल के 4 अप्रैल, 1969 के निर्णय के अनुसार आगे लागू नहीं रही।

(ख) हिन्दुस्तान स्टील का फिर से यह सुबिधा देने का विचार नहीं है।

इस्पात कारखानों की उत्पादन क्षमता और उनका वास्तविक उत्पादन

7826. **श्री लोबो प्रभु** : क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी और गैर सरकारी इस्पात कारखानों की क्षमता कितनी है और उनमें गत वर्ष वास्तविक उत्पादन कितना हुआ ; और

(ख) सरकारी कारखानों के कर्मचारियों को गत वर्ष की अपेक्षा 20 प्रतिशत से अधिक उत्पादन करने के लिये उत्पादन बोनस न देने के क्या कारण हैं ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में इस्पात कारखानों की इस्पात की अधिष्ठापित क्षमता तथा 1969-70 का उत्पादन नीचे दिया गया है :—

हजार टन

कारखाना	अधिष्ठापित क्षमता	1969-70 में पिण्ड उत्पादन
टिस्को	2000	1708
इस्को	1000	700
भिलाई	2500	1859
राउरकेला	1800	1104
दुर्गापुर	1600	818

(ख) हिन्दुस्तान स्टील लि० के अधीन इस्पात कारखानों में उत्पादन-प्रोत्साहन योजना

पहले से लागू है। हाल में एक नयी योजना तैयार की गई है। यह योजना विस्तृत औद्योगिक इंजीनियरी अध्ययनों के आधार पर बनाई गई है। इस योजना में सीधी प्रेरणा द्वारा अधिक उत्पादन प्राप्त करने तथा उपलब्ध साधनों का बेहतर उपयोग करने की व्यवस्था है। नयी योजना के बारे में कर्मचारियों से बात-चीत हो रही है।

Uniformity re. Fee Charged for Registration of Advocates

7827 . **Shri Janeshwar Misra** : Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is no uniformity in the fee charged for registration of Advocates in the High Courts of various States :

(b) whether it is also a fact that a fee of Rs. 750 is charged for registering the name of an Advocate in Uttar Pradesh whereas it is only Rs .250 in some other States ; and

(c) if so, whether Government propose to amend the Advocates Act to ensure uniformity in the fee charged for a registration of Advocates throughout the country and that no State Government may charge any additional fee from them ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law and in Department of Social Welfare (Shri Saleem) (a) No, Sir.

(b) The Advocates are enrolled by the State Bar Councils on a payment of a fee Rs. 250/—. In the State of Uttar Pradesh besides the said enrolment fee a stamp duty of Rs. 500/—is also payable by every person on his entry as an Advocate on the State Roll of U. P.

(c) No, Sir. The rates of stamp duty fall within entry 63 of the State List of the Seventh Schedule to the Constitution and Parliament is not competent to enact any law on the subject.

बंगलौर स्थित मशीन टूल्स डिजाइन संस्थान

7828. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा : श्री मणिभाई जे० पटेल :**

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर स्थित मशीन टूल्स डिजाइन संस्थान ने भारत में मशीनी औजारों की गणना का कार्य आरम्भ किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना पर कितना व्यय किया जायेगा और यह कार्य कब तक पूरा होगा ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) मशीनी औजारों की गणना का कार्य तकनीकी विकास के महा-निदेशालय को सौंपा गया था। उन्होंने इस कार्य को केन्द्रीय मशीनी औजार संस्थान, विकास आयुक्त, लघु उद्योग, राज्यों के उद्योग निदेशकों एवं भारतीय विनियोजन केन्द्र के घनिष्ट सहयोग से किया था।

(ख) मशीनी औजारों की गणना से उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में इस समय काम में आ रहे मशीनी औजारों के कार्य करने की अवधि तथा देश में लगे मशीनी औजारों के वर्गवार सामान्य नमूनों तथा पिछले 20 वर्षों में उनकी वास्तविक खपत के बारे में जानकारी मिलेगी। इस जानकारी से इंजीनियरों एककों में स्पर्धा के साथ-साथ देश तथा विदेश में इसी प्रकार के एककों के बारे में

उनकी तुलनात्मक क्षमता का निर्धारण करने में सहायता मिलेगी। एकत्र किए गये आंकडों का संगणीकरण किया जा चुका है और ये आंकड़े इसके बाद अद्यतन रखे जायेंगे। एकत्र किए गये आंकड़े आगामी वर्षों में मशीनी औजारों की मांग के लिए युक्ति संगत अनुमान लगाने के आधार होंगे।

(ग) इस परियोजना पर लगभग चार लाख रुपये खर्च होंगे और इसकी रिपोर्ट मई, 1970 तक प्रकाशित हो जाने की आशा है।

आयात प्रतिस्थापन कार्यक्रम

7829. **श्री मणिभाई जे० पटेल : श्री देविन्दर सिंह गार्चा :**

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन क्षेत्रों का पता लगाने तथा उनकी व्याख्या करने के लिये एक उच्च स्तरीय समिति की स्थापना की गई थी जहां लाभप्रद परिणामों के लिये आयात प्रतिस्थापन का कार्य किया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस आयात प्रतिस्थापन के परिणामस्वरूप देश को कितनी धन राशि की बचत हुई है ; और

(घ) आयात को कम करने के लिये कौन-कौन से क्षेत्र चुने गये हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : **(क) और (ख)** : जी. हां। यह समिति आयात प्रतिस्थापन के क्षेत्र में हुई प्रगति निरन्तर पता लगाने के लिये एक स्थायी समिति के रूप में तथा इस क्षेत्र में समय-समय पर जो कार्य किया जाता है उसे आगे करने के सम्बन्ध में पथ-प्रदर्शन करने का कार्य कर रही है। समिति में अन्य आर्थिक मंत्रालयों के सचिव, तकनीकी विकास के महा-निदेशक, उप-आयुक्त, लघु उद्योग तथा भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल के अखिल भारतीय निर्माता संगठन, भारत के लघु उद्योग एसोशियेशनों के संघ तथा भारतीय वाणिज्य और व्यापार मंडल के प्रतिनिधि सम्मिलित हैं।

(ग) और (घ) आयात प्रतिस्थापन कार्यक्रम में उद्योग का समस्त रूप सम्मिलित है और उद्योग के सभी क्षेत्रों में अधिक से अधिक वस्तुओं का विकास करने के लिये निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं जिससे आयात किये जाने वाले उपकरणों, मध्यवर्ती पदार्थों और कच्चे माल के स्थान पर देश में निर्मित वस्तुओं का अधिकाधिक प्रयोग किया जा सके। यद्यपि आयात प्रतिस्थापन आन्दोलन के फलस्वरूप देश को कितनी बचत हुई है इसका ठीक-ठीक पता लगा सकना कठिन है, तो भी बड़े मोटे अनुमान के अनुसार यह बचत 35 करोड़ रु० प्रतिवर्ष के लगभग आयेगी।

पंजाब राज्य को कच्चे लोहे का आवंटन

7830. **श्री मणिभाई जे० पटेल : श्री देविन्द्र सिंह गार्चा :**

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने तीन इस्पात कारखानों की संयुक्त कारखाना समिति से कहा

है कि वे राज्यों की उद्योग की न्यूनतम आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए उसे कम से कम एक लाख टन कच्चा लोहा दें ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) गत वर्ष पंजाब राज्य को कितना कच्चा लोहा दिया गया था ; और

(घ) पंजाब को चालू वर्ष में कितना कच्चा लोहा मिलेगा ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : **(क) से (ग)** : संयुक्त सयंत्र समिति ने 1969-70 में पंजाब के ढ़लाई कारखानों लघु उद्योग कारपोरेशन और स्टाकिस्टों को 137,021 टन कच्चा लोहा दिया था । फरवरी, 1970 तक 91,866 टन कच्चा लोहा भेजा जा चुका था ।

(घ) आशा है कि 1970-71 में भी पंजाब राज्य को कच्चे लोहे का उतना ही आवंटन किया जाएगा ।

भारतीय रेलों में दिये जाने वाले खाद्य-पदार्थों के मूल्य और उनका स्तर

7831. **श्री लोबो प्रभू** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 13 अप्रैल, 1970 को 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित एक समाचार के अनुसार गत वर्ष विभागीय खानपान व्यवस्था से प्राप्त होने वाली 15 लाख रुपये की राशि को मूल्यों में कमी करने के लिये प्रयोग में न लाने के क्या कारण हैं ;

(ख) यदि इसे खाद्य पदार्थों का स्तर बढ़ाने के लिये प्रयोग में लाया जायेगा तो उसके लिये क्या विशेष प्रस्ताव है ;

(ग) विभागीय तथा निजी खानपान व्यवस्था की दरों और स्तर में तुलना न करने के क्या कारण हैं और क्या भविष्य में निगरानी रखने के लिये प्रति वर्ष ऐसा किया जायेगा ; और

(घ) अधिक दाम न लिये जायें इस उद्देश्य से रेलवे स्टेशनों के नोटिस बोर्डों और गाड़ियों में मीनू कार्डों पर दाम न दिखाने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : **(क) और (ख)** : विगत में रेलें विभागीय खानपान व्यवस्था को "न लाभ न हानि" के सिद्धान्त में आधार पर चला रही थीं और इसी आधार पर दर-सूची भी निर्धारित की गयी थी, लेकिन रेलवे खानपान और यात्री सुविधा समिति 1967 की सिफारिश के अनुसार अब इस सिद्धान्त में आशोधन करके 3 से 4 प्रतिशत तक के लाभ और उस लाभ को फिर इसी सेवा में लगाने की व्यवस्था की गयी है । इसीलिए दर.सूची में कमी करने के लिए लाभ की रकम का उपयोग करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ग) कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और दिल्ली के महानगरों में स्थित स्टेशनों पर बिकने वाली चाय और काफी की दरों में सिवाय, जिन्हें निर्धारित करना सम्बन्धित रेल प्रशासनों पर छोड़ दिया जाता है, विभागीय और ठेकेदार द्वारा संचालित खान पान व्यवस्था—दोनों ही में शाकाहारी और सामिष (भारतीय पश्चिमी किस्म) दोनों प्रकार के मानक भोजन, चाय और काफी की दरों का मानकीकरण अखिल भारतीय आधार पर किया जाता है और ये दरें रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित

की जाती हैं। पूरी, मिठाई, व्यंजन सूची के सामान आदि जैसी अन्य वस्तुओं की दरें हर रेलवे भोजन तैयार करने, सेवा आदि की लागत तथा अन्य स्थानीय पहलुओं को ध्यान में रखकर निर्धारित करती है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि दरें निर्धारित सूची के अनुसार ली जा रही हैं और दिये जा रहे भोजन का स्तर अपेक्षित स्तर का है, विभागीय तथा निजी खान पान व्यवस्था के जरिए बेचे जाने वाले भोजन के स्तर तथा दरों की नियमित जांच एवं अचानक निरीक्षण किया जाता है।

(घ) इस बात की हिदायतें मौजूद है कि सभी भोजनालयों, जलपानगृहों स्टाल और प्रत्येक खोमचे वाले के खोमचे में विधिवत हस्ताक्षरयुक्त अधिकृत मूल्य सूचियां प्रदर्शित की जायें। भोजन यानों और जल-पानगृहों के बेयरों के लिए भी यह अपेक्षित है कि वे जब ग्राहकों के पास उनकी भोजन सम्बन्धी आवश्यकता के बारे में पूछने जायें तो अपने साथ एक छोटी सी जेबी साइज की मूल्य सूची एवं मीनू कार्ड रखें। इस सम्बन्ध में यदि चूक की कोई घटना नोटिस में आती है, तो दोषी कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है।

Flooring of Platform at Mantharalayam Road

(South Central Railway)

7832 : **Shri Jagannath Rao Joshi** : Will the Minister of **Railways** be pleased to State :

(a) whether it is a fact that thousands of people catch the train from and alight from the train at Mantharalayam Road station (South Central Railway) because of its being a place of pilgrimage and a demand for flooring the entire platform has been made on several occasions ;

(b) if so, the time by which the work is likely to be taken up ; and

(c) in case it is not proposed to provide a flooring there, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a), to (c) : Manthralayam Road station is on the Southern Railway. The information is being collected and will be laid on the table of the Sabha.

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती किये अधिकारियों की पदोन्नति में भेदभाव

7833. **श्री विद्याधर वाजपेयी** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से इन्टरव्यू द्वारा रेलवे में भर्ती किये अधिकारियों को अस्थायी अवर्गीकृत दर्जा दिया गया है और यदि सीधे भर्ती किये गये 4 वर्ष की सेवा वाले अधिकारी उपलब्ध हों तो 10 से 15 वर्ष की सेवा वाले इन अस्थायी अधिकारियों को पदोन्नत करने के प्रश्न पर विचार नहीं किया जाता ;

(ख) क्या यह भी सच है कि एम० ई० एस० में संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से इसी प्रकार भर्ती किये गये अधिकारियों को श्रेणी एक का अस्थायी दर्जा दिया जाता है और उनकी भावी पदोन्नति उनकी वरिष्ठता तथा सेवा अवधि पर आधारित होती है ; और

(ग) यदि भाग (क) और (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो एक ही सरकार के दो मंत्रालयों में पदोन्नति के समान अवसरों में व्यापक भेदभाव के क्या कारण हैं और इस भेदभाव को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) :(क) रेलों पर अस्थायी अधिकारियों को अवर्गीकृत का दर्जा दिया गया है।

पदोन्नतियां वरिष्ठता एवं उपयुक्तता के आधार पर की जाती हैं। किसी भी संगठित सेवा में स्थायी अधिकारी अस्थायी अधिकारियों से वरिष्ठ माने गये हैं।

(ख) और (ग) : योजना अवधियों में रेलों पर अस्थायी अधिकारी विकासशील और निर्माण कार्य में नियुक्ति के लिए भर्ती किये गये थे और वे अधिक आयु वाले व्यक्तियों में से सीधे लिये गये थे। उन्हें श्रेणी . के अस्थायी अधिकारियों के रूप में भर्ती नहीं किया गया था, लेकिन बिना वर्गीकरण के उन्हें राजपत्रित का दर्जा दिया गया था क्योंकि वे किसी श्रेणी की सेवा के संवर्ग में नहीं आते थे।

साल ब साल स्थायी श्रेणी . की जितनी खाली जगहें नियत की जाती हैं उन पर उन्हें स्थायी रूप से समाहित करने के बारे में विभागीय पदोन्नति समिति (जिसकी अध्यक्षता संघ लोक सेवा आयोग के एक सदस्य करते हैं) द्वारा विचार किया जाता है।

दूसरे विभागों में अस्थायी अधिकारी उसी प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से श्रेणी . के अस्थायी अधिकारियों के रूप में भर्ती किये गये थे और इसलिए उनके लिए स्थायी पदों का जो कोटा नियत है उन पर उन्हें स्थायी रूप से समाहित करन के लिए उनकी अस्थायी सेवा की अवधि के आधार पर विचार किया जा रहा है।

विभिन्न विभागों के अन्तर्गत विभिन्न सेवाओं में पदोन्नति के लिए बराबर किस्म के अवसरों की व्यवस्था करना सम्भव नहीं है।

उत्तर रेलवे में आशुलिपिकों द्वारा ड्राफ्ट्समैनों का स्थायीकरण

7834. **श्री विद्याधर वाजपेयी :** **श्री श्रीचन्द गोयल :**

क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने सितम्बर, 1969 में उत्तर रेलवे को एक निदेश दिया था कि जिन व्यक्तियों की रेलवे में सेवा 7 वर्षों से अधिक हो गयी है उन्हें स्थायी किया जाये और 31 दिसम्बर, 1969 तक स्थायी तथा अस्थायी कर्मचारियों का एक विवरण रेलवे बोर्ड को भेजा जाये;

(ख) यदि हां, तो वेतन क्रमवार स्थायी तथा अस्थायी आशुलिपिकों की संख्या कितनी है और उत्तर रेलवे में उन्होंने कितने-कितने समय तक सेवा की है ; और

(ग) स्थायी तथा अस्थायी ड्राफ्ट्स मैनों की संख्या कितनी है और उत्तर रेलवे में उन्होंने कितने-कितने समय तक सेवा की है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) सितम्बर, 1969 में रेलवे बोर्ड द्वारा आदेश जारी किये गये थे कि यह सुनिश्चित करने के लिये एक विशेष अभियान चलाया जाय कि जहां तक संभव हो, जिन कर्मचारियों के 7 वर्ष से अधिक तक सेवा की हो, उन्हें स्थायी कर दिया जाये। रेलों से इस

अभियान के परिणामों के सम्बन्ध 31-1-70 तक एक रिपोर्ट पेश करने के लिए भी कहा गया था।

(ख) और (ग) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभापटल पर रख दी जायेगी।

उत्तरी राज्यों में सीमेंट कारखाने लगाना

7835. **श्री हेमराज** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार तथा संघ राज्य क्षेत्र वार सीमेंट के कितने कारखाने हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि उत्तरी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में अभी तक केवल कुछ एक ही सीमेंट के कारखाने स्थापित किये गये हैं जब कि भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग ने सिद्ध कर दिया हैं कि ऐसे कारखानों की स्थापना के लिये वहां पर चूने का पत्थर बहुत मात्रा में विद्यमान है ; और

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तरी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में सरकारी क्षेत्र अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में और अधिक सीमेंट कारखाने स्थापित करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :(क) देश में 46 सीमेंट फैक्टरियां (2 पोरबन्दर में) हैं।

राज्यवार ब्यौरा निम्न प्रकार है :

राज्य	एककों की संख्या
आन्ध्र प्रदेश	6
आसाम	1
बिहार	7
गुजरात	6
हरियाणा	2
जम्मू तथा काश्मीर	1
केरल	1
मध्य प्रदेश	4
महाराष्ट्र	1
मैसूर	5
उड़ीसा	2
राजस्थान	3
तामिलनाडु	6
उत्तर प्रदेश	1
	46

(ख) इस समय उत्तरी क्षेत्र में सात सीमेंट फैक्टरियां स्थित हैं। दो फैक्टरियों को परख के रूप में चलाया जा रहा है उनमें वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ होने वाला है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना अवधि में दो और फैक्टरियां लगने की आशा है।

(ग) सीमेंट का जहां अधिक उत्पादन हो रहा है ऐसे क्षेत्रों में नई क्षमता की स्थापना को निरुत्साहित करने और जहां उत्पादन कम है उन क्षेत्रों में नयी क्षमता की स्थापना करने का सरकार ने नीति निर्णय किया है। इसके अनुसरण में सरकार ने निर्णय लिया है कि आगे से सरकारी क्षेत्र में अतिरिक्त क्षमता की स्थापना कमी वाले क्षेत्रों में ही की जायेगी। बोकाजन (आसाम) में सीमेंट फैक्टरी की स्थापना का मामला विचाराधीन है।

बम्बई में स्थानीय गाड़ियों के सीजन टिकट वालों के लिए यात्रा रियायत को समाप्त करना

7836. **श्री रामावतार शर्मा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार रेलवे को हो रहे घाटे को ध्यान में रखते हुए बम्बई में स्थानीय गाड़ियों के सीजन टिकट वालों को दी हुई यात्रा रियायतों को समाप्त करने का है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) अभी इस तरह का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) सवाल नहीं उठता।

उड़ीसा में इस्पात कारखाने स्थापित करने के लिये उड़ीसा सरकार का अनुरोध

7837. **श्री स० कुन्दू** : क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने एक पत्र में, जिसके साथ एक ज्ञापन है, भारत सरकार से विशेषत: इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग के राज्य मंत्री से अनुरोध किया है कि दो इस्पात कारखाने उड़ीसा में स्थापित किये जाये ;

(ख) यदि हां, तो पत्र कब लिखा गया था और उड़ीसा में, दो इस्पात कारख़ानों की स्थापना के समर्थन में पत्र तथा ज्ञापन में क्या मुख्य दलीलें दी गई हैं ; और

(ग) क्या चौथी योजना में एक इस्पात कारखाना उड़ीसा में स्थापित करने का सरकार का विचार है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी हां।

(ख) उड़ीसा सरकार का पत्र 5 मार्च, 1970 का है और उसमें उड़ीसा में इस्पात कारखाना लगाने के लिए मुख्य आधार राज्य में कच्चे माल की उपलब्धि बताया गया है।

(ग) जी, नहीं। परन्तु भविष्य के इस्पात कारखानों के लिए इन स्थलों पर विचार करने का प्रस्ताव है।

व्यापार गृहों की आस्तियां

7838. **श्री अर्जन सिंह भदौरिया** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) व्यापार गृहों की कम्पनियों तथा उद्योगों और उनके नियन्त्रणाधीन और/अथवा प्रबन्धाधीन कम्पनियों तथा उद्योगों को ध्यान में रखते हुए, उनमें से ऐसे व्यापार गृहों की संख्या कितनी है जिनकी आस्तियां 20 करोड़ रुपये से अधिक है और ऐसे व्यापार गृह कितने है जिनकी आस्तियां 50 करोड़ रुपये और 100 करोड़ रुपये से अधिक हैं ; और

(ख) यदि कोई कम्पनी एक से अधिक उपक्रम चला रही है, तो प्रति उपक्रम आस्तियों की अलग-अलग गणना करते हुए ऐसी फर्मों अथवा कम्पनियों की संख्या कितनी है जिनकी आस्तियां 1 करोड़ रुपये, 2 करोड़ रुपये और 5 करोड़ रुपये से अधिक है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट में उल्लिखित संरचना तथा कम्पनियों के 1967-68 के वार्षिक लेखे से प्राप्त वित्तीय आंकड़ों के अनुसार, 20 करोड़ रुपयों से अधिक की परिसम्पत्तियों वाले औद्योगिक गृह 48, 24 औद्योगिक गृहों की परिसम्पत्तियां 50 करोड़ रु० से अधिक तथा 100 करोड़ रुपयों से अधिक की परिसम्पतियों वाले 9 औद्योगिक गृह थे।

(ख) एकाधिकार जांच आयोग द्वारा कम्पनियों (सरकारी, बैंकिग तथा बीमा के अतिरिक्त) की बाबत संग्राहीत सूचना के अनुसार 31 मार्च, 1964 तक 838 कम्पनियों की परिसम्पतियां 1 करोड़ रुपये से अधिक थी, 474 कम्पनियों की परिसम्पतियां 2 करोड़ रुपयों से अधिक तथा 169 कम्पनियों की परिसम्पतियां 5 करोड़ रु० से अधिक थी । फर्मो तथा उपक्रमों की बाबत सूचना उपलब्ध नहीं है ।

भारी इंजीनियरिंग निगम को हानि

7839. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड, रांची को अब तक कुल कितनी हानि हुई है और 1969-70 में कितनी हानि हुई थी; और

(ख) हानि के क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है और उसका क्या परिणाम रहा ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) भारी इंजीनियरी निगम लि०, रांची, को 31 मार्च, 1969 तक कुल 40.73 करोड़ रुपये की हानि हुई है । वर्ष 1969-70 के हिसाब-किताब को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

(ख) कम्पनी को अब तक हुई हानि के निम्नलिखित कारण हैं :

(i) क्षमता का धीरे-धीरे बढ़ना ।

(ii) उपलब्ध क्षमता का पूर्ण उपयोग न होना ।

(iii) आरम्भिक अवस्था में अपर्याप्त उत्पादकता ।

(iv) दस्ती, पूंजी पर ब्याज आदि का निश्चित प्रभार ।

सामान्यत: इस प्रकार की प्रायोजनओं को आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद होने में कई वर्ष लग जाते हैं । उत्पादन में क्रमिक बृद्धि होने से आगामी वर्षों में कार्यफल अच्छा रहेगा । निगम हानि को कम करने के लिए हर संभव उपाय कर रही है ।

लोहे तथा इस्पात का संग्रहीत मूल्य (पूल प्राइस)

7840. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से कहा है कि लोहे और इस्पात के मूल्य निर्धारित किये जायं जो पूरे देश में लागू हों ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, नहीं, लेकिन संयुक्त संयंत्र समिति ने सरकार की अनुमति से लोहे और इस्पात के जो मूल्य निश्चित किये हैं वे भारत में सभी स्थानों के लिए जहां तक रेल जाती हैं एक जैसे हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

मानसिक रूप से अविकसित बच्चों की समस्या

7841. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या विधि तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मानसिक रूप से अविकसित बच्चों की समस्या के समाधान के लिये क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) क्या इस उद्देश्य के लिये कोई राशि नियत की गई है ;

(ग) क्या कुछ सामाजिक संगठन इस कार्य को कर रहे हैं यदि हां, तो क्या इसके लिये उनको सहायता दी जाती है ; और

(घ) क्या विश्व स्तर पर इस समस्या को सुलझाने की वांछनीयता पर विचार किया गया है, यदि हां, तो इस दिशा में क्या प्रयास किये गये हैं और क्या परिणाम निकले हैं ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेण गुह): (क) और (ख) समाज कल्याण विभाग ने मानसिक रूप से अविकसित बच्चों के लिये नई दिल्ली में एक माडल स्कूल की स्थापना की है । यथाशीघ्र ही अविकसितों के लिये एक वृहद राष्ट्रीय केन्द्र के रूप में इसका विकास किया जायगा ।

(ग) जी हां, समाज कल्याण विभाग विकासकारी उद्देश्यों के लिये, अपाहिजों तथा अविकसितों के लिये बनायी गई संस्थाओं को सहायता प्रदान करता है ।

(घ) सरकार के पास कोई ऐसी सूचना नहीं है कि विश्व स्तर पर इस सम्बन्ध में कोई महत्वपूर्ण प्रयत्न किया गया है।

इस्पात ढांचों के डिजाइन, निर्माण तथा स्थापना के बारे में कलकत्ता में हुआ सम्मेलन

7842. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में हाल ही में इस्पात ढांचों के डिजाइन, निर्माण तथा स्थापना के बारे में एक सम्मेलन हुआ था ; और

(ख) यदि हां, तो विचार विमर्श का ब्योरा क्या है और सम्मेलन के निष्कर्ष क्या हैं ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : **(क) और (ख)** : यह मालूम हुआ है कि भारतीय मानक संस्था ने भारतीय इंजीनियरी संस्था तथा इण्डियन वेल्डिंग इंस्टीट्यूट के सहयोग से एक ऐसे सम्मेलन का आयोजन किया था। यह सम्मेलन कलकत्ता में हुआ था। इस्पात और भारी इंजीनियरी मंत्रालय को इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित नहीं किया गया था।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड का केन्द्रीय इंजीनियरिंग तथा डिजाइन ब्यूरो

7843. **श्री राजदेव सिंह** : **श्री कार्तिक उरांव** :

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के केन्द्रीय इंजीनियरिंग तथा डिजाइन ब्यूरो ने एक सम्पूर्ण इस्पात मिल का निर्माण करने सम्बन्धी पर्याप्त जानकारी और विशेषज्ञता प्राप्त कर ली है ;

(ख) यदि हाँ, तो भारत सरकार और रूस के बीच मार्च, 1970 में हुए प्रोटोकल के करार की शर्तें क्या हैं ;

(ग) क्या इस प्रोटोकल में ऐसा एक खंड है जिसके अनुसार परियोजना प्रतिवेदन में कोई भी परिवर्तन करने के लिए रूसी एकक का परामर्श और सहमति लेना आवश्यक होगा ; और

(घ) क्या इस का यह आशय है कि केन्द्रीय विकास इंजीनियरिंग तथा डिजाइन ब्यूरो को स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य करने की अनुमति नहीं है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) केन्द्रीय इंजीनियरी और रूपांकन कक्ष हिन्दुस्तान स्टील लि० का परामर्श स्कंध है। यह इस्पात मिल का निर्माण नहीं करता परन्तु इस्पात कारखानों की स्थापना में सलाह देने का कार्य करता है। इसने इस सम्बन्ध में जानकारी का विकास किया है। इस जानकारी में रह गई कमी को विदेशी परामर्श संगठनों से सहयोग-समझौता करके पूरा किया गया है/किया जा रहा है।

(ख) और (ग) : मार्च, 1970 में भारत सरकार और सोवियत संघ के बीच किसी करार (प्रोटोकल) पर हस्ताक्षर नहीं हुए लेकिन श्री स्केचकोव की भारत यात्रा के दौरान 20 फरवरी,

1970, को एक करार (प्रोटोकल) हुआ था। इस्पात और भारी इंजीनियरी मंत्री ने इस सदन में 24-2-1970 को अपने वक्तव्य में इस करार का सार बता दिया था।

(घ) जी, नहीं।

हिन्दुस्तान मोटर्स लिमिटेड द्वारा कार के पुर्जों का निर्यात

7844. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान मोटर्स लिमिटेड कार के पुर्जों के निर्यात की संभावनाओं का पता लगा रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस निर्यात से देश में मोटर गाड़ियों के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ; और

(ग) ऐसे निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा के अर्जित किये जाने की सम्भावना है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) इस सम्बन्ध में फर्म से कोई ठोस प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं। सविवरण प्रस्ताव की अनुपस्थिति में यह बता सकना सम्भव नहीं कि पूर्वानुमानित निर्यात देश में मोटर गाड़ियों के उत्पादन को कहां तक प्रभावित करेगा।

(ग) फर्म ने ऐसे निर्यात से अर्जित की जाने वाली विदेशी मुद्रा का भी निर्देश नहीं किया है।

जयपुर डिवीजन (पश्चिम रेलवे) के लोको शंटरों द्वारा अभ्यावेदन

7845. **श्री जि० मो० विश्वास** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड को पश्चिम रेलवे के जयपुर डिवीजन के लोको शन्टरों से कोई अभ्यावेदन मिला है ;

(ख) उन्होंने क्या विषय उठाये हैं ; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां।

(ख) निरक्षरता के कारण शन्टरों की, 'सी' ग्रेड के ड्राइवर के पद पर पदोन्नति रोक लेने के विरुद्ध अभ्यावेदन।

(ग) निर्धारित कार्यविधि के अनुसार, निरक्षर ड्राइवरों को मुख्य लाइन पर काम करने की अनुमति नहीं है। अतः शाखालाइनों पर जगह खाली होने पर 'सी' ग्रेड के ड्राइवरों के रूप में उनकी पदोन्नति के दावे पर विचार किया जायेगा।

बड़ौदा डिवीजन (पश्चिम रेलवे) में प्लेटफार्मों तथा तीसरे दर्जे के प्रतीक्षागृहों में मिठाइयां आदि के स्टालों का किराया

7846. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम रेलवे ने बड़ौदा डिवीजन में सभी स्टेशनों (जिनमें बड़ौदा स्टेशन भी है) पर प्लेटफार्मों और तीसरे दर्जे के प्रतीक्षा गृहों में मिठाइयों आदि के स्टालों के किराये बढ़ा दिये हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस डिवीजन के सभी ठेकेदारों ने 50 प्रतिशत अधिक किराया अदा किया परन्तु बड़ौदा स्टेशन का ठेकेदार इसके लिए सहमत नहीं हुआ ;

(ग) यदि हां, तो बड़ौदा के ठेकेदार को किस आधार पर छूट दी गई ;

(घ) क्या यह सच है कि बड़ौदा के ठेकेदार ने रेलवे से 1,30,000 रुपये का दावा किया था और इसका उसे भुगतान कर दिया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

(घ) और (ङ): एक ठेकेदार ने कम स्थान दिये जाने के कारण लाइसेंस फीस और किराये की मद में एक लाख से अधिक रुपये की वापसी के लिए दावा किया था, लेकिन दावे की समूची रकम वापस नहीं की गयी । केवल 8,472 रुपये 70 पैसे की रकम देय पायी गयी और उसका भुगतान कर दिया गया ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION ON THE MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani) : On a point of order; Sir. The question of earth satellite pertains to exploration in outer space and in view of those it should be dealt with in the Department of Atomic Energy. Therefore I would like the Prime Minister to give reply to this calling Attention. This calling attention is connected with the security of our country. When China can launch such satellites, why India is lagging behind ? The Prime Minister should reply to this.

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : This question is connected with the development of nuclear technology. In view of this it would be better if the Prime Minister replies to this calling attention .

Mr. Speaker : This calling attention was addressed to the Defence Minister and therefore it was sent to him.

Shri George Fernandes (Bombay South) : I call attention of the Minister of Defence to the following matter of urgent public importance and I request that he may make a statement thereon :—

"Reported launching of the first earth sattelite to China and its implications in respect of India's security.

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्णसिंह) : सभा को पहले ही सूचना दी जा चुकी है कि चीन ने मध्यम स्तर के प्रक्षेपणास्त्र बनाने की क्षमता प्राप्त कर ली है । चीन द्वारा 173 किलोग्राम का एक भू-उपग्रह अन्तरिक्ष में सफलतापूर्वक छोड़े जाने से पता चलता है कि चीन ने 5 हजार मील

से भी दूर तक मार करने वाला अन्तर्महाद्वीपीय प्रक्षेपणास्त्र छोड़ने की पर्याप्त क्षमता का राकेट इंजन तैयार कर लिया है। इस विकास का पूर्ण रूप से मूल्यांकन करने के लिये उपग्रह सम्बन्धी और ब्यौरे की प्रतीक्षा करना होगी, परन्तु यह स्पष्ट है कि चीन अब अन्तर्महाद्वीपीय प्रक्षेपणास्त्र बनाने की क्षमता प्राप्त करने ही वाला है। उन्होंने पुनः प्रवेश और टर्मिनल मार्गदर्शन की समस्याओं के बारे में हैं। इसमें कुछ और सुधार करके उपग्रह का प्रयोग प्रक्षेपणास्त्रों आदि के छोड़े जाने के स्थानों मार्गों के बारें में जानकारी एकत्र करने के उद्देश्य से किया जा सकेगा।

भारत सरकार ने पहले से ही अन्तरिक्ष कार्यक्रम बनाया हुआ है और इस सम्बन्ध कुछ वर्षों से कार्य किया जा रहा है। वर्तमान कार्यक्रम के अनुसार हम वैज्ञानिक या प्रयोगात्मक उपग्रह कम ऊंचाई की धुरी में 4 या 5 वर्षों में छोड़ सकेंगे। एक बार आधारभूत प्रणाली तैयार हो जाने पर विकास के दूसरे चरण तक पहुंचना सम्भव होगा। यह समस्त कार्यक्रम 10 वर्ष का है। अब इस पर फिर विचार किया जायेगा जिससे इसकी गति तेज की जा सके।

Shri George Fernandes : This is an important and serious matter. We want to know the progress made by India in this field keeping in view the developments, made in China. We know that some thing is going in Thumba but we do not know any details about these rockets. China is still in the occupation of our one lakh square mile land and Pakistan is also in possession of 50,000 square miles of our land. This Government has not disclosed her policy so far. They have always been misleading the people. When China had exploded atom bomb we had raised the issue but we were told that we shall get Air umbrella from U. S. A. But now the position has been changed. U. S. A. has to take care of her own interests. Our Government has always been depending on U. S. A. or U. S. S. R. Instead they should give new direction to the economic and poiitical structure of the country. It is not the question of launching an earth satellite. This shows the preparations made by China in the last 22 years. In case the Defence Minister cannot give any reply, the Prime Minister may be asked to give a specific reply. Now China can attack on us right from her own territory without crossing Himalayas. I want to know whether Government have evovled any delivery system or decided any strategy to meet any eventuality ? Whether Government is capable of manufacturing an atom bomb ? U. S. A. and U. S. S. R. are putting pressure on our country to sign Nuolear Non-proliferation Treaty. Whenever our Government has asked for any type of assistance, they have been putting this condition. Will the honourable Minister give a categorical assurance that they will not sign the said treaty ?

डा० राम सुभग सिंह (बक्सर) : यह बहुत गम्भीर मामला है। इसका उत्तर प्रधान मंत्री को देना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न प्रतिरक्षा मंत्री से पूछा गया था। यदि यह प्रश्न प्रधान मन्त्री से पूछा जाता तो यह मांग उचित थी।

श्री स्वर्णसिंह : ध्यान दिलाने वाली सूचना का नोटिस मुझे भेजा गया था और अब माननीय सदस्य चाहते हैं कि इसका उत्तर प्रधान मंत्री दें। यह अनुचित बात है। (**व्यवधान**)

माननीय सदस्य ने परमाणु प्रसार निषेध संधि पर हस्ताक्षर न करने के सम्बन्ध में आश्वासन मांगा है। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि उपर्युक्त सन्धि पर हस्ताक्षर न करने की हमारी नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। हमने यह निर्णय सोच समझ कर लिया है और हम उस पर कायम हैं। इसका कारण यह है कि यह भेदभावपूर्ण है और इसके परिणाम स्वरूप एक नया गुट

बन गया है। इसके साथ ही यह संधि शान्तिपूर्ण प्रयोजनों के लिये भी परमाणु शक्ति के विकास में बाधक है।

जहां तक परमाणु बम बनाने की हमारी नीति का सम्बन्ध है, हमने उस पर इस सभा में ब्यौरेवार चर्चा की थी। सरकार ने अपनी नीति स्पष्ट कर के बताई थी कि हमारी नीति शान्तिपूर्ण प्रयोजनों के लिये परमाणु शक्ति का विकास करने की है। परमाणु बम बनाने का हमारा कोई कार्यक्रम नहीं है।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : What action will be taken by the Government in the changed circumstances ?

श्री स्वर्णसिंह : मुझे पता है कि कुछ माननीय सदस्यों के विचार इस नीति से भिन्न हैं। परन्तु मैंने सरकार की नीति स्पष्ट कर दी है और इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। मुझे इसके अतिरिक्त कुछ नहीं कहना है। (**व्यवधान**)

Shri George Fernandes : I want to know whether Government is capable of manufacturing atom bomb or not ?

Mr. Speaker : The honourable Member should not interrupt like this.

श्री स्वर्णसिंह : प्रक्षेपणास्त्रों अथवा परमाणु शस्त्रों के हमले से रक्षा करने का कोई उपाय नहीं है, यह एक कठोर सत्य है। अमरीका तथा रूस ने प्रक्षेपणास्त्रों का मुकाबला करने के लिये एक कार्यक्रम बनाया है। इस सम्बन्ध में नवीनतम विचार यह हैं कि उपर्युक्त कार्यक्रम भी प्रभावकारी नहीं है। इसलिये वे कुछ व्यवस्था करने के लिये बातचीत करने का प्रस्ताव कर रही हैं। यह बात समस्त विश्व के वैज्ञानिक जानते हैं। फिर इस कार्यक्रम की रूपरेखा इतनी विशाल है कि हम इसे अपनाने की बात कई वर्षों तक सोच नहीं सकते। फिर अब तो बड़े-बड़े राष्ट्र भी इस निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं कि परमाणु शस्त्रों से और विशेष कर अन्तर्महाद्वीपीय प्रक्षेपणास्त्रों के आक्रमण से रक्षा करना एक कल्पना मात्र है। माननीय सदस्य ने एक प्रश्न यह पूछा था कि क्या हम सामाजिक तथा राजनीतिक समस्याओं के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलने के लिये तैयार हैं या नहीं ? इस बात का निर्णय करना संसद का काम है। राजनीतिक तथा आर्थिक कार्यक्रम संसद की अनुमति से चलाये जाते हैं।

Shri George Fernandes : My question has not been answered properly. I had asked whether Government can manufacture an atom bomb or not or whether they have got technical know how or not ?

श्री स्वर्णसिंह : हमने इसी कारण से इस पहलू पर विचार नहीं किया है। (**व्यवधान**)

जब हमने यह निर्णय किया है कि हमने अणु बम नहीं बनाना है तो यह कहना बेकार है कि हमारे पास अणु बम बनाने का सामर्थ्य है या नहीं है। (**व्यवधान**)

Shri Ramavtar Shastri. (Patna) : It is great achievement of China to launch an earth satellite. I want to know whether our Prime Minister has congratulated Government of China for this achivement. (**Interruption**) It is question of scientific achievement. (**Interruptions**).

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : संसद में इस प्रकार के विचार व्यक्त करने से विश्व में गलतफहमी पैदा हो सकती है। फिर इस देश के लिये यह बात अपमान जनक भी है। (**व्यवधान**)

श्री उमानाथ (पुद्दूकोटै) : यह किसी सदस्य के निजी विचार हैं। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : यह ध्यान दिलाने वाला प्रस्ताव चीन के उपग्रह के बारे में है।

Shri Madhu Limaye : On a point of order, Sir. Let him cangratulate China and if he wants let him invite them to rule over India.

Shri Ramavtar Shastri : I still want to know whether our Prime Minister is prepared to send a telegram to China at this late stage congratulating them for this great scientific achievement ? **(Interrupations)**

अध्यक्ष महोदय : केवल भारत की सुरक्षा के सम्बन्ध में जो बात कही जायेगी वह बात इस प्रश्न से सम्बद्ध है.....

श्री रणधीरसिंह (रोहतक) : ये सब बातें सभा की कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल देनी चाहिये।

Shri Ramavtar Shastri : I want to know as to what is the mystry behind this achievement of China while we are still launching baloons from Thumba ? Is it not a fact that the cause of this achievement is socialism ?

श्री रणधीरसिंह : इस प्रकार की बातें बन्द की जानी चाहिये। हम इन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकते। (**व्यवधान**)

Shri Ramavtar Shastri : I want to know whether it is not a fact that this country is still backward inspite of spending crores of rupees **(Interruption)**

Shri Randhir Singh : All these things should be expunged.

Shri N. K. P. Salve (Betul) : Please consult your conscience and then give your ruling to the fact whether all these questions are relavant ?

श्री स्वर्ण सिंह : यदि हम परमाणु शक्ति के विकास का मामला देश के आर्थिक या राज नीतिक ढांचे के साथ जोड़ेंगे तो हम चर्चाधीन विषय से दूर हट जायेंगे। विज्ञान के विकास का संबंध समाजवाद या पूंजीवाद से नहीं है। यह ठीक है कि हम परमाणु कार्यक्रम के मामले में चीन से पीछे हैं। अतः हमें अन्तरिक्ष कार्यक्रम तथा परमाणु कार्यक्रम की गति तेज करने के लिये प्रयत्न करने चाहिये।

श्री वेदव्रत बरूआ (कलियाबोर) : शुभ कामनाएं भेजना तो शिष्टाचार की बात है। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति यह मांग नहीं कर सकता कि हमें चीन को शुभ कामनाएं अवश्य भेजनी चाहिये। मंत्री महोदय ने बताया है कि उपर्युक्त कार्यक्रम की गति तेज करने के लिये फिर विचार किया जायेगा जिससे 10 वर्ष की निश्चित अवधि में कमी की जा सके। राष्ट्रपति निकसन का कहना है अमरीका प्रक्षेपणास्त्र तोड़ हथियारों से 4 या 5 वर्ष तक अपनी रक्षा कर सकेगा। तत्पश्चात चीन के परमाणु आक्रमण से अमरीका अपनी भी रक्षा नहीं कर सकेगा। अतः मैं सरकार से पूछता हूं कि यदि वर्ष 1978 में भारत पर कोई ऐसा आक्रमण करता है तो वह अपनी रक्षा करने के लिये क्या उपाय कर रहा है ? बिशेषज्ञ लोग यह स्वीकार करते हैं कि वर्ष 1978 तक, जब चीन के प्रक्षेपणास्त्र प्रभावकारी बन जायेंगे तो अमरीका भी उन्हें रोकने में असमर्थ होगा। क्या सरकार वर्ष 1978 तक परमाणु बम बनाने की योजना बना रही है ? अमरीका और रूस 1978 के बाद एशिया में कुछ नहीं कर सकेंगे। इस लिये मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या सर-

कार अपनी परमाणु नीति पर फिर से विचार करेगी ? मै यह भी पूछना चाहता हूं कि क्या परमाणु शस्त्रों के लिये धन उपलब्ध करने हेतु परम्परागत सेनाएं कम की जायेंगी ?

Shri Madhu Limaye : Sir, as I am entitled to raise a point of order under Rule 376, I want to raise it now

Mr. Speaker : No point of order should be raised during call attention.

श्री स्वर्णसिंह : माननीय सदस्य ने इस बात पर बहुत अधिक बल दिया है कि परमाणु-प्राद्योगिकी तथा परमाणु विज्ञान के विकास के सम्बन्ध में सरकार एक स्वतंत्र नीति अपनाए। इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य को मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ कि परमाणु प्रद्योगिकी या परमाणु शक्ति के विकास हेतु हमारी अपनी एक नीति है और वह किसी के दबाव में आकर नहीं बनाई गई है। (अन्तर्बाधाएँ) हमारे चीन के साथ मतभेद तो अवश्य है और उन्हें दूर करने का प्रयास भी हम कर रहे हैं। हम अपनी प्रभुसत्ता की स्वतंत्रता करना चाहते हैं, हम किसी भी ऐसे समूह में नहीं मिलना चाहते जो चीन के प्रभाव को रोकने में लगा हुआ है।

जहाँ तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है कि परमाणु अस्त्रों की दिशा में बढ़ने से प्रतिरक्षा पर होने वाला खर्च कम हो जायेगा, मेरा यह विचार है कि उस दिशा में बढ़ने के बाद भी हम उस खर्चे को कम नहीं कर सकेंगे, जो परम्परागत हथियारों पर इस समय किया जा रहा है। क्योंकि हमारे देश की सीमाओं की स्थिति ऐसी है कि हमें वायु सेना थल सेना और जल सेना तीनों के सम्बन्ध में परम्परागत तैयारियाँ करनी ही पड़ेंगी।

श्री म० ला० सोंधी (नई दिल्ली) : गत वर्ष सितम्बर में चीन ने जब दसवें उदजन बम का परीक्षण किया था, उस समय मंत्री महोदय ने बताया था कि चीन अभी प्रक्षेपण-प्रणाली का विकास करने की स्थिति में नहीं है। मैं यह बताना चाहता हूं कि यह अनुमान लगाने में प्रतिरक्षा मंत्रालय का गुप्तचर विभाग पूर्णतः विफल रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस बात की जांच करायेगी कि प्रतिरक्षा के गुप्तचर विभाग ने चीनी अन्तर्द्वीपीय प्रक्षेपणास्त्र के विकास के बारे में ठीक अनुमान लगाने में असफल क्यों रहा ? चीनी उपग्रह-व्यवस्था से जो संकेत इस समय भेजे जाते हैं, क्या हम उन्हें पकड़ और समझ पा रहे हैं ? प्रक्षेपणास्त्र-कार्यक्रम के बारे में भी प्रतिरक्षा मंत्रालय के प्रतिवेदन में कोई उल्लेख नहीं है। अतः मैं यह भी जानना चाहता हूं कि सरकार का प्रक्षेपणास्त्र के विकास का कार्यक्रम क्या है ? साथ ही मैं यह भी चाहता हूं कि सरकार स्पष्ट शब्दों में यह घोषणा करे कि हम परमाणु-प्रसार विरोध सन्धि पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे।

श्री स्वर्णसिंह : श्री सोंधी का बात कहने का ढंग बहुत ही उत्साहपूर्ण था। परन्तु उनका यह कहना गलत है कि मैंने सभा को गुमराह किया। यदि वह मेरे वक्तव्य का कोई ऐसा अंश प्रस्तुत करे जो गलत हो तो मैं सभा से क्षमा मांगने के लिये तैयार हूं। जहाँ तक प्रतिरक्षा से सम्बन्धित जानकारी देने का प्रश्न है, मैं ऐसी सभी जानकारी देता हूं जो सामरिक दृष्टि से गोपनीय रखने लायक नहीं है। जहाँ तक हमारे प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम का सम्बन्ध है, इस समय भारत में यह कार्यक्रम सीमित है। आजकल प्रतिरक्षा के उपयोग के लिये पृथ्वी से आकाश में मार करने वाले प्रक्षेपणास्त्रों का ही विकास किया जा रहा है। जहाँ तक अणु-प्रसार, रोक सन्धि का सम्बन्ध है, हमने उस पर हस्ताक्षर न करने का निर्णय किया है। हाँ, मैं माननीय सदस्य की इस बात से

सहमत हूं कि हम ऐसी परमाणु और अन्तरिक्ष प्राद्योगिकी तैयार करें, जो हमारे वैज्ञानिक अपने ज्ञान के आधार पर विकसित करें। इस बीच यदि हमें कहीं से भी इस कार्यक्रम के लिये तकनीकी सहायता मिलती है, तो मुझे उसे स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं होगा।

———

'नार्दन इंडिया पत्रिका' इलाहाबाद के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न

QUESTION OF PRIVILEGE AGAINST 'NORTHERN INDIA PATRIKA' ALLAHABAD

श्री ज्योतिमय बसु (डायमंड हार्बर) : 1अप्रेल 197) के नारदर्न इंडिया पत्रिका, इलाहाबाद में सभा का कार्यवाही वृतान्त से सम्बन्धित समाचार गलत छापा गया है। अतः मैं उस पर विशेषाधिकार के हनन का आरोप लगाता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि यह मामला विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाये।

अध्यक्ष महोदय : सभा की परम्परा के अनुसार उक्त पत्र के सम्पादक को पत्र लिख दिया गया है। उसका उत्तर आने के बाद मैं इस मामले को लूंगा।

———

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री भानु प्रकाश सिंह): श्री फखरूद्दीन अली अहमद की ओर से कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1968-69 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) वर्ष 1968-69 के लिये भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स नई दिल्ली, का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल. टी 3329/70]

(2) (एक) हैवी इलैक्ट्रिकल्स (इंडिया) लिमिटेड, भोपाल के वर्ष 1968-69 के कार्य सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) वर्ष 1968-69 के लिए हैवी इलैक्ट्रिकल्स (इंडिया) लिमिटेड, भोपाल, का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 3330/70]

इस्पात तथा हैवी भारी इंजिनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(1) त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड, के वर्ष 1968-69 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) वर्ष 1968-69 के लिए त्रिवेणी स्ट्रकचरल लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा-परीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 3331-70]

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : मैं देश के विभिन्न भागों में व्याप्त सूखे की स्थिति (जुलाई, 1969 से मार्च 1970 तक) के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3332-70]

लोक लेखा समिति
PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE
106 वां, 107 वां और 110 वां प्रतिवेदन

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर पूर्व) : मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं :

(1) लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल), 1969 के पैरा 124 तथा 1966-67 और 1967-68 के वर्षों के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (सहकारिता विभाग) के लेखे सम्बन्धी लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के बारे में 106वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(2) गृह-कार्य मंत्रालय, वैदेशिक-कार्य मंत्रालय तथा संसद्-कार्य विभाग से सम्बन्धित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल), 1969 के बारे में 107वां प्रतिवेदन।

(3) सीमा-शुल्क से संबद्ध राजस्व प्राप्तियां सम्बन्धी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल), 1969 के अध्याय 2 के बारे में 110वां प्रतिवेदन।

———

हल्दिया बरौनी तेल पाइप लाइन सम्बन्धी जाँच समिति के बारे में अल्प सूचना प्रश्न सं० 11 के उत्तर में शुद्धि
CORRECTION OF ANSWER TO SHORT NOTICE QUESTION No 11. RE ENQUIRY COMMITTEE ON HALDIA BARAUNI OIL PIPE LINE

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : हल्दिया बरौनी पाइपलाइन जांच समिति के बारे में अल्प सूचना प्रश्न संख्या 11 के अनुपूरिकों के मेरे उत्तरों में, मैंने कहा था "कि बात यह है भारतीय तेल निगम ने तत्कालीन मंत्री, श्री अशोक महता की अनुमति से इस तकनीकी समिति की नियुक्ति की थी"। मुझे बताया गया है कि वास्तविक खनन तथा पाइप लाइन कार्य प्रणालियों के चयन पर भूमि अध्ययन के लिये तकनीकी समिति की जरूरत मंत्रालय में सचिव के स्तर पर महसूस की गई। इस बात को भारतीय तेल निगम के ध्यान में लाया गया जिस पर उन्होंने जांच समिति की नियुक्ति की। समिति के गठन में भारतीय तेल निगम के निदेशकों के बोर्ड की अनुमति थी और मंत्रालय को इस की सूचना दे दी गई थी।

2. दूसरे, श्री मधु लिमाये के अन्य अनुपूरिक प्रश्न का उत्तर देते समय मैंने कहा था कि "तब, जब सेवा-निवृत्त हुये, उन्होंने (श्री एन० एस० राव) कहा था कि रिपोर्ट तैयार है और यह एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत कर दी जायेगी।" श्री नाम्बियार के एक अनुपूरिक प्रश्न संख्या का उत्तर देते समय मैंने कहा था "कार्य समाप्त कर लेने के पश्चात, उन्होंने कहा कि वे रिपोर्ट लिख रहे हैं, रिपोर्ट तैयार करने के लिये उन्हें कुछ दिन चाहिये।" 21/22-8-68 को श्री एन० एस० राव द्वारा लिखे गये एक पत्र की ओर मेरा ध्यान दिलाया गया है जिसमें और बातों के साथ साथ निम्नप्रकार से लिखा था "मैं कहना चाहूंगा कि जांच का एक भारी अंश पूरा हो गया है और मैं यह भी समझता हूं कि जांच के शेष भाग में लम्बा समय नहीं लगना चाहिये।"

श्री अशोक मेहता, तत्कालीन पैट्रोलियम तथा रसायन मंत्री, ने सितम्बर, 1969 में पुष्टि की है कि श्री एन० एस० राव के सेवा-काल में वृद्धि करने में उनकी पूर्व स्वीकृति ली गई थी।

3. मैं सदन से अनुरोध करता हूं कि पूर्व उत्तरों में, उपरोक्त कथन के अनुसार संशोधन किया जाये।

नियम 377 के अन्तर्गत मामला

MATTER UNDER RULE 377

गुजरात में मध्यावधि चुनावों के बारे में मंत्रि मंडल की आंतरिक कार्य समिति का कथित निर्णय

डा० राम सुभग सिंह (बक्सर) : श्रीमान्, आज के समाचार पत्रों में यह समाचार छपा है कि "केन्द्रीय सरकार गुजरात में मध्यावधि चुनावों का अनुमोदन नहीं करेगी। ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त समाचार गुजरात के राज्यपाल को भयभीत करने के लिये छापा गया है। केन्द्रीय मन्त्रि-मंडल को यह अधिकार नहीं है कि वह मध्यावधि चुनाव का या उस बारे मे किये गये निर्णय का अनुमोदन और निरनुमोदन करे। यह अधिकार तो राज्य के राज्यपाल को ही होता है। जब तक राज्यपाल को मुख्य मन्त्री से तत्सम्बन्धी सिफारिश नही मिल जाती और केन्द्रीय सरकार को इस सम्बन्ध में राज्यपाल से रिपोर्ट नही मिल जाती तब तक राज्यपाल को किसी भी प्रकार से भयभीत नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार की बातों से तो दल-बदल को और भी प्रोत्साहन मिलता है। (अन्तर्बाधाएं) गुजरात राज्य की विधान सभा में सरकार की शक्ति की विनियोग विधेयक पर परीक्षा की जा चुकी है। उस पर पक्ष में 93 मत और विपक्ष मे 65 मत आये थे। मैं सरकार पर यह आरोप लगाता हूं कि सरकार ने यह समाचार जान बूझ कर छपवाया है। बिहार राज्य में भी सरकार को इसी प्रकार से डराया गया था। विपक्ष की सरकारों को गिराने का जो अभियान प्रधान मन्त्री ने शुरू किया था, उसने ऐसा रूप ले लिया है जिसके अन्तर्गत राज्यपाल डराये जाते हैं।

श्री हेम बरूआ (मंगलदायी) : इस मामले पर विचार मन्त्रिमंडल की आन्तरिक मामलों से सम्बन्धित समिति में किया गया था और उसमें राज्यपाल की अवहेलना की गई।

अध्यक्ष महोदय : अब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा समाप्त हो चुकी है। अब मैं उस सम्बन्ध प्रश्न उठाने की किसी को भी अनुमति नहीं दूंगा।

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : यह सच नहीं है कि इस मामले पर आन्तरिक मामलों से सम्बन्धित समिति में चर्चा हुई थी। इस समिति की न तो औपचारिक बैठक हुई है और न इस सम्बन्ध में कोई निर्णय ही किया गया है। विधान सभा को विघटन करने का अधिकार राज्य पाल को होता है। और वह ऐसा राज्य के मुख्य मन्त्री के परामर्श से करता है। मैं प्रधान मन्त्री और सरकार की ओर से यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हम किसी भी सरकार को गिराना नहीं चाहते।

श्री मोरारजी देसाई (सूरत) : यदि इस मामले पर मन्त्रि-मंडल के आन्तरिक मामलों से सम्बन्धित समिति में विचार नहीं किया गया, तो यह समाचार पत्रों में कैसे छप गया ? राज्यपाल पर इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से दबाव नहीं डाला जाना चाहिए। राज्यपाल को अपने स्वविवेक से काम करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैंने अभी यह स्पष्ट किया है कि आन्तरिक मामलों से सम्बन्धित समिति की कोई औपचारिक बैठक नहीं हुई। अतः उसमें निर्णय करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। हमारी एक अनौपचारिक बैठक हुई थी और उसमें हमने देश की विभिन्न समस्याओं पर विचार किया था। उक्त समाचार का इससे अधिक खन्डन और किस प्रकार से किया जाये।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (बाढ़) : हम तो इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण चाहते है, बहस नहीं। आन्तरिक मामलों से सम्बन्धित समिति में चाहे यह मामला अनौपचारिक रूप से ही चर्चा का विषय रहा हो, किन्तु किसी मन्त्री ने इसका समाचार जानबूझकर समाचार पत्रों को दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आप बैठ जायें।

अनुदानों की मांगे—1970-71

DEMANDS FOR GRANTS-1970-71

प्रतिरक्षा मंत्रालय

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे (बेतूल) : आज बड़ी शक्तियाँ अन्य देशों के साथ स्थापित नियमों के अन्तर्गत मित्रता रखती हैं और उसी प्रकार उनके मित्रों का बड़ी शक्तियों के साथ व्यवहार है। यदि बड़ी शक्ति 'क' मित्रता के नाते किसी अन्य देश 'ख' को वित्तीय तथा सैनिक सहायता देती है तो इसका तात्पर्य यह नहीं है कि वह किसी 'ग' देश को ऐसी सहायता नहीं दे सकता है जो कि 'ख' देश को नष्ट करना चाहता है। वह ऐसा कर सकता है बशर्ते वह समझे कि 'ग' देश को सहायता देने से उसके अपने हित पूरे होते हैं।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

इस सिद्धान्त की इंगलैंड के प्रधान मन्त्री ने स्पष्ट व्याख्या की थी कि आज के अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में हमारे स्थायी मित्र अथवा शत्रु नहीं है अपितु स्थायी हित हैं। अतएव यदि हम अपने प्रतिरक्षा समस्याओं और मामलों का स्थायी समाधान चाहते हैं तो बड़ी शक्तियों पर निर्भर रहने से नहीं आयेगा। हमें अपनी प्रतिरक्षा की आवश्यकताएं स्वयं सुलझानी पड़ेगी जो कि अपने प्रतिभाओं और संसाधनों का कर्मठता के साथ उपयोग करने से आयेगा। मुझे यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ

जब कुछ सदस्यों ने यह सुझाव दिया कि हमें किसी एक बड़ी शक्ति पर निर्भर होना चाहिए जब कि दोनों शक्तियां पाकिस्तान की सहायता कर रही हैं। ऐसा करना तो घातक सिद्ध होगा, चूंकि मुझे अपने जन-कल्याण और देश की चिन्ता है अतएव मैं अमेरिका या रूस की चिन्ता नहीं करता जब कि मेरे देश में प्रतिरक्षा तैयारियाँ और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन तथा प्रतिभाएं हैं। अतएव हमें इस मामले में आत्मनिर्भरता के लिए स्वयं आगे बढ़ना होगा।

इस सम्बन्ध में मेरा यह कहना है यदि हम प्रतिरक्षा समस्याओं का स्थायी हल चाहते हैं तो हमें पाकिस्तान तथा चीन के साथ चल रहे वाद-विवाद को निरन्तर प्रयास के द्वारा सुलझाना होगा। निश्चय ही इन समस्याओं का समाधान राष्ट्रीय प्रतिष्ठा और भारतीय जनता के आत्म प्रतिष्ठा के अनुकूल होना चाहिए। निस्सन्देह पाकिस्तान के साथ वाद-विवाद काफी समय से चले आ रहे हैं तथा वे कठिन है परन्तु निश्चय ही असम्भव नहीं हैं। उनको विवेक पूर्वक सुलझाया जा सकता है। मैं नहीं समझता कि काश्मीर समस्या को सुलझाना असम्भव है अपितु पाकिस्तान को यह समझ लेना चाहिए कि काश्मीर समस्या का समाधान का सम्बन्ध हमारी धर्मनिरपेक्ष प्रजातंत्र से है।

जहां तक चीन का सम्बन्ध है, इसमें अभेद्य सैनिक शक्ति द्वारा विनाशकारी रूप धारण कर लिया है। चीनी नेता इस समय सत्ता में मदांध हो रहे हैं तथा निरंकुशता का रूप धारण किया हुआ है। भारत-चीन सीमा विवाद जो 8 वर्ष से अवरुद्ध पड़ा है, 8 मिनट के समय में ही सुलझ सकता था बशर्ते कि चीनी नेता अपने विचारों में परिवर्तन लाते। मुझे आशा है कि एक दिन चीनी जनता भारतीय जनता के निकट आयेगी जैसा कि वह अपने नेताओं द्वारा विश्वासघात करने से पूर्व थी।

चीन ने अपनी सैनिक शक्ति में अभूतपूर्व विकास किया है। यह तीसरी बड़ी सैनिक शक्ति है। प्रतिरक्षा मन्त्रालय ने अपने प्रतिवेदन में कुछ आंकड़े दिए है जिनसे पता चलता है कि चीन सैनिक शक्ति में कितना बढ़ा हुआ है। इसके अतिरिक्त उसके पास परमाणु शस्त्रागार है।

चीन सदा गोपनीयता का आवरण धारण किये रहता है। इससे हमारे लिए हानि यह है कि हम चीन की सैनिक तैयारियों का ठीक-ठीक अनुमान नहीं लगा सकते हैं। चीन की गोपनीय बातों का पता लगाना अत्यन्त कठिन है। मुझे आशा है कि भारत ने अपने गुप्तचर विभाग को मजबूत तथा सुसंगठित किया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि चीन का मन्तव्य क्या है और हम सोते न रह जायें।

निस्सन्देह यह सच है कि हमें सैनिक तैयारियां करते समय यह तथ्य ध्यान में रखना चाहिए कि हम चीन जैसे सिद्धान्तहीन और निर्दयी पड़ौसी देश से घिरे हुए हैं। ऐसी स्थिति में मैं प्रतिरक्षा के लिए 1151.51 करोड़ रुपये का बचत को न्यायोचित नहीं समझता हूं। एक विकासशील देश के लिए यह धन अधिक हो सकता है पर इसकी उपेक्षा भी नहीं की जा सकती है जबकि हमारे दुश्मन यह घात लगाये बैठे हैं कि कब हमें कमजोर पाकर हमला किया जाये।

प्रतिवेदन को पढ़ने से यह सन्तोषजनक लगा, इसमें "रोल आन" योजना ने प्रभावित किया है जिस पर कि प्रतिरक्षा तैयारियाँ की जा रही हैं। "रोल आन" योजना में तीन विशेषताएँ हैं। पहला, कि यह संसाधनों पर आधारित योजना है, दूसरा यह आगे दस वर्ष की प्रतिरक्षा आवश्यकताओं पर आधारित है ! अन्तिम, इस 'रोल आन' योजना के अन्तर्गत चालू वर्ष समाप्त होने पर अगला वर्ष स्वतः ले लिया जाता है, यह योजना प्रभावी तथा लोचशील है और मुझे आशा है कि

इससे हमारी प्रतिरक्षा तैयारियों में सुधार होगा तथा यह अधिक कार्यक्षम बनेगा ।

हमारी वायु सेना का विकास हुआ है । इसमें 45 स्क्वैड्रन है । इस प्रतिवेदन में एक आश्चर्यजनक बात कही गई है । वह वायु सेना द्वारा आक्रमण होने के समय प्रतिरक्षात्मक कार्यवाही करने की है । यह तो युद्ध के प्रति समूचे दृष्टिकोण को बदल रहा है । आज वायु सेना की शक्ति प्रतिरक्षात्मक आधार पर न होकर संहारक आधार पर होनी चाहिए । मुझे एक बात का आश्चर्य है कि हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड का एक अलग प्रबन्ध निदेशक नहीं है । यह तो एक मजाक बनाया जा रहा है । हम इस प्रकार कब तक वायुसेनाध्यक्ष को प्रबन्ध निदेशक बनाते रहेंगे, मेरा प्रश्न यह है कि वायुसेनाध्यक्ष को प्रबन्ध निदेशक क्यों बनाया गया है ? क्या यह इस पद के लिए उम्मीदवारों की कमी के कारण है ? प्रतिवेदन में ऐसा कहा गया है कि गैर सरकारी क्षेत्र के किसी व्यक्ति पर हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमेटिड का प्रबन्ध कार्य सौंपा जायेगा । मुझे आशा है कि यह बात गल्त होगी । मुझे यह विश्वास है कि प्रतिरक्षा मन्त्री प्रतिरक्षा बलों में राजनीति तथा भाई-चारा नहीं लाएंगे । हमारी सेनाएं देशभक्त तथा वीर और ईमानदार हैं, वे इस बात को न सह सकेंगी । मुझे विश्वास है कि ऐसा नहीं होगा और गैर सरकारी क्षेत्र के किसी व्यक्ति को हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड का प्रबन्ध कार्य नहीं सौंपा जायेगा ।

प्रतिवेदन में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि हम प्रतिरक्षा में प्रयुक्त होने वाले कच्चे माल के लिए विदेशी साधनों पर कम से कम निर्भर होने के लिए क्या कर रहे हैं । युद्ध के दिनों में हमें विदेशों से कच्चा माल मिलने में बहुत कठिनाई हुई । इस प्रतिवेदन में इसका उल्लेख नहीं किया गया है ।

हमने परमाणु नीति के मामले में अवास्तविक दृष्टिकोण अपनाया है । आज प्रतिरक्षा मन्त्री महोदय कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाये, हम हाइड्रोजन बम नहीं बनायेंगे परन्तु क्या इतना ही कहना पर्याप्त है । मैं उनसे जानना चाहता हूं कि परमाणु आक्रमण के समय वे अपनी जनता की रक्षा किस प्रकार करेंगे ? क्या आप को विश्वास है कि चीन कभी भी भारत पर परमाणु अस्त्रों से आक्रमण नहीं करेगा ? अमेरिका के लोग परमाणु आक्रमण की संभावना से चिन्तित हैं और इसके लिए हर संभव उपाय उठा रहे है परन्तु हम इस ओर उदासीन है । कहीं इतिहास प्रतिरक्षा मन्त्री को इस बात के लिए दोष न दे कि वे अपनी जनता की सुरक्षा की ओर उदासीन रहे ।

श्री के० रमानी (कोयम्बत्तूर): *मैं आरम्भ में ही इस बात को कहना चाहता हूं कि हमारे देश की प्रतिरक्षा नीति दोष पूर्ण हैं । मुझे आशा है कि प्रतिरक्षा मन्त्री मेरी बात सुनकर तदनुसार उसमें परिवर्तन करेंगे ।

हमारे नेता कहते हैं कि हमारी प्रतिरक्षा नीति इस सिद्धान्त पर आधारित है कि हमें अपने देश की दो शत्रु देशों यथा चीन और पाकिस्तान से रक्षा करनी है । यह स्पष्ट है कि हमारी यह नीति इसी आधार पर बनाई गई है । इस नीति के समर्थक यह कहते हैं कि प्रति वर्ष प्रतिरक्षा व्यय बढ़ाने से इस नीति को वे कार्यान्वित कर सकते हैं ।

वर्ष 1968 -69,1969-70 में प्रतिरक्षा पर व्यय क्रमशः 1051 करोड़ रुपये तथा 1110 करोड़ रुपये था और 1970-71 में हम इसमें 1150 करोड़ रुपया खर्च करते जा रहे हैं । यह हम

* मूल तामिल के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रुपान्तर
Hindi Translation of the English speech originally delivered in Tamil

सभी जानते हैं कि हमारे देश में 52 करोड़ व्यक्ति भुखमरी के कगार पर खड़े हैं। उनमें बेकारी भयंकर रुप से फैली हुई है। इस ओर धन लगाने के स्थान पर हम प्रतिरक्षा पर अधिक व्यय कर रहे हैं। इसके लिए एक यही कारण दिया जा रहा है कि हमारे पड़ोसी देशों के साथ मित्रता पूर्ण संबन्ध नहीं है। यदि हम उनके साथ मित्रता पूर्ण संबन्ध नहीं बनाए रख सकते तो हमें शस्त्रों की दौड़ में आना ही पड़ेगा।

मैं इस बात पर जोर नहीं दे रहा हूं कि हमें देश की प्रतिरक्षा व्यवस्था को मजबूत नहीं बनाना चाहिए। सरकार को देश की सुरक्षा के लिए प्रभावी कार्यवाही करनी चाहिए, यदि आप विभिन्न देशों के सैनिक इतिहास को देखें तो यह पायेंगे कि उचित प्रतिरक्षा नीति का आधार जनता में होना चाहिए तथा प्रतिरक्षा नीति तभी स्थायी रह सकती है जब गरीबी और भुखमरी की समस्या को सुलझा दिया जाये।

हमारे पड़ोसी देशों के साथ मित्रतापूर्ण संबध नहीं है। चीन, पाकिस्तान और नेपाल के साथ भी हमारे संबन्ध अच्छे नहीं है। यदि सभी पड़ोसी देश हमारे साथ शत्रुतापूर्ण रवैया अपनाये रहे और यह स्थिति जारी रही तो हम देश की अखण्डता और स्वतंत्रता की रक्षा न कर सकेंगे।

पाकिस्तान के शासनतंत्र में कुछ आधारभूत परिवर्तन आये हैं। वहाँ तानाशाही का उन्मूलन किया जा रहा है इसी प्रकार चीन में भी परिवर्तन आ रहा है। अमेरिका भी, चाहे चीन के साथ उसका भारी मतभेद है, चीन से वार्तालाप करना चाहता है। जहाँ दोनों देशों के राजनयिक प्रतिनिधि है, वहां बातचीत होती है। चीन का पाकिस्तान तथा नेपाल के साथ मित्रतापूर्ण सम्बन्ध है। यद्यपि रूस और चीन का कई मामलों में मतभेद हैं परन्तु फिर भी उनमें मित्रतापूर्ण समझौते का प्रयास चलता रहता है। अमेरिका और रूस क्यों चीन के साथ मित्रता चाहता है? वे जानते हैं कि यदि उन्होंने चीन के विरुद्ध शस्त्रों को दौड़ में सक्रिय भाग लिया तो वे बरबाद हो जाएंगे और उनकी यह नीति उनके लिए आत्मघातक सिद्ध होगी।

क्या सरकार कभी इस संबन्ध में उचित कार्यवाही करेगी? सरकार का यह कहना है कि वे ऐसे युग में हैं जहां उनकी नीतियों तथा कार्यवाहियों में परिवर्तन हो रहे हैं परन्तु उन्होंने अपनी प्रतिरक्षा नीति नहीं बदली है। हम इस प्रकार अपने प्रतिरक्षा व्यय में हर वर्ष वृद्धि नहीं कर सकते हैं। हमें ऐसी ठोस कार्यवाही करनी चाहिए जिससे चीन तथा पाकिस्तान के साथ मित्रता स्थापित की जा सके। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो हमें अमरीका और रूस साम्राज्यवादियों की ओर झुकना पड़ेगा। तभी मेरा यह कहना है कि वर्त्तमान नीति दोषपूर्ण है।

हमारी प्रतिरक्षात्मक संगठन का ढांचा तत्कालीन ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के समय से चला आ रहा है। उच्च श्रेणी के अधिकारियों और जवानों के मध्य सम्बन्ध संतोषजनक नहीं है। वे जवानों के साथ दास की भांति व्यवहार करते हैं। यहां इस बात की आलोचना की गई है कि अधिकारियों का रवैया अभिमानपूर्ण तथा हठी होता है। वे समझते हैं कि देश की अखंडता का भार उन पर है। इस रवैये के कारण वे जवानों को जीवन की न्यूनतम सुविधाओं से भी वंचित रखते हैं। इस बात की पुष्टि के लिए मैं वेतन आदि के आंकड़े दे सकता हूं उसको देखने से यह पता चलेगा कि उच्च श्रेणी के अधिकारियों को जवानों की तुलना में कितना अधिक मिलता है।

मैं अब प्रतिरक्षा उत्पादन पर चर्चा करूँगा। मन्त्री महोदय श्री ल० ना० मिश्र ने अपने

वक्तव्य में कहा था कि 30 प्रतिरक्षा उत्पादन एककों में 200 करोड़ रुपये मूल्य का सामान तैयार किया जाता है। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि इसमें काम कर रहे 2 लाख कर्मचारियों के साथ क्या व्यवहार किया जा रहा है ? इन कर्मचारियों की समस्याएँ तथा मांगे अनगिनत हैं। मन्त्री महोदय ने कहा है कि सम्भवत: उनकी छंटनी की जाएगी। यदि ऐसा किया गया, तो स्थिति बहुत बिगड़ जायेगी; मैं चाहता हूं कि मन्त्री महोदय इसका स्पष्टीकरण दें।

सरकार ने इन कारखानों की स्थापना विदेशी एकाधिकारी कम्पनियों के सहयोग से की हैं। प्रतिरक्षा जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्र में विदेशी धन का प्रभाव है। हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स, भारत इलेक्ट्रानिक्स, गोवा पत्तन, मैजागन पत्तन आदि कई परियोजनाओं में विदेशी सहयोग लिया गया है। गैर सरकारी क्षेत्र के कम्पनियों को भी बड़े ठेके दिये जाते हैं। प्रतिरक्षा कार्यों में प्रयुक्त जीप आदि का निर्माण टाटा तथा महिन्द्र एण्ड महिन्द्र जैसे गैर सरकारी उद्योगों में कराया जाता है। देश के गैर सरकारी एकाधिकारियों तथा विदेशों के एकाधिकारी पूंजीपतियों ने हमारे देश के प्रतिरक्षा आवश्यकताओं पर अपना अधिकार किया हुआ है। कल ही मन्त्री महोदय ने कहा था कि वे गैर सरकारी क्षेत्र से 40 करोड़ रुपये मूल्य का सामान खरीदेंगे। एक ओर तो वे सरकारी क्षेत्र के कारखानों में कार्य कर रहे कर्मचारियों में छंटनी करने को कहते हैं और दूसरी ओर गैर सरकारी क्षेत्र से सामान खरीद रहे हैं। यह एक आश्चर्य की बात है कि सरकार अपनी प्रतिरक्षा आवश्यकताओं की पूर्ति सरकारी क्षेत्र के उद्योगों से न पूरा कर गैर सरकारी क्षेत्र तथा विदेशी पूंजीपतियों से पूरा कर रही हैं। मैं सरकार को सावधान कर देना चाहता हूं कि इसमें खतरा है।

इस क्षेत्र में कदाचार बहुत बड़ी मात्रा में हो रहा है, बिनियोग प्रतिवेदन के पृष्ठ 40 से 78 तक में इन कदाचारों के बारे में बताया गया है। भ्रष्टाचार ने हमारी सुरक्षा तन्तु को कुतर दिया है और सरकार विदेशी कम्पनियों और गैर सरकारी क्षेत्र में व्यापार-करार कर रही है।

देश पर खतरे के आगमन के समय हमने आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों की नियुक्ति की थी। मन्त्रालय के प्रतिवेदन में बताया गया है कि 4253 आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों को सेवा मुक्त किया गया है जिनमें से अल्प अधिकारियों को पुन: कार्य दिलाया गया है। शेष अधिकारियों के बारे में क्या किया गया है। वे आज सड़कों में बेरोजगार घूम रहे हैं। इसी प्रकार लाखों सैनिकों को निकाल दिया गया है तथा सेवामुक्त कर दिया गया है। उनको कृषि अथवा मकान बनाने के लिए भूमि नहीं दी गई है। जिन्होंने देश की रक्षा करने के लिए प्रतीज्ञा की थी, आज वे बेघरबार तथा निराश्रय हो गये हैं। मेरा अनुरोध है कि उन व्यक्तियों के लिए शीघ्र ही कुछ किया जाना चाहिए।

सरकार प्रतिरक्षा संगठन अंग्रेज शासकों की पद्धति पर चला रही है। हम प्रतिदिन सुनते हैं कि सरकार नई नीतियों तथा कार्यक्रमों को लागू करेगी तथा इससे एक नया आत्मविश्वास उत्पन्न होगा। परन्तु हमें सरकार की ओर से कोई ठोस कार्यवाही किये जाने के बारे में कुछ मालूम नहीं है। आज दक्षिण वियतनाम, जिसकी जनसंख्या 2 करोड़ है, अमरीकी साम्राज्यवाद का वीरता से सामना कर रही है। आज सवेरे, जब चीन द्वारा भू-उपग्रह छोड़े जाने की चर्चा हुई, तब बड़ा हंगामा मचा। जब अपोलो 13 को सफलतापूर्वक पृथ्वी पर उतारा गया था तो उस समय इस पर प्रस्ताव पारित कर शुभकामनाएं भेजी गयी थी परन्तु हम चीन द्वारा अर्जित वैज्ञा-

निक उपलब्धि का उल्लेख नहीं करना चाहते हैं और न ही अन्तरिक्ष में भू-उपग्रह की उसकी सफलता को स्वीकार करना चाहते हैं।

हमें चीन और पाकिस्तान के साथ वर्तमान झगड़ों को सुलझाकर मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रखने चाहिए क्योंकि हम शस्त्रों की दौड़ में अपने को नहीं फंसाना चाहते हैं जो कि हमें बहुत मंहगा पड़ेगा। सेना के साधारण जवानों को अच्छा जीवन बिताने के लिए सम्पूर्ण सुख-सुविधा दी जानी चाहिए। हमें अपनी प्रतिरक्षा नीति पुनर्निधारण करनी पड़ेगी।

डा० राम सुभग सिंह (बक्सर) : वहां अब समितियों के लिये चुनाव हो रहे हैं और सरकार अपने न्यायोनुचित तरीके इस्तेमाल कर रही है। वहां सरकारी अफसर भेजे गये हैं और चुनाव अधिकारी ने उन्हें पहचान भी लिया है। सरकार को अपने अधिकारियों का दुरूपयोग नहीं करना चाहिये।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : ये गम्भीर आरोप हैं। चुनावों में सरकार को अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिये। ऐसी कार्यवाही एक दम रोकी जानी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का प्रश्न केवल चर्चित विषय के बारे में ही उठाया जा सकता है। इस समय सभा में प्रतिरक्षा मन्त्रालय की मांगों पर विचार किया जा रहा है।

Shri Yashpal Singh (Dehra Dun) : The defence of the country is not the concern of a particular political party or the Government only. All the 52 crores people of the nation are concerned. Sardar Swarn Singh and Shri Mishra have done commendable work in regard to the defence of the country but the Govrnment in which they are Ministers have done nothing to restore back the lost Indian territories. Several lakh square miles of our country is still in the clutches of China and Pakistan. Our Government declare in different international meets that they could not think even of capturing or occupying the territory of any country ; but it is not like making a mockery of oneself when one i not able to recover one's own territory from one's enemies. When our Government is unable to take back our territory from China and Pakistan. How do they declare that they have no intention to attack others or occupy other's territories ? It does not behold our Government to make such declarations in the face of the above facts. On the other hand our Government should have mobilised public opinion and also effective striking strength and might to take back India's lost territories. Let me make the Government aware that a country's defence cannot be ensured simply by holding negotiation and round table conferences.

The need is that we should practice the policy of 'blood for blood' and 'tit for tat.'

No body can deny that Sardar Swaran Singh and Shri Y. B. Chavan have done commendable work for the defence of the country. It was Shri Chavan who struck back the Pakistan forces in 1965 but we have not prepared our self strong enough to face the mighty strength of China. Until we make Hydrogen Bombs and Atom Bombs, we cannot ensure the security of our nation Any country's security and defence can be ensured only by the use of arms and not by mere negotiations and all like that. If you keep the atomosphere of negotiations only. What will happen to our marshal races who take birth only to die for the honour of the nation ?

We have taken a pledge to recover back every inch of our lost territories from China and Pakistan. Let us try to understand the situation in Pakistan. General Yahya Khan is ruling that country only on the assurance by him that he would snatch away

the rest of the Kashmir from India and give that to the people of Pakistan. And the Pak people give him their all out support for this purpose. And here in India, our Government uses our soldiers -our brave soldiers to construct dams, to make roads and to plough fields. Have we sent our brave sons to the Army to do such petty jobs ? We send our sons to take up arms ; and our Government asks them to do social work. It is a matter of great pity.

Now there are two opinions in India. The one is that forgetting past we should now ensure that our enemies do make further advance in our territory, but the second one is determined to take back India's lost areas from the ruthless enemy. We have sworn to hoist the Indian tricolour in the Peking. And till that time we shall not sit peacefully. We shall take revenge of the blood shed by the brave sons of the motherland. And as such, we dont believe in such kind of negotiations and round table conferences. We are Kshatriyas and we solve the issues by means of swords. Let the Shanti wallas, Panchshil wallas and Tashkent wallas not come in our way.

Let us not think in terms of defence only. Let our Defence Minister be called : The Agression Minister or The War Minister. We do not need the teachings of Panchsheel. We need military training. Let every citizen of India wear Khaki Minitary Uniform the spirit of soldier, brave and patriotism should pervade them all.

Let us all unite. Let all the issues like Panchsheel, Rann of Kutch and other issues be settled at the point of gun. Let us live not as a coward but as a brave nation.

श्री नरेन्द्र सिंह महीदा (आनन्द) : मैं प्रतिरक्षा मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं तथा सेना के उन अधिकारियों तथा जवानों के प्रति अपनी श्रद्धान्जलि अर्पित करता हूं जिन्होंने देश के लिये अपने प्राण न्यौछावर किये । हमें अपनी प्रतिरक्षा सेनाओं पर गर्व है । गत सात वर्षों से वे संसार में सब से दुर्गम तथा कठिन क्षेत्र में जो कि एक हजार मील से अधिक के क्षेत्र में फैला है, देश की सीमाओं की रक्षा कर रही हैं जहां हमारे लाखों जवान बड़ी कष्टदायक परिस्थितियों में डटे खड़े हैं । इतने कष्ट में रहते हुए भी उन्होंने किसी प्रकार की कोई शिकायत व्यक्त नहीं की है । आज प्रतिरक्षा सेवा हमारे देश की सबसे अच्छी सेवा है ।

आज के सुन्दर के समय से ही हमारे देश के सैनिक विश्व में प्रसिद्ध हैं । एक प्रसिद्ध यूनानी ऐतिहासज्ञ ने कहा है कि ईसा से 326 वर्ष पूर्व से ही भारतीय सेना संसार भर में अद्वितीय रही है । पानीपत की लड़ाई में उन्होंने विश्व के विजेताओं को भी मात दी थी ।

परन्तु युद्ध की अपनी विभीषिका होती है । गत विश्व युद्ध में युद्ध के जो भयंकर परिणाम निकले हैं उनसे हमें सबक सीखना है । इसी लिये सारा विश्व आज शान्ति की बात करता है । परन्तु यह शान्ति कमजोरी का प्रतीक बनना नहीं प्रत्युत समर्थ होकर शान्ति पूर्ण रहने से अभिप्राय है । हम अपने देश की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्प हैं और लगातार अपनी तैयारी और अस्त्र-शस्त्र के निर्माण में लगे हैं । वर्ष 1970-71 में प्रतिरक्षा पर खर्च का अनुमान लगभग 1241.96 करोड़ रुपये है । गत बजट से यह 58.76 करोड़ रुपये अधिक है तथा देश की कुल राष्ट्रीय आय का लगभग 4 प्रतिशत है । आंकड़े बताते हैं कि भारत प्रति व्यक्ति प्रतिरक्षा व्यय में सब से कम खर्च करने में इन्डोनेशिया से दूसरे नम्बर पर है । अत: साथ ही यह भी कहना गलत होगा कि हम इस मद पर अत्याधिक खर्च कर रहे हैं ।

फिर भी हमें अपने दायित्व को पूरा करना है । हमें चीन द्वारा हस्तगत अपनी 41,000 वर्ग मील

भूमि को वापस लेना है। इस सभा ने इस का प्रण ले रखा है। वह स्वप्न अभी पूरा होना शेष है।

चीन प्रतिवर्ष अपनी सैनिक शक्ति बढ़ाता जा रहा है। उसने अपनी सेना के प्रत्येक अंग में सैनिकों तथा शस्त्रों की संख्या व स्तर में वृद्धि की है। उसने छम्ब घाटी के उत्तर में शिगस्ते के पास जेट जहाजों का एक अड्डा भी निर्मित किया है और उधर भूटान की सीमा के पास 14,300 फिट की उंचाई पर तिब्बत में घाटी जौंग के स्थान पर विमान-अड्डे पर भी विस्तार कर लिया है। इन अड्डों से हमारे देश के उत्तरी तथा उत्तर-पूर्वी भागों पर केबल एक घन्टे में मार की जा सकती है। यह हमारे देश की सुरक्षा के लिये भारी खतरे की बात है। इसलिये हमारी वायु सेना की मांगों को प्रथम प्राकमिथता दी जानी चाहिये।

दूसरी ओर, हमारे पड़ौसी देश पाकिस्तान को भी 200 नये टैंक प्राप्त हुए है। इसके अतिरिक्त फ्रांस से 3 डैफ्ले श्रेणी की पन्डुब्बियां भी उसे मिली है। साथ ही चीन की मुफ्त शस्त्र सप्लाई करने की क्षमता को देखकर अमेरिका तथा रूस भी पाकिस्तान के प्रति अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करने लगे हैं।

पाकिस्तान भी अपने नौसैनिक शक्ति को बढ़ाने का प्रयत्न कर रहा है। इस बारे में उसने रूस से सहायता मांगी है। अतः हम हाथ पर हाथ धर कर नहीं बैठ सकते। हमें आत्मनिर्भर बनना है। वैसे प्रतिरक्षा उत्पादन में हुई प्रगति से मुझे प्रसन्नता है।

मैंने गत वर्ष मजगांव गोदी का दौरा किया था। हमें वहां अपने युद्ध पोतों की मरम्मत का तुरन्त आरम्भ कर देना चाहिये क्योंकि लन्दन तथा टोकियों के बीच पोतों की मरम्मत तथा उनको होने वाली अन्य हानियों से बचाने के लिये कोई भी पत्तन कोई सुविधा नहीं दे सकती साथ ही इससे हमें विदेशी मुद्रा कमाने का भी अवसर प्राप्त होगा। प्रतिरक्षा मंत्रालय इस ओर ध्यान देकर स्थिति की जांच करे।

सरकारी उपक्रम समिति ने भी इसकी सिफारिश की थी।

सीमा सड़क विभाग के कार्य को देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। वहां दुर्गम क्षेत्रों में सड़क निर्माण पर हमें अपने अनेक जवानों का बलिदान देना पड़ा है परन्तु यह कार्य तो अनेक वर्षों तक चलना है।

युद्ध के समय के लिये हमारी नागरिक सुरक्षा सम्बन्धी तैयारी भी परिपूर्ण रहनी चाहिये। मन्त्री महोदय को राष्ट्रीय कैडेट कोर की ओर विशिष्ट ध्यान देना चाहिये और उसे अधिकाधिक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये। अपने सैनिक अधिकारियों की पुर्ननियुक्ति के बारे में कहूंगा कि वे लोग अत्याधिक अनुशासित व्यक्ति हैं और उन्हें सेवा के अधिक अवसर प्रदान किये जाने चाहियें। अज्ञात शहीदों का एक स्मारक इन्डिया गेट पर बनाया जाना चाहिये। पर्वतारोहण को जितना प्रोत्साहन इस मंत्रालय ने दिया हैं वह प्रशंसनीय है।

मैं इस मंत्रालय की मांगों का पूरा समर्थन करता हूं।

श्री समर गुह (कन्टाई) : भारत द्वारा परमाणु अस्त्रों के निर्माण की वांछनीयता के सम्बन्ध में मैं मंत्री महोदय से कुछ सीधे प्रश्न पूछना चाहता हूं तथा उनसे मेरा निवेदन भी है कि वह उनका सीधा ही उत्तर दें। पहला प्रश्न तो यह है कि क्या भारत को चीन द्वारा परमाणु अस्त्रों के निर्माण के कारण वास्तव में ही गम्भीर खतरा है तथा क्या चीनी आक्रमण से हमारे देश की

सुरक्षा पर कोई अत्यन्त भयंकर प्रभाव पड़ेगा। दूसरे क्या चीन एक सीमित उद्देश्य को लेकर भारत के एक विशिष्ट क्षेत्र पर विजय पाकर, देश में ही कार्यशील चीनी समर्थक राजनैतिक लोगों के माध्यम से हमारी सैनिक सेवाओं में उथल-पुथल मचा सकता है ? साथ ही क्या चीन द्वारा भारत पर परमाणु अस्त्रों से प्रदान करने पर विश्व भर में स्वत: ही परमाणु-युद्ध फैल जाने की सम्भावना है तथा क्या ऐसे चीनी आक्रमण के समय को बाहरी महान देश अकेले ही या कुछ अन्य देशों के साथ मिलकर भारत की सहायता करने आयेगा ?

परमाणु अस्त्रों के विकास के बारे में चर्चा करते समय मैं अनाड़ियों की भांति बातें नहीं कर रहा हूं। मैं स्वयं भी इसकी कठिनाईयों को समझता हूं। मैं जानता हूं कि हिरोशिमा पर बम गिरने से 75,000 निर्दोष जापानियों की जानें गईं थीं तथा 1,50,000 से अधिक लोग आहत हुए थे।

अमेरिका ने जो थर्मो-न्यूक्लियर प्रयोग किया था वह 15 मैगाटन क्षमता का था और गत छः वर्षों में सारे विश्व के अन्य सभी देश ने मिलकर भी उतनी अधिक शक्ति का परमाणु विस्फोट नहीं किया। मैं यह भी समझता हूं कि यदि पूरे तीन मिनट तक विश्व में पूरी तरह परमाणु युद्ध हो जाये तो 30 करोड़ लोग मौत के घाट उतर जायेंगे। मुझे यह भी मालूम है कि 15 मैगाटन क्षमता का केवल एक थर्मो-न्यूक्लियर विस्फोट दिल्ली, कलकत्ता, लन्दन, वाशिंगटन या विश्व के किसी भी बड़े नगर के 28 मील के अर्द्ध व्यास में पूर्णतया नष्ट कर सकता है। 20-30 मैगाटन का केवल एक परमाणु बम सारे फ्रांस या ब्रिटेन को भूमि सात कर सकता है।

मन्त्री महोदय यह भी बतायें कि क्या अमेरिका ने ब्रिटेन तथा फ्रांस को यह आश्वासन दे रखा है कि यदि रूस ने उन देशों पर आक्रमण किया तो अमेरिका उनको पूरी सहायता देगा ? क्या फिर ब्रिटेन और फ्रांस ने परमाणु अस्त्रों का क्यों विकास किया है। इसका यही कारण है कि देश की सुरक्षा के लिये, परमाणु अस्त्रों के वार को रोकने के लिये, जवाबी परमाणु अस्त्र तैयार किये जाने चाहियें तथा हर ऐसे देश के साथ शक्ति में बराबरी रखनी चाहिये जो हमारे साथ शत्रुता रखता हो।

एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि यदि चीन भारत पर परमाणु अस्त्रों से आक्रमण करे तो क्या बाहरी देशों से कोई सुरक्षा की कोई गारंटी है। शायद कोई नहीं-क्योंकि 1967 में एक भारतीय मिशन मास्को तथा वाशिंगटन गया था और उसे उदासीनता ही प्राप्त हुई। अमेरिका ने केवल इतना कहा कि यदि ऐसा हुआ तो वह इस विवाद को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जायेगा। और यह तो सब जानते ही हैं कि वहां क्या होता है। अत: हमारे पास इसके अतिरिक्त कोई चारा नहीं कि हम ईंट का जवाब पत्थर से दें।

हम सब जानते हैं कि सामरिक तथा युद्ध नीति सम्बन्धी परमाणु अस्त्रों के विकास ने युद्ध की प्रणाली को ही बदल कर रख दिया है। मोर्टार या पारम्परिक तोप गोले की क्षमता की तुलना में परमाणु तोप गोले या परमाणु मोर्टार की फायर शक्ति या विस्फोट शक्ति 100,000 से 50,000 तक अधिक है। सामरिक परमाणु शस्त्रास्त्रों के विकास में काफी खर्च प्रौद्योगिकी विकास वितरण प्रणाली और समय की बात अन्तर्ग्रस्त है। लेकिन परमाणु शस्त्रास्त्रों को तैयार करने के लिये हमारे प्रतिरक्षा वैज्ञानिकों को अनुमति देने में सरकार को क्या कठिनाई अनुभव होती है ? भारत सामरिक परमाणु अस्त्रों का निर्माण कर सकता है। ये शस्त्रास्त्र हमारी प्रतिरक्षा को सुदृढ़

बनायेंगे। यदि सरकार पहले सामरिक शस्त्रास्त्र बनाने का निर्णय करे तो परमाणु यन्त्र का परीक्षण हमारे वैज्ञानिक केवल तीन महीने में कर सकते हैं और यदि यह परीक्षण रेगिस्तान या किसी द्वीप में किया जायेगा तो इस पर 25 लाख रुपये से कम खर्च होगा और यदि यह परीक्षण भूमिगत करना हो तो 50 लाख रुपये लागत आयेगी। केवल छः मास के भीतर ही हमारा देश कई दर्जन परमाणु गोले बना सकता है तथा प्रत्येक वर्ष कई दर्जन तक इसका उत्पादन और भी बढ़ाया जा सकता है।

मंत्री महोदय ने सैनिक कर्मचारियों को भत्ता तथा पेन्शन देने सम्बन्धी अनेक आश्वासन दिये हैं। मैं उन पर यह आरोप लगाता हूं कि उन्होंने नेताजी सुभाषचन्द्र बोस का स्मारक लगवाने की दिशा में कुछ नहीं किया। हम तीन वर्ष से इसकी मांग करते आ रहे हैं। उन्हें आजाद हिन्द फौज के उस अमर सेनानी का स्मारक तुरन्त लगवाना चाहिये।

Shri Raghuvir Singh Shastri (Bagapat): Mr. Dy. Speaker, Sir, Shri Yashphal Singh has correctly stated that the out-look of the Ministry of Defence should not remain defensive now. The time has come when the Ministry of Defence let the hostile countries know that India is also prepared to take offensive steps when it becomes nscessary for the security of the country. I feel such an understanding is highly required to be instilled in the minds of the countries having inimical attitude towards us.

It is a matter of great concern that China is being congratulated by certain people belonging to our own country or launching missile by her. When our Jawans, who are guarding our fronts standing on snow-covered mountains even in the month of January and February when it is extremely cold, will come to know that there are certain people in our country who congratulate China on her launching missile they will be demoralised. Our Jawans will certainly feel that such persons may also welcome the troops of China if they launch an attack on our territories. In these circumstances how we can ask our military personnel to give their blood for the security of our country when the people of our own country have soft corner for the country having hostile attitude towards India.

It has been mentioned in the Report of the Ministry of Defence that a road from Morkhum to Khunjrao in Pakistan, occupied Kashmir is being constructed by the Chinese. It would be utilised by the military of Pakistan and by the Chinese also. It has also been stated therein that over 1.50 lakh army personnel belonging to China have been sent to West Tibet. My submission is that in case Chinese troops are posted in Pakistan occupied Kashmir it would be a great danger to the security of our country. Thus, the Government should not ignore the manoeuvre being made by China and Pakistan. They should take stringent steps against all these things.

It is a historical fact that foreign invaders could defeat Indian army only because their arms were superior to those of Indian army. My submission, in this regard is, that the same mistake should not be perpetrated by us and, there fore, it is necessary for us to produce nuclear bombs in our Country. To raise and maintain the morale of the people of our country the Government will have to assure them that our military have been provided with superior and modern equipments.

I also suggest that the feelings of superiorily and inferiority among the officers and the Jawans of Indian Army will have to be removed by the Government. It has been observed that the military officer treat the soldiers as their domestic servants and it is not a healthy attitude. I request that all the military personnel should be allowed to enjoy their due dignity and respect. All of them should feel that they have been entrusted with a common objective.

In the end, I would like to suggest that the importance being given to English language for obtaining Commissions, and promotion in the Indian Army should be curbed immediately. It is a matter of shame that even now English language is dominating in the military life and our own language are being ignored. When Hindi has been accepted as our official language it should also be given due place in army

श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा (जम्मू): महोदय ! गत वर्ष भी परमाणु अस्त्रों के निर्माण तथा प्रतिरक्षा तैयारियों पर अधिक बल दिया गया था।

मुझे इस बात पर थोड़ा आश्चर्य है कि प्रतिरक्षा नीति के विषय में प्रति वर्ष एक सी ही बातें कही जाती हैं। वास्तव में हमें इतना सचेत रहना चाहिये कि शत्रु देशों में होने वाली सभी गति-विधियों की हमें जानकारी रहे।

गत वर्ष पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर में जो गतिविधियां हुई हैं वे हमारे लिये चिंता का विषय बन गई हैं। प्रतिरक्षा सम्बन्धी अध्ययन और व्याख्या संस्थान के वार्षिक प्रतिवेदन में जिन तथ्यों का उल्लेख किया गया है उनके अतिरिक्त यह भी समाचार मिला है कि चीन में प्रशिक्षण प्राप्त कुछ पाकिस्तानी सैनिक पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर में तैनात कर दिये गये हैं। अलबर्क नामक एक संस्था जम्मू और काश्मीर राज्य में घुसपैठ करने का यत्न कर रही है। मैंने लगभग छैः महीने पूर्व प्रतिरक्षा मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाया था किन्तु उन्होंने कहा कि मुझे इस सम्बन्ध में कुछ ज्ञात नहीं है। इसी क्षेत्र में डेरा गाजी खां से पाक-अधिकृत काश्मीर तक एक रेलवे लाइन बनाई जा रही है जो मई, 1971 तक पूरी हो जायेगी। भारत सरकार ने 10 वर्ष के पश्चात् पठान कोट से काश्मीर तक रेलवे लाइन बनाने का कार्य आरम्भ किया है कि पाकिस्तान ने रेलवे लाइन बनाने का कार्य आरम्भ कर के 1971 में पूरा भी कर देना है। सड़कों और रेलवे लाइनों के कार्य मे प्रगति करके पाकिस्तान को अपनी सामरिक गतिविधियों में सुविधा रहेगी किन्तु भारत सरकार ने इस समस्या पर गम्भीरता से विचार ही नहीं किया। आणविक शस्त्रों के निर्माण करने या न करने के सम्बन्ध में वाद-विबाद करने की अपेक्षा सरकार को स्पष्ट रूप से बताना चाहिये कि हमारे देश की सैनिक तैयारी किस तरह की है। यदि उसमें किसी प्रकार की कमी है, यदि हमारे पास विमानों की कमी है तो उसे जहाँ से भी हो सके पूरा करना चाहिये। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पाकिस्तान अपनी सैनिक शक्ति में वृद्धि करता जा रहा है तथा चीन के पास हमारी सैनिक, शक्ति से अधिक शक्ति पहले ही विद्यमान है। यह कहना व्यर्थ है कि हम पाकिस्तान और चीन से अपने क्षेत्र वापस ले सकते हैं। अतः इन देशों द्वारा अधिकृत हमारे क्षेत्रों को वापस लेने के सम्बन्ध में सरकार की क्या स्पष्ट नीति है। सरकार को इस सम्बन्ध में व्यावहारिक तथा सही नीति अपनानी चाहिये।

मैं तीनों सेनाओं के जवानों और अधिकारियों की सराहना करता हूं क्योंकि वे लद्दाख तथा अन्य सीमाओं पर अस्वास्थ्यकर जलवायु होने के उपरांत भी प्रसन्नता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि ऐसे स्थानों पर नियुक्त किये जाने पर असैनिक कर्मचारियों को सैनिकों से दुगने भत्ते मिलते हैं। महोदय! हमने पहले भी सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया था कि सैनिकों को भी वही सारी सुविधाएं तथा उपलब्धियां मिलनी चाहियें जो असैनिक कर्मचारियों को दी जाती हैं।

जब तक भारत और पाकिस्तान में शत्रुता है तब तक जम्मू और काश्मीर राज्य के समक्ष सीमा सम्बन्धी विवाद बने रहेंगे। गिलगिट के अतिरिक्त पुंच और अन्य क्षेत्रों में भी घुसपैठ के लिये

तोड़-फोड़ की गतिविधियां सामने आई हैं। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि जम्मू तथा काश्मीर राज्य की सीमा पर जहाँ भी सम्भव हो भूतपूर्व सैनिकों को बसाने के लिये केन्द्र सरकार कुछ वित्तीय सहायता दे। इससे दो कार्य सिद्ध हो सकते हैं। एक तो सैनिकों को बसाने की समस्या हल हो जायेगी तथा दूसरे हमारी सीमाएं सशक्त हो जायेंगी जिससे सेना की समस्याओं में भी कुछ कमी होगी।

हमने इस बात पर भी बहुत बल दिया है कि कई बार ऐसी घटनाएँ सामने आई है जिनसे विदित होता है कि हमारे सैनिक तथा असैनिक गुप्तचर विभाग सशक्त नहीं हैं। पाकिस्तानी तथा चीनी खतरे को ध्यान में रखते हुये सरकार को इन विभागों को यथा संभव मजबूत करना चाहिये जिससे सरकार को हर प्रकार के समाचार मिलते रहें तथा समय पर खतरे का मुकाबला किया जा सके।

Shri Arjun Singh Bhadoria (Itawah) : Sir, in the beginning I would like to say something on the foreign policy of the Government with a view that the defence policy and the foreign policy are co-related. A motion of congratulation to China on her launching a satellite has brought in the House. Sir, it is, to say the least is disgraceful. China has occupied thousands of square miles of our territories. Yet we are inclined to congratulate her. This is our foreign policy. It is a matter of shame for us.

The strength of a country lies in the firm determination of the people of that country and on the morale of the armed forces. In this context I want to submit that the morale of the people and the Jawans of our country is required to be raised. If it is done, we are not to worry any more because no country howsoever strong it may be can do any harm to our country.

I would like to suggest as to how the morale of the people can be raised. The officers and the Jawans of our country guard the forward areas like Chusul, Laddakh and Urvashiyam which is also called NEFA by some of our country men even today though the name has been given by foreigners. They are the santinals of the country and have hesitated to perform their duty at the height of 14,000. feet In this context I suggest that the Government should introduce departmental compulsory insurance scheme for all the military personnel. As and when they join the military, they should be given policy by the Department in order to ensure that their dependents are not deprived of the necessities of the life after they are killed while fighting for the country. It should also be provided that the amount of premium is paid by the Department and not by the military personnel because of the fact that they are already ill paid. We have been raising this point since 1948 but the Government have not paid any heed towards this.

My second point is that the Jawans are released from the service after a short period of five years. As has been mentioned by the hon. Minister that they are kept in reserve force for five years, I feel the period of their service is still very short. In this context I suggest that they should be re-appointed in the police department with the view that they remain still young. It they are taken in police department the corruption prevailing in this department will certainly be removed.

I also suggest that due regard and respect should be given to the military personnel who belong to the depressed classes of the community. It has been observed that the Jawans belonging to Harijan community and other such communities are ill-treated in their villages when they return to their native places. One Harijan Jawan, named Dilsukh was beaten by civil police and I brought this incident to the notice of General Manekshaw. Therefore, I suggest that the feeling of casteism should be removed from the villages also.

Sir, Squadron Leader Malick performed a meritorious service and smashed Sargodha Radar Station. But he was not awarded any Vir Chakra'. It is quite strange that he was charged with indiscipline. I feel that it shows nothing but the weekness of the defence policy. **(Interruptions)**. It is also surprising that no encouragement was given to those who caught the man who was taking photographs in Jamnagar. I request that proper action should be taken against those persons who indulged themsleves in spying and who tried to destory the Indian military equipments carrying to Bombay by train with the help of Pakistani personnel. **(Interruptions)**.

The success of defence is based on two kinds of techniques, namely. modern and old. So far as the modern technique is concerned, it requires modernised weapons and equipments. It requires missiles and atomic weapons.

Regarding the old techniques of warfare, Acharya Kotilya had laid down three criterian, the energy derived from encouragement, the energy dervied from impact and thirdly, the energy derived from 'Mantras' recital of spiritual composition.

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपने सुझावों को माननीय मंत्री को दे सकते हैं।

श्रीमती शारदा मुकर्जी (रतनगिरि) : महोदय ! चीनी उपग्रह के सम्बन्ध में मैं केवल इतना ही कहना चाहती हूँ कि चीन सरकार ने अपनी विज्ञप्ति में चीनी जनता का युद्ध के लिये आवाहन किया है। हमें इस समस्या का अपनी राष्ट्रीय सामरिक व्यवस्था के परिपेक्ष में अध्ययन करना चाहिये। चीन और पाकिस्तान प्रतिदिन सैनिक शक्ति बढ़ाते जा रहे हैं जिससे फिलहाल हमारे देश की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो गया है।

इसके साथ ही एक दूर-कालिक भय भी उत्पन्न हुआ है। रूस पहले से ही शक्तिशाली देश है तथा अब चीन भी शक्तिशाली बनता जा रहा है। अतः भय यह है कि कहीं भविष्य में एशिया ही युद्ध क्षेत्र न बन जाये जैसे कभी यूरोप बना था। पहले हिटलर तथा एकतंत्रात्मक शासन की भावना ने यूरोप को युद्ध क्षेत्र बनने के लिये वाध्य किया था तथा अब चीन की विस्तारवादी नीति विश्व को उसी ओर धकेल रही है। साथ ही रूस तथा अमरीका ऐशिया की आर्थिक तथा राजनीतिक स्थिति पर नियंत्रण रखना चाहते हैं। अतः ऐसी स्थिति में भारत नीति-निर्माताओं के समक्ष यह प्रश्न है कि भारत इस क्षेत्र में किस प्रकार शान्ति बनाये रखे। इस कार्य के लिये दृढ़ राष्ट्रीय नीति बनानी होगी तथा यह भी याद रखना होगा कि गुट-निर्पेक्षता का अर्थ अपने उत्तरदायित्व से पूर्णतः मुख मोड़ने से नहीं होना चाहिये।

भारत सरकार का यह कहना पर्याप्त नहीं होगा कि हमारा देश गुट-निर्पेक्ष देश हैं। भारत को अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में अपनी नीति के अनुसार उचित कदम भी उठाने चाहिये। उदाहरण के लिये 1965 में भारत ने मलेशिया का समर्थन किया था। किन्तु फिर भी भारत की नीति में कुछ विरोधाभास रहता है।

सरकार को चाहिये कि वह अपनी नीतियों तथा सिद्धान्तों की घोषणा करे जिन का वह अनुसरण करना चाहती है। इन नीतियों और सिद्धान्तों को या तो जनता स्वीकार कर लेगी अथवा इन्हें रद्द कर देगी और सरकार को बदल देगी। परन्तु हो क्या रहा है ? सरकार की कोई नीति नहीं है यहां तक कि वह स्वयं यह नहीं जानती है कि उसकी नीति क्या है और उसका उद्देश्य क्या है। सरकार केवल अवसरवाद का सहारा लिये हुए है जिससे हमारे उद्देश्यों की पूर्ति होना बहुत कठिन है।

यह सिद्ध हो गया है कि यदि भारत और चीन के बीच कोई संघर्ष होता है, तो रूस भारत

की बजाए चीन का ही साथ देगा क्योंकि रूस चीन का विरोध नहीं कर सकता है। जब तक हम दो देश-भारत और पाकिस्तान-आपस में सोहार्दपूर्ण ढंग से रहना नहीं सीखेंगे तब तक एशिया के इस भाग में शान्ति स्थापित नहीं हो सकेगी। अतः भारत सरकार के समक्ष अब यह एक ही रास्ता है जिस पर चलकर हम शान्ति की सांस ले सकते हैं।

राजस्व खाते में 1017.04 करोड़ रुपये का व्यय दिखाया गया है जो पिछले वर्ष की तुलना में 38.52 करोड़ रुपये अधिक है। इसका स्पष्टीकरण यह दिया गया है कि यह मुख्यता वेतन तथा भत्तों आदि में वृद्धि के कारण हुआ है। पूंजीगत खाते में 133.67 करोड़ रुपये का व्यय दिखाया गया है जो गत वर्ष की तुलना में 8.25 करोड़ रुपये अधिक है। इस वृद्धि का कारण यह बताया गया है कि यह राशि पोतों की खरीद आदि पर व्यय की गई है। वेतन तथा भतों के लिये 459.12 करोड़ रुपये रखे गये हैं जिनमें 197 लाख रुपये छात्र सैनिक दल के लिये हैं। यह सारा व्यय बिना किसी प्रयोजन के किया जा रहा है और दूसरी ओर कहा जाता है कि परमाणु हथियार बनाने के लिये हमारे पास धन नहीं है। सारे कार्यक्रम के लिए 10 वर्ष तक सहायता दी जा सकती है बशर्ते कि सरकार धन का सदोषयोग करना सीख ले।

यह एक विचारणीय बात है कि स्थल सेना तथा नौ-सेना पर पूंजीगत खाते में कोई धन आवंटित नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट है कि प्रतिरक्षा मंत्रालय के प्रतिवेदन में जो यह दावा किया गया है, कि हमारी सेनायें हथियारों से अच्छी तरह लैस हैं, वह गलत है। क्योंकि बिना धन के तो ये हथियार तथा उपकरण नही बन सकते हैं। यह भी हो सकता है कि ये उपकरण कहीं से सैनिक सहायता के रूप में मिल रहे हों। यदि यह सच है, तो इसका संसद ने अनुसमर्थन नहीं किया है और न ही कोई ऐसा प्रस्ताव ही किया गया है।

सरकार ने अणु-शक्ति विभाग, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक विकास और मंत्रालय के अनुसन्धान तथा विकास सम्बन्धी विभागों के बीच समंवय स्थापित करने के लिये कोई प्रयत्न नहीं किया है। मैं जानना चाहती हूं कि क्या आपातकाल में युद्ध संचालन सम्बन्धी अनुसन्धान, सशस्त्र सेनाओं के ढांचे, वस्तु सूची नियंत्रण, सम्भार तन्त्र नियंत्रण तथा असैनिक साधनों को जुटाने के बारे में कोई समन्वित कार्यक्रम बनाने का कमी कोई प्रयत्न हुआ है ?

सांग्रामिक क्षमता तीन मूल बातों पर आधारित है और वे हैं, देश की आर्थिक क्षमता, प्रशासनिक क्षमता तथा हौसला। शत्रु का मुकाबला हौसले से ही किया जा सकता हैं। मैं पूछना चाहती हूं कि शत्रु का मुकाबला करने के लिये लोगों तथा सैनिकों का हौसला बढ़ाने हेतु सरकार ने उन्हें क्या प्रोत्साहन दिया, है।

सेना तथा उपकरणों पर किये जा रहे व्यय में कोई तालमेल नहीं है। उपकरणों आदि पर जो व्यय किया जा रहा है उसका इस आयव्ययक प्राक्कलन में कोई उल्लेख नहीं है। हमें बताया जाये कि सरकार ने मिग विमानों तथा अन्य विमानों पर कुल कितना व्यय किया है। यह धन कहां से आ रहा है और इस सम्बन्ध में इस धन के लौटाने की शर्तें क्या हैं ?

यद्यपि हम राजस्व खाते से केन्द्रीय सरकार की आय का एक तिहाई भाग प्रतिरक्षा पर व्यय कर रहे हैं, तथापि इस क्षेत्र में जो प्रगति हुई है, वह नाम-मात्र ही है।

चीन सहित सभी देशों से बातचीच करने के लिये हर समय तैयार रहने की सरकार की नीति हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में नहीं है और इसे तर्क कर दिया जाना चाहिये।

Shri Gulam Mohammad Bakshi (Srinagar) : So far as defence preparedness is concerned, considerable progress has been made and we were now far ahead of the position in 1962.

We are proud of our armed forces, who have so far defended our borders very successfully and we hope that they will be able to do so in future also. Undoubtedly, their high morale, their loyality towards their motherland, their valour and their stamina are commendable.

I cannot agree with the view that we should depart from the policy of peace which we have been pursuing so far. But since China has manufactured nuclear weapons, we have no alternative but to have such weapons to meet the threat from the nuclear forces of China. The whole country is in favour of having nuclear weapons and the feelings of the people should be honoured by Government. Our armed forces should be fully equipped with up to date equipment and strengthened so that they are able to meet the increasing threat to our borders. Even if we have to increase the defence allotment from Rs. 1,000 crores to Rs. 1500 crores, we should not grudge granting this additional amount.

I want to make it clear, that even though we believe in peace and may not attack any country, but if our courtry is attacked by any one we will certainly defend it with all the might at our command.

श्री विक्रम चन्द महाजन (चम्बा) : प्रधान मंत्री ने प्रतिरक्षा मंत्री का पद एक ऐसे योग्य व्यक्ति का सौंपा है जिन्होंने हमारी सेनाओं में काफी सुधार किया है । इस समय हमारी सेना के पास नवीनतम हथियार, पनडुब्बियां और अधिक अच्छे विमान हैं। इसके लिये वह वधाई के पात्र हैं ।

फिर भी हमारी सेना इतनी समर्थ नहीं है कि पाकिस्तान और चीन दोनों देशों का एक साथ मुकाबला कर सके । हमें ऐसे उपाय करने चाहिये जिससे हम न केवल उनका मुकाबला ही कर सकें परन्तु उन राज्य क्षेत्रों को, जिन पर चीन ने अनधिकृत रूप से कब्जा कर रखा है, भी स्वतंत्र करा सकें । एक उपाय यह है कि हमें अपने नागरिकों विशेषकर स्कूलों तथा कालेजों के विद्यार्थियों को अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण देना चाहिये और उन्हें कम से कम दो वर्षों के लिये सीमावर्ती क्षेत्रों में भेजना चाहिये जिससे वे देश की प्रतिरक्षा करने में पेश आने वाली कठिनाइयों से अवगत हो सकें । इससे उनमें देश भक्ति की भावना और भी अधिक तीव्र हो जायेगी । दूसरा हमें अपने भूतपूर्व सैनिकों को सीमावर्ती क्षेत्रों में बसाना चाहिये । उन्हें न केवल भूमि ही दी जानी चाहिये परन्तु उन्हें राज सहायता भी मिलनी चाहिये । आवश्यकता पड़ने पर वे एक दूसरी प्रतिरक्षा पंक्ति के रूप में कार्य कर सकेंगे और 1962 में जो कुछ हुआ था वह फिर नहीं होगा ।

इस समय देश में तथा सभा में आम राय यह है कि परमाणु हथियारों का विकास किया जाना चाहिये चाहे इन पर कितना ही व्यय क्यों न हो । यह तर्क गलत है कि जब हमने अणु-बम को प्रयोग में ही नहीं लाना है, तो इसे बनाया ही क्यों जाए । राष्ट्र में विश्वास उत्पन्न करने के लिए अणु बम का होना बहुत जरूरी है ।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

भाषा के बारे में उग्र विचार रखने वाले राजनीतिज्ञों ने सैनिकों के लिये एक नयी समस्या उत्पन्न कर दी है । आज हम देखते हैं कि सैनिकों का एक राज्य से दूसरे राज्य में जब तबादला कर

दिया जाता है तब उनके बच्चों को उस नये राज्य की भाषा में शिक्षा ग्रहण करने में बड़ी कठिनाई होती है । यदि सैनिक अपने बच्चों को छात्रावासों में रखते हैं तो वे उनका खर्च वहन नहीं कर सकते हैं । परिणाम यह है बच्चों का नुकसान हो रहा है । इसके लिये या तो सरकार को प्रत्येक राज्य में केन्द्रीय स्कूलों की व्यवस्था करनी चाहिये या सैनिकों को इसके लिये पर्याप्त भत्ता दिया जाना चाहिये ताकि वे अपने बच्चों को किसी भी रिहायशी स्कूल अथवा कालेज में पढ़ा सकें ।

छावनियों का निर्माण परती भूमि पर ही किया जाना चाहिये । ऐसा देखा गया है कि ऐसी भूमि का अर्जन कर लिया जाता है जिसके लिये सिंचाई की व्यवस्था होती है । इसके लिये सैनिकों की एक समिति बनाई जानी चाहिये जो इस बात का ध्यान रखे कि जिस भूमि का अर्जन किया जा रहा है वह सिंचाई वाला क्षेत्र तो नहीं है ।

अन्त में मैं कुछ सदस्यों द्वारा दिये गये इस सुझाव का समर्थन करना चाहता हूं कि यदि किसी सैनिक का सेवाकाल में ही निधन हो जाये, तो उसकी पत्नी तथा बच्चों को तब तक पेंशन दी जानी चाहिये जब तक वे अपने पांव पर खड़े नहीं हो जाते और यह पेंशन 100 रुपये अथवा 150 रुपये से कम नहीं होनी चाहिये ।

सीमाओं पर खतरे का मुकाबला करने का एक ही तरीका है कि देश में नागरिकों को अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये । यदि ब्रिटेन तथा फ्रांस में ऐसा किया जा सकता है, तो यहां ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता है ?

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रणजीत सिंह ।

श्री रणजीत सिंह (खलीलाबाद) : पिछले प्रतिरक्षा आय-व्यपक के बाद तीनों सैनिक सेवाओं में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं, इस समय तीनों सेनाओं के अध्यक्ष नये हैं । ये सभी इस समय बड़ी तीव्र गति से प्रगति के पथ पर बढ़ रहे हैं और मैं आशा करता हूं कि प्रतिरक्षा मंत्रालय का कोई भी अधिकारी, जिसे प्रतिरक्षा के मामलों की तनिक भी जानकारी नहीं है, उनके मार्ग में बाधक नहीं बनेगा ।

हमारी सरकार और नौकरशाही, जो कि भ्रष्ट है, पूंजीवादी मनोवृत्ति की है और जनता विरोधी है, यदि उसके रवैये में परिवर्तन कर दिया जाये तो इसी आय-व्ययक के अन्दर ही प्रतिरक्षा व्यवस्था की प्रभावकारिता में शत प्रतिशत सुधार किया जा सकता है । इस समय राष्ट्रीय सुरक्षा के मूलभूत आधुनिक विचारों की कमी है, इस सरकार के लिए उन बाहरी आक्रमणों अथवा धमकियों की सम्भावनाओं का पहले पता लगाना उचित है जो इसके सामने हैं, एक बार अगर हमने यह निर्णय कर लिया कि चीन जैसे देश से खतरा है तो हम यह नहीं कह सकते कि केवल इतने अंश का खतरा है कि चीनी सिपाही पहाड़ की तलहटी पर रूक जायेंगे और उससे आगे नहीं बढ़ेंगे; इसलिये हमें केवल इतनी ही तैयारी करनी चाहिये । जब हम किसी आक्रमण अथवा धमकी का सामना कर रहे हैं तो हम प्रतीक्षा नहीं कर सकते क्योंकि आक्रमण होने से पहले हमें वार करने के लिए अवश्य तैयार होना चाहिये, हमें अधिकतम सुरक्षा के लिए योजना बनानी चाहिये । अधिकतम सुरक्षा के विचार की ही इस सरकार में कमी है, इनके पास न्यूनतम सुरक्षा की व्यवस्था भी नहीं है क्योंकि आज प्रतिरोधक शस्त्रों के बिना सुरक्षा सम्भव नहीं है और बिना परमाणु शक्ति के कोई प्रतिरोधक शस्त्र नहीं है । मुझे आशा है वे इस आवश्यकता को अनुभव करेंगे । सेनाओं की व्यवस्था और संसाधनों के विकास के लिए सभी मंत्रालयों के बीच, विशेषकर प्रतिरक्षा मन्त्रालय, वैदेशिक कार्य मन्त्रालय

और वित्त मन्त्रालय के बीच आपसी सहयोग और समन्वय की आवश्यकता है। इस समन्वय का अभाव है और कभी-कभी इन मन्त्रालयों के निर्णय हमारी प्रतिरक्षा के लिए संकट बन जाते हैं और सुरक्षा को खतरा हो जाता है, उदाहरणार्थ, हमारा वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय वियतनाम और कम्बोडिया के मामलों में जो हस्तक्षेप कर रहा है वह अवांछनीय और प्रभावहीन है और इस तरह वह उस क्षेत्र में हमारे शत्रु चीन की जिम्मेदारी को अपने ऊपर लेकर उसकी सहायता कर रहा है। क्या प्रतिरक्षा मन्त्री ने कभी वैदेशिक-कार्य मन्त्री का ध्यान इस ओर दिलाया है कि इसमें हमारे देश की सुरक्षा को खतरा निहित है क्योंकि उस क्षेत्र में यदि हम चीन की जिम्मेदारी को कम कर देंगे तो वह हमारे ऊपर अधिक दबाव डालने की स्थिति में हो जायेगा ? क्या उसने विद्रोहात्मक कार्यवाहियों द्वारा हमारी सीमाओं के अन्दर ही युद्ध आरम्भ नहीं कर दिया है ? नक्सलवादी आन्दोलन हमारे राज्य क्षेत्र के अन्दर चीनी प्रतिरक्षा की ही एक उपज है और सरकार को इस बात को महसूस करना चाहिए।

हमारे प्रतिरक्षा क्षेत्र में जो टैक्नोलौजी सम्बन्धी कमी है उसको इजराइल की सहायता से पूरा किया जा सकता था लेकिन सरकार का रवैया ऐसा रहा उसने उसे शत्रु बना दिया और अब हम हर समय अरबों की खुशामद कर रहे हैं।

प्रतिरक्षा तैयारियों के मामले में हमारी स्थिति अत्यन्त खतरनाक है। हम हमेशा यह कहते हैं कि हमने यह कर लिया है और हम यह बना रहे हैं। परन्तु क्या हमने कभी यह भी देखने का प्रयत्न किया है कि दूसरा पक्ष क्या कर रहा है। पाकिस्तान ने अपनी शक्ति पहले की अपेक्षा दुगनी कर ली है। जब हम प्रतिरक्षा तैयारी का कार्य करें तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि अपने सीमा-क्षेत्रों पर चीन को बढ़ने से रोकने के अतिरिक्त हमें हर समय इस तथ्य को अपने ध्यान में रखना है कि 1965 में भारतीय शक्ति और पाक शक्ति के बीच जो अनुपात था वह बना रहे, क्या सरकार ने कभी इस बात को सोचा है ?

हमें यह मालूम नहीं कि हम रूसी बन्दूकों और टैंकों के लिए गोलाबारूद क्यों नहीं बना रहे हैं जबकि पांच वर्ष पूर्व ये उपकरण हमें प्राप्त हो गये थे। यह कहने से कोई लाभ नहीं कि यह मामला अभी विचाराधीन है। हमने रूस से जब इन उपकरणों की खरीद का समझौता किया था तो क्या उसमें कोई ऐसा आत्मघाती खण्ड था कि हम गोलाबारूद निर्माण देश में नहीं करेंगे। यदि उस समझौते में ऐसा कोई खण्ड नहीं था तो फिर हम इन बन्दूकों के लिए गोलाबारूद का निर्माण क्यों नहीं कर रहे हैं।

हमारे पास शत्रु के नीची उड़ान वाले तेज विमानों के भारत में आने की पहले से चेतावनी देने वाले कोई साधन नहीं हैं। हम जानते हैं कि हमारे राडार एक निश्चित ऊंचाई से नीचे काम नहीं कर सकते तथा हमारे देश में राडार बहुत दूरी के अन्तर से लगे हैं। यदि पाकिस्तान सहसा कोई आक्रमण कर दें, तो हमें यह पता नहीं चलेगा कि वे किस तरफ से आये हैं और वे ऐसे क्षेत्र में ही आक्रमण करेंगे जहां हमारी सुरक्षा का प्रबन्ध नहीं है और जहां पर हमारे यहां पूर्व चेतावनी देने के साधन नहीं हैं। क्या सरकार ने एक पर्यवेक्षी दल बनाने का विचार किया है, जो कि हमें इन विमानों के बारे में सूचना देगा और जिन क्षेत्रों में राडार नहीं हैं उनमें यह काम कर सकेगा क्योंकि हमारे यहां पूरे सीमा क्षेत्र में राडार नहीं लगे हुए हैं।

मुख्य अथवा पता लगाने वाले राडार से दूरस्थ मिसाइल एककों को समाचार भेजने के

लिये आवश्यक संख्या में रेडियो सैट उपलब्ध न करने के कारण हमारी मसाइलों का प्रभाव बहुत कुछ कम हो गया है।

पाकिस्तान की सशस्त्र सेना की संख्या तेजी से बढ़ रही है। उसके पास अब उतनी ही रेजिमेंट हैं जितनी हमारे पास हैं। हमारा दिजयंत-कार्यक्रम लक्ष्य से अभी भी 20 प्रतिशत पीछे हैं। जहां पाकिस्तान ने पहले ही नियंत्रित टैंक मारक प्रेक्षेपास्त्र (गाइडिड एन्टी-टैंक मिसाइल्स) बनाने शुरू कर दिये हैं, वहां हमारे पास आर० सी० एल० की अभी भी कमी है। अतः हमें अपनी बकतरबन्द सेना बनाने के लिए प्रयत्न करने चाहिये।

जहां तक हमारी वायु सेना का सम्बन्ध है, हमारे पास विमानों की अपेक्षा पायलट अधिक है और हमारे पायलट हमारे कुछ विमानों को उड़ते हुए ताबूतों की संज्ञा देते हैं। आमतौर पर उनकी संचार प्रणाली संकट के समय बन्द हो जाती है और उनमें उड़ान भरना प्रतिदिन संकट का सामना करना है। लशीमारा के समीप हाल की क़रीबाड दुर्घटना संचार प्रणाली खराब होने के कारण हुई।

जहां तक उपकरणों का सम्बन्ध है, ये विशुद्ध रूप से राजनीतिक आधार पर विदेशों से खरीदे जा रहे हैं। प्रभावकारिता के आधार पर नहीं, इस मामले की जांच के लिये हमें एक आयोग बनाना चाहिये।

अपनी लम्बी सीमाओं की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हमारे पास स्थायी सैन्य दलों और पैदल सेना की अभी भी कमी है। इस कमी के कारण आज चुसूल की रक्षा की व्यवस्था नहीं है। वहां पर हमारे सैनिक दल नहीं हैं, स्पांगकुर झील में कोई सैनिक दल नहीं है, क्योंकि इसके लिये कोई सैनिक दल फालतू नहीं है। हमारे पास जिस तरह की सेना है, वह देश के लिए केवल सीमा सुरक्षा दल के रूप में हीं कार्य कर सकती है और वह चीनी आक्रमण से रक्षा करने के लिए एक सेना के रूप में पर्याप्त नहीं है।

निरन्तर बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार हमारी प्रतिरक्षा सेवाओं को दूषित कर रहा है। चयन बोर्डों में भी भ्रष्टाचार किये जाने की खबरें मिली हैं, कहा जाता है कि आर्थिक दृष्टि से अथवा भाई भतीजावाद के आधार पर सैनिकों को तैनात किया जाता है। प्रतिरक्षा उत्पादन विभाग में भ्रष्टाचार की स्थिति विशेष रूप से चिन्ताजनक है। जो सामान यहां बनाया जा सकता है वह यहां नहीं बनाया जा रहा है, यह सामान जानबूझ कर विदेशों से खरीदा जाता है, क्योंकि विदेशी लोग विदेशी मुद्रा में कमीशन देते हैं जो गुप्त रूप से स्विस बैंक में रखा जा सकता है।

जहां तक सैनिक गुप्तचर विभाग का सम्बन्ध है, यह आदि अवस्था में है। यह आश्वासन दिया गया था कि इसमें पूरा परिवर्तन किया जायेगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं किया गया। 1962 की तरह 1965 में भी हम शत्रु की गतिविधियों से अनभिज्ञ थे। यहां तक कि 31 अगस्त 1965 को पाकिस्तानी आक्रमण से केवल कुछ घन्टे, पांच घन्टे पहले ही हमारे सैनिक गुप्तचर विभाग ऊधमपुर के कोर कमान्डर को सूचना दी थी कि अखनूर के डिविजनल कोर कमान्डर अनावश्यक रूप से आतंकित हो रहे हैं और वहां कोई खतरा नहीं है। इसलिये, अखनूर के डिविजनल कमान्डर को न तो सैनिक दल ही मिले और न ही टैंक और वह उस क्षेत्र की रक्षा न कर सके।

सुरक्षा-ढांचे में, जिसमें प्रतिरक्षा सेनायें भी शामिल हैं, बहुत कमियां हैं। इसलिये, मैं इस बात पर जोर देता हूं कि सम्पूर्ण प्रतिरक्षा ढांचे की जांच करने के लिये एक संसदीय समिति बनाई जाय। प्रतिरक्षा मंत्री के आश्वासनों पर विश्वास न करें। ऐसे आश्वासन हमें-पहले भी मिल चुके हैं।

प्रतिरक्षा मंत्री द्वारा यहां सदन में गलत जानकारी दी जाती है। 1969-70 के प्रतिवेदन में उन्होंने बार-बार इस बात का उल्लेख किया है कि हमारी इन्फेंट्री आधुनिकतम हथियारों से लैस है लेकिन पहली ही फोटो देखिये उसमें अग्रिम क्षेत्रों में गस्ती लगाने वाले सैनिकों के हाथ में 303-राइफल दिखाई गई है जहां कि उनके पास बढ़िया से बढ़िया हथियार होने चाहिये थे, इस मंत्रालय पर कैसे विश्वास किया जा सकता है।

युद्ध-क्षेत्र में विजय प्राप्त करने के लिए सैनिकोचित आचरण तथा व्यवहार और उत्तरदायित्व की भावना रखने के लिए सबसे बड़ा एकमात्र कारण मनोबल है। यह मनोबल अनेक कारणों से बुरी तरह से प्रभावित है और प्रत्येक स्तर पर सरकार-विरोधी खतरनाक बात हो रही है। प्रतिरक्षा सेवाओं में निष्ठा की भावना कम हो गई है और असन्तोष फैल रहा है। सैनिक समझता है कि राजनीतिज्ञ राष्ट्र की प्रतिष्ठा बेच रहे हैं और वे वर्दीधारी सैनिकों के कल्याण और सुरक्षा के प्रति उदासीन हैं, वह कब तक सिविल व्यक्तियों की बड़प्पन की भावना के सामने झुकता रहेगा ? भविष्य की असुरक्षा के कारण ही आज हम नक्सलवादी क्रांति देख रहे हैं। हमको छात्र-क्रांति और मजदूर और किसान क्रांति का भी सामना करना पड़ रहा है। हमें मिलकर कम से कम सैनिक क्रांति को तो रोकना ही चाहिये।

मनोबल का एक दूसरा बड़ा हेतु शस्त्रास्त्र प्रणाली है, यदि सैनिक के पास अच्छे हथियार होंगे, तो उसका मनोबल ऊंचा होगा। यदि सैनिक समझता है कि शत्रु के पास अच्छे शस्त्रास्त्र हैं, तो उसका मनोबल ऊंचा नहीं हो सकता। आज के विश्व में केवल एक ही उपयुक्त हथियार है, वह है परमाणु शस्त्र, अतः शान्ति कायम रखने और राष्ट्र की सुरक्षा और मनोबल बनाये रखने के लिए हमें परमाणु शस्त्र बनाने चाहिये। यह भी आवश्यक है कि सेवानिवृत्ति प्राप्त आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों को अच्छे रोजगार दिये जायें। इस तरह के एक अधिकारी ने आत्मदाह करने की धमकी दी है। यदि ऐसा हो गया तो प्रतिरक्षा बलों पर खतरनाक प्रभाव पड़ेगा।

यहां कुछ सदस्य ऐसा कहते हैं कि प्रतिरक्षा पर अत्यधिक व्यय किया जा रहा है ; बजट का 25 प्रतिशत प्रतिरक्षा पर व्यय होता है, ऐसी बात नहीं है कि प्रतिरक्षा पर अत्यधिक व्यय किया जाता है। लेकिन बात यह है कि यह सरकार अन्य कार्यों के लिए धन एकत्र करने में असमर्थ है। उन्हें धन के स्रोत ढूंढने चाहिये, हमारे शत्रु और पड़ोसी इस पर अधिक व्यय कर रहे हैं। हमें परमाणु हथियार बनाने चाहिये और अपने सैनिकों को परमाणु शस्त्रों से लैस करना चाहिये। मैं सरकार से अपील करता हूं कि वह सैनिक, सैनिक के परिवार तथा उस पर निर्भर रहने वालों की सुरक्षा और कल्याण पर अधिक ध्यान दे।

श्री गजराज सिंह राव (महेन्द्रगढ़) : हमारी प्रतिरक्षा सेनायें स्वतन्त्रता तथा राष्ट्रत्व को कायम रखने के लिए सबसे अधिक मजबूत स्तम्भों के समान हैं, राष्ट्र को अपनी प्रतिरक्षा सेनाओं पर गर्व होना चाहिये जिनका दृष्टिकोण, कार्यकरण तथा भावना राष्ट्रीय, देश भक्तिपूर्ण, शौर्यपूर्ण तथा निष्ठापूर्ण है। भाषा, धर्म, जाति आदि के नाम पर उनमें कोई झगड़ा नहीं है।

कुछ दिन पूर्व सदन में यह कहा गया था कि हमारी सेनाओं को बड़ी खराब किस्म की खाद्य सामग्री सप्लाई की गई थी। इसकी जांच की गई और यह साबित हुआ कि यह सप्लाई कोहिमा, नाथूला और लद्दाख में तैनात सेनाओं को की गई थी, इन क्षेत्रों में स्थित हमारी सेनाओं के पास उपयुक्त वस्त्र नहीं हैं।

हमारे जवानों को जो वेतन मिल रहा है उसमें वृद्धि की जानी चाहिये। प्राथमिक स्कूल के शिक्षक को भी 250 रुपये मिलते हैं जब कि एक जवान को केवल 60 रुपये मिलते हैं। हमें जवानों का मनोबल बढ़ाना चाहिये।

जब तक वैदेशिक-कार्य, प्रतिरक्षा और गृह-कार्य मंत्रालय में अच्छा समन्वय नहीं होता और जब तक इन मंत्रालयों में परस्पर सहयोग नहीं होता, तब तक हम देश के लिए प्रभावशाली प्रतिरक्षा उपाय नहीं कर सकते, मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि हमारे कुछ जवान जयचन्दों और पंचभोगियों के कारण मारे जाते हैं। पिछले युद्ध में प्रत्येक जानकारी शत्रु को पहुंचाई गयी थी। पंजाब और कश्मीर में ये पंचभोगी अपनी कार्यवाही कर रहे हैं। हमें इनसे अपनी रक्षा करनी है। मैं कहता हूं कि हमारी 90 प्रतिशत प्रतिरक्षा इन जयचन्दों के सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही करने पर निर्भर करती है।

श्री गजराज सिंह राव (महेन्द्रगढ़) (जारी) : हमारी गुट-निरपेक्षता की नीति का यह अर्थ कभी नहीं रहा कि हमारा कोई भी मित्र न हो या हमसे सहानुभूति रखने वाले कोई राष्ट्र न हों। आज अमरीका, रूस और चीन पाकिस्तान को सहायता दे रहे हैं। यदि हमारे ऊपर बाहरी आक्रमण हो तो क्या हम सहानुभूति और सहायता के लिये किसी देश पर निर्भर कर सकते हैं? प्रतिरक्षा मत्री सभी संसाधनों के होते हुए भी अकेले क्या कर सकते हैं? अतः हम सभी को एक होकर एंक आवाज से अपनी प्रतिरक्षा सेनाओं को इस बात का आश्वासन देना चाहिये कि पूरा राष्ट्र उनके साथ है। वैदेशिक कार्य मंत्रालय को प्रतिरक्षा मन्त्रालय के साथ घनिष्ठ सहयोग करना चाहिए और ऐसा वातावरण पैदा करना चाहिए जिसमें कि हम मित्रविहीन न रहें। हमें अपने रक्षा उपकरणों में परमाणु शक्ति का भी प्रयोग करना चाहिये। परमाणु शक्ति के प्रयोग का यह अर्थ नहीं कि हम किसी राष्ट्र का नाश करना चाहते हैं वरन आज के बदलते हुए युग में परमाणु शक्ति से लैस होना अनिवार्य है।

इसी प्रकार प्रतिरक्षा सेनाओं के सुचारू और कुशल कार्य संचालन के लिये हमारी थलसेना नौसेना और वायुसेना का एक समन्वय बोर्ड होना चाहिये। इसके साथ-साथ अपने बहादुर जवानों के प्रति अपने रवैये में हमें परिवर्तन करना चाहिये। हमें अपने जवानों को उनके अपने तथा उनके परिवार के जीवन स्तर को सुधारने के लिये सभी आवश्यक सुविधाएं देनी चाहिये। बिजली, तकावी ऋण, आवास ऋणों आदि के मामले में जो गारन्टी देनी पड़ती है, जवानों को इससे मुक्त कर दिया जाना चाहिये।

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : सर्वप्रथम मैं सदन के सभी सदस्यों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बजट मागों का सामान्यता अनुमोदन किया है और कुछ आदरणीय सदस्यों ने तो यहां तक भी कहा है कि हम प्रतिरक्षा पर अधिक व्यय नहीं कर रहे हैं।

यह बहुत महत्त्वपूर्ण बात है कि हम प्राथमिकताएं निर्धारित करें और उसमें प्रतिरक्षा से सम्बद्ध मांगों के लिये अधिकाधिक संसाधन जुटाने चाहियें। सदन इस तथ्य से भली भांति अवगत है कि आज देश के विकास कार्यों, तथा लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठाने वाले विभिन्न आवश्यक कार्यों के लिये संसाधन जुटाने की आवश्यकता है। परन्तु इतना होने पर भी हम अपने संसाधनों के अधिकांश भाग का उपयोग सुरक्षा की मागों के लिए करते हैं। इस सम्बन्ध में मैं

माननीय सदस्यों और देशवासियों का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि हमारे राष्ट्र के समक्ष कौन-कौन से खतरे है ? हमें पाकिस्तान और चीन दोनों ही शत्रुओं से निरन्तर खतरा बना हुआ है। इसीलिये हम प्रतिरक्षा के लिए जो मागें प्रस्तुत करते हैं उन पर इस दृष्टि से विचार किया जाता है कि इनसे हमें जो उपकरण प्राप्त होंगे उनसे हम इन दोनों शत्रुओं का सामना करने के समर्थ हो जायेंगे ? प्रतिरक्षा मन्त्री होने के नाते मैं अधिक धनराशि की मांग करता हूं। मुझे समय समय पर विभिन्न विज्ञ-मन्त्रियों का सहयोग प्राप्त होता रहा है और वे प्रतिरक्षा सम्बन्धी सभी आवश्यकताओं को पूर्ण करते रहे हैं।

मैं पाकिस्तान और चीन के साथ अपने सम्बन्धों के बारे में कुछ संकेत करना चाहूंगा। इस तथ्य से सभी अवगत है कि पाकिस्तान के साथ हमारे सम्बन्ध अच्छे नहीं है। इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। अब हमें यह निश्चय हो गया है कि पाकिस्तान के शासक इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं कि भारत के विरुद्ध तनाव और संघर्ष का वातावरण बनाये रखना ही उनके हित में है। जो लोग यह सुझाव देते हैं कि हमें पाकिस्तान के साथ समझौते के लिये प्रयत्न करना चाहिये, उन्हें पाकिस्तानी रूख से भी अवगत होना चाहिये। कोई भी समझौता करने के लिए दोनों की राय का होना आवश्यक है। हम इसके लिए कितनी ही इच्छा क्यों न करें, हमें तब तक सफलता नहीं मिल सकती जब तक इसके लिए पारस्परिक प्रयत्न नहीं होगा।

आज हमारी सीमाओं के उस पार चीनी लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। चीन हमारे देश के किसी भी विधि विरोधी या विद्रोही तत्वों से लाभ उठाने का कोई भी अवसर हाथ से जाने नहीं देता। भारत सरकार को परेशान करने की दृष्टि से प्रचार, सैनिक प्रशिक्षण और हथियारों की सप्लाई के द्वारा वह इन सभी तत्वों को सशक्त करने के लिए उत्सुक है। वैसे चीन और पाकिस्तान के बीच जो सांठ-गांठ का मामला है वह इस सभा में अनेक बार उठाया जा चुका है। चीन अपने राजनीतिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए पाकिस्तान से लाभ उठा रहा है और उसे हर प्रकार का सैनिक समान देकर सदैव उसकी सहायता और मदद के लिए प्रयत्नशील रहता है। चीन यह सब इसीलिए करता है कि पाकिस्तान का भारत-विरोधी रवैया सदा बना रहे। अतः हमें अपनी सैनिक आवश्यकताओं का मूल्यांकन अपने इन दोनों पड़ोसियों के रवैये के परिप्रेक्ष्य में करना होगा और इसी पृष्ट भूमि में हमें अपनी प्रतिरक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं का अवलोकन करना होगा।

अगर आप के मस्तिष्क में सम्बद्ध क्षेत्रों का भौगोलिक चित्र न हो तो मेरी बात आप को स्पष्ट नहीं होगी। उत्तर की तरफ बहुत सी पर्वत श्रृँखलायें है जिनमें से कुछ दर्रे और चोटियां तो बहुत ही ऊँची हैं। पाकिस्तान की तरफ हमारे पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान दो सीमा क्षेत्र है। पश्चिमी पाकिस्तान में जम्मू और कश्मीर में हमारी काल्पनिक युद्ध विराम रेखा है। इस काल्पनिक विराम रेखा को बनाये रखना निश्चय ही बहुत कठिन कार्य है। इसके कारण बहुत सी समस्यायें उत्पन्न हुई हैं। इसी प्रकार पूर्वी सीमा की ओर जो सीमा-प्रान्त है वह बहुत ही घने बसे हुये है। मैं यह वर्णन केवल यह स्पष्ट करने के लिए कर रहा हूं कि हमारे देश के समक्ष जो सीमा सुरक्षा की समस्या है वह अन्य देशों की अपेक्षा अधिक भीषण है अतः जब हम अपनी सेनाओं की संख्या और उससे सम्बद्ध उपकरणों की बात करते है तो हमें अपनी सीमा स्थिति को नहीं भूलना चाहिये। हमारे देश के समक्ष जो सुरक्षा की दुहरी समस्या है उसके लिए दुगुनी ही सेना की आवश्यकता है।

हमने अपनी सेना की प्रभावकारिता में सुधार लाने के लिए काफी काम किया है। यह सत्य है कि हमने पूर्ण जागरुक होकर यह निर्णय किया है कि जहां तक सेना की संख्या का सम्बन्ध है, सेना की संख्या वही रहनी चाहिये परन्तु इसी संख्या के अन्दर जवानों के पास सुचारु शस्त्र होने चाहिये, जिनसे शत्रु पर प्रभावशाली वार सम्भव हो। हम इस दिशा में निरन्तर कार्य कर रहे हैं और हमें इसमें सफलता भी मिली है। हमने जो विभिन्न कदम उठाये हैं उनके फलस्वरूप देश की सेवा करने और हमारी आशाओं के अनुकूल सेना की स्थिति निस्सन्देह बेहतर है।

वायु सेना की संख्या स्वभावतः विमान बनाने, उनका रख-रखाव करने और पुर्जो, गोला-बारूद तथा अन्य मामलों में आत्म निर्भर बनाने की हमारी स्वयं की क्षमता पर निर्भर है। सभा को इस बात की जानकारी है कि अब हम विभिन्न प्रकार के विमान बना रहे है। परन्तु अपने द्वारा बनाये गये विमानों के चलने के समय तक हम खाली बैठे इन्तजार नहीं कर सकते। अतः मध्यवर्ती समय के लिए हम किसी भी साधन से इस तरह के अच्छे विमान प्राप्त करने के लिए चिन्तित है जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। इस सम्बन्ध में हम मित्र देशों से सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं और अधिकतम सहायता हमें सोवियत संघ से मिली है।

हमारा मिग विमान बनाने का कार्यक्रम भी है और हमने नासिक, हैदराबाद और कोरापुट में तीन कारखाने भी स्थापित किये हुए है। आज इन कारखानों में कच्चे माल से विमान बनाने का कार्य शुरू भी हो गया है। यह वास्तव में एक महत्वपूर्ण बात है। आज हमारी एच० एफ 24 तो पहले ही स्क्वैड्रन सेवा में लगे हुये है और हमारे चालक युवक इनकी चालन पद्धति से पूर्णतया संतुष्ट हैं।

हमने अपनी वायुसेना को फाईटर-बम्बर की भूमिका से भी लैस किया हुआ है। दूसरी ओर सुरक्षा के लिए चेतावनी देने वाला रडार उपकरण है और साथ ही मिसाईज भी है जो आक्रमण-कारी विमान पर आक्रमण करती है।

हमने अपनी नौसेना-आवश्यकताओं का सावधानी के साथ मूल्यांकन किया है। सभा द्वारा इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिये कि किसी अन्य विमान वाहक जैसे मामले पर भिन्न-भिन्न मत है। हमारे विचार से हमारे देश में विमान वाहक की भूमिका सीमित है। यदि हमारे पास संसाधन अधिक मात्रा में हो तो हमें निसन्देह ही विमान वाहक रखना चाहिये। परन्तु जब हम अपने संसाधनों की रक्षा करने की बात सोच रहे है तब सापेक्ष सुविधाओं के बारे में कुछ मूल्यांकन करना होगा। भली-भांति विचार करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अधिक गतिशीलता और अधिक फायर शक्ति वाली तेज गति से चलने वाली अनेक संख्या में नावें रखने के लिए जो भी संसाधन उपलब्ध है यदि हम उनका उपयोग करें तो यह हमारी प्रतिरक्षा के हित की बात होगी क्योंकि जहां तक तट का सम्बन्ध है हमारी समस्यायें प्रमुख रूप से प्रतिरक्षा सम्बन्धी है और हमें उसी के अनुरूप निर्णय करना होगा।

अब मैं कुछ सामान्य बातों का उल्लेख करना चाहूंगा। परन्तु मुझसे जो विशेष प्रश्न पूछे गये है मैं उनका उत्तर भी देना चाहूंगा। विरोधी दल की तरफ से श्रीमती शारदा मुकर्जी ने कहा था कि हम बजट में सारा खर्चा नहीं दिखा रहे हैं। यह एक बहुत भारी आक्षेप है और इसका खंडन मैं बहुत सशक्त शब्दों में करता हूं। साथ ही मैं माननीय सदस्या से निबेदन करूंगा कि उन्हें इस प्रकार के आक्षेप नहीं लगाने चाहिये। क्योंकि पाकिस्तानी समाचार पत्रों में ये बातें प्रकाशित

हो रही हैं और इसीलिए यदि हमें कोई ऐसा प्रभाव डालना है कि हमारे प्रतिरक्षा प्रयत्नों में छिपे हुये व्यय के रूप में कोई ऐसी चीज है तो हम अपने शत्रुओं के साथ खेल रहे होंगे। बजट से हम व्यय को किस प्रकार छिपा सकते है ? ऐसा होना संभव नहीं है क्योंकि हमारे ब्यय पर महालेखा-परीक्षक और संसद का नियन्त्रण है। इसके बाद किसी सदस्य ने यह भी कहा था कि हमें सहायता मिल रही है जिसे हम बजट में नहीं दिखा रहे हैं। यह बिल्कुल गलत है। हमें सहायता के रूप में एक भी उपकरण नहीं मिला है। हम एक-एक उपकरण का भुगतान करते हैं और हमारे बजट में उसका पूरा हिसाब-किताब रहता है।

श्री फ्रैंक एन्थनी ने प्रतिरक्षा मंत्रालय के पुर्नगठन के प्रश्न को उठाया। उन्होंने तर्क दिया है कि एक संसदीय समिति प्रतिरक्षा मंत्रालय के कार्य का अध्ययन करने के लिए नियुक्त की जानी चाहिये। उन्होने अपनी बात आरम्भ तो इस तर्क से की कि हमने इंगलैंड की सेना पद्धति अपना कर अच्छा नहीं किया और अन्त में उन्होंने यह कहा कि इंगलैंड की तरह सेनाध्यक्षों की पद्धति न अपना कर अच्छा काम नहीं किया। श्री एन्थनी का मत है कि सेनाध्यक्षों की समिति के सभापति की नियुक्ति का मामला सरल है, परन्तु वास्तव में यह ऐसा नहीं है। जब तक ढांचे सम्बन्धी कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किये जायेंगे, तब तक उद्देश्य पूरा नहीं होगा। ऐसे सभी देशों में जहां समिति सभापति द्वारा सेनाध्यक्षों की नियुक्ति की जाती है सेनाध्यक्ष अपनी प्रतिरक्षा सेनाओं के अध्यक्ष नहीं रहे हैं। यह व्यवस्था उपयोगी है जहाँ रक्षा सेवायें पूरी तरह विकसित और संतुलित है। रक्षा सम्बन्धी जो समस्यायें अन्य देशों में है, उनसे इसका भी सम्बन्ध है।

1962 के शीघ्र बाद हमने जो नई व्यवस्था की है उससे हमें अन्य किसी औपचारिक ब्यवस्था जिसे कि हम कर सकते थे, उसकी अपेक्षा काफी लाभ हुआ है। सामान्यता प्रतिरक्षा मंत्री की सुबह की बैठकों के रूप में इसका उल्लेख किया जाता है। मैं सप्ताह में दो बार तीनों सेनाध्यक्षों और प्रतिरक्षा मन्त्रालय के तीनों सचिवों से मिलता हूं। हम सभी एक साथ मिल कर महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करते हैं। इस ब्यवस्था से प्रतिरक्षा मन्त्री तथा सेनाध्यक्षों के बीच स्थाई सीधा सम्बन्ध बना रहता है जो किसी अन्य ब्यवस्था में सम्भव नहीं है।

एक सदस्य ने सम्भवत: इस बात का उल्लेख किया था कि सैनिक मामलों में सरकार को स्वतन्त्र और विश्वसनीय सलाह की आवश्यकता होती है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत जब मैं सेनाध्यक्षों से निरन्तर मिलता रहता हूं तो उनके द्वारा दी गई सलाह निश्चय ही विश्वसनीय ही होती है।

तीनों सेनाध्यक्षों की समनरूप नियुक्ति करना किसी प्रतिरक्षा मन्त्री के लिए कठिन कार्य है। हम सभी प्रात:काल मिलकर सभी मामलों पर विस्तार पूर्वक विचार विमर्श कर लेते है। मैं सभा को सूचित करता हूं कि सेनाओं और सिविल कर्मचारियों के विषय में इस प्रकार के आकस्मिक उल्लेख हमारी एकता के अहित में होते है यथा सम्भव इनसे बचने का प्रयास करना चाहिये।

किसी सदस्य ने भविष्य में रक्षा-योजना की बात की थी। वैसे सामान्यता हमारी नई व्यवस्था की सराहना की गई है। मेरे मित्र श्री प्र० के० देव ने काफी अच्छा भाषण दिया है। वास्तव में हम वही कर रहे है जिस का उन्होंने वर्णन किया है। हमारे पास दस वर्षीय योजना है और ज्यों ही एक वर्ष समाप्त होता है त्यों ही हम एक वर्ष और जोड़ देते हैं। अत: हमारे सामने सभी समय में भावी दस वर्षीय योजनायें अर्थात 'रोल आन' योजनायें रहती है। यह हमारी अर्थ व्यवस्था की एक अन्य योजना है। इस प्रकार जो भी लाभ होता है उसे अन्य सुरक्षा आवश्यकताओं

पर खर्च कर दिया जाता है।

अब मैं सभा को प्रतिरक्षा योजना के लक्ष्यों के बारे में कुछ संकेत करना चाहूंगा। यह ठीक है कि सेना की जन संख्या 8.28 लाख जो कि स्वीकृत संख्या है वही रखी जायेगी परन्तु दूसरी ओर जवानों के हथियारों की स्थिति में सुधार किया जायेगा, सेना को आधुनिक हथियारों से लैस कर उनकी क्षमता बढ़ाई जायेगी। इसके साथ प्रतिरक्षा का दूसरा लक्ष्य नौसेना को सुदृढ़ करना है ताकि यह दोनों समुन्द्र तटों पर एक साथ अपना काम कर सकें। इसका तीसरा लक्ष्य यह है कि 5 स्क्वैड्रन वायु सेना बनाई जाये। सुरक्षा के लिये रडार और अधिक रडार सेट लगाये जायेगें। पुराने विमानों की स्थिति में सुधार करके वायु सेना का आधुनिकी करण करने की प्रक्रिया जारी रहेगी। चौथे प्रतिरक्षा उत्पादन विभाग के अन्तगर्त शस्त्रास्त्र, उपकरण और गोला बारूद के लिए उत्पादन सम्बन्धी सुविधायें और बढ़ाई जायेगीं और उनका आधुनिकीकरण किया जायेगा।

निरन्तर चलने वाली 'रोल आन' योजनायें सेना के तीनों अंगों के तीनों सेनाध्यक्षों के पूरे सहयोग के साथ ही बनाई और संशोधित की गई। इस प्रक्रिया में प्रतिरक्षा सेनाओं ने स्पष्ट रूप से यह संकेत किया कि 5 वर्षों की अवधि के दौरान वे क्या अपेक्षा कर सकते हैं। सेनाध्यक्षों ने नई व्यवस्थाओं की अत्याधिक सराहना की।

श्री राजू और कुछ अन्य सदस्यों ने निधियों के प्रश्न को भी उठाया और कहा कि जिन निधियों के लिए स्वीकृति मिल गई है उनका उचित प्रयोग किया जाना चाहिये। हम इस सुझाव से पूरी तरह सहमत है। हमने इस दिशा में कुछ ठोस कदम भी उठाये हैं। विभिन्न निर्णय जिनमें काफी परिव्यय शामिल है उन्हें अब अत्यन्त विस्तार से अच्छी तरह विचार करके बनाया जा रहा है। इन मामलों पर लागत प्रभावशालिता का अध्ययन भी किया गया है जिस के आधार पर अन्य उपलब्ध वैकल्पिक वस्तुओं से अत्यन्त प्रभावकारिता और मितव्ययता के आधार पर चुनाव किया जा सके। जैसे कि पहले ही घोषणा की जा चुकी है कि पिछले दो वेतन आयोगों के विपरीत तीसरा वेतन आयोग सशस्त्र सेनाओं के सैनिकों मृत्यु तथा सेवानिवृति लाभों तथा नकद या वस्तु के रूप में लाभों के सहित आय के ढांचें की जांच और सिफारिश करेगा।

मेरे मित्र श्री देव ने महाजनी समिति के प्रश्न को भी उठाया। मुझे मालूम है कि अन्य सदस्यों के मन में भी संशय उठ रहा है। इसीलिए मैं इसका स्पष्टीकरण करना चाहूंगा। समिति का प्रतिवेदन अगस्त 1969 को प्राप्त हुआ। प्रतिवेदन में तीन प्रमुख सिफारशें थी। प्रथम यह कि मानवीकी और विज्ञान के स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम को बढ़ाया जाये। अकादमी में प्रवेश पाने के लिए न्यूनतम शिक्षा माध्यमिक श्रेणी उत्तीर्ण होनी चाहिये जिसमें कि आयु 16 से 18 वर्ष तक हो।

सरकार दो सिफारशों को स्वीकार कर चुकी है और पुनरीक्षित पाठ्यक्रम जुलाई 1971 से आरम्भ हो रहा है। शैक्षिक योग्यता की शर्त भी जुलाई 1971 से आरम्भ होगी। समिति ने यह सुझाव भी दिया है कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA) को स्वतन्त्र संस्थान के रूप में कार्य करना चाहिये जो जवाहरलाल विश्वविद्यालय के अधीन हो।

जहां तक क्षेत्रीय सेना का सम्बन्ध है। पटियाला के महाराजा की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई है जो क्षेत्रीय सेना के विभिन्न पक्षों की जांच करेगी जिससे इसे अधिक प्रभावशाली सेना बनाया जा सके। इस वर्ष के अन्त तक इस समिति की सिफारिशें प्राप्त हो जाने की आशा है।

सभा में यह भी उल्लेख किया गया था कि हम छोटे टैंक नहीं बना रहे हैं। यह तो सच है कि हमारे पास जो भी छोटे टैंक है वह सभी विदेशों द्वारा निर्मित हैं। हमने मध्यम आकार वाले बिजयंत टैंक का निर्माण प्रारम्भ किया है। इसके साथ ही हमने छोटे टैंकों के डिजाईन बनाने और उनके विकास कार्य को भी शुरु कर दिया है। इन छोटे टैंकों के डिजाईन इस प्रकार के होगें कि उन्हीं के ढाचे, इंजन और ट्रासमिशन के आधार पर तथा उसमें उपयुक्त मानकीकरण करके इनका प्रयोग सशस्त्र सेनाओं को ले जाने वाली गाड़ियों (आरर्मड पर्सनल कैरियर्ज) के रूप में भी किया जा सके। सशस्त्र सेना के साथ विचार विमर्श करके हमने इसके लिए दस वर्ष की योजना बनाई है।

भारतीय सेना के जो सैनिक आजाद हिन्द फौज में शामिल हो गये थे और जिन्हें आजाद हिन्द फौज के साथ सम्बन्ध रखने के लिए सेना से निकाल दिया गया था और उनके वेतन और भत्तों की जो राशि जब्त कर ली गई थी, उस शेष राशि का उन्हें भूगतान करने के निर्णय की घोषणा सरकार ने अगस्त 1967 को की थी और अक्टूबर 1967 को आदेश जारी किए गये थे। ऐसे सैनिकों की कुल संख्या 15,500 अनुमानित की गई है। 31-3-70 तक 14,869 लोगों ने जब्त किए गए वेतन और भत्तों की वापसी पाने के लिए दावा किया है। बाकी 631 लोगों का पता लगाना सम्भव नहीं हो सका क्योंकि उनका कोई अता-पता सरकार को मालूम नहीं है। सरकार ने यह निश्चय किया है कि कुछ भत्ते जिन्हें पहले स्वीकार नहीं किया गया था उन्हें भी अब बकाया राशि को निश्चित करते समय शामिल किया जा सकता है। हाल ही में किये गये निर्णय के अनुसार इस कार्य पर लगभग 1.14 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे। चौधरी रणधीर सिह ने कहा था कि सूबेदार मेजर और अन्य सैनिकों की पेंशन में पिछले बीस वर्षों से कोई बृद्धि नहीं की गई है। यह कहना ठीक नहीं है। सूबेदार मेजर की अधिकतम पेंशन दर 1952 में 145 रुपये प्रति महीने से बढ़ाकर 244 रुपये प्रति महीना कर दी गई है। 1 जून 1953 से लेकर दिसम्बर 1969 तक उन की पेंशन में तीन बार बृद्धि की गई है।

कुछ सदस्यों ने यह भी कहा है कि सेना को सप्लाई किया जाने वाला राशन घटिया किस्म का होता है। राशन प्राप्त करते समय ही नहीं बल्कि निरीक्षण स्तर पर भी बड़ी कठोरता से इसका निरीक्षण किया जाता है। फिर अब तो सेना को प्रमुख अन्न यथा गेहूँ, चावल आदि की सप्लाई खाद्य निगम कर रहा है।

वायु सेना के सम्बन्ध में हमारा आवश्यक कार्यक्रम इसे आधुनिक बनाना है। हमारा उद्देश्य यह है कि हमारी वायुसेना आधुनिक और उचित रूप से संतुलित 45 स्कवाडर्नो की वायु सेना हो और उसे सुचारू ढंग से रखा जाये। उसमें लडाकू-विमान, लड़ाकू बम वर्षक विमान, बम वर्षक विमान सामरिक और समुन्द्री सीमा पर निगरानी करने के लिए विमान और परमाणु विमान शामिल है। हमारी वायुसेना में तूफानी, वैम्पायर आदि जो पुरानी किस्म के विमान है उन्हें शनैः शनैः हटाया जा रहा हैं। हम अपने स्क्वाडर्नो को बेहतर और आधुनिक विमानों से पुनः लैस किया जा रहा है। आशा है तीन चार वर्षो में ही लड़ाकू विमानों की कुल संख्या में हंटर, नैट, मिग 21, एच० एफ० 24 और एस यू 7 किस्म के विमान शामिल कर लिए जायेंगे। इस प्रकार वायु सेना की संहार शक्ति में काफी बृद्धि हो जायेगी। विमानों की सफाई और रख-रखाव का सारा प्रबन्ध भी अब भारत में ही किया जा रहा है। इसके साथ ही हमने विभिन्न पुर्जो का निर्माण कार्य भी

आरम्भ कर दिया है ।

श्री रणजीत सिंह ने अपने भाषण में कहा है कि हमारा समझौता हो गया है कि हम कोई गोला-बारूद नहीं बनायेगें । मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमने कभी किसी ऐसे समझौते की कल्पना भी नहीं की है । हमने गोलाबारूद की कुछ किस्में भारत में बनानी आरम्भ कर दी है और कुछ अन्य को आरम्भ करने का प्रयत्न किया जा रहा है ।

कुछ माननीय सदस्यों ने हमारे अणु कार्यक्रमों और चीन के आकाश प्रयोगों की बात की है। इस बात की ओर सभा का ध्यान आकृष्ट हो रहा है । मैं अणु परीक्षणों के सम्बन्ध में अपनी नीति का पुन: उल्लेख नहीं करना चाहता । मैं अन्य ऐसे प्रश्नों का उत्तर देना चाहूंगा जो कि सभा में उठाये गये ।

आपातकालिक कमीशन अधिकारियों का विषय ध्यानाकर्षक प्रस्ताव के रूप में नहीं उठाया गया था । जो लोग इस सम्बन्ध में भूखहड़ताल कर रहे हैं मैंने उनसे इसे समाप्त करने का अनुरोध किया है । उनको बसाने के लिए हम भरसक प्रयत्न कर रहे हैं और भविष्य में भी जो सम्भव होगा, वह करते रहेंगे ।

श्री समर गुह (कन्टाई) : आज प्रात: हमने व्यर्थ के प्रश्न पर समय नष्ट किया है । कृत्रिम उपग्रहों का परमाणु नीति और मिसाईज से कोई सम्बन्ध नहीं । दोनों बिलकुल विभिन्न हैं । रूस और अमरीका ने किसी ऐसी तकनीक का विकास नहीं किया जिससे कि कृत्रिम उपग्रहों का उपयोग सैनिक उद्देश्यों के लिए किया जा सकें । आज सारा देश परमाणु भयों से चिन्तित हो रहा है । इस सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है ? प्रतिरक्षा मंत्री ने अपने भाषण में इसके विषय में कुछ भी नहीं कहा परन्तु यह आज हमारे देश के लिए बहुत महत्त्व का विषय है ।

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री : (श्री स्वर्ण सिंह : श्री नरेन्द्रकुमार साल्वे ने यह प्रश्न किया है कि वायु सेनाध्यक्ष हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड के निरन्तर रूप से अध्यक्ष क्यों बने हुए है ? यह अस्थाई व्यवस्था है । वह अंशकालीन अध्यक्ष हैं । हम शीघ्र ही एक उचित और स्थाई अध्यक्ष निश्चित करने वाले हैं ।

डा० राजू के प्रश्न के विषय में हमारा मत एक उत्तम संचार व्यवस्था स्थापित करना है । यदि कोई अन्य बात होगी तो हम उनसे विचार करेंगें । मैं उनके विचार को उचित महत्व देता हूं ।

यह कहा गया है कि चीनी तथा पाकिस्तानी लोग नैपाल की सीमा से हमारे प्रदेश में आ रहे हैं । मुझे ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है अत: यह गलत है । (व्यवधान) इस सीमा से कोई पाकिस्तानी भी हमारे देश में नहीं आया है । पूर्वी पाकिस्तान से आसाम, बंगाल तथा आदिवासी क्षेत्रों में कुछ लोग आये हैं । सुरक्षात्मक व्यवस्थाऐं मजबूत कर दी गयी हैं और इस समय कोई ऐसी बात नहीं है ।

आपतकालीन कमीशन अधिकारियों के बारे में भी प्रश्न उठाया गया है । उनके लिये हम प्रत्येक सम्भव प्रयत्न कर रहे हैं ।

नैपाल की दिशा में चीनी लोग सीमा तक आते हैं । चीनी मजदूर, इंजीनियर तथा तकनीकि योज्ञता प्राप्त व्यक्ति नैपाल में कई परियोजनाओं का निर्माण करा रहे हैं । इसके अन्दर ही सड़क निर्माण परियोजना भी सम्मलित हैं । हमें इसके प्रति उचित दृष्टिकोण रखना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे जायेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव संख्या 25 से 29 और 40 मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुये ।

The cut motions 25 to 29 and 40 were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव संख्या 66 से 84 मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

The cut motions 66 to 84 were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव संख्या 101 मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

The cut motion 101 was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव संख्या 102 मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

The cut motion 102 was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव संख्या 103 से 111 मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुये ।

The cut motions 103 to 111 were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव संख्या 112 से 122 मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

The cut motions 112 to 122 were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव संख्या 123 से 138 मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

The cut motions 123 to 138 were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव संख्या 139 से 156 मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

The cut motions 139 to 156 were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रतिरक्षा मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गयीं तथा स्वीकृत हुईं :

The following demands in respect of Ministry of Defence were put and adopted.

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
1.	रक्षा मंत्रालय	1,54,73,000
2.	रक्षा सेवायें सक्रिय थल सेना	6,55,74,17,000
3.	रक्षा सेवायें सक्रिय जलसेना	48,57,50,000
4.	रक्षा सेवायें सक्रिय वायूसेना	1,76,25,00,000
5.	रक्षा सेवायें निष्क्रिय	38,31,67,000
105.	रक्षा सम्बन्धी पूंजी परिव्यय	1,15,83,33,000

संविधान (संशोधन) विधेयक, 1970

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL—1970

अनुच्छेद 314 का हटाया जाना

श्री हनुमन्तय्या (बंगलौर) : वर्तमान विधेयक सराहनीय है। यह उन दुर्लभ अवसरों में से एक है जब सरकार इतने महत्वपूर्ण विषय पर एक गैर-सरकारी विधेयक का समर्थन कर रही है।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair]

विशेषाधिकारों को समाप्त करने की उत्सुकता में हमें भारतीय सिविल सेवा अधिकारियों द्वारा की गई सेवाओं की अवहेलना करने की दूसरी सीमा तक नहीं पहुंचना चाहिये। भारत सरकार के आधीन प्रत्येक सेना को तत्कालीन सम्बद्ध मंत्रालय के आदेशों का पालन करना होगा। संविधान में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जो अधिकारी वर्ग को अनुशासनहीनता, अकार्यकुशलता तथा व्यभिचार आदि के दण्ड से रोकती हो। इसलिये सेवाओं की अवहेलना तर्क संगत नहीं है।

इसलिये जिस सेवा ने अपना कर्तव्य ठीक प्रकार से कुशलता पूर्वक निभाया है और जिसे अनेक नेताओं का समर्थन और प्रशंसा प्राप्त हुयी है उनकी भावनाओं को चोट पहुंचाने के लिये हमें कोई ऐसी बात या काम नहीं करना चाहिये, जिससे उनकी भावनाओं को ठेस लगे। यदि सिविल सेवायें हमारी आशाओं के अनुकूल सामाजिक एवं आर्थिक कार्य नहीं करती हैं इसमें उनका दोष नही है क्योंकि उनका कार्य, सलाह देना, सहाय देना तथा सेवा करना है। नई नीतियों को बनाने, सेवाओं का ढांचा बदलने के लिये संसद या मंत्रालय उत्तरदाई हैं।

न्यायपालिका तथा कार्यपालिका स्वभावतः पूर्ण रूप से रूढ़िवादी हैं। उदाहरणार्थ कोई भी न्यायालय मुकदमों का फैसला उसी कानून के आधार पर देता है जो पहले बने होते हैं। कोई भी न्यायालय यह जोखिम उठाने के लिये तैयार नहीं कि भविष्य में क्या होने जा रहा है और नई परिस्थितयों के अनुसार वह अपना निर्णय दे। इसी प्रकार कार्यपालिका भी फाइलों पर काम करती है। कोई नीति बनाना या भविष्य के अनुसार कार्य करने से उसका कोई मतलब नहीं है। विकास और प्रगति के प्रश्न के लिये संसद और मंत्रालय उत्तरदाई हैं। अतः ये सेवायें कोई भी प्रगतिशील कार्य चाहे अनुशास्नात्मक हो चाहे आर्थिक स्वयं नहीं कर सकतीं।

संविधान व्यवस्था के अन्तर्गत हमने जो नौकरशाही अपनाई है उससे दलों के मध्य तथा विभिन्न विचारधाराओं के मध्य तटस्थ रूप से कार्य करने की अपेक्षा की जाती है। हमें आधुनिक विचारधारा के अनुसार यह नहीं कहना चाहिये कि सिविल सेवा अधिकारियों का किसी राजनैतिक सिद्धान्त से सम्बन्ध है। यदि ऐसा किया गया तो संसदीय लोकतंत्र का कार्य-संचालन बहुत कठिन हो जायगा।

यह आशा की जाती है कि भारतीय सिविल सेवा अधिकारी अपना काम करने के पश्चात संसद तया सरकार के निर्णय को स्वीकार करेंगे। भारतीय सिविल सेवा अधिकारी भी उतने ही देश प्रेमी हैं जितने हम हैं। हमें विश्वास है कि यदि उनकी आय में कमी कर दी जायगी या उनकी

सेवा शर्तों को परिवर्तित कर दिया जायगा तो उन्हें कोई शिकायत नहीं होगी।

प्रशासनात्मक सुधार बड़े पैमाने पर किये जाने चाहियें। प्रशासन सुधार आयोग ने कर्मचारी प्रशासन के सम्बन्ध में जो अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है उसमें इस बिषय पर विस्तार से तथा संविधान की प्रस्तावना के अनुरूप विचार किया गया है। सरकार को आवेदन में दिये गये सुझावों पर विचार करना चाहिये।

एक गण राज्य में महाराजाओं का होना असंगति है। इसी तरह किसी सेवा विशेष को अतिरिक्त विशेषाधिकार का आश्वासन देना भी असंगति है। हमारे संविधान की प्रस्तावना में जो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय तथा समान अवसर प्रदान करने की गारन्टी दी गई है यह उसके विरुद्ध है। सरकारी नीति के निदेशक सिद्धान्तों में भी यह कहा गया है कि किसी विशेष व्यक्ति को ही विशेषाधिकार देने का एकाधिकार नहीं होना चाहिये। इसमें संविधान निर्माताओं का कोई दोष नहीं हैं क्योंकि उन्होंने उस समय की परिस्थिति के अनुकूल नियम बनाये थे। इस सम्बन्ध में प्रशासनिक सुधार आयोग ने कर्मचारी प्रशासन पर अपने प्रतिवेदन में जो सिफारिश की हैं उन पर सरकार द्वारा विचार किया जाना चाहिये।

इस सम्बन्ध में प्रधान मंत्री के भी ऐसे ही विचार हैं। उनके विचारानुसार बड़े-बड़े डाक्टर और इंजीनियर जो अपने व्यवसाय के नेता समझे जाते हैं इस सम्बन्ध में कोई आशा नहीं रखते कि उन्हें मंत्रियों के सचिवों के स्तर और वेतन प्राप्त हो सकते हैं। यह अनुचित है। यदि होनहार युवक अथवा युवती डाक्टर और इंजीनियर सरकारी सेवाओं में आते हैं तो उन्हें सामान्य प्रशासन के अन्दर ही रखा जाता है। इस व्यवस्था में परिवर्तन आवश्यक है। प्रशासन व्यवस्था में मानव कल्याण और आर्थिक लाभ की दृष्टि से व्यक्तिगत योगदान प्रदर्शित किया जाना चाहिये।

संविधान में अवसर की समानता की व्यवस्था की गयी है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारियों के एक अथवा दूसरे वर्ग का आरक्षण एवं एकाधिकार को रोकना सम्भव नहीं है। प्रत्येक के लिये योग्यता के आधार पर प्रगति का मार्ग खुला होना चाहिये। यह संविधान की प्रस्तावना के अनुकूल भी है।

इस सम्बन्ध में श्री मधु लिमये धन्यवाद के पात्र हैं क्योंकि उन्होंने उस दिशा में ले जाने का प्रयास किया है जहां प्रशासन सुधार आयोग समस्त प्रशासनात्मक प्रणाली के सुधार की अपेक्षा करते है।

गृहकार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण) : सभा में जो विधेयक रखा गया है सरकार उसका समर्थन करती है।

संविधान में अनुच्छेद 314 को समाविष्ट किया गया है और इसमें उस समय की परिस्थितयों को ध्यान में रखकर विचार किया गया है। समय में परिवर्तन हो रहा है और हमें समय-समय पर मामलों पर समीक्षा करनी होती है। यही कारण है कि हम अब विधेयक का समर्थन कर रहे हैं।

हमने इस मामले में विधेयक पेश क्यों नहीं किया इसका कारण यह है कि यह छोटी सी समस्या है। पहले दी गई सूचना के अनुसार आज केवल 106 भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी सक्रिय सेवा में हैं। हमने सोचा था कि शायद सारा मामला 8 या 9 वर्षों की अवधि में समाप्त होने जा रहा है और इस प्रयोजन के लिये विधेयक पेश करने की आवश्यकता न पड़ेगी।

हमें पता है कि भारतीय सिविल सेवा के अधिकारियों के साथ कुछ समझौते किये गये थे। इस अनुच्छेद को केवल मात्र हटा देने से वे समझौते समाप्त नहीं हो जाते इसलिये उस सम्बन्ध में यह आवश्यक है कि संसद में एक कानून पास किया जाय। जब हम इस विधेयक को स्वीकार करते हैं तो इसका यह अभिप्राय नहीं है कि हम सभी सेवा की शर्तों को रद्द करने जा रहे हैं जिनके बारे में हमने सहमति प्रकट की थी। निश्चय ही पैंशन, छुट्टी, वेतनमानों और दूसरी कई बातों के बारे में मतभेद हैं। गुण दोषों के आधार पर इन शर्तों पर विचार करना होगा।

किसी भी विशेष सेवा की निन्दा करने का हमारा इरादा नहीं है ; हम निश्चय ही भारतीय सिविल सेवा द्वारा किये गये अच्छे कार्यों को मान्यता प्रदान करना चाहते हैं जिसने पिछले 22 वर्षों से देश की सेवा की है। हम इस विधेयक से इसलिये सहमत हो रहे हैं क्योंकि एक सिद्धान्त को स्वीकार करने का प्रश्न है कि भारत की जनता के किसी भी वर्ग के पास संसद की शक्तियों को छोड़कर कोई भी विशेषाधिकार नहीं होना चाहिये।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I would like to draw the attention of the Government on two points. First is that no particular class of service should be guaranteed special privileges under the Constitution. So far as this guarantee is there in the constitution, the laws enacted by the Parliament will be declared unconstitutional. It is only after removing such provisions, that the Parliament may legislate on matters relating to civil service officers.

Out of 24,000 first class gazzetted officers we are having at present 12,000 as technical officers. Even the high posts, where special qualification and technical knowledge is required as a matter of policy, are being provided to Indian Civil Service officers and Indian administrative officers and the technical people are deprived of the opportunity for promotion. Present administrative set up is responsible for this. Merely legislating is not enough, efforts are needed to reform the administrative machinery and to provide opportunities for the progress of technicians. We are really sorry to note that the Administrative Reforms Commission set up by the Government is functioning under an Indian Civil Service Officer.

I hope that the Government would take up for detail discussion of the house the matters concerning administrative reforms and the report of the Commissioner at an early date.

अध्यक्ष महोदय : यह विधेयक संवैधानिक संशोधन के बारे में हैं। प्रस्ताव तथा खण्डों को मतदान के लिए रखने से पहले मैं सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि मत विभाजन करना पड़ेगा।

प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ :

The Lok Sabha divided :

पक्ष में 213 विपक्ष में 21

Ayes 213 Noes 21

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से पारित नहीं हुआ।

The motion was not carried by a majority of the total membership of the

House and by a majority of not less than two thirds of the Members present and voting.

इसके पश्चात लोक-सभा बुधवार, 29 अप्रैल, 1970/9 बैसाख, 1892 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Wednesday, April 29,1970/Vaisakha 9, 1892 (Saka).

Printed at Tirthraj Press, Allahabad.

लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण

28 अप्रैल, 1970 । 8 वैशाख, 1892 (शक) का शुद्धि-पत्र

पृष्ठ संख्या	शुद्धि
12	पंक्ति 9 को इस प्रकार पढ़िये : 'विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री मु.यूनुस सलीम) : (क) जी नहीं ।'
60	नीचे से पंक्ति 8 तथा 9 के स्थान पर इस प्रकार पढ़िये : '(ख) तथा (ग) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।'
74	नीचे से पंक्ति 11, 'पुरी' के स्थान पर 'पुगी' पढ़िये ।
75	नीचे से पंक्तियों 6,7 तथा 10 में 'मालाम्न' शब्द के स्थान पर 'मालामकृ' पढ़िये ।
106	नीचे से पंक्ति तीन, 'प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह)' के स्थान पर 'प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) :' पढ़िये ।
111	नीचे से पंक्ति 16 के ऊपर इस प्रकार पढ़िये : भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली तथा हैवी इलैक्ट्रिकल्स (इंडिया) लिमिटेड, भोपाल के वार्षिक प्रतिवेदन आदि' पढ़िये ।
124	ऊपर से पंक्ति 6, '(जम्मू).' के स्थान पर 'जम्मू' पढ़िये ।
126	ऊपर से पंक्ति 20 के पश्चात् '(श्री श्रीचंद गोयल पीठासीन हुए Shri Shri Chand Goyal in the chair)' पढ़िये ।